

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. III, First Session, 2019/1941 (Saka)
No. 28, Wednesday, July 24, 2019 / Shravana 2, 1941(Saka)**

| <u>S U B J E C T</u> | <u>P A G E S</u> |
|---|------------------|
| ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | |
| * Starred Question Nos. 441 to 447 | 11-61 |
| WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS | |
| Starred Question Nos. 448 to 460 | 62-104 |
| Unstarred Question Nos. 5022 to 5251 | 105-597 |

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

SUBMISSION BY MEMBER

Re: US President's reported mediation claim
on Kashmir 599-601

PAPERS LAID ON THE TABLE 602-609**MATTERS UNDER RULE 377 610-642**

- (i) Need to set up Agriculture based industries, Dairy Sector, Horticulture in Banswara Parliamentary Constituency, Rajasthan
Shri Kanakmal Katara 611
- (ii) Need to provide rail link from Hardoi to Gursahaiganj via Auhadpur in Uttar Pradesh
Shri Jai Prakash 612
- (iii) Regarding drinking water problem in Godda Parliamentary Constituency
Dr. Nikshikant Dubey 613-614
- (iv) Need to develop 'Mrigvan' an area in Chittorgarh fort Rajasthan as a biological park
Shri C.P. Joshi 615
- (v) Need to establish a National Sports University in Jhunjhunu, Rajasthan
Shri Narendra Kumar 616
- (vi) Regarding pollution caused by Iron factories in Kodarma district, Jharkhand
Shrimati Annpurna Devi 617

- (vii) Need to upgrade Balaghat Zila Hospital in Madhya Pradesh as a Medical College
Dr. Dhal Singh Bisen 618
- (viii) Regarding sewerage system in Pratapgarh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh
Shri Sangam Lal Gupta 619
- (ix) Need to ensure proper implementation of Ayushman Bharat Yojana in Madhya Pradesh
Shri Rodmal Nagar 620
- (x) Regarding telephone connectivity in Ladakh, Jammu and Kashmir
Shri Jamyang Tsering Namgyal 621-622
- (xi) Need to expedite construction of Isarda dam project in Tonk district Rajasthan
Shri Sukhbir Singh Jaunapuria 623
- (xii) Regarding setting up of AIIMS at Sambalpur, Odisha
Shri Nitesh Ganga Deb 624
- (xiii) Regarding BSNL service
Shri Devusinh Chauhan 625
- (xiv) Regarding BSNL service in Jammu and Kashmir
Shri Jugal Kishore Sharma 626

- (xv) Need to include Pali language as a subject in UPSC examination
Dr. Sanghamitra Maurya 627
- (xvi) Need to include people belonging to Hadpati, Rathod, Tanvima and Nayaka communities of Gujarat in the list of Primitive Tribal Groups
Shri Prabhubhai Nagarbhai Vasava 628
- (xvii) Regarding privatization of airports
Shri B. Manickam Tagore 629-630
- (xviii) Need to sanction stoppage for three Express trains at Wadakkanchery and Mulankunnathukavu in Kerala
Shrimati Ramya Haridas 631
- (xix) Need to lay a pitline at Palakkad Town Railway Station, Kerala
Shri V.K. Sreekandan 632
- (xx) Regarding bio-diversity protection and conservation project for Pallikaranai Marshland, Tamil Nadu
Shrimati T.Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian 633-634
- (xxi) Regarding changing the name of West Bengal
Prof. Sougata Ray 635
- (xxii) Regarding cancellation of flights from Gannavaram airport, Andhra Pradesh
Shri Raghu Rama Krishna Raju 636

| | | |
|----------|--|-----|
| (xxiii) | Regarding illegal use of spy cameras | |
| | Shrimati Vanga Geetha Vishwanath | 637 |
| (xxiv) | Regarding alleged irregularities in coal mining under Western Coal Fields Limited in Chandrapur, Maharashtra | |
| | Shri Balaji Krupal Tumane | 638 |
| (xxv) | Regarding rules to be followed for transporting goods | |
| | Shri Mahesh Sahoo | 639 |
| (xxvi) | Need to develop Shaikh-UI-Hind Maulana Mahmood Hasan Medical College, Uttar Pradesh into Higher Centre | |
| | Shri Haji Fazlur Rehman | 640 |
| (xxvii) | Regarding modernization of Nagapattinam Port | |
| | Shri M. Selvaraj | 641 |
| (xxviii) | Regarding including Vetan community of Kerala in the list of scheduled Tribes | |
| | Shri N.K. Premachandran | 642 |

UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION)

| | |
|------------------------------|---------|
| AMENDMENT BILL , 2019 | 643-711 |
| Shri Vinayak Bhaurao Raut | 643-645 |
| Shri Pinaki Misra | 646-649 |
| Sushri Mahua Moitra | 650-657 |
| Shri Sunil Kumar Pintu | 658-659 |

| | |
|---------------------------------|---------|
| Kunwar Danish Ali | 660-661 |
| Shrimati Supriya Sadanand Sule | 662-664 |
| Dr. Venkatesh Netha Borlakunta | 665 |
| Dr. S.T. Hasan | 666 |
| Dr. Mohammad Jawed | 667-668 |
| Shri Vishnu Dayal Ram | 669-671 |
| Shri E.T. Mohammed Basheer | 672-673 |
| Adv. A.M. Ariff | 674-675 |
| Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu | 676-677 |
| Shri Asaduddin Owaisi | 678-682 |
| Shri K. Subbarayan | 683 |
| Shri P. Raveendranath Kumar | 684 |
| Shri Thol Thirumaavalavan | 685 |
| Shri Mohanbhai Sanjibhai Delkar | 686-687 |
| Shri Hanuman Beniwal | 688 |
| Shri Karti P. Chidambaram | 689-690 |
| Dr. Satyapal Singh | 691-693 |
| Shri Hasnain Masoodi | 694-695 |
| Shri N.K. Premachandran | 696-697 |
| Shri Badruddin Ajmal | 698-699 |
| Shri Amit Shah | 700-711 |
| Clauses 2 to 11 and 1 | 727-734 |
| Motion to Pass | 734 |

**STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF
BANNING OF UNREGULATED DEPOSIT SCHEMES
ORDINANCE, 2019**

AND

**BANNING OF UNREGULATED DEPOSITS
SCHEMES BILL, 2019**

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| | 735-809 |
| Motion to Consider | 735 |
| Shri Anurag Singh Thakur | 735-737, 804-809 |
| Shri Adhir Ranjan Chowdhury | 738-743 |
| Shri S.C. Udasi | 744-750 |
| Shri Kalyan Banerjee | 751-754 |
| Shri Bellana Chandra Sekhar | 756-758 |
| Shri Sanjay Haribhau Jadhav | 759 |
| Shri Dnv Senthilkumar S. | 760-761 |
| Shri Sunil Kumar Pintu | 762-763 |
| Shri Bhartruhari Mahtab | 764-767 |
| Kunwar Danish Ali | 768 |
| Shri Nama Nageswar Rao | 769-770 |
| Shrimati Supriya Sadanand Sule | 771-773 |
| Shri P.K. Kunhalikutty | 774 |
| Shri Kesineni Srinivas | 775-776 |
| Shri Subhash Chandra Baheria | 777-778 |
| Shrimati Navneet Ravi Rana | 779-780 |
| Shri Syed Imtiaz Jaleel | 781-782 |

| | |
|---|---------|
| Shri Saptagiri Sankar Ulaka | 783-785 |
| Shri Hanuman Beniwal | 786-787 |
| Shri N.K. Premachandran | 788-790 |
| Dr. Nishikant Dubey | 791-794 |
| Shri Rajiv Pratap Rudy | 795-800 |
| Shri H. Vasantha Kumar | 801 |
| Shri M. Selvaraj | 802 |
| Shri Hemant Patil | 803 |
| Statutory Resolution Re: Disapproval of Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance, 2019 | |
| Resolution withdrawn | 813 |
| Banning of Unregulated Deposits Schemes Bill, 2019 | |
| Clauses 2 to 44 and 1 | 814 |
| Motion to Pass | 815 |
| <u>ANNEXURE – I</u> | |
| Member-wise Index to Starred Questions | 816 |
| Member-wise Index to Unstarred Questions | 817-821 |
| <u>ANNEXURE – II</u> | |
| Ministry-wise Index to Starred Questions | 822 |
| Ministry-wise Index to Unstarred Questions | 823-824 |

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, July 24, 2019/Shravana 2, 1941 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

HON. SPEAKER: Question No. 441, Shri Syed Imtiaz Jaleel.

... (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, today is the Prime Minister's day. We have tried to draw the attention of the Prime Minister to make a statement on the Trump-Modi issue.

HON. SPEAKER: No.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: But it is deliberately being denied because it is an issue which is very much related to the Prime Minister himself. So, the Prime Minister should come forward and make a statement on the issue. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय विदेश मंत्री जी ने इस पर अधिकृत बयान दे दिया है और मैंने व्यवस्था दे दी है।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, may I ask them a question? When the hon. Minister of External Affairs has given a statement, what is the problem?...(*Interruptions*) At one point of time, they say the Prime Minister does not allow anybody to work and he does not believe in his own Ministers. ...(*Interruptions*) But when his own Minister has clarified the position, what is their problem? The Prime Minister has assigned him the responsibility to clarify it and it has been clarified. What is the problem for them? I do not understand it. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूँ, एक मिनट, प्लीज। आप अगर मेरी बात सुनना चाहेंगे तो मैं व्यवस्था देता हूँ। मैं आपको व्यवस्था देता हूँ

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि शिमला समझौते के बाद, इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ था, उसके बाद कश्मीर का इश्यू बाइलेटरल बन गया और उसके तहत कोई भी थर्ड पार्टी मेडिएशन नहीं रहेगा। लेकिन मिस्टर ट्रम्प के बयान पर सारे हिन्दुस्तान में यह चर्चा हो रही है कि हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय विदेश मंत्री जी द्वारा बयान दे दिया गया है। विदेश मंत्री द्वारा अधिकृत बयान दे दिया गया है।

...(व्यवधान)

11.02 hrs**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

HON. SPEAKER: Question No. 441, Shri Syed Imtiaz Jaleel.

... (*Interruptions*)

11.03 hrs

At this stage, Shri D.K. Suresh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

(Q. 441)

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL : Sir, the opening up of commercial coal mining for the private sector was said to have been the most ambitious coal sector reform since the nationalisation of this sector. ...(*Interruptions*)

11.03 ½ hrs

At this stage, Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

...(*Interruptions*)

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL: When this announcement of private participation in the coal sector was made in February, 2018, the Minister had said that this reform was likely to bring efficiency in the coal sector by moving away from the era of monopoly to competition, and lower power tariffs. ...(*Interruptions*) He had also said that the move would lead to higher investments and create lakhs of direct and indirect jobs. ...(*Interruptions*) My pointed question to the hon. Minister is this. Since the private players have

been allocated coal blocks, the Central and State PSUs have been allowed to participate in the coal mining process.

Will the Minister inform the august House as to whether the tariffs have been lowered as per your promise that you had made in February, 2018 when you made this announcement? ...*(Interruptions)* If yes, how much tariff has been lowered and if not, by when can we expect this? ...*(Interruptions)* You had also said that there will be higher investments. ...*(Interruptions)* After this decision was taken, how much more investment has come into this sector? ...*(Interruptions)*

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, as far as sale of coal is concerned, we are not using the term 'commercial coal' or 'coal mining commercialisation'. ...*(Interruptions)* The question is that of sale of coal. As has been rightly mentioned by the hon. Member, the Sale of Coal Policy was announced on 20.7.2018. ...*(Interruptions)* As regards tariff, it comes under the Ministry of Power. But I can say that it was done in 2018. ...*(Interruptions)* After that, the elections came and due to various reasons, the process of actual allocation and auction of mines is yet to take place as per this policy. ...*(Interruptions)* Once it is done, there will be a lot of investments and the shortage of coal in the country will also be reduced. So, this is done with that intention. ...*(Interruptions)*

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL: Sir, the idea behind privatising coal mines was that more players can participate in the coal mining process which till now was the monopoly of Coal India Limited. ...*(Interruptions)* But even after allocating,

there is still a gap between the demand and supply in 2017-18, 2018-19 and even in 2019-20. ...(*Interruptions*) The reply that you have given states that there is a gap between the demand and supply. ...(*Interruptions*) In the announcement that you made, you said that any prior allottee who is convicted of an offence relating to coal block allocation and sentenced to imprisonment for more than three years is not eligible to participate in the auction under the policy of 2015. ...(*Interruptions*) Can the Minister inform this august House as to how many such type of allottees have been blacklisted from participating in the coal block allocation process? What is the status of their cases? Are they pending in the court or in the ED? ...(*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, as I have already said, after 20.7.2018, there is no auction and there is no allocation as per this Sale of Coal Policy. ...(*Interruptions*) So, this question does not arise. But we are very strict that whoever has committed an offence will not be allowed to participate in the auction process. ...(*Interruptions*)

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Mr. Speaker, Sir, the Supreme Court has held MDO contracts as illegal in 2014. ...(*Interruptions*) Is it not true that many State and Central Public Sector industries have tied up under MDOs, 11 of them with State Public Sector industries, 5 in West Bengal, 3 in Chhattisgarh, 2 in Odisha and 3 in Jharkhand? Why is the Government withholding from disclosure of such MDOs under RTI? ...(*Interruptions*) I am asking this because the model MDO document which the Government of India has sent to the States says that these agreements are protective. ...(*Interruptions*) Why is there a veil of

secrecy on all these MDOs? The example I will give you is that in Rajasthan, the Government of Rajasthan has switched from the MDO agreement with Adani. ...*(Interruptions)* You know very well that in 2017-18, Adani earned a revenue of Rs. 8.63 billion through MDO contracts. ...*(Interruptions)* The Supreme Court has held MDO contracts as illegal and the Government is not disclosing all these MDO contracts. Your model agreement which you have sent to the States is not disclosing this. ...*(Interruptions)* Why is this veil of secrecy? Have we gone back to pre-2014 and when will the Government allow open commercial mining so that this crony capitalism ends in this country? ...*(Interruptions)*

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, appointment of MDO also is made by a bidding process in a most transparent way. The RTI information needs to be given by the representative of the State Government. We have not asked anybody to hide it. We are very clear ...*(Interruptions)*

As I have already stated, the States can appoint MDO through a bidding process, which is done in a most transparent manner. So, question of our role here, does not arise. If through the RTI, he does not get information, then there is a due process for that. But the Central Government does not have any say or role here ...*(Interruptions)*

SHRI MIDHUN REDDY: As we all know, the cost of solar power is nose-diving and coming down drastically. Very soon, the cost of solar power is going to be lesser than that of coal based thermal power. But in the recent auctions,

which have taken place in our country, all the coal blocks have not reached their rated capacity. Most of them are not operational now ...*(Interruptions)*

Now, the hon. Minister is talking about more mines, which are going to be auctioned. Can the hon. Minister tell us, when would these issues of mines get sorted out and when would the targeted rated capacity be reached? What steps is he going to take for the new auctions, which are going to take place? ...*(Interruptions)*

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, auctioning of mines comes under the domain of the Central Government, but that does not mean that the entire auction is done by us alone. There is an environment clearance (EC); there is a Forest Clearance (FC). Then, there are States also. The States have to create a single window system as far as industry is concerned, to know what they are doing. The clearance is given not entirely by us alone; it is given by various State Governments also ...*(Interruptions)*

Land problem is there. Land records problem is also there. Keeping all these things in mind, the concerned State Governments also see that all clearances are given at the earliest ...*(Interruptions)*

As far as the Central Government and the Ministry of Coal are concerned, we are trying to coordinate with all the Departments. We are also trying to bring in drastic changes in the policy so that we can operationalise the mines.

श्री गोपाल शेटी: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय । उत्तर बहुत विस्तृत रूप में आया है और कोल माइनिंग सेक्टर में पीयूष गोयल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, इस बारे में किसी के मन में संदेह नहीं है । ...*(व्यवधान)* लेकिन, जो वर्ष 2015 का एक्ट है, इस एक्ट के अनुसार अगर सरकार किसी को ब्लैक लिस्ट करती है तो कोर्ट में उसे तीन साल की सजा होती है, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट में भाग लेने की इजाजत नहीं होती है ।...*(व्यवधान)* अपने देश में कोई भी कोर्ट में जाता है तो कई सालों तक ये कैसे ज चलते रहते हैं, लेकिन तब तक वह बीडिंग प्रोसेस में आता रहेगा । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से पूछना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में क्या 2015 के एक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता है, क्या ऐसा मंत्री महोदय जी को लगता है? ...*(व्यवधान)*

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, he has asked a question about the people, who are convicted. If they are convicted, then their participation in the bidding does not arise. Anyhow we will examine the suggestion of the hon. Member.
...*(Interruptions)*

(Q. 442)

श्री रोड़मल नागर: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय । ... (व्यवधान) सरकार के कई विभागों में संविदा कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा ठेका पद्धति से लिया जाता है, जिन्हें न्यूनतम वेतनमान भी नहीं दिया जाता है । उन्हें केवल वेतन-पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर कम पैसा दिया जाता है, साथ ही आवाज उठाने पर नौकरी से निकाल दिया जाता है । ... (व्यवधान) इससे कर्मचारियों का आर्थिक और मानसिक शोषण तो होता ही है, उनके जीवन में अनिश्चितता भी बनी रहती है और कई बार सरकारों के बदलने से भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है तथा कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा धौंस देकर जबरन निकाला जाता है । क्या सरकार इसके लिए कोई कदम उठा रही है?

डॉ. जितेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता की कद्र करता हूँ । लेकिन, साथ ही साथ यह भी सपष्ट करना चाहता हूँ कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कर्मचारी सरकार में काम करते हैं, वास्तव में, हम इनको दो श्रेणियों में समझ सकते हैं । ... (व्यवधान) एक आउटसोर्सिंग वह होती है जो किसी कॉन्ट्रैक्टर अथवा ठेकेदार के माध्यम से है, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं । ... (व्यवधान)

दूसरी श्रेणी वह है, जिसमें सरकार सीधे-सीधे कोई नियुक्ति करती हैं । मान लीजिए मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी का अभाव है या अध्यापकों की नियुक्ति करनी है तो उसमें ठेकेदार बीच में नहीं आता है । आपका प्रश्न चूंकि ठेकेदार से संबंधित है तो मैं कहूंगा कि यह स्थिति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि बहुत सी ऐसी श्रेणियां हैं, जिनमें सरकार के पास जितनी आवश्यकता होती है, उतनी नियुक्तियां करने की व्यवस्था नहीं होती । उदाहरण के तौर पर कार पार्किंग के लिए चौकीदारी करना, ड्राइविंग करना । एक जमाना था कि संसद में मुश्किल से एक या दो गाड़ियां आती थीं, बाकी अन्य सांसदों के पास कार नहीं थी । आज हर सांसद के पास कार है, इसी प्रकार हर कार्यालय में गाड़ियां बढ़ रही हैं तो कार पार्किंग की, सिक्योरिटी एजेंसीज की बढ़ती हुई जरूरतें हैं । इनकी पहले आवश्यकता नहीं रहती थी । सरकार में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं रहने के कारण एक पद्धति बनी है, जिसके तहत इसका सरलीकरण करने हेतु एक ठेकेदार को बीच में

अंगेज्ड कर दिया जाता है तो ठेकेदार के माध्यम से आगे काम होता है। इनके लिए रोजगार, वेतन और लोन की वही व्यवस्था है, जो अन्य कर्मचारियों के लिए होती है। यदि ठेकेदार के माध्यम से किसी प्रकार की कोताही की जाती है तो निश्चित ही उसके ऊपर कार्यवाही भी होती है। साथ ही साथ मैं यह भी जोड़ दूँ कि मोदी सरकार के द्वारा अनेकों ऐसे निर्णय लिए गए हैं, जिससे कि इन कर्मचारियों को सहायता हो और उनकी रोजगार की परिस्थितियां सुधरें।

जहां तक महिलाओं का संबंध है, इसी सरकार ने मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से 24 हफ्ते कर दी। कई कार्यालयों में रात्रि के समय महिलाओं को काम करने की इजाजत नहीं दी गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना आरंभ की गई, जिसमें 1 अप्रैल, 2016 से सरलीकरण हुआ। पहले उसमें 12 परसेंट एम्पलॉय देता था और 12 परसेंट एम्पलॉयर देता था तो जो 12 परसेंट एम्पलॉयर देता था उसकी भागीदारी सरकार की तरफ से 8 परसेंट होती थी। हमने उसे 1 अप्रैल 2018 के बाद पूरा 12 प्रतिशत कर दिया। इसी तरह ग्रेच्युटी बढ़ा दी। मिनिमम वेजेज एक्ट जो 1948 का था, प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश के अन्तर्गत 2017 में उसमें संशोधन करके मिनिमम वेजेज 40 प्रतिशत कर दिया गया। इसी प्रकार पेमेंट ऑफ वेजेज जो वर्ष 1936 का अंग्रेजों के समय का एक्ट था, 65 वर्ष के बाद 2017 में पहली बार मोदी सरकार उसमें संशोधन लायी और न्यूनतम वेतन 18000 हजार से बढ़ाकर के 24000 कर दिया गया। यह बहुत लंबी सूची है। कहने का तात्पर्य यह है कि मोदी सरकार ने पहले ही इस विषय को प्राथमिकता दी है और इसके अतिरिक्त एक अद्भुत योजना भी लाई गई है, जिसका नाम श्रम सुविधा पोर्टल रखा गया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हुए 16 अक्टूबर, 2014 को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस व्यवस्था का उद्घाटन किया, जिसके अन्तर्गत समय समय पर निरीक्षण अथवा इंस्पेक्शन करने का प्रावधान है। इसे 4 श्रेणियों में बांटा गया है- इमरजेंसी इंस्पेक्शन, मेंडेटरी इंस्पेक्शन, ऑपरेशनल इंस्पेक्शन, सेन्ट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े इन्ोवेटिव ढंग से आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए इस विषय की चिंता पहले से ही सरकार कर रही है।

श्री रोड़मल नागर: अध्यक्ष महोदय, जिन कर्मचारियों को काम पर रखा जाता है, उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य गरीब, लोगों के आरक्षण पर ध्यान नहीं रखा जाता इसलिए आर्थिक, शैक्षणिक और चिकित्सकीय सुविधाओं की भी हानि होती है। क्या इस आरक्षण का ध्यान रखने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है?

डॉ. जितेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर इस प्रकार की चिंता व्यक्त की गई है। इसमें दरअसल वास्तविकता यह है कि कन्ट्रैक्चुअल अपाइंटमेंट्स के तहत सरकार द्वारा सीधी-सीधी नियुक्तियां होती हैं। मान लीजिए किसी कॉलेज में लैक्चरर्स का अभाव है और वहां लैक्चरर्स की नियुक्ति करनी है तो वहां पर रिजर्वेशन सिद्धांत का पालन किया जाता है। विशेषकर ऐसे समय में जब मान लीजिए 45 दिन से लंबी अवधि के लिए कोई कन्ट्रैक्चुअल नियुक्ति करनी है, किसी लैक्चरर की या किसी प्रोफेसर की नियुक्ति करनी है या वहां पर 40 व्यक्तियों की नियुक्ति करनी है, तो ऐसे में रिजर्वेशन के सिद्धांत का पालन किया जाता है।

वहां रिजर्वेशन के सिद्धान्त का बिल्कुल उसी तरह पालन किया जाता है, जैसे बाकी नियुक्तियों में किया जाता है।...(व्यवधान) लेकिन जहां ठेकेदार के माध्यम से आउटसोर्सिंग होती है, वहां इसका पालन करना थोड़ा व्यावहारिक नहीं रहता है और ठेकेदार अपनी सुविधा के अनुसार एंगेजमेंट्स करता है।...(व्यवधान)

श्री जनार्दन मिश्र: अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जिस तरह से सरकार की सुधारवादी नीतियों का उल्लेख किया है, जितना उन्होंने कहा है, उसके साथ ही साथ, जो बहुत छोटी-छोटी राशियां बकाया पड़ी थीं, उनको भी रिलीज करने का काम किया गया है। ...(व्यवधान) लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इसमें 17 प्वाइंट्स ऐसे हैं, जिनके आधार पर संविदाकर्मी को आउटसोर्स करके काम पर लगाया जाता है। ...(व्यवधान) मैं इसमें देख रहा था कि इसमें 17 बिन्दुओं के साथ-साथ 50 से अधिक लॉज हैं। ...(व्यवधान) मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या इन सारे बिन्दुओं एवं कानूनों को कन्सन्ट्रैट करके, कोई एक कानून बनाने पर सरकार विचार कर रही है? ...(व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: माननीय सदस्य श्री जनार्दन मिश्र जी का सुझाव विचार लायक है ।
 ...(व्यवधान) सच्चाई यह है कि जब ये नियुक्तियां होती हैं, वैसे आप देखेंगे कि मोदी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में लगभग 150 ऐसे रूल्स और कानून समाप्त कर दिए हैं, जो अब पुराने हो चुके थे या परिस्थितियां बदलने की वजह से अब उनकी आवश्यकता नहीं रही थी, औचित्य नहीं रहा था, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि वे ऑब्सलीट हो चुके थे, चाहे गजेटेड अफसर द्वारा दस्तखत कराना हो, चाहे इंटरव्यूज करना इत्यादि । ...(व्यवधान) जहां तक इस विषय का संबंध है, होता यह है कि नियुक्तियों के लिए कोई न कोई रूल चाहिए । ...(व्यवधान) जो जनरल फाइनेंस रूल्स हैं, जिनको हम एब्रिविएशन करके 'जीएफआर' कहते हैं, उनमें रूल संख्या 177 से लेकर 206 तक लगभग 32 या 33 जीएफ रूल्स नियुक्तियों के लिए लागू होते हैं । ...(व्यवधान) उन्हीं रूल्स के आधार पर इस प्रकार की नियुक्तियां, भले ही वे आरिजी हों, अस्थायी हों, की जाती हैं, ताकि उसमें पारदर्शिता रहे, स्पष्टता रहे और किसी प्रकार का भेदभाव न हो सके । ...(व्यवधान) जहां-जहां संभव होता है, माननीय सदस्य का कहना ठीक है, हम यह प्रयास करते हैं कि जिस रूल की अब आवश्यकता नहीं रही या समय बीतने के साथ उसका औचित्य समाप्त हो गया है, उसे अब लागू न किया जाए । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ।

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): मैं आपसे अपील करता हूं ...(व्यवधान) देखिए, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, कल भी आपने यह इश्यू रेज किया है । ...(व्यवधान) अगर आप चाहते हैं तो 12 बजे फिर से रेज कीजिए । मैं माननीय अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे इश्यू रेज करते हैं तो उनको रेज करने दें । ...(व्यवधान) माननीय रक्षा मंत्री जी इस बारे में रिस्पांड भी करेंगे, लेकिन हाउस चलाने दीजिए ।...(Interruptions) I am appealing to you once again. You have raised the issued. It is the collective responsibility of the Government and the hon. Minister for External Affairs has amply clarified. Absolutely, no doubt has been left. I once again appeal to you

to go back to your seats and allow us to conduct the business. If you want to raise it, you can raise it at 12 o'clock and Raksha Mantri will respond to it.

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri Kalyan Banerjee.

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, I want to point out that in the reply, it has been stated that in case of administrative exigencies and efficiency and economy of operations, unavoidable circumstances ...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट रुकिए ।

श्री अधीर रंजन चौधरी: यह मुद्दा सबकी जानकारी में है । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपनी सीट पर जाइए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी बात तभी सुनी जाएगी, जब आप अपनी सीट से बोलेंगे ।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, प्रधान मंत्री जी के साथ ट्रम्प साहब की क्या बात हुई थी,

...(व्यवधान) इसकी हम सबको जानकारी होनी चाहिए । ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Kalyan Banerjeeji.

... (Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, the hon. Minister has stated that in view of the administrative exigencies of work, efficiency and economy of operations, outsourcing is made. ...(Interruptions) Now so far as the Government posts, which fall under Article 311 of the Constitution, are concerned, outsourcing is not permissible in law. ...(Interruptions)

Now, these words 'administrative exigencies of work' are extremely vague ones. It has been stated here that contractual employees are being engaged for the contractual jobs. The law is this. If a nature of work is perennial in character, then contract labourers cannot be engaged for years together.

Now, I want to put a supplementary question, through you, to the hon. Minister. Kindly let us know how many contract labourers have been engaged till now and for what kind of jobs. Kindly intimate us so that we can understand the entire issue in question.

DR. JITENDRA SINGH: Hon. Speaker, Sir, I appreciate the concern of the hon. Member, Shri Kalyan Banerjee. He has raised two or three issues in his very wise intervention.

As far as the appointments on contract are concerned, I agree with him and the Government also holds that view, that we should not make appointments on contractual basis if it is not required. But sometimes it becomes imperative. For example, if it is a medical college which is on the verge of getting de-recognised because of lack of faculty, and if the appointments and selection there have to be made through a due process, like the UPSC, etc. then it takes a lot of time. So, in the interest of the students, in the large interest of medical education, these appointments are made.

Of course, we should always bear in mind that an effort or attempt should be made to make a permanent appointment to these posts as far as possible.

As far as the labourers are concerned – the hon. Member has expressed his concern about them – when we are making these appointments through outsourcing, through a medium of a contractor, like for example, a car parking has to be guarded against or for example drivers have to be engaged or for example a security agency has to be engaged, then the contractor is actually the person who maintains that register and record and it is always not feasible and practically possible for the Government to have all the records of the exact number of such labourers engaged and in what part of the country. But nevertheless, all the rules under the Chief Labour Commissioner are followed and wherever any instance of deviation from discipline is observed, we have a due process of law.

In fact, I would like to share with the hon. Member, who himself is a very literate person, that now we are also trying to improve upon the processes of outsourcing by using e-technology, like for example the e-procurement. So, this is an on-going process. Both outsourcing and engaging contractual labourers are on-going process. Our improvement and evolution in the process of selection is also an on-going process.

श्री रमेश बिधूड़ी: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेबर्स और कर्मचारी रखने का प्रावधान शुरू हुआ था ।...(व्यवधान) भारतीय संविधान के तहत 99 दिनों तक अगर कोई कर्मचारी लगातार काम करेगा, उसको परमानेंट करना पड़ता था ।...(व्यवधान) कांग्रेस के लंबे शासन के दौरान लोग काम नहीं करते थे ।...(व्यवधान) ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आ गए ।...(व्यवधान) कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लागू होने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर्स को रखते हैं ।...(व्यवधान) वे लैब असिस्टेंट्स रखते हैं ।...(व्यवधान) सर, केवल ड्राइवर्स

और गार्ड्स की बात नहीं है ।...(व्यवधान) वे लैब असिस्टेंट्स और टेक्निशियंस भी रखते हैं।...(व्यवधान) जब मैं सेक्रेटेरिएट में गया तो मैंने दिल्ली सरकार के लिफ्टमैन से पूछा कि आपको कितनी सैलरी मिलती है? ... (व्यवधान) वह गरीब आदमी कहता है कि वे मुझे 14 हजार रुपये देते हैं ।...(व्यवधान) डीबीटी के तहत भी गरीब आदमियों को कॉन्ट्रैक्टर्स पूरी वेजेज नहीं देते हैं।...(व्यवधान) क्या सरकार डिस्ट्रिक्टवाइज कोई ऐसी व्यवस्था करती है, कोई टास्क फोर्स या ऐसी कोई कमेटी बनाती है कि समय-समय पर रेड डाल कर उन कर्मचारियों से पूछा जाए कि क्या कॉन्ट्रैक्टर्स तुम्हें पूरी पेमेंट, मिनिमम वेजेज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं?... (व्यवधान) अगर मिनिमम वेजेज नहीं दे रहे हैं तो अभी तक ऐसे कितने ठेकेदारों को देश में ब्लैक लिस्टेड किया गया है, जो गरीब लोगों को पूरा पेमेंट नहीं देते हैं?... (व्यवधान) वे सरकार से मिनिमम वेजेज लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी को 14-15 हजार रुपये देते हैं, मैं आपको माध्यम से यह जानकारी चाहता हूँ।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की चिंता बहुत वाजिब है और यह मानवीय विषय भी है ।...(व्यवधान) यदि किसी से काम लिया जाता है, तो स्वाभाविक है कि उसकी यह अपेक्षा होती है कि उसके अनुकूल उसे वेतन भी मिले ।...(व्यवधान) सरकार पहले से ही इस विषय को लेकर चिंतित है और जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ व्यवस्थाओं में इस प्रकार की कोताहियां हो रही हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री जी ने 16 अक्टूबर, 2016 को 'श्रम सुविधा पोर्टल' नाम के पोर्टल का उद्घाटन किया, जिसके अंदर इमरजेंसी में अचानक सरप्राइज इंस्पेक्शंस करने का भी प्रावधान है ।...(व्यवधान) एक तो मैनडेटरी इंस्पेक्शन समय-समय पर होती है और दूसरी इमरजेंसी इंस्पेक्शन करने का भी प्रावधान है । जैसा एक सदस्य ने कहा कि एक लिफ्ट मैन से यकायक पूछा गया, तो उसने बताया कि मुझे उतना वेतन नहीं मिलता है, जितना कि मिलना चाहिए । इस प्रकार की इंस्पेक्शंस करने की भी व्यवस्था की है ।...(व्यवधान) इसके अतिरिक्त मिनिमम वेजेज स्वतंत्रता के तुरंत बाद से वर्ष 1948 से चला आ रहा था, उसे भी मोदी सरकार संशोधित करके वर्ष 2017 से मिनिमम वेजेज 40 परसेंट से बढ़ाने का प्रावधान लाई है । लेकिन मैं साथ ही साथ माननीय सदस्य और अन्य साथियों से भी निवेदन करूंगा कि जहां

कहीं भी इस प्रकार की शिकायत या कोताही आपके ध्यान में आती है, तो आप कृपा करके सरकार के ध्यान में लाइए। ऐसी शिकायतों का समाधान करने के लिए, इसे चैक करने के लिए प्रावधान मौजूद हैं।... (व्यवधान) अगर कोई लॉ की वॉयलेशन करता है, तो लेबर लॉज के अंतर्गत लेबर कमिश्नर के कार्यालय से अथवा डीओपीटी के माध्यम से उसका संज्ञान लिया जा सकता है।... (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ 'ललन': अध्यक्ष जी, सरकार की नीति और अस्थायी नियुक्ति में आरक्षण नीति का पालन होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो कांटेक्चुअल एपॉइंटमेंट्स होती हैं, उनमें आपकी आरक्षण नीति का पालन होता है या नहीं होता है? ... (व्यवधान)

मेरा दूसरा सवाल यह है कि आउटसोर्स के माध्यम से जिन कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग कम्पनियां नियुक्त करती हैं, उसमें उनकी सर्विस कंडिशन, प्रोविडेंट फंड एकाउंट खोलना या जो दूसरी अन्य शर्तें हैं, उन शर्तों का पालन आउटसोर्सिंग कम्पनियां करती हैं या नहीं करती हैं? ... (व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह : महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, उसका संज्ञान लेते हुए मैं उनके साथ तथा अन्य साथियों के साथ यह बात साझा करना चाहता हूँ कि सरकार सीधे-सीधे कांटेक्चुअल एपॉइंटमेंट्स करती है।... (व्यवधान) जैसे मैंने उदाहरण दिया कि किसी कालेज में फैकल्टी का अभाव है, वहां यूपीएससी के माध्यम से नियुक्तियां होनी हैं। वहां प्रोफेसर्स आदि की नियुक्ति करना अनिवार्य है और वहां रिजर्वेशन के सिद्धांत का पालन किया जाता है। विशेषकर उस स्थिति में जब कि 45 दिन से अधिक अवधि की नियुक्ति करने की आवश्यकता रहे।... (व्यवधान) जहां आउटसोर्सिंग ठेकेदार द्वारा की जाती है, वहां उसका पालन नहीं होता, क्योंकि शायद यह व्यावहारिक नहीं है। माननीय सदस्य की चिंता सही है कि सर्विस रूल्स का पालन होना चाहिए।... (व्यवधान) हम इन कांटेक्चुअल एपॉइंटमेंट्स अथवा आउटसोर्सिंग की एपॉइंटमेंट्स के लिए भी यही अपेक्षा करते हैं कि उन्हीं सर्विस रूल्स का पालन होगा, जो कि मुस्तक़र्रि

नियुक्तियों के लिए होता है, जिसका उल्लेख रूल नम्बर 177 से रूल नम्बर 206 तक ऑफ दि जनरल फाइनेंस रूल्स में किया गया है । जहां-जहां भी कोई कोताही होती है, जैसा पहले आदरणीय रमेश जी ने भी कहा कि किसी स्तर पर पूरा वेतन नहीं दिया जाता, उसकी शिकायत यदि हम तक पहुंचे तो उसका निवारण करने का भी हमारे पास प्रावधान रहता है ।...(व्यवधान)

(Q. 443)

DR. VENKATESH NETHA BORLAKUNTA : Hon. Speaker, Sir, I am highly obliged and grateful to the Hon. President of India who had mooted the idea of translating and uploading the judgements of Supreme Court as well as various High Courts in the vernacular languages. ...*(Interruptions)* I am also thankful to the Supreme Court of India which has taken the initiative recently and a translated copy has been submitted to the Hon. President of India. ...*(Interruptions)*

Sir, my question is, whether the Government of India has taken or proposed to take any measures to translate and upload the judgements of High Courts and subordinate courts in regional languages.

If so, whether the Government has fixed any timeframe for this purpose? ...*(Interruptions)*

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD : Sir, first of all, I would like to thank the hon. Member for his appreciation of the work that has been done by the Supreme Court, a copy of which was presented to the hon. President of India. ...*(Interruptions)* But we need to understand that as far as courts are concerned, they work under the overall supervision of the Supreme Court of India. ...*(Interruptions)* Therefore, as I said in my answer, the Supreme Court has already made it available in many regional languages like Assamese, Bengali, Hindi, Kannada, Marathi, Odiya, Tamil, Konkani and Urdu, and about 14 subject matters are being translated. ...*(Interruptions)*

Similarly, I am very happy to share with the House, in response to the hon. Member's Question, that many High Courts are also involved in the work of translation, and the High Courts are Allahabad, Andhra Pradesh, Bombay, Calcutta, Delhi, Gauhati, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Madras, Meghalaya, Orissa, Punjab and Haryana, Rajasthan, Sikkim, Telangana and Tripura. ...(*Interruptions*) So, many High Courts are also doing it. ...(*Interruptions*) Therefore, it is a good work in progress. ...(*Interruptions*)

DR. VENKATESH NETHA BORLAKUNTA : Hon. Speaker, Sir, the process of translating and uploading the judgements of Supreme Court and High Courts require a lot of technical assistance and infrastructure. ...(*Interruptions*) In this case, till today, the Government of India has not allotted any funds for these courts as per the answer given by the hon. Minister. ...(*Interruptions*) Therefore, I would like to ask this from the hon. Minister. ...(*Interruptions*) Is there any proposal of the Government of India to allot funds to High Courts and subordinate courts in the future for speedy execution of the translation work and uploading the judgement so that the petitioners or people can understand about their claims in their known language? ...(*Interruptions*)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD : Sir, I think that the hon. Member, who is a very experienced Member, would appreciate that fund allocation -- as far as the Supreme Court and High Courts are concerned -- is made from out of the Consolidated Fund of India. ...(*Interruptions*)

With regard to funding, the Government of India is funding a lot of resources as also the State Government to the respective High Courts, and the Government of India gives a good amount for digitizing the judicial platform from Supreme Court to High Court. ...*(Interruptions)* I think what is important is that technology like Artificial Intelligence is available, and a whole range of other technology is available whereby the judgements of the High Courts and Supreme Court can be put on the site in the local language to enable the citizens to understand these judgements. ...*(Interruptions)* Therefore, we are very much appreciative of these initiatives whereby these judgements were made available to the litigants to understand. ...*(Interruptions)*

* **SHRI A.K.P. CHINRAJ:** Hon. Speaker Sir, Vanakkam. People and Political parties of Tamil Nadu have been demanding for several years for translation and uploading of the judgments of Hon Supreme Court in Tamil. These Judgments were not translated into Tamil for so long. On 18th of this month a statement was issued ensuring the Tamil translation and uploading of judgments on the website of Hon. Supreme Court. I am thankful to Hon. President of India for such a statement ensuring uploading of Judgments of Supreme Court in Tamil. Similarly instead of 14 matters listed by you for translation and uploading on the website in Tamil, I urge upon the Union Government that all matters and cases of Hon. Supreme Court should

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

invariably be translated into Tamil. I want the Union Minister to reply in this regard.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD : Sir, I quite appreciate the concern of the hon. Member who raised this question. ...(*Interruptions*) It would be evident from my answer that 14 matters relating to legal issues today are available in 15 languages including Tamil. ...(*Interruptions*)

These matters - which the hon. Member would appreciate - are labour, Rent Act, land acquisition, service, compensation, criminal, family law, judiciary, personal law, religious and charitable endowment, simple money and mortgage matter, eviction and consumer protection. Therefore, most of the laws which deal with common man's concern already being permitted to be translated in Tamil, and also put on the site. As I said in reply to the earlier query, these judgements are required to be understood by the common people are available in regional languages. Therefore, in the first instance, as the hon. Member would appreciate, these 14 matters, relating to matters of common concern of common people. Surely, an issue has been raised that all the judgements be loaded in the website for consideration. It is a matter of suggestion to be looked into.

HON. SPEAKER: Shri Saptagiri Ulaka – not present.

...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी जी ।

(Q. 444)

डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी: धन्यवाद, स्पीकर महोदय कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी । हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने स्टार्ट अप और स्टैण्ड अप योजना शुरू की है और इसमें महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों को उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनाने का कार्य किया है । इनको एक ऐसा मौका दिया है कि ये नौकरी ले ही नहीं सकते हैं, बल्कि नौकरी प्रदान भी कर सकते हैं । इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ । The Government is providing funding support through a Fund of Funds for Startups with a corpus of Rs.10,000 crore. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या एससी/एसटी और महिलाओं के लिए 10 हजार रुपये के स्पेशल फण्ड से किसी बैंक का निर्माण होगा?

SHRI SOM PRAKASH: Sir, the Startup India Initiative was announced by the Prime Minister of India on 15th August, 2015 with the objective of nurturing innovation, generating large scale employment and to ensure sustainable economic growth in the country. For this purpose, a fund of Rs.10,000 crore has been earmarked. This fund is meant for SCs, STs, women, etc. It is not meant for a particular section but is meant for everybody.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Is it true that as many as 90 per cent of the startups failed within the first five years? Would the Minister provide the details of number of patents that have been registered by the startups, State-wise and Union Territory-wise?

SHRI SOM PRAKASH: Sir, there is no such information. About the details, State-wise, Union Territory-wise, they are given in the Annexure.

SHRI B. B. PATIL: How many startups have been benefited under the Startup India Scheme? What is the estimated number of people employed in Startups? Has any monitoring mechanism been set up under the Startup India Scheme?
...(Interruptions)

THE MINISTER OF RAILWAYS AND MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI PIYUSH GOYAL): Sir, the Startup India Scheme is a unique scheme which has given - for youngsters, boys and girls - an opportunity to provide innovative ideas, and to bring new concepts to India. It has certainly changed the landscape of investment in India. I am delighted to share with the hon. Member that this scheme has been under operation over the last three and a half years or so.

Almost Rs. 1,701.03 crore has been invested in 254 start-ups as on 30 July, 2019 of which Rs. 512.57 crore has been drawn from the Fund of Funds. Now, all of these start-ups create an ecosystem which generate jobs themselves and also create jobs indirectly giving opportunity to different people to provide work at their own levels, provide work to the rest of the country and provide opportunity to market their products.

I think it is very difficult for us to calculate the number of direct jobs or indirect jobs but I can share some examples. When we started the Virtual Incubator as a Start-up India Hub, nearly 2,87,298 registered users started using that hub. Similarly, when we started the Start-up Yatra across 23 States

and 220 districts, we received an outstanding response from the people across the country.

So, I think this is the way India will progress in the future. This is the direction in which the 'Young India' wants to engage with the world.

HON. SPEAKER: Shri Mohammed Faizal P. P. – not present.

Dr. Sanjay Jaiswal.

(Q. 445)

डॉ. संजय जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं विदेश मंत्रालय को बहुत-बहुत बधाई दूंगा ...(व्यवधान) उन्होंने बहुत बढ़िया 'मदद' पोर्टल चलाया है। आम नागरिकों के जो परिवार विदेश में दिक्कत में पड़ते हैं, उनका इसके माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से समाधान किया जाता है ...(व्यवधान) मेरे क्षेत्र के बहुत से नागरिकों का बहुत ही उचित समाधान 'मदद' पोर्टल ने किया है। मेरा एक प्रश्न है कि हमारे जो मजदूर फंस जाते हैं...(व्यवधान) 'मदद' पोर्टल से सारी व्यवस्था तो हो जाती है, लेकिन उन बेचारों के पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वे वापस आ सकें।...(व्यवधान) उस समय हमारी स्थिति बहुत विचित्र हो जाती है और हम लोग किसी व्यक्ति की मदद से उसको धनराशि उपलब्ध करवाते हैं।...(व्यवधान) क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि जिन मजदूरों को छः महीने या उससे अधिक समय से सैलरी नहीं मिल रही है ...(व्यवधान) उनको फंसा कर रखा जाता है। जब उस तरह के मजदूर भारत वापस आना चाहते हैं तो उनको मदद देने की कोई सुविधा क्या भारत सरकार के पास है? ...(व्यवधान)

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Sir, in the revision of the Indian Community Welfare Fund done by the Government in 2017, the terms for extending assistance were changed; the conditions have got more liberal. We have had many cases in the Gulf, especially in Saudi Arabia, Qatar and UAE where ICWF funds have been used to support workers to repatriate them when necessary and to feed them until they get the wages from the employers. So, these are the changes which have been carried out by the Government...(Interruptions)

I would also like to take the opportunity to say that there are two big digital platforms whose importance has been raised enormously by this Government. One, which the hon. Member referred to, is the *Madad* platform. The other is e-Migrate platform. The *Madad* platform was started in 2015 and e-Migrate started in 2001, we have expanded it in the last few years. So, we look after the welfare of labourers. We track people in difficulty, sometimes, members or public approach us, we log in their complaints, we track their complaints and if there is pendency, we look at why there is pendency...*(Interruptions)*

So, I can tell you, Sir, that today there is an enormous effort being made for the welfare and monitoring of the difficulty faced by the labourers. I would characterise that as a fundamental change in the working of the Ministry of External Affairs...*(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Shri M. K. Raghavan – not present.

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : अध्यक्ष महोदय, मेरे भिवंडी लोक सभा क्षेत्र की महिला नूरजहां गुलाब खान भिवंडी में रहती है...*(व्यवधान)* उसको टूरिस्ट वीजा पर दुबई भेजा गया था और वह दुबई में नहीं है।...*(व्यवधान)*

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने मंत्री जी को 1 जुलाई को चिट्ठी लिखी थी और 4 जुलाई को उनका रिप्लाई आ गया था कि वह दुबई में नहीं है। वह दुबई से 11 तारीख को कहीं गई हैं।...*(व्यवधान)* उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखकर बताया है कि अगर उनके परिवार के पास कोई और जानकारी है और वह मुझे मिलेगी, तो हम उनकी तलाश करेंगे।...*(व्यवधान)* मैंने 14 तारीख को उनको एक और चिट्ठी लिखी थी। उसमें उनके परिवार ने कहा है कि नूरजहां गुलाब खान दुबई से ओमान गई है और ओमान का पूरा एड्रेस भी उस चिट्ठी में

है, उसमें वहां का फोन नंबर भी है ।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ओमान में जो नूरजहां गुलाब खान है, उनको जल्द से जल्द भारत लाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? ...(व्यवधान)

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Sir, this is one of those examples where we have been able to use both the portals as well as the new positive approach of the Government to help a Member find a constituent who is in difficulty. I would like to assure the House that wherever Indians are in distress, wherever somebody is missing, wherever somebody is in need, our portals, our positive approach-- I think this is one of the hallmarks of the Government-- today help Indians abroad. To any Indian in any difficulty, we will fulfil our obligation. This is an example to that.

(Q. 446)

श्री पंकज चौधरी : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि फ्लैक्सी फेयर सिस्टम वाली गाड़ियों के किराये से आम यात्रियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आम तौर पर यह देखा गया है कि अन्य मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के किराये की अपेक्षा फ्लैक्सी सिस्टम वाली गाड़ियों का किराया दोगुना या उससे अधिक होने के कारण यात्रियों को अधिक किराया चुकाना पड़ता है। इस वजह से वह फ्लैक्सी फेयर की गाड़ियों में यात्रा करना नहीं पसंद करते हैं।...**(व्यवधान)** जिस वजह से फ्लैक्सी फेयर गाड़ियों की बहुत सी सीटें खाली जाती हैं। मैं इसके बारे में मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।...**(व्यवधान)**

श्री सुरेश सी. अंगड़ी : अध्यक्ष महोदय, फ्लैक्सी गाड़ियों में यह सुविधा खाली तीन ट्रेनों राजधानी, शताब्दी और दुरांतो में है।...**(व्यवधान)** इसके अलावा पूरे देश में 13,000 के ऊपर रेलगाड़ियां चलती हैं।...**(व्यवधान)** उसमें से केवल 141 ट्रेनों में...**(व्यवधान)** लोगों के लिए बहुत सुविधा हो गई है।...**(व्यवधान)** उदाहरण के तौर पर वर्ष 2016-17 में 81.36 प्रतिशत था, वर्ष 2017-18 में 83.56 प्रतिशत था, वर्ष 2018-19 में 86.53 प्रतिशत हो गया था और वर्ष 2019-20 में 97.01 प्रतिशत हो गया है।...**(व्यवधान)** उसमें पैसेन्जर्स की कमी नहीं हुई है और इस कारण से इन्कम भी ज्यादा हो गई है।...**(व्यवधान)** 2,426 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी हुई है।...**(व्यवधान)** इससे लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं।...**(व्यवधान)**

श्री पंकज चौधरी: अध्यक्ष जी, क्या फ्लैक्सी फेयर सिस्टम वाली राजधानी, शताब्दी, हमसफर, दुरांतो और प्रीमियम ट्रेनों में सीटें/बर्थें खाली रह जाने के कारण रेलवे को नुकसान अथवा फायदा हो रहा है?...**(व्यवधान)** फ्लैक्सी फेयर सिस्टम की शुरूआत करने से रेलवे को कितनी आय हुई है?...**(व्यवधान)**

श्री सुरेश सी. अंगड़ी : अध्यक्ष महोदय, इससे रेलवे को फायदा हो रहा है।...**(व्यवधान)** इससे रेलवे को नुकसान नहीं हुआ है।...**(व्यवधान)** मैंने आपको बताया है कि...**(व्यवधान)** जब से चालू किया है, तब से 2,426 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी हुई है।...**(व्यवधान)** इसकी वजह से

लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं।... (व्यवधान) यदि सीटें खाली रहती हैं, तो हम 10 प्रतिशत की छूट भी देते हैं।... (व्यवधान) अगर किसी ट्रेन में सीट्स खाली रह जाती हैं, तो उसमें 10 प्रतिशत छूट देकर अलॉटमेंट करने की सुविधा भी है।... (व्यवधान) इसकी वजह से लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं।... (व्यवधान) हमने उसको 1.4 गुना कम कर दिया है।... (व्यवधान) पहले वह 1.50 गुना तक था।... (व्यवधान) अभी फ्लैक्सी किराये को 1.4 गुना तक कम करने से लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं और रेलवे को भी ज्यादा फायदा हो रहा है।... (व्यवधान)

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY: Sir, owing to a lesser number of coaches in trains - especially second-class and unreserved coaches - passengers are facing a lot of problems. They are forced to buy Tatkal tickets or pay for flexifare tickets. I would request, through you, the hon. Minister to tell us whether they are going to reduce the fares.

SHRI SURESH C. ANGADI: Sir, at present we are not having any such proposal. ... (Interruptions) फ्लैक्सी ट्रेन में लोगों को अच्छी सुविधाएँ मिल रही हैं। केवल 141 ट्रेन्स में कर रहे हैं। We are running more than 13,500 trains. उनमें लोगों को अच्छी सुविधाएँ मिल रही हैं।... (व्यवधान) उनको जब भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो वह रिजर्वेशन कैंसिल करके तत्काल में ले सकते हैं।... (व्यवधान) तत्काल में टिकट लेने से पैसेंजर्स को सुविधा है। अगर माननीय सदस्य का कोई स्पेसिफिक इंसिडेंस है तो हमें बताएं, we can take up the issue with the concerned department.... (व्यवधान)

श्री खगेन मुर्मु: मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग दिल्ली-मुम्बई जाते हैं, माल्दहा से कम समय में चलने वाली कोई ट्रेन नहीं है।.... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप वहाँ से कोई नई ट्रेन चालू करेंगे?.... (व्यवधान)

श्री सुरेश सी. अंगडी : अगर नई ट्रेन की डिमांड आती है तो बाद में संबंधित अधिकारियों से बात करके नई ट्रेन चालू करने के लिए एग्जामिनेशन कर सकते हैं।.... (व्यवधान)

(Q. 447)

श्री रामदास तडस: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वर्धा-नांदेड़ नए रेल मार्ग का काम प्रगति पर है। वर्ष 2014 के बाद इस प्रकल्प को गति प्रदान हुई है।....(व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी ने कार्यालय प्रगति पोस्टल के माध्यम से वर्धा-नांदेड़ नए रेल मार्ग की समीक्षा की है।....(व्यवधान) पहले इस रूट पर रिजर्व इंजन का इस्तेमाल होने की जानकारी है।... (व्यवधान) क्या माननीय रेल मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि वर्धा से नांदेड़ नए रेलमार्ग का भविष्य में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विद्युतीकरण किया जाएगा?... (व्यवधान)

श्री सुरेश सी. अंगड़ी: सर, आदरणीय प्रधान मंत्री जी का स्वप्न है कि वर्ष 2022 तक पूरी रेल का विद्युतीकरण किया जाए। ... (व्यवधान) जहाँ भी हमारी ब्रॉड गेज ट्रेन्स चल रही हैं, वहाँ पर ब्रॉड गेज को इलेक्ट्रिक ट्रेन में करने की योजना है।... (व्यवधान) At present, we are having 51.30 per cent electrification (all gauges), संपूर्ण broad gauge का भी विद्युतीकरण करने की योजना है। आने वाले दिनों में विद्युतीकरण करके ट्रेन चलाने की हमारी योजना है।... (व्यवधान)

श्री रामदास तडस: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वे महात्मा गांधी जी के 150वीं जयन्ती के अवसर पर गांधी जी की कर्मभूमि सेवाग्राम आश्रम के पास स्थित सेवाग्राम रेलवे स्टेशन का विकास करने की कृपा करें।... (व्यवधान) मैं मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूँ कि पोरबंदर, जो महात्मा गांधी जी की जन्म भूमि है और कर्मभूमि सेवाग्राम है। पोरबंदर से सेवाग्राम रेल चालू करने की कृपा करें।... (व्यवधान)

श्री सुरेश सी. अंगड़ी : सर, माननीय सदस्य का बहुत अच्छा सुझाव है। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती पर हमारे प्रधान मंत्री जी की कार्य करने की योजना है और हमारी पार्टी भी इसके लिए कार्य कर रही है।... (व्यवधान) हम लोगों की सुविधा के लिए डिमांड क्रिएट होने पर ट्रेन शुरू करेंगे।... (व्यवधान)

श्री रवि किशन (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सहजनवा गोरखपुर रेलवे लाइन की अनुमति के लिए कहा है तो मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री और रेल मंत्रालय को धन्यवाद देता हूँ।... (व्यवधान) मेरा प्रश्न यह है कि रेल मंत्रालय ने रेलवे वाहन पर सोलर पैनल लगाने के लिए सोचा है। रेलगाड़ी के ऊपर सोलर पैनल लगाया जाएगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी को बहुत फायदा होगा, उनकी छतों मिल गई है।... (व्यवधान) पूरे गोरखपुर ने हमें रेल मंत्रालय को धन्यवाद देने का इस्तेमाल होगा। रेलवे स्टेशन पर भी लगाया जाएगा।... (व्यवधान) इसके साथ-साथ रेलवे ट्रैक के किनारे जो रेलवे की जमीन है, वह बहुत बड़ी जमीन है। अगर ये सोलर पैनल वहाँ लगाए जाएँ तो इससे रेल मंत्रालय को बहुत आमदनी भी होगी।... (व्यवधान) इसके साथ मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहता हूँ कि रेलवे की बहुत सारी जमीन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है। रेल मंत्रालय को यह जानना बहुत जरूरी है, गोरखपुर में भी है, हिन्दुस्तान के ऐसे कई हिस्सों में है।... (व्यवधान)

12.00 hrs

मेरा निवेदन है कि रेल मंत्रालय को अपनी खाली पड़ी जमीन पर सोलर पैनल लगाने की शुरुआत जरूर करनी चाहिए।... (व्यवधान)

श्री सुरेश सी. अंगड़ी : महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है।... (व्यवधान) आज पूरे विश्व ने प्रधान मंत्री मोदी जी को मैन ऑफ दी अर्थ बोलकर सम्मान दिया है।... (व्यवधान) यह आपको मालूम है।... (व्यवधान) We are developing a very neat and clean environment. उसके लिए हम हर खाली जगह पर सोलर एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए अपने किसान को भी मदद दे रहे हैं।... (व्यवधान) माननीय सदस्य का जो सुझाव है, हम उसे देखकर आने वाले दिनों में इसका प्रयास करेंगे।... (व्यवधान) अभी 700 मालगाड़ी के गार्ड डिब्बों के ऊपर सोलर पैनल मंजूर हो गया है।... (व्यवधान) 50 डिब्बों के ऊपर वह सोलर पैनल चालू है।... (व्यवधान) रेल डिब्बों के ऊपर जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं, उससे उतनी एनर्जी जनरेट नहीं होती है।... (व्यवधान) इस पर और रिसर्च की जा रही है।... (व्यवधान) माननीय सदस्य ने

बहुत अच्छा सुझाव दिया है ।...(व्यवधान) उसका परीक्षण करके हम उसे करने का प्रयास करेंगे।...(व्यवधान) धन्यवाद ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है, लेकिन फिर भी मैं शून्य काल में आपके नेता को इस विषय को उठाने की अनुमति दे रहा हूँ।

कृपया, आप सभी अपनी-अपनी सीट पर विराज जाएं।

12.02 hrs

At this stage Shri Kodikunnil Suresh, Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi Thangapandian and some other hon. Members went back to their seats.

12.03 hrs**SUBMISSION BY MEMBERS****Re: US President's reported mediation claim on Kashmir**

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, सभी लोगों को अपनी-अपनी सीटों पर बैठने दीजिए।...(व्यवधान)

सर, मेरी आपसे एक गुजारिश भी है और हम आपका संरक्षण भी चाहते हैं कि मुझे 2-4 मिनट बोलने दिया जाए। आप सत्ता पक्ष के लिए दिन भर का समय दे दीजिए, महीने भर का समय दे दीजिए, साल भर का समय दे दीजिए, लेकिन हमें कुछ मिनट बोलने का मौका दे दीजिए। यह हमारी आपसे गुजारिश है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं आपको पूरा बोलने का समय दूँगा, लेकिन आप सत्ता पक्ष की भी पूरी बात सुनकर जाना।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, बात यह है।...(व्यवधान) मुझे बाधित न किया जाए। मैं 2-4 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। सारे हिन्दुस्तान में आज इस विषय पर चर्चा हो रही है कि दुनिया के 2 बड़े लोकतंत्र अमेरिका और हिन्दुस्तान के 2 मुखिया एक ट्रंप साहब और एक हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के बीच ओसाका में क्या बात हुई।

सर, रीति-रिवाज के मुताबिक आज प्रधान मंत्री जी को इस सदन में उपस्थित रहना चाहिए था। हम इसीलिए आज स्थगन प्रस्ताव लाए ताकि हम प्रधान मंत्री जी की निगाह इस तरफ आकर्षित करें और उनसे यह बात सुनें।...(व्यवधान) पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच 1971 में एक वार हुआ था। इंदिरा गाँधी जी ने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करते हुए 93 हजार पाकिस्तानी फौजियों को हिरासत में ले लिया था।...(व्यवधान) द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था।...(व्यवधान) इसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ था।...(व्यवधान) शिमला एग्रीमेंट इंदिरा गाँधी और भुट्टो के बीच हुआ था।...(व्यवधान) शिमला एग्रीमेंट के मुताबिक कश्मीर मुद्दे पर किसी

तृतीय पक्ष का हस्तक्षेप नहीं होगा,...(व्यवधान) उस एग्रीमेंट में यह करार हुआ था ।...(व्यवधान) कश्मीर मुद्दा बाइलेटरल है ।...(व्यवधान) इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा।...(व्यवधान) हम अभी यह देख रहे हैं,...(व्यवधान) हमें बात खत्म करने दीजिए ।...(व्यवधान) अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मोदी जी ने हमसे दरख्वास्त की थी कि कश्मीर मुद्दे पर हम हस्तक्षेप करें ।...(व्यवधान) यह गलत हो सकता है ।...(व्यवधान) यह सही भी हो सकता है।...(व्यवधान) यह गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है ।...(व्यवधान) लेकिन अब तक न तो ट्रंप साहब ने इसको गलत कहा और न ही प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इसको गलत कहा है ।...(व्यवधान)

इसलिए हमारे मन में शंका पैदा हो रही है क्योंकि इसे न ही ट्रंप साहब ने गलत कहा और न ही प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे गलत कहा ।...(व्यवधान) वे अपने लोगों को यहां भेजकर बयान दिया करते हैं ।...(व्यवधान) We would like to hear the fact from the horse's mouth. हम 'घोड़े के मुँह' से यह बात सुनना चाहते हैं ।...(व्यवधान) यह वाजिब है कि आज जिस व्यक्ति को लेकर यह तर्क है, उनका नाम है - प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी । ... (व्यवधान) इसलिए यह वाजिब है और हम उनके मुँह से यह बयान सुनना चाहते हैं ।...(व्यवधान) We would like to hear it from the horse's mouth. इसमें क्या गलती है? लेकिन, सत्ता पक्ष के लोग हमारी बात को नहीं सुनना चाहते हैं और हम इसके खिलाफ जो आवाज उठाना चाहते हैं, उसको जबर्दस्ती दबाना चाहते हैं ।...(व्यवधान) यह हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं।...(व्यवधान) प्रधान मंत्री जी आएँ और सदन में अपना बयान पेश करें, यह हमारा कहना है।...(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Mr. Speaker, Sir, between 1100 and 1200 hours, the Indian Parliament, the Lok Sabha, today has witnessed a very-very strange situation. Members of the Opposition parties in Lok Sabha have again and again pleaded before the hon. Speaker to request the Prime

Minister of India to come to the House. It is a very strange thing. Their request is to ask the Prime Minister of India to come to the House, that too on a day when he is supposed to be in the House during Question Hour....(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: माननीय रक्षा मंत्री जी, क्या आप बोलना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब माननीय रक्षा मंत्री जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय रक्षा मंत्री जी के अलावा किसी की बात अंकित न हो।

...(व्यवधान)... *

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप भी बात सुन कर जाएं।

...(व्यवधान)

12.07hrs

At this stage S/Shri Adhir Ranjan Chowdhury, T.R. Baalu, N.K. Premchandran and some other hon. Members left the House.

रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष महोदय, अभी काँग्रेस संसदीय दल के नेता ने यहां पर आश्चर्य किया था कि उन्हें इस मुद्दे को उठाने की इजाजत दी जाए और सत्ता पक्ष की ओर से जो भी जवाब देगा, उसकी बात को हम सुनेंगे। लेकिन, उन्होंने यहां पर वादाखिलाफी की है। उन्होंने जो कुछ भी वादा किया था, उसे उन्होंने पूरा नहीं किया, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

महोदय, अगर लोकतंत्र चलता है तो यह विश्वसनीयता के आधार पर चलता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार परस्पर विश्वास होता है। लेकिन, मैं समझता हूँ कि आज इन्होंने

* Not recorded

जो बातें आपके समक्ष कही हैं कि नहीं, मैं सुनूंगा, पर, आज इन्होंने यहां हमारी बात नहीं सुनी और इस समय वॉक आउट किया।

दूसरी बात, जहां तक हमारे प्रधान मंत्री जी और अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रम्प के बीच बातचीत का प्रश्न है, यह सच है कि जून के महीने में अमेरिका के राष्ट्रपति और हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी के बीच बातचीत हुई थी। लेकिन, हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने अपना स्टेटमेंट देते समय इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया और कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि इससे ऑथेन्टिक स्टेटमेंट और किसी दूसरे का नहीं हो सकता। इसलिए श्री जयशंकर जी के स्टेटमेंट को मैं सर्वाधिक ऑथेन्टिक स्टेटमेंट मानता हूं क्योंकि जिस समय मोदी जी और मिस्टर ट्रम्प के बीच बातचीत हो रही थी, उस समय हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी स्वयं वहां मौजूद थे।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि कश्मीर के सवाल पर किसी की मध्यस्थता स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता क्योंकि हम इस सच्चाई को जानते हैं कि यह निश्चित रूप से शिमला समझौते की मंशा के सर्वथा विपरीत होगा, इसलिए किसी की मध्यस्थता को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यह बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कश्मीर के सवाल पर हम इसलिए भी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है।... (व्यवधान) हम सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं, हम सब चीज से समझौता कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ यदि बात होगी, तो केवल कश्मीर पर बात नहीं होगी, बल्कि पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर पर भी बात

होगी।...(व्यवधान) यह भी मैं दो-तीन शब्दों में स्पष्ट करना चाहता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवादा...(व्यवधान)

12.11 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

श्री रवि शंकर प्रसाद ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप नोटिस दिया कीजिए ।

...(व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, मैं नोटरी नियम, 1956 के नियम 4 के उपनियम(1) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) पत्र सभा पटल पर रखता हूँ—

1. का०आ० 1622 (अ) जो 22 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधिक मामले विभाग के अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया ।
2. का०आ० 2444 (अ) जो 9 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधिक मामले विभाग के अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया ।

[Placed in Library, See No. LT 509/17/19]

**THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND
NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD**

YESSO NAIK): Hon. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

1. Memorandum of Understanding between the Mishra Dhatu Nigam Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 510/17/19]

2. Memorandum of Understanding between the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 511/17/19]

3. Memorandum of Understanding between the Mazagon Dock Shipbuilders Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 512/17/19]

4. Memorandum of Understanding between the Bharat Dynamics Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 513/17/19]

5. Memorandum of Understanding between the Bharat Electronics Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 514/17/19]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 515/17/19]

- (2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2018 जो दिनांक 29 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 510(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2018 जो दिनांक 29 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 511(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2018 जो दिनांक 15 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 565(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2018 जो दिनांक 15 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 566(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पाँच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन नियम, 2018 जो दिनांक 28 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 818(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2018 जो दिनांक 28 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 819(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम,

- 2018 जो दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1036(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2018 जो दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1037(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2018 जो दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1042(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2018 जो दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1041(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2018 जो दिनांक 16 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1123(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2018 जो दिनांक 16 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1124(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2018 जो दिनांक 26 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1137(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन विनियम, 2018 जो दिनांक 26 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1138(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पंद्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2018 जो दिनांक 19 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1221(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सोलह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2018 जो दिनांक 19 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1222(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2019 जो दिनांक 13 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 217(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (अठारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 13 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 218(अ) में

प्रकाशित हुए थे ।

(उन्नीस) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2019 जो दिनांक 4 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 288(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(बीस) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2017 जो दिनांक 4 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 289(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(3) उपर्युक्त (3) में मद संख्या (एक) से (पंद्रह) तक उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 516/17/19]

(4) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, 2019 जो 4 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 472 (अ) प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

।

[Placed in Library, See No. LT 517/17/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM

MEGHWAL): On behalf of Shri Hardeep Singh Puri, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 19 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992:-

1. S.O.920(E) published in Gazette of India dated 1st April, 2015, notifying Foreign Trade Policy, 2015-2020.
2. S.O.1992(E) published in Gazette of India dated 3rd June, 2016, regarding amendment in import policy condition No. 2 under Exim code 4801 of Chapter 48 of ITC (HS), 2012-Schedule-1 (Import Policy).
3. S.O.172(E) published in Gazette of India dated 17th January, 2017, notifying ITC (HS) 2017 Schedule-1 Import Policy.
4. S.O.2490(E) published in Gazette of India dated 5th August, 2017, regarding amendment in import policy of Pigeon Peas (*Cajanus Cajan*)/ Toor Dal under Chapter of ITC (HS), 2017, Schedule-1 (Import Policy).
5. S.O.2722(E) published in Gazette of India dated 21st August, 2017, regarding amendment in import policy of Beans of species *Vigna mungo* (L.) Hepper or *Vigna radiate* (L.) Wilczek under Chapter 7 of the ITC (HS) 2017, Schedule-1 (Import Policy).

6. S.O.1755(E) published in Gazette of India dated 25th April, 2018, regarding amendment in import policy of Peas under Chapter 7 of ITC (HS), 2017, Schedule-1 (Import Policy).
7. S.O.1826(E) published in Gazette of India dated 4th May, 2018, regarding amendment in import policy of Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiate (L.) Wilczek under Chapter 7 of ITC (HS), 2017, Schedule-1 (Import Policy).
8. S.O.3224(E) published in Gazette of India dated 2nd July, 2018, regarding amendment in import policy of Peas under Chapter 7 of the ITC (HS) 2017, Schedule-1 (Import Policy).

[Placed in Library, See No. LT 518/17/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to lay on the Table:-

1. A copy each of the following statements (Hindi and English versions) showing Action Taken by the Government on the assurances, promises and undertakings given by the Ministers during various sessions of Fourteenth, Fifteenth and Sixteenth Lok Sabhas:-

FOURTEENTH LOK SABHA

1. Statement No. 33

Third Session, 2004

[Placed in Library, See No. LT 519/17/19]

2. Statement No. 34 Fourth Session, 2005
[Placed in Library, See No. LT 520/17/19]
3. Statement No. 30 Fourteenth Session, 2008
[Placed in Library, See No. LT 521/17/19]
4. Statement No. 25 Fifteenth Session, 2009
[Placed in Library, See No. LT 522/17/19]

FIFTEENTH LOK SABHA

2. Statement No. 35 Second Session, 2009
[Placed in Library, See No. LT 523/17/19]
3. Statement No. 30 Fourth Session, 2010
[Placed in Library, See No. LT 524/17/19]
4. Statement No. 30 Fifth Session, 2010
[Placed in Library, See No. LT 525/17/19]
5. Statement No. 27 Seventh Session, 2011
[Placed in Library, See No. LT 526/17/19]
6. Statement No. 30 Eighth Session, 2011
[Placed in Library, See No. LT 527/17/19]
7. Statement No. 27 Ninth Session, 2011
[Placed in Library, See No. LT 528/17/19]
8. Statement No. 24 Eleventh Session, 2012
[Placed in Library, See No. LT 529/17/19]

20. Statement No. 11 Ninth Session, 2016
[Placed in Library, See No. LT 541/17/19]
21. Statement No. 9 Tenth Session, 2016
[Placed in Library, See No. LT 542/17/19]
22. Statement No.9 Eleventh Session, 2017
[Placed in Library, See No. LT 543/17/19]
23. Statement No. 7 Twelfth Session, 2017
[Placed in Library, See No. LT 544/17/19]
24. Statement No. 6 Thirteenth Session, 2017-18
[Placed in Library, See No. LT 545/17/19]
25. Statement No. 5 Fourteenth Session, 2018
[Placed in Library, See No. LT 546/17/19]
26. Statement No. 4 Fifteenth Session, 2018
[Placed in Library, See No. LT 547/17/19]
27. Statement No. 2 Sixteenth Session, 2018-19
[Placed in Library, See No. LT 548/17/19]
28. Statement No. 1 Seventeenth Session, 2019
[Placed in Library, See No. LT 549/17/19]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Automotive Testing and R&D Infrastructure Project, New Delhi, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Automotive Testing and R&D Infrastructure Project, New Delhi, for the year 2017-2018.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 550/17/19]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ—

- (1) भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-20 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 551/17/19]

- (2) महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-20 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 552/17/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SURESH C. ANGADI): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Report (Hindi and English versions) on the progress made in the intake of Scheduled Castes and Scheduled Tribes against vacancies reserved for them in recruitment and promotion categories on the Railways for the year ending 31st March, 2018.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 553/17/19]

12.12hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय अध्यक्ष: नियम 377 के अधीन मामलों को 20 मिनट के भीतर सभा पटल पर भेज दें।

शेष को व्यपगत माना जाएगा।

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to set up Agriculture based industries, Dairy Sector, Horticulture in Banswara Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री कनकमल कटारा (बांसवाड़ा): मैं माननीय कृषि मंत्री एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जी का ध्यान अपने बांसवाड़ा-डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों के बाहुल्य के बावजूद अत्यधिक गरीबी है। यहाँ अधिकतर लोगों के पास स्थायी सम्पत्ति नहीं है तथा लोग अत्यन्त गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। क्षेत्र में किसी भी तरह का उद्योग नहीं है तथा कृषि उत्पादों की स्थिति भी निराशाजनक है।

मेरा माननीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों, डेयरी बागवानी को स्थापित करने हेतु विशेष योजना का सृजन करें। माननीय उद्योग मंत्री से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित कर इस क्षेत्र में उद्योग स्थापना में सहायता करने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त सरकार इस क्षेत्र के संसाधनों पर आधारित अन्य योजना क्रियान्वित करने की रणनीति बनाएँ ताकि क्षेत्र के लोगों के जनजीवन के स्तर को सुधारा जा सके एवं समावेशी आर्थिक विकास की अवधारणा को धरातल पर उतारा जा सके।

**(ii) Need to provide rail link from Hardoi to Gursahaiganj via
Auhadpur in Uttar Pradesh**

श्री जय प्रकाश (हरदोई): मैं माननीय रेल मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र हरदोई में कई दशक पहले उत्तर रेलवे के अंतर्गत औहदपुर (साण्डी) रेलवे स्टेशन प्रचलन में था। तत्कालीन समय में यहाँ से माधोगंज होते हुए कानपुर तक रेल मार्ग था जिस पर नियमित रूप से रेलों की आवाजाही होती थी। इनका प्रचलन बाद में किन्हीं कारणोंवश, बंद कर दिया गया जो अब इतिहास के पन्ना में सिमट गया है। इस क्षेत्र की जनता पिछले कई वर्षों से हरदोई गुरसहायगंज वाया औहदपुर को रेल लाइन से जोड़ने के लिए आंदोलन कर रही है। यद्यपि रेल मंत्रालय ने इन आंदोलनों का संज्ञान लिया लेकिन इस रेल लाइन के लिए सर्वे से आगे कुछ भी प्रगति नहीं हो पायी है।

मैं माननीय मंत्री को याद दिलाना चाहता हूँ कि साण्डी एक ख्याति प्राप्त पक्षी विहार है। यहां पूरे देश से हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। मेरा मानना है कि यदि इस नई रेल लाइन बिछाने के कार्य को मूर्तरूप दिया जायेगा तो क्षेत्र की जनता को नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा साण्डी अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर अपना स्थान प्राप्त कर सकेगा। इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से इस रेल खण्ड के निर्माण के लिए स्वीकृति दिए जाने का आग्रह करता हूँ।

**(iii) Regarding drinking water problem in Godda
Parliamentary Constituency**

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Godda Parliamentary Constituency of Jharkhand, which is an extremely backward and Naxalism affected region of this country, and among all the problems that the tribals and backward people of the region face, the lack of proper drinking water is the most.

The issue of drinking water problem is a huge one in the entire area. The truth is that after every one year of rainfall in the region, two years of drought follow and as you are aware that tubewells are not successful in this area.

Accordingly, I am writing to request the Government to resolve the issues by connecting the following blocks with different rivers and water Reservoir Schemes to end this problem in the region. The details are as under :-

Godda District

- (1) Thakurgangti, Meharna Block - Ganga River
- (2) Basantraï, Pathargama, Godda - Sundar Jalasai
- (3) Poriyahat — Suggabathan Reservoir Scheme

Dumka District

- (1) Sariyahat - Punasi Reservoir Scheme
- (2) Jarmundi — Masanjor Reservoir Scheme

Deoghar District

- (1) Madhupur, Sarwan, Deoghar Block and Town, Sarwan, Sonaraitadi — Punasi Reservoir Scheme
- (2) Devipur, Madhupur Town and Block, Margomunda - Budai Reservoir scheme
- (3) Karon - Sikatiya.

(iv) Need to develop 'Mrigvan' an area in Chittorgarh fort Rajasthan as a biological park

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): मृगवन दुर्ग चित्तौड़गढ़ का केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली में पंजीयन नहीं होने से इसे बन्द कर दिया गया। उनको संरक्षण प्रदान करने व यहां पर आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पूर्ववर्ती मृगवन दुर्ग चित्तौड़गढ़ को बायोलोजिकल पार्क के रूप में यदि विकसित किया जाता है, तो यहां आने वाले पर्यटकों को यहाँ स्थित वन एवं वन्यजीवों से रूबरू कराया जाकर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा जैसा की जिला उदयपुर में "सज्जनगढ़ में विकसित किये गए बायोलोजिकल पार्क के द्वारा किया जा रहा है।

अतः मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित मृगवन को बायोलोजिकल पार्क के रूप में विकसित किया जाना चाहिए जिससे वन्य जीवों को भी संरक्षण प्राप्त होगा तथा प्रतिवर्ष दुर्ग आने वाले लाखों पर्यटक यहां दुर्ग के साथ वन्य जीवों से भी रूबरू हो सकेंगे।

**(v) Need to establish a National Sports University
in Jhunjhunu, Rajasthan**

श्री नरेन्द्र कुमार (झुंझुनू): झुंझुनू (राजस्थान) में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खोला जाये। आज युवा जनसंख्या के अत्यधिक उत्साही और गतिशील वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत विश्व के सबसे युवा राष्ट्रों में एक है। शेखावटी के जिला झुंझुनू में देश को सबसे ज्यादा सैनिक दिये हैं। यहां के खिलाड़ी पूरे राज्य में ही नहीं अपितु देश में अपने खेल का लोहा मनवाते हैं। यहां बॉलीबाल एकेडमी गत तीन वर्षों से नेशनल स्तर पर गोल्ड मेडल लेती आई है। शिक्षा विभाग, स्पोर्ट्स, काउंसिल, खेल संगठनों, ओपन प्रतियोगिता एवं जितनी भी अन्य खेल प्रतियोगितायें आयोजित होती है, इसमें झुंझुनू का वर्चस्व रहा है। यहां के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के बाद ज्यादातर खेलों में रूचि होने के कारण ग्वालियर, पटियाला, महाराष्ट्र और देश के अन्य राज्यों में सी.पी.ई.डी., डी.पी.ई.डी., बी.पी.ई., बी.पी.ई. डी., एम.पीईडी, एक्स.आई.एस. डिग्रियों के लिए ट्रेनिंग करने बाहर जाते हैं। जितने भी खेल विश्वविद्यालय हैं उनमें ज्यादातर ट्रेनीज झुंझुनू के हैं। यहां खेल का एक जोश और जुनून है। अतः खिलाड़ियों, अभिभावकों, सैनिकों, कर्मचारियों आदि सभी की भावना को देखते हुए झुंझुनू जिले में खेल विश्वविद्यालय होगा तो देश को मैडल मिलने की ज्यादा सुविधा होगी। अभी कोलम्बो, श्रीलंका में राजवीर भालोटिया, जो 13 जुलाई, 2018-2019 तक आयोजित हुई हैं, उसमें डिस्कस थ्रो दो गोल्ड और शॉटपुट में सिल्वर मेडल लिया है। जितिन अंतर्राष्ट्रीय बॉलीबाल खिलाड़ी, भास्कर-अर्जुन अवारडी, दर्शन सिंह – बास्केटबाल खिलाड़ी, रामअवतार (बॉलीबाल खिलाड़ी) इसी प्रकार एथलेटिक्स में बहुत नाम है। इन उपलब्धियों को मद्दे नजर रखते हुए झुंझुनू में खेल विश्वविद्यालय की उपयोगिता है। अतः झुंझुनू, राजस्थान में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खोला जाये।

(vi) **Regarding pollution caused by Iron factories in
Kodarma district, Jharkhand**

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी (कोडरमा): झारखण्ड राज्य के कोडरमा जिले के चंदवारा क्षेत्र में पर्यावरण एवं प्रदूषण संबंधी सभी नियमों को ताक पर रखकर आयरन फैक्ट्रीज द्वारा प्रदूषण फैलाकर प्रकृति को लगातार नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहा है। यह फैक्ट्री पर्यावरण को नुकसान किये जाने के आरोप सिद्ध होने के बाद कुछ वर्ष पूर्व बंद करा दी गयी थी लेकिन इसे पुनः चालू करा दिया गया है। पुनः अनुमति मिलने के बाद अभी स्थिति अत्यन्त ही भयावह हो गयी है। स्थानीय नागरिक तथा खासकर महिला वर्ग ने इसे बंद कराये जाने की मांग की है। फैक्ट्री के प्रदूषण से स्थानीय नागरिकों, बच्चों तथा महिलाओं को सांस संबंधी गंभीर बीमारी का शिकार होना पड़ रहा है। खेती तथा फसल को भी क्षति पहुंचायी जा रही है। साथ ही फैक्ट्री के अन्दर बाल श्रम कराये जाने की भी शिकायत मिलती रही है।

अतः जनहित में भारत सरकार से मांग है कि लोगों के स्वास्थ्य एवं फसल आदि को सुरक्षित रखे जाने हेतु आयरन फैक्ट्रीज को तत्काल प्रभाव से बंद कराने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उच्चस्तरीय टीम भेजकर जांच करायी जाये एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जाये।

**(vii) Need to upgrade Balaghat Zila Hospital in Madhya Pradesh
as a Medical College**

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): मध्य प्रदेश प्रांत अंतर्गत बालाघाट नक्सल प्रभावित जिला है । इस जिले में कॉपर एवं मैगनीज की माइन्स हैं । इस कारण यहां सीआरपीएफ की काफी पुलिस रहती है एवं माइन्स होने से अनेक बार मुठभेड़ तथा कार्य के दौरान अनेक लोग घायल होते हैं । साथ ही क्षेत्रीय जनता को भी अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 200 किलोमीटर दूर नागपुर या जबलपुर मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है, जिससे अनेक बार बीच रास्ते में ही मरीज काल-कलवित हो जाता है । इस जिले में शासकीय स्पेशलिटी एवं ट्रामा सेंटर में प्रशिक्षित डाक्टर्स की कमी है । अतः बालाघाट जिला अस्पताल को शासन की नीति अनुसार मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित करने का कष्ट करें । बालाघाट की सीमा महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ से लगती है । यह प्रदेश के अंतिम छोर का जिला है ।

**(viii) Regarding sewerage system in Pratapgarh Parliamentary
Constituency, Uttar Pradesh**

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़): मेरे लोक सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में वर्ष 2008 से ही स्वीकृत हुई सीवर लाइन परियोजना में करोड़ों रूपया व्यय होने के बावजूद आज तक एस0टी0पी0 से उसकी कनेक्टिविटी नहीं हुई और वह जंग खाकर समाप्ति की ओर है। हालत इतनी खराब है कि नमामि गंगे परियोजना में शामिल सई नदी में प्रतापगढ़ की अधिष्ठात्री देवी मां बेतहा देवी मेन्दिर के ठीक बगल में ही गन्दे नाले का पानी नदी में सीधे छोड़ा जा रहा है जिससे मंदिर के पास ही प्रदूषण से आम श्रद्धालु बुरी तरह प्रभावित होते हैं।

(ix) Need to ensure proper implementation of Ayushman Bharat Yojana in Madhya Pradesh

श्री रोडमल नागर (राजगढ़): मोदी केयर के नाम से प्रसिद्ध 10 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने वाली महत्वकांक्षी आयुष्मान भारत योजना का पूरा लाभ वास्तविक हितग्राहीयों तक नहीं पहुंच रहा है, मध्य प्रदेश में योजना के तहत चिन्हित अस्पताल, बीमारी व योजना के कार्ड बनाये जाने के कार्यों में अनावश्यक देरी की जा रही है, जिससे लाखों मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है, योजना के तहत विभिन्न प्रकार की बड़ी जांचे मरीज को स्वयं करानी पड़ रही है जिससे निःशुल्क इलाज का उद्देश्य सार्थक नहीं हो पा रहा है।

मेरा विभागीय स्तर से योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग व क्रियान्वयन का अनुरोध है, जिससे दोषी अधिकारी चिकित्सक, अस्पताल, एजेंसी पर समुचित कार्रवाई की जा सके और माननीय प्रधान मंत्री जी की मंशा के अनुरूप योजना का लाभ गांव, गरीब, किसान व सभी वांछित को मिल सके।

(x) Regarding telephone connectivity in Ladakh, Jammu and Kashmir

SHRI JAMYANG TSERING NAMGYAL (LADAKH): In the last few years, tourism in Ladakh has been on rise; and what once was considered a destination for adventurous types is now also considered for family vacations. However, the fact remains that Ladakh is still a region that gets cut out from the rest of the country for six-seven months altogether; in winter and where even some of the basic amenities are missing in several areas. One of such amenities is mobile phone and internet connectivity; which is still hard to get in the upper Himalayan region. In terms of network providers, BSNL has the widest coverage range followed closely by Airtel and Jio. It is because of the fact that only BSNL, Airtel and Jio have networks in Ladakh. Internet and mobile phone connectivity is an integral part of our lives nowadays. Lack of proper telecommunication facilities is a big hurdle in the system since many tourists that come to Ladakh also go for treks to remote areas, and there are hardly any facilities for quick transfer of information and evacuation in the event of a mishap. Rural areas like Waris-Fastan and Digar-Tangyar in Nubra, Demjok, Chumur, Korzok, Kharnak and other regions of Changthang, Domkhar, Kanji, Singay-Lalok areas of Leh and Zaskar Valley, Dartsigs-Garkhone, Batalik areas and many areas in Kargil district in Ladakh should be given the same facilities and civic amenities that the urban areas enjoy. Better telephonic connectivity of villages in Ladakh should be given priority. These villages are

remote, backward because of lack of mobile telephone facilities and poor connectivity. There has been an ongoing problem with DSPTs in rural areas and approximately 30% of villages in Ladakh are still unconnected with Mobile Phone facilities.

I, therefore, request the Ministry of Communications and Technology to please consider the villages and hamlets of strategic border areas of Ladakh for installing Mobile Towers under any appropriate scheme within a targeted time frame.

**(xi) Need to expedite construction of Isarda dam project
in Tonk district Rajasthan**

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर): इसरदा बांध पेयजल परियोजना की वर्तमान स्थिति के अनुसार इसरदा बांध बीसलपुर बांध के डाउन स्ट्रीम में ग्राम बनैठा, तहसील उनियारा, जिला टोंक के पास बनास नदी पर बनाया जा रहा है। इस परियोजना की मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा पूर्व में 530.00 करोड़ रु० राशि की जारी की गई थी। इसके पश्चात भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 लागू होने पर परियोजना का संशोधित परियोजना प्रतिवेदन राशि रु० 1856 करोड़ रुपये का तैयार किया गया।

इसरदा बांध परियोजना का निर्माण दो चरणों में किया जाना निर्धारित किया गया है। जिसमें प्रथम चरण में डेम निर्माण कार्य पूर्ण भराव तल 262.00 मीटर तक पूर्ण किया जाना है। किन्तु पानी का भण्डारण आर.एल. 256.00 मीटर तक ही किया जाना है आर. एल.256 मीटर तक बांध की पानी भराव क्षमता 3.24 टी.एम.सी. है। बांध से जिला दौसा एवं जिला सवाई माधोपुर को पीने के पानी की आपूर्ति की जानी है तथा द्वितीय चरण में बांध की पूर्ण भराव क्षमता आर.एल. 262.00 मीटर (भराव क्षमता 10.77 टी.एम.सी) तक पानी संग्रहित किया जायेगा। इसरदा बांध परियोजना निर्माण की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रथम चरण) पत्रांक पी.सी.सी.199 दिनांक 28.06.2017 बजट हैड स्टेट प्लान ग्रामीण में राशि 1038.65 करोड़ रुपये की जारी की गई। परियोजना की तकनीकी स्वीकृति राशि 666. 70 करोड़ रुपये दिनांक 06.10.2017 को जारी की गई।

इसरदा बांध निर्माण परियोजना का कार्यादेश राशि 615.17 करोड़ रुपये दिनांक 21.12.2018 को जारी किया है। जिसमें कार्य प्रारम्भ करने की निर्धारित तिथि 28.12. 1018 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 27.12.2021 है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान के टोंक जिले में निर्माणधीन इसरदा बांध परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए।

(xii) Regarding setting up of AIIMS at Sambalpur, Odisha

SHRI NITESH GANGA DEB (SAMBALPUR): VSS hospital is the only state Government hospital located at Burla, Sambalpur providing medical facilities and treatment not only to the patients of my Parliamentary Constituency but also to other adjoining districts of western Odisha. Patients of my Parliamentary Constituency are facing lots of difficulties of getting affordable medical facilities, as most of the doctors' posts are lying vacant and some departments of this hospital are also without H.O.Ds. As there is an urgent need to set up AIIMS at Sambalpur in order to provide better medical treatment & facilities to the people of my Parliamentary Constituency as well as the entire Western Odisha region, I request the Government of India to set up AIIMS at Sambalpur during the year 2019-20.

(xiii) Regarding BSNL service

SHRI DEVUSINH CHAUHAN (KHEDA): I wish to draw the attention of the Government towards poor service of BSNL particularly about their plans and especially about their data/internet plans. BSNL is offering data plans which are very old i.e. Baba aadam ke jamane ke plan chala rahe hai wo log. They do not give options to MPs also. How can they compete and survive in the market with such plans? Whereas on the other hand, all private companies are providing very cheap data and voice calls and this is the reason that people are moving towards them by abandoning BSNL. Not only this, it is very surprising to know that even after passing of five years, BSNL sends bills to MPs showing dues and forcing them to pay. I, therefore, request the Hon'ble Minister to take into account above points and take remedial steps.

(xiv) Regarding BSNL service in Jammu and Kashmir

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): मैं सरकार का ध्यान जम्मू कश्मीर राज्य में बी.एस.एन.एल. की सेवाओं पर केन्द्रित करना चाहता हूँ। राज्य में बी.एस.एन.एल. की बहुत ही खराब स्थिति है जिसकी वजह से वहाँ के लोग दूसरे कंपनी जैसे एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनी की ओर रुख कर रहे हैं। क्या सरकार ने इस विषय पर कोई ठोस कदम उठाया है ?

दूर-दराज के क्षेत्रों में सिग्नल नहीं आता, यही स्थिति शहरों की भी है, शहरों में भी सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं, राज्य में इंटरनेट सेवा 2 जी/3जी की स्थिति खराब है, क्या इसकी वजह राज्य में टॉवरों का कम होना या ठीक प्रकार से काम न करना है या इसकी कोई और वजह है?

इस क्षेत्र से संबंधित निजी कंपनियां जो कि बी एस एन एल के द्वारा ही अपनी सेवाएं जनता तक पहुंचाती हैं, लेकिन निजी कम्पनियों और बी एस एन एल के नेटवर्क में बहुत फर्क है, ऐसा क्यों है ?

मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जनता बी एस एन एल के नेटवर्क से बहुत परेशान है, कृपया जल्द से जल्द इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाए जिससे की जनता निजी कम्पनियों की तरफ आकर्षित न हों।

(xv) Need to include Pali language as a subject in UPSC examination

डॉ. संघमित्रा मौर्या (बदायूं): मैं केन्द्र सरकार से पालि भाषा को सिविल सेवा परीक्षा (यूपीएससी) में सम्मिलित करने हेतु आग्रह करती हूँ।

(xvi) Need to include people belonging to Hadpati, Rathod Tanvima and Nayaka communities of Gujarat in the list of Primitive Tribal Groups

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारदौली): हमारे गुजरात का हडपति, राठौड, तणविमा और नायका समाज भूमिहीन और अत्यन्त गरीब समाज है। यह समाज अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है। इस समाज को आज भी दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार के साथ एक कमरे में गुजारा करना पड़ता है।

मेरा निवेदन है कि हडपति, राठौड, तणविमा और नायका समाज को अनुसूचित जनजाति के दायरे से हटाकर प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप (आदिम जनजाति समूह) में शामिल किया जाए ताकि सरकार द्वारा दी जाने वाली हर सुविधा का लाभ उन्हें 90 प्रतिशत या 100 प्रतिशत सहायता के साथ मिल सके और इस समाज का और विकास हो सके।

(xvii) Regarding privatization of airports

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): The Union Government has taken a decision to privatise six airports namely Lucknow, Ahmedabad, Jaipur, Mangaluru, Thiruvananthapuram, and Guwahati through a public-private partnership (PPP) model. These six airports are profit-making airports and having air traffic throughout the year.

Setting up of an airport is not an easy task. It involves tremendous works and efforts by various departments to acquire land, compensation to the land owners/farmers, clearance from various departments, constructions of building with all infrastructure facilities and passengers amenities. So it involves huge investments and expenditure. After constructing airports with all infrastructure facilities by spending thousands of crores of rupees and earning profit from these airports, the Government simply handed them over to the private players to manage the airports. What is the logic behind it and what is the difficulty for the AAI (Airports authority of India which is managing all airports in the country) to manage and maintain these profit-making airports at this juncture? The employees union and trade unions have expressed their frustration for privatization of these airports. So, the whole country is expecting proper answer from the Union Government that on what basis these profit making airports were privatized. what are the terms and conditions for the privatization? The names of private players to whom the airports be handed over to? By when these formalities are likely to be completed and the terms

and conditions for sharing of revenue from these airports. Whether bids have been invited from global operators and total number of eligible bidders participated in the bidding for the PPP. Whether the Union Government has taken care of the future of the employees working in these 6 airports.

In view of the above, I urge upon the Hon'ble Minister of Civil Aviation to provide the details about the process followed in the recent privatization.

(xviii) Need to sanction stoppage for three Express trains

SHRIMATI RAMYA HARIDAS (ALATHUR): It would be a great blessings for employees of PR Info Tech, New India Assurance Company and pilgrims to the famous Utharalikkavu Bhagavathi Temple and important tourists places in Wadakkanchery, if stoppage for three trains are provided at Wadakkanchery and Mulamkunnathukavu. There are important Centres between these two stations and hence sanctioning a stoppage for Palakkad – Punalur - Palaruvi Express, Kochuveli-Nilamber Rajya Rani Express and Trivandraum-Madurai Express at Wadakkanchery nd Mulamkunnathukavu will be highly beneficial for the commuters.

It would be grateful if a new passenger train through Palakkad-Palani route is introduced and also consider the reopening of Amatanagar railway station which was closed earlier.

(xix) Need to lay a pitline at Palakkad Town Railway Station, Kerala

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): It has been long pending demand for laying of pitline at Palakkad Town Railway Station and the proposal for the same has been pending for a long time. The Railways has got sufficient land at Palakkad for pitline. In the absence of pitline at Palakkad, the railways was not able to introduce new trains from Palakkad although there were demands from public for new trains to various destinations. At Shoranur Railway Junction, there exists a pitline, but it can serve only train with 12 coaches and whereas most of the trains run with more than 24 coaches. Therefore, the pitline at Shoranur is unable to meet the needs. The lack of pitline at Palakkad and the shorter pitline at Shoranur is hampering the overall railway development in the region. I urge upon the Government to lay a pitline at Palakkad as well as double the capacity of pitline at Shoranur.

**(xx) Regarding bio-diversity protection and conservation project for
Pallikaranai Marshland, Tamil Nadu**

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Chennai is a thriving metropolis which is also known for its diverse ecosystem. The Pallikaranai marshland covering a geographical area of 80 square kilometres is one of the most significant wetland ecosystems which plays an important role in the natural drainage systems in South India. The topography of this marshland is such that it retains water perennially, creating an aquatic ecosystem which is home to several rare, vulnerable and endangered flora and fauna. It is also a breeding ground for many migratory birds making it environmentally very important to local and global ecosystem. Unfortunately, mindless damages have been done to its environment, making its very existence uncertain in future.

The Pallikaranai marshland is vulnerable to encroachment and degradation. The marsh has come under serious threat from the developmental programmes adopted by the government. Major problem faced by the marsh is the dumping of municipal wastes. The Corporation of Chennai is dumping about 2200 tonnes of garbage in landfills right over the Marsh. Besides a sewage treatment plant that is located in this region is discharging 32 million litres of untreated sewage into the marsh on a daily basis.

“If you mess with nature, it messes with you”. This suits best for Pallikaranai marshland.

At present the chromium content in the land and groundwater is hazardously high and the Air quality too deteriorated, exceeding the healthy limits by many-fold.

Wetlands provide innumerable valuable services to the society at large such as recharging ground water, recycling nutrients, attenuating floods and as natural habitat supporting biodiversity. Due to rapid urbanization and industrialization the Pallikaranai marshland has been reduced to one-tenth of its original extent.

If the landfills are closed and sewage treatment plants relocated, the damage can be curtailed. The Madras High Court in one of its recent verdicts has ruled for the protection and preservation of 1716 acres of marshland.

Therefore, I urge the Union Government to initiate immediately a comprehensive bio-diversity protection and conservation project under the National Wetland Conservation Management programme to save the Marshland of Pallikaranai.

(xxi) Regarding changing the name of West Bengal

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): The West Bengal Assembly had passed a resolution for changing the name of State of West Bengal to Bangla in 2016. The proposal was sent to the Central Government, so that they could introduce the necessary constitutional amendment. This has not been done so far. This inaction by the Central is an insult to the people of West Bengal. Further, the state Government of West Bengal had sent proposals to take over JESSOP and Dunlop Companies under the IDR Act. They have not received the Centre's approval. This should be given immediately by the Home Ministry.

**(xxii) Regarding cancellation of flights from Gannavaram airport,
Andhra Pradesh**

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Air India has cancelled some of the services from Gannavaram Airport in Andhra Pradesh.

It is reported that these services are being cancelled due to financial crunch of Air India. Also services of some daily services are limited to 4 days in a week from July 15th. Further, one stop flight services AI-544 (DEL-HVD-VGA) and AU-839 (VGA-HVD-DEL) have been cancelled. Alliance Air Flight (ATR-72) has withdrawn its services to Tirupati and Bangalore with effect from 16th July. Also daily services for Visakhapatnam have been reduced to one flight daily.

Gannavaram Airport is the only airport that connects the Capital City Amaravati of Andhra Pradesh. Air Traffic at this airport is more as passengers belonging to nearby towns and cities come here to use flight services daily.

The sudden decision of the Air India has become a thunderbolt to the air passengers as they face problems due to cancellation of these flights.

Keeping in view the problems of the air passengers, I urge the Hon'ble Minister for Civil Aviation to direct the Air India to review its decision and restore cancelled Night services on priority basis without any further delay which will be helpful to the air passengers and also generate good revenue to the government.

(xxiii) Regarding illegal use of spy cameras

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): A new scourge is spreading its tentacles fast and wide due to unregulated sale and use of spy cameras that are installed secretly in houses, shopping malls and hostel rooms to record women in their private movements. Several videos of women filmed secretly while in bathrooms, changing rooms or bedrooms through secretly placed spy cameras and uploaded on various websites have traumatized many women. Few complaints have been registered in police stations but no relief has been provided to aggrieved persons. There is an urgent need to regulate the use of spy cameras that violate the privacy of women.

Spy cameras have no known use other than for security, defence and law enforcement. Then why are these available in the open market both online and offline without any regulation or licensing system in force? Regulation is required on sale and purchase of spy cameras. Stringent action should be taken against persons involved in illegal use of spy cameras. The offence should be made non-bailable. Amendments should be made in necessary Act.

(xxiv) Regarding alleged irregularities in coal mining under Western Coal Fields Limited in Chandrapur, Maharashtra

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): मेरे संसदीय क्षेत्र रामटेक, महाराष्ट्र के आसपास डब्ल्यूसीएल की कोयला खदानें हैं। इससे प्रतिदिन लाखों टन कोयला खनन किया जाता है तथा इस कोयले की कथित रूप से काले बाजार में बड़े पैमाने पर तस्करी की जा रही है। कोयले की चोरी हो रही है। डब्ल्यू.सी.एल. में कथित रूप से कोयला व्यापारियों की एक टोली के माध्यम से लाखों रुपये की हेराफेरी की जा रही है जिसके कारण सरकार के राजस्व को करोड़ों रूपयों का चूना लग रहा है। कुछ दिनों पहले जिले भर में कोयला व्यावसायियों पर आयकर विभाग के द्वारा छापेमारी की गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए थे। इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होना कोई आम बात नहीं है। इसमें कई अन्य अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। एक तरफ दिखाया जाता है। कि डब्ल्यू.सी.एल. घाटे वाला सार्वजनिक उपक्रम है, वहीं दूसरी ओर इसमें भ्रष्टाचार की खबर पर यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया और भ्रष्टाचार को रोका नहीं गया तो आने वाले समय में यह कम्पनी बंद करनी पड़ेगी। इस पर अंकुश लगाने और इसकी सीबीआई के माध्यम से उचित जांच करने की जरूरत है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि वेस्टर्न कोल फील्ड्स द्वारा संचालित सभी खदानों में खुले आम चल रहे कथित भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की जाये एवं दोषी अधिकारी को दंडित किया जाये। आशा करता हूं कि आप इस गंभीर विषय पर कार्यवाही करेंगे।

(xxv) Regarding rules to be followed for transporting goods

SHRI MAHESH SAHOO (DHENKANAL): As per transport policy, loaded vehicle should be covered while plying. Likewise coal transportation either by rail or truck to a distance of 500 Kilometers should be washed through washing plant. However, it is being violated. I urge the Government to take suitable steps in this regard.

(xxvi) Need to develop Shaikh-UI-Hind Maulana Mahmood Hasan Medical College, Uttar Pradesh into Higher Centre

श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर): सहारनपुर स्थित शेख-उल-हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज वर्ष 2012 में बनकर तैयार हो गया था। परन्तु अभी तक बुनियादी मेडिकल उपकरणों से वंचित होने के कारण मरीजों को समुचित व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सिटीस्कैन, एम.आर.आई. व अन्य आधुनिक मेडिकल उपकरणों के अभाव में डाक्टरों द्वारा मरीजों को अन्य हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। मेडिकल कॉलेज की विद्युत व्यवस्था भी सही नहीं है। घंटों के हिसाब से विद्युत सप्लाई बंद रहती है। मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को कई-कई महीनों की देरी से सैलरी मिलती है। जनपद में मेडिकल सुविधाओं के अभाव को खत्म करने के लिए इस मेडिकल कॉलेज को हायर सेंटर के रूप में विकसित किया जाना अति आवश्यक है। इससे मरीजों को जनपद में ही मेडिकल सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

جناب حاجی فضل الرحمن صاحب (سہارنپور): محترم، سہارنپور میں قائم شیخ الہند مولانا محمود حسن میڈیکل کالج سال 2012 میں بن کر تیار ہو گیا تھا۔ لیکن ابھی تک بنیادی میڈیکل اوزاروں سے محروم ہونے کی وجہ سے مریضوں کو مکمل فائدہ نہیں مل پر رہا ہے۔ سی۔ٹی۔اسکین، ایم۔آر۔آئی۔ و دوسرے جدید میڈیکل اوزاروں کی کمی کی وجہ سے ڈاکٹروں کے ذریعہ مریضوں کو دوسرے ہائر سینٹر ریفر کر دیا جاتا ہے۔ میڈیکل کالج کی بجلی کا نظام بھی ٹھیک نہیں ہے۔ گھنٹوں کے حساب سے بجلی کی سپلائی بند رہتی ہے۔ میڈیکل کالج کے اسٹاف کو کئی-کئی مہینوں کی دیری سے سیلری ملتی ہے۔ ضلع میں میڈیکل سہولیات کی کمی ختم کرنے کے لئے اس میڈیکل کالج کو ہائر سینٹر کی شکل میں وکست کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس سے مریضوں کو ضلع میں ہی میڈیکل سہولیات کو فائدہ مل سکے گا۔ شکریہ۔

(xxvii) Regarding modernization of Nagapattinam Port

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Nagapattinam Port was used by Britishers' East India Company and the nearby Taragampadi Port was used by Dutch government before Independence of India. These two ports were main connection to many countries like Singapore Malasia, Indonesia for export and imports of onion, cement etc. Lakhs of passengers used to travel from these ports. Because of these ports, a railway line between Nagore and Tiruchirapalli was constructed for better connectivity.

After storms and many other natural calamities, the Nagapattinam Port was partially damaged and no step was taken to de-silt the sea and to renovate the port. Now, only palm oil is being imported. The passenger ship service was stopped in 1978. If the port is renovated after de-silting the sand in the sea, it can be a successful port and boost our revenue. We can export salt coconut, paddy and other agricultural products. It can be lucratively operated for passengers travel to many countries like Singapore, Malasia.

I request the Government to take steps to modernise the port and thus boost the economy of our country. The port is now in Small Ports list. It should be brought under Port Trust of India.

**(xxviii) Regarding including Vetan community of Kerala in
the list of scheduled Tribes**

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The request from Vetan community of Kerala to include them in the list of scheduled tribes is pending with the Union Government. The members of this community belong to most backward Adhivasi Gothravarga. The Government of Kerala recommended for including Vetan community in the list of scheduled tribes. The exclusion of Vetan community from the list of scheduled tribes and include them in the list of scheduled caste is without conducting proper study or considering the historical background of the community. The study conducted by KIRTHADS also recommended for the restoration of Vetan community in the list of scheduled tribes. Considering the present status, living condition and historical background and other criteria, Vetan community is entitled to be included in the list of scheduled tribes.

Hence I urge upon the Government to initiate urgent steps to include Vetan community Kerala in the list of Scheduled Tribes.

12.13 hrs**UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT****BILL, 2019 ... Contd.***

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): अध्यक्ष महोदय, जो विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक लाया गया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मुझे खुशी हो रही है कि पिछले हफ्ते एनआईए के संबंध में यह बिल आया। इस देश में जो आतंकवादी गतिविधियां चलती हैं और इनके लिए जो संगठन काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। आतंकवादियों के खिलाफ जबर्दस्त तरीके से इलाज ढूंढने का काम एनआईए के माध्यम से हुआ है। इसके साथ-साथ इस संशोधन विधेयक के माध्यम से भी एनआईए जैसी एजेंसी को अधिकार मिलेगा। एनआईए देश की सुरक्षा के बारे में हमेशा सतर्क रहती है और एक महत्वपूर्ण काम करती है। ऐसी एजेंसी को सशक्त बनाने के लिए यह विधेयक सबसे बड़ी जिम्मेवारी निभाने का काम करने वाला है।

मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने प्रस्ताव में कहा है कि यह अमेंडमेंट बहुत छोटा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि यह अमेंडमेंट छोटा है, परंतु उसका प्रभाव काफी बड़ा है। इस अमेंडमेंट के माध्यम से एनआईए को बहुत ताकत मिलेगी। इस देश में आतंकवादी कार्रवाई करने वाले जो भी संगठन हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का काम होगा, उनमें एक डर निर्माण करने का काम होगा, उनको रोकने का काम इस संशोधन के माध्यम से होने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, 'आतंकवादी' शब्द का निर्माण मोदी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ। पिछले कई वर्षों से आतंकवादी संगठन इस देश में जिस तरीके से अपनी कार्रवाई कर रहे थे, उससे उनकी गतिविधियां बढ़ती जा रही थीं।

* Further discussion on the motion for consideration of the Bill Moved on 08.07.2019 by Shri G. Kishan Reddy continued.

दुर्भाग्य की बात है कि इस देश के दो प्रधान मंत्री आतंकवाद के शिकार बन चुके हैं। आतंकवाद को रोकने में पहले की सरकारों को कामयाबी प्राप्त नहीं हुई। इसे रोकने के लिए मीसा आया, टाडा आया, मकोका आया और पोटा आया, अनेकानेक कानून आए। इतने कानून बनने के बाद भी इस देश में आतंकवाद को रोकने में पहले की सरकारें उतनी सफलता क्यों प्राप्त नहीं कर सकीं, क्योंकि सारे कानूनों का इस्तेमाल उन्होंने राजनीतिक विचार से किया। मैं माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि इनके पांच वर्षों के कार्यकाल में भारत देश में व्यवस्था अच्छी तरह से चल रही है और शांति बनी हुई है। पहले की तुलना में देखें, तो सारी जगहों पर आतंकवादी गतिविधियों पर रिस्ट्रिक्शन लगाने का काम इस सरकार के माध्यम से हुआ है।

हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हाल ही में जम्मू-कश्मीर गए थे। पहले ऐसा होता था कि देश का कोई भी मंत्री हो, प्रधान मंत्री हो, गृह मंत्री हो, जब वे जम्मू-कश्मीर जाते थे, तो वहां पत्थरबाजी हमेशा होती थी, गोलाबारी रूटीन प्रोसीजर होता था। पहली बार इस देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जब जम्मू-कश्मीर गए, तो कोई गोलीबारी नहीं हुई, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। वहां के सारे लोगों ने उनका स्वागत किया। उनके अंदर डर नहीं है, बल्कि देश के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के प्रति उनमें विश्वास है। वहां के लोगों को लगता है कि हमारा विकास पत्थरबाजी और गोलीबारी से होने वाला नहीं है। विचार से विकास होगा, इसलिए वहां के लोगों ने उन्हें समर्थन देना शुरू किया है।

मैं इस देश के गृह मंत्री जी का अभिनंदन करूंगा कि पहली बार अमरनाथ यात्रा अच्छी तरह से चल रही है। यह यात्रा 15 अगस्त तक चलने वाली है। वहां कोई भी गोलाबारी नहीं है, कोई हलचल नहीं है और कोई दंगा-फसाद नहीं है। यह सारी कामयाबी, जिन्होंने इस देश का शासन हाथ में लिया है और शासन के माध्यम से पूरे देशवासियों के दिल में एक विश्वास निर्माण किया, माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का इसमें पूरा सहयोग है और उनके माध्यम से ही यह हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक में तीन अलग-अलग संशोधन किए गए हैं। मैं मानता हूँ कि सैक्शन 25 में आतंकवादियों की सम्पत्ति जब्त करने की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण संशोधन है। आप भी जानते हैं कि देश ने जिसे आतंकवादी घोषित किया है, ऐसे दाऊद की सम्पत्ति मुंबई स्थित कई स्थानों पर है। यह करोड़ों-अरबों की सम्पत्ति है। देश ने उसे गुनहगार डिक्लेयर किया, लेकिन उसकी सम्पत्ति जब्त करने का प्रावधान कानून में पहले नहीं था। इस संशोधन के माध्यम से अब उसे रास्ता मिलेगा। इसके लिए सैक्शन 25 आवश्यक था।

सैक्शन 35 में आर्गनाइजेशन के बजाय व्यक्ति आवश्यक है। दुर्भाग्य की बात है कि नक्सल गतिविधियां देश के कई इलाकों में होती हैं। आतंकवादी कार्रवाई देश के कई इलाकों में होती थीं। देश में रहने वाले लोगों के माध्यम से, कई प्रदेश में रहने वाले आतंकवादियों के माध्यम से ये गतिविधियां चलती थीं। आतंकवादी कार्रवाई करने वाले लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम कई लोगों के माध्यम से होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां मुंबई में ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि नक्सलवादी एक्टिविस्ट्स का हेडक्वार्टर डोंबिवली, मुंबई में है। इसमें कोई प्रोफेसर शामिल है, तो कोई वकील शामिल है। ऐसे लोगों के ऊपर भी पाबंदी लगाने की जरूरत थी। आर्गनाइजेशन के बजाय व्यक्ति, जो इन गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करेगा, आर्थिक सहायता देने का काम करेगा, उनके ऊपर भी कानून के माध्यम से कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। यह संशोधन इसमें लाया गया है।

तीसरी बात सैक्शन 43 है। एनआईए की टीम में काम करने वाले ऑफिसर्स के बारे में शंका करने की जरूरत नहीं है। चाहे वह डीएसपी हो या डिप्टी कमिश्नर हो। एनआईए के इंस्पेक्टर भी उतने ही कैपेबल रहते हैं, इतनी महत्वपूर्ण एजेंसी में काम करने वाले अधिकारियों के ऊपर संशय करना कुछ समझ नहीं आता है। इंस्पेक्टर को भी इस विधेयक के संशोधन के माध्यम से जिम्मेदारी देने का काम हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से विनती करना चाहता हूँ कि आप आतंकवादियों के खिलाफ इतना सब कार्रवाई कर रहे हैं। आपसे मेरी एक विनती है, एनआईए

काम करती है, कई पुलिस एजेंसियां काम करती हैं लेकिन दुर्भाग्य से ज्युडिशियरी सिस्टम में जितना वक्त बेकार जाता है इससे दहशतर्ग कार्रवाई करने वाले लोगों में जो डर निर्माण होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है। फांसी की सजा होने के बाद भी चौदह वर्षों तक आरोपी फांसी तक नहीं जा पाता है। अपने देश में इसका उदाहरण है। ज्युडिशियरी में भी कुछ प्रावधान करना चाहिए ताकि एनआईए के माध्यम से आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करने के बाद ज्युडिशियरी द्वारा सही वक्त में उनके ऊपर कार्रवाई जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। तीन वर्षों के अंदर हरेक आतंकवादी को जो सजा होगी, उसके ऊपर अमल करने की व्यवस्था होनी चाहिए तभी देश और दुनिया को मालूम पड़ेगा कि अगर हम हिन्दुस्तान में आतंकवादी गतिविधियां करेंगे तो हमें जल्दी से जल्दी फांसी हो जाएगी।

महोदय, अपने देश में मानवतावाद शब्द का ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है। दहशतवाद के साथ-साथ मानवतावाद, चाहे आतंकवादी ने सौ लोगों को मारा लेकिन वह चलेगा, लेकिन सौ लोगों को मारने वाला कसाब को जेल में अच्छी तरह से रहना चाहिए? मानवतावाद से भी आगे जाकर दहशतवाद को खत्म करने के लिए ज्युडिशियरी सिस्टम में बदलाव लाएं तभी इस देश का आतंकवाद खत्म हो सकता है। मैं माननीय मंत्री जी को अच्छे संशोधन के लिए धन्यवाद देता हूँ। राजीव प्रताप जी को धन्यवाद दूंगा क्योंकि वे हमेशा मेरी मदद करते हैं। धन्यवाद देकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this very important Bill. I want to first bring on record the track record of my party, the Biju Janata Dal and my leader Shri Naveen Patnaik who has stood like a rock with every Government. Irrespective of which shade of Government was and is in position of power, we have stood with the government in matters of national security. In always strengthening the hands of the Government, we have stood shoulder to shoulder and hand in hand with the Government. Even during the last Government, we saw how during the Pulwama incident we unequivocally condemned it; how during the Balakot incident we unequivocally again praised the Government and the Armed Forces for the strike and therefore there is no question of not supporting the Government on issues of national security.

12.24 hrs (Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

Misgivings have been raised, misgivings have always been raised by the Opposition. Every Bill will have shortcomings. These are Bills which are all Bills in the making. Creases need to be ironed out over a period of time and I think what the Government is doing is ironing out some of the creases. This will continue.

Madam, I have a few constructive suggestions to make and I think the Government will take it in the right spirit because while there are misgivings which are for the sake of misgivings, there are also issues which the Government of the day always needs to look at.

Firstly, the issue of Centre-State relations and the issue of federalism. We are completely one with the Government on cooperative federalism. There is no question about it. Now, I feel the issue with the NIA is that there should be a better coordination with the States and an all-inclusive structure is needed at the national level. Multi agency centres or joint task forces or any other new mechanism can be designed for this purpose. There should be a permanent, institutionalised set up rather than having it on a case to case basis. This whole case to case basis makes it very subjective. So, we should have an institutionalised set up. That is the first point.

Secondly, on the question of scheduled offences, there are many more scheduled offences which should be included. The Government has done a good job in making it as expansive as possible but there are many more scheduled offences like espionage, money laundering, drug trafficking, organised crime, hijacking, assassination, assassination attempts on the lives of major political leaders, crime relating to radio-active and poisonous substances, bio terrorism, narco-terrorism etc. I think, all these should be included in the ambit and many more such crimes should be considered for inclusion.

These are very dangerous offences in this very difficult time that we are living. The Government must think of this point.

The very important issue is the issue of prevention and not just investigation and prosecution. Section 3(2) of the Act says that the NIA has the power to investigate, throughout India, any offences listed in the attached

Schedule. However, the NIA is not clear as to what preventive powers it has. The House knows that after 9/11, the Federal Bureau of Investigation has now decided to completely encompass the preventive aspect first rather than just the prosecutorial aspect. For that, they collaborate with others on counter intelligence activities. So, prevention is always best served by acquisition of information. Information is power. Therefore, we need to understand, know and equip the NIA to work better with institutions like the Intelligence Bureau, the Financial Intelligence Unit, the DRI, institutions relating to money laundering, PMLA, etc. All these institutions need to coordinate very well in order to ensure that investigating and intelligence gathering is quickened. This will ensure that they are equipped to prevent rather than merely prosecute.

Fourthly, delay is, unfortunately, institutionalised in this entire set-up. Section 6(2) of the Act says that once the State Government receives a report on a scheduled offence, it shall forward the report to the Central Government as expeditiously as possible. Now this is very subjective. This should be made time bound completely, according to me, so that State Governments cannot sit on this indefinitely. I believe that there should be a 24-hour or 48-hour window at best so that the Central Government gets cracking on it as soon as possible rather than wait for the State Government to first mull over as to whether it should send it to the Central Government or not. It should be sent immediately and there should be a time bound system rather than to say 'as expeditiously as possible', according to us.

High rate of acquittal is something which every Member has raised. All shades of opinion in the House are that you cannot have a 75 per cent acquittal rate and feel that the law is serving its purpose. According to us, this obviously means that the entire judicial system firstly needs to be strengthened very drastically. The hon. Minister of Law is here. He will be the first, and he has always been the first, to admit that.

There is no doubt that the Government will accept this and all shades of opinions in the House will accept this that there have been far too many frivolous bookings as a result of which the system gets clogged. You cannot have people being booked for carrying Maoist literature. These are absolutely and totally insensitive bookings which take place sometimes. High degree of sensitisation is required by the police forces and the investigating forces. This is something which the Government must seriously look into. Therefore, it comes back to police reforms, the same old lament that we have been going on and on over the last several decades.

There has been one misgiving which has been raised in this House. In my opinion, it has some substance in it. I mean the disproportionate incarceration of a particular segment. We are talking about minorities, Dalits and tribals. There is no question that minorities, which is predominantly the Muslim community, the Dalits and tribals constitute 53 per cent of the prison population while being only 39 per cent of the population. This is a problem. The problem according to me is not because of selective targeting. The problem really is because they are economically and socially under-privileged.

That is the reason. Otherwise, I have here a list of court judgements which have really looked at the problem of mistrials or the problem of misprosecutions. There, they are mostly people of majority community. Look at the names which have come forward. Anup Bhuiyan, Indira Das, Srikant Prabhakaran, Arun Balan are all people belonging to majority community who have given landmark cases on bad prosecution or malprosecution. So, it is not as if the minorities alone are being targeted but there is no doubt that, in order to ensure that minorities, Dalits and tribals do not continue to suffer incarceration needlessly, we need to ensure that the prosecutorial system becomes more sensitive. We also need to ensure that the judicial system needs to be more integrated.

Lastly, the time period that is given to the police under the UAPA is 180 days to file a charge sheet. This really calls for lazy investigation. That is the problem.

According to us, this must be reduced. It should be brought down to, maybe, 90 days. Otherwise, the lure of putting a person in jail, and then seeing that you have a happy period of 180 days in which you can happily go about investigating and filing a charge sheet makes it a lazy investigation, lazy prosecution, and, therefore, laziness all around, and needless incarceration. So, I believe, these are some of the issues which, I think, are needed to be flagged.

The hon. Law Minister is not only an eminent senior Advocate but also an enlightened citizen. Therefore, he will be the first to understand that many

of the issues that we have flagged have been flagged in the right spirit. I think, the Government is doing a splendid job, and that is the reason why they have the kind of majority that they have got; they have got it in all fairness. A large chunk of people in this country felt that this Government is giving them more safety.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE; MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Thank you for this.

SHRI PINAKI MISRA : There is no question about that. I have to admit this on the floor of the House that they feel that this Government is giving them more security and safety than what the other Governments had given in the past, as a result of which you yourself, hon. Chairperson, kept saying that the '303' figure is really a significant benchmark. Good luck to you! But let the Government, therefore, look at many of these issues which are needed to be flagged. I again thank you very much.

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Madam Chairperson, sorry for being late! We had a meeting with the hon. Prime Minister due to which I lost my slot. So, I am grateful to you for giving me the time now.

I rise today, in the absence of the hon. Home Minister for which I am quite sad but I hope he is listening to me somewhere, to vehemently oppose the UAPA Bill, 2019. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : The MoS for Home Affairs is present here.

... (*Interruptions*)

SUSHRI MAHUA MOITRA : Yes, I know. I was talking about the Cabinet Minister. ...(*Interruptions*) But I have no problem. ...(*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): The Minister of State for Home Affairs, Shri G. Kishan Reddy initiated the discussion yesterday. ...(*Interruptions*) Where has he gone? ...(*Interruptions*) Has he gone to Rajya Sabha? ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: This is the time of the hon. Members. Somebody must be taking the notes.

... (*Interruptions*)

SUSHRI MAHUA MOITRA : I rise today to vehemently oppose the UAPA Bill, 2019.

Mr. Warren Buffett once said:

“If you put a police car on anyone’s tail for 500 miles, they are going to get a ticket.”

The current dispensation at the Centre seems to be following this very reasoning. If they want to target someone, they will get them somehow on some law or the other or on some lacuna or the other. The Opposition leaders, Rights Activists, minorities or anyone who does not agree with the homogenous idea of India that this Government is trying to thrust upon us, are at risk. अगर इनके साथ हो तो भगवान, न हो तो शैतान। यह तो नाइंसाफी है। ... (व्यवधान)

In the short time that I have been privileged to be here in this House, I have experienced it first-hand. Each time we oppose a Bill, bring in a cut-motion or move an amendment, and these are all purely hypothetical exercises given the brute majority this Government enjoys, we run the risk of being labelled as anti-national. When Dr. Tharoor opposed the introduction of the UAPA Bill, no less a person than the hon. Home Minister leaned forward and said:

“सोच लीजिए। क्या विरोध करना है, वापस लेना है?”

The hon. Minister sits in the Chair of Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar Patel was the unifier of India. He once said:

“It is the prime responsibility of every citizen to feel that his country is free, and to defend its freedom is his duty.”

It is not enough to build the world's tallest statue in Sardar Patel's honour. All of us must try, at least, to stand as tall as him. Why do I feel a sense of menace? Ever since I have been elected and since my maiden speech, why do my friends and family call me and tell me to be careful? “They will somehow get you”, why do I feel this? You have come here as a result of a

popular majority. I too have been elected. All of us here too have been elected. Why we in the Opposition are always at the risk of being called anti national every time we disagree with this Government on issues of national security, on issues of law and order, and on issues of policing? Every time we disagree, this Government, its troll armies, its propaganda machinery work overtime to call us terrorist sympathisers, secular, and anti-national. ...(*Interruptions*)
Madam, I urge you to get the House in order. ...(*Interruptions*) I urge you to get the House in order. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Yes, Mr. Ahluwalia?

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please wait a minute.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Yes, Mr. Ahluwalia? Tell me the rule. Please read the rule.

... (*Interruptions*)

SUSHRI MAHUA MOITRA : Madam, I am not yielding. Please let me speak.

...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, it is not about you yielding. I have yielded to him. He is raising a point of order. I have to listen to him.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please take your seat. I am asking him.

... (*Interruptions*)

SHRI S.S. AHLUWALIA (BARDHAMAN-DURGAPUR): Madam, when the hon. Member is making an allegation against the Government or against anybody, can the hon. Member substantiate what she is saying? If she cannot substantiate it, she cannot make such an allegation. Where is the Government troll machinery or army? What is she talking about? ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Thank you Ahluwaliaji. I will just read out the rule. The rule says:

“No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a Member against any person unless the Member has given adequate advance notice to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply, provided that the Speaker may, at any time, prohibit any Member from making any such allegation if the Speaker is of the opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served by making such allegation.”

This is the rule position.

PROF. SOUGATA RAY: Madam, she has not made any allegation against any particular person. ...(*Interruptions*)

SUSHRI MAHUA MOITRA : Madam, I can fight my case. ...(*Interruptions*) I will fight my case.

Madam, he has not said it. You have said it. It is fine. You have said that no allegation can be made against any person. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The Minister of State for Parliamentary Affairs has pointed it out.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The Minister of State is a Minister. Mr. Roy, you know it better.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, what are you saying? What kind of accusation is that supposed to be? Please take your seat. A Minister to the Government of India is a Minister and he made a point.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब माननीय सदस्य बोल रहे थे, आब्जर्वेशन ले रहे थे, तो इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हमेशा अपोजिशन को एंटी नेशनल कह रही है। यह हमने कभी नहीं कहा। किसी भी मंत्री ने नहीं कहा। यह शब्द इनको वापस लेना चाहिए। मेरा यह सन्निधान है।

SUSHRI MAHUA MOITRA : Madam, I will stand here and say that just because they have 353 Members does not mean that they will shout us down. I stand my ground. The hon. Member did not quote the rule. You quoted the rule. He did not. I have not said anything against any single Member. Please check my speech. It is on record. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: But collectively what you are saying is against the Government. You have not said it against one person.

SUSHRI MAHUA MOITRA : I said the propaganda machinery and the troll armies. I am on record. It is unfortunate that you need three Ministers to stand

up and fight me. It is very unfortunate. I welcome the hon. Minister. I am sure Mr. Shah will have the grace to hear me out. The hon. Home Minister is here and I am sure he will have the grace to hear me out. I would say that it is a matter of great ... * that it needs three Ministers to singlehandedly handle me, but I will continue.

12.39 hrs

(Hon. Speaker *in the Chair*)

Sir, to paraphrase both the Mahatma and George Orwell, 'the truth is a truth even if I am a minority of one and in times of deceit, telling the truth is a revolutionary act'.

सब तेरे सिवा काफिर आखिर इसका मतलब क्या
सिर फिरा दे इंसान का ऐसा खब्ले मज़हब क्या

हमने सोच लिया कि हम विरोध वापस नहीं लेंगे। I will stand here in this hallowed chamber and spell out my opposition.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सदन है, आहिस्ता बोलिए, सब सुन रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बोलिए।

...(व्यवधान)

SUSHRI MAHUA MOITRA : This is just a ploy to interrupt my speech.

...(Interruptions). Sir, please keep the House in order, I beg you.

...(Interruptions).

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप लोग मत बोलिए। माननीय सदस्य को बोलने दें।

...(व्यवधान)

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इधर देखकर बोलिए ।

SUSHRI MAHUA MOITRA : I am looking at you Sir. ...(*Interruptions*). But you must keep them quiet. ...(*Interruptions*). Please keep the House in order. ...(*Interruptions*). I have got 22 minutes. ...(*Interruptions*). I will speak. ...(*Interruptions*). Like I said, the truth is truth even if I am a minority of one. ...(*Interruptions*) and in a time of deceit, speaking the truth is a revolutionary act.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप लोग बैठ जाएं । माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आई हैं, कृपया आप सभी माननीय सदस्यगण शांति से उनकी बात सुनें ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन के माध्यम से अपनी बात कहें ।

SUSHRI MAHUA MOITRA : Before this also, I spoke only through the Madam Chairperson. ...(*Interruptions*). Now I am speaking only through you. I am following the Parliamentary procedure.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बोलिए ।

SUSHRI MAHUA MOITRA : It is unfortunate that the Treasury Benches seek it fit to disturb me and I will take extra three minutes, I am telling you. हमने सोच लिया और हम विरोध वापस नहीं लेंगे । I will stand here in this hallowed chamber and I will spell out my opposition. ...(*Interruptions*).

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, यह जिस बात को कह रही हैं कि वापस नहीं लेंगी, वह प्रोपेगैंडा शब्द अनपार्लियामेंटरी शब्द है ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं देख लूंगा ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

SUSHRI MAHUA MOITRA : I will spell out my opposition not just to this Bill, not just to the Treasury Benches, but to all the people of India who may be listening. ...(*Interruptions*). Sir, please keep the House in order. ...(*Interruptions*). I beg you. ...(*Interruptions*). Please keep the House in order.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका समय खत्म हो गया, मैं एक्स्ट्रा समय दे रहा हूँ।

SUSHRI MAHUA MOITRA : No, I will keep speaking. ...(*Interruptions*). Sir, they are disturbing me. ...(*Interruptions*). I urge you to be ... * ...(*Interruptions*). This country still has people that appreciate nuance. It still has people who have not de-generated into this mindless world of black and white with either 'we can only be pro-Government' or 'we can be anti-country'. All of India does not believe this. Even if Members of this House may, all of India does not believe this. So, it is possible to stand here and be anti-Government and still be pro-India. And that is the space that I seek to represent today.

Let me now go through this Bill and point out what is so wrong with it. I will try and make it as simple as possible without the legalese, so that ordinary citizens may understand this because this is not just a Bill for lawyers, this is not just a Bill for police people, this is a Bill that may affect you and me tomorrow. So, we must be able to speak in a way that ordinary people must be able to understand it.

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह आतंकवादियों पर इफेक्ट डालेगा, आप पर नहीं डालेगा।

SUSHRI MAHUA MOITRA : Hon. Speaker, that is just the point. You have hit the nail on the head. ...(*Interruptions*) You have hit the nail on the head, hon. Speaker. This Bill seeks to do two things. One is to designate individuals as terrorists without due process. कल हमें भी कर सकते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। That is exactly what this Bill is trying to do. ...(*Interruptions*). It is trying to do two things. There are two amendments that are very worrying. ...(*Interruptions*).

Mr. Speaker Sir, I would urge you to please stop them from heckling...(*Interruptions*). There are two amendments here which are extremely worrying. I will go through both of them. The first is the amendment which is to clause 5, Section 25, which enables the NIA to be able to go into any State and to arrest, seize and search properties without the permission of the State's DGP or even without the knowledge of the State's DGP. Now, this is completely against the federal structure of our country because if you see in List I, you are trying to give the NIA policing powers under IPC and other special Acts. The NIA is not an agency that is in List I. It is in List II that the powers of the policing are vested with the State. So, in this case, the only agency which is on List I is the Central Bureau of Investigation. Now, in this case, the High Court of Assam, has even struck down the Constitutional validity of even the CBI. There is a stay order and the case is pending in the Supreme Court. So, in this case, when the NIA itself is under a cloud, you are giving it more policing power. Even when the CBI go in to investigate, they work with the State police.

We are a federal structure. The States have a certain degree of sovereignty. In this case, if the DGP is not even aware of this and the NIA comes in, this power completely goes against the grain of the Constitution.

The second point, which is the most dangerous amendment, is Clause 5, Section 35. It is exactly, what you referred to. What you are doing is, you are seeking to designate individuals as terrorists in addition to the existing terrorist organisations.

In Section 35, you are creating a whole different set of powers to declare as to who is a terrorist. You say that an organisation shall be deemed to be involved in terrorism if it promotes or encourages terrorism or if it is, otherwise involved in terrorism.

Now, the UAPA, in its current form, already allows to take all actions possible against individuals, who are involved in terrorism. You have Section 16, which gives you the death penalty and life imprisonment. You have Sections 38 to 48, which criminalise membership, support and raising funds for a terrorist organisation.

So, there is no need to designate individuals without due process. In this Section 36, you have set out a process for denotification of a terrorist organisation. But there is no process for notification. You are talking about the UN Security Council saying in the Statement of Objects and Reasons that we have to be in line with international obligations. The UN Security Council Resolution 1373 lays out very clearly what is the process of raising funds. In

this case, there is nothing laid out and there is no process. It is not even following the procedure of law, forget about due process.

So, if any Government in India, which has taken away the safeguards for life and liberty, which the Constitution has given to us, no Government has been able to survive without paying a heavy price. You yourselves have got somebody, who has come in as an elected MP; and I respect the person, who has come in elected as an hon. Member of Parliament, who is a terror accused under NIA. You say, it was political targeting. Fine. I can believe that it may be a political targeting. But you are doing the same thing. Tomorrow, it may be targeting of somebody else.

So, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही ज़द में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान नहीं है।

So, hon. Speaker, Sir, I would urge you to tell the hon. Minister to please withdraw this Bill. This is anti-federalism; it is anti-Constitutional; and it is anti-people. It is a very dangerous Bill. I would again urge the hon. Minister to please take it back.

Thank you.

श्री सुनील कुमार पिंटू (सीतामढ़ी): अध्यक्ष महोदय, आज जो यह बिल आया है, मैं इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पिछले पांच सालों में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने देश में आतंकवाद पर नकेल कसने का जो काम किया है, वह प्रशंसनीय है। आज से पांच साल पहले आतंकवादी राज्यों तक पहुंच रहे थे। उसने आतंकवाद की जड़ें पूरे हिन्दुस्तान में धीरे-धीरे फैलाने का काम किया। परन्तु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार आई और आतंकवाद पर सख्ती की गई। उससे आतंकवाद को कश्मीर के बॉर्डर तक सीमित करने का काम किया गया है। इसके लिए सरकार की जितनी भी प्रशंसा की जाए, वह कम है। आज आतंकवादी जरूर आते हैं, परन्तु उनको बॉर्डर पर ही ऊपर का पासपोर्ट और टिकट दे दिया जाता है कि आप वहां जाइए और 72 घंटों से मिल कर आइए। यह कहा जाता है कि वहीं पर उन्हें 72 घंटों से मिलने का वीजा दे दिया जाता है।

महोदय, आतंकवादियों ने एक बार इस संसद भवन तक पहुंचने का भी काम किया और मुंबई में जो घटना घटी, उसके बाद यह जरूरी था कि जिस प्रकार यूएसए में एफबीआई है, उसी प्रकार हमारे भी देश में एनआईए नाम की संस्था को वह अधिकार और पावर दिया जाए। अगर उसके देश में कोई आतंकवाद फैलाने के लिए सोचता भी है, करना तो दूर की बात है, अगर वह प्लान भी बनाता है तो एफबीआई उस देश में पहुंच कर, उस पर कार्रवाई करने के लिए उसे सक्षम अधिकार दिया गया है। आज हम यहां एनआईए को वह अधिकार दे रहे हैं। जो व्यक्ति अगर हिन्दुस्तान में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है, अगर वह दूसरे देश में बैठ कर यह करना चाहता है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दादा !

... (व्यवधान)

श्री सुनील कुमार पिंटू: यदि वह दूसरे देश में बैठकर हिन्दुस्तान के लिए नजर को थोड़ी-सी भी टेढ़ी करने की सोचता है, तो एनआईए को अधिकार है कि वह उस व्यक्ति तक पहुंच सके और उसकी सम्पत्ति से लेकर उसे भी अरेस्ट करने का अधिकार इस बिल द्वारा दिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ

कि विपक्ष को भी चाहिए कि सरकार को इस बिल के लिए समर्थन दे और इसे पारित करे। एक माननीय सदस्य ने कहा कि इससे राज्यों में हस्तक्षेप होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि यह आतंकवाद के लिए हस्तक्षेप है। हम एनआईए को इस बिल द्वारा पावर दे रहे हैं कि वह आतंकवाद को रोक सके। जिस प्रकार आतंकवाद पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की है और हमारे देश के जवानों ने दूसरे देशों में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम किया, वह प्रशंसनीय है। यह काम दुनिया के केवल दो या तीन देश ही कर रहे थे। उन देशों की सूची में हमारे देश का नाम जोड़ने का श्रेय यदि किसी को जाता है, तो वह माननीय नरेन्द्र मोदी जैसे दृढ़संकल्प वाले प्रधान मंत्री की इच्छाशक्ति को जाता है। आज इस बिल के माध्यम से हम यह साबित कर सकते हैं कि दुनिया का कोई भी आतंकवादी भारत की तरफ देखने या भारत का बुरा करने के बारे में सोचने का काम करेगा, तो हमारे देश के प्रधान मंत्री के नेतृत्व में देश कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई भी व्यक्ति जब तक नरेन्द्र मोदी देश का प्रधान मंत्री है, वह देश के बारे में बुरा सोचने की परिकल्पना भी करे। यह इस बिल की सबसे बड़ी खासियत है, जिसके माध्यम से हम एनआईए को पावर देने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट के ट्रायल के समय को कम करने का काम किया जा रहा है, ताकि जो भी दोषी हो, उस पर जल्द से जल्द कार्यवाही हो सके।

मैं आपको धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूँ कि सभी माननीय सदस्यों को इस बिल का जोरदार समर्थन करते हुए इस बिल को पारित करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि मुझे घंटी न बजानी पड़े। मेरे हाथ के इशारे से ही समझ जाएं, तो ठीक रहेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दादा समझ जाएंगे। थोड़े दिन रुक जाओ।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, आज जब हम यूएपीए बिल में संशोधन पर चर्चा कर रहे हैं तो हम यह देख लें कि इन कानूनों के अब तक के इस्तेमाल से हमारे सामने क्या नतीजे आए हैं। इस संदर्भ में मैं सरकार के नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो द्वारा दिए गए आंकड़ों को सदन के सामने रखना चाहता हूँ। प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट, 2015 में नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो ने बताया कि देश की तमाम जेलों में जो कैदी बंद हैं, उनमें 67 प्रतिशत ऐसे कैदी हैं, जो अंडर ट्रायल हैं, जिनका अभी कनविकशन नहीं हुआ है, वे अभी अपराधी भी साबित नहीं हुए हैं। जिन्हें सरकारी एजेंसियों ने यूएपीए जैसे कानून इस्तेमाल करके जेलों में बंद रखा है। जो मात्र आरोपी हैं और जिन्हें एजेंसियों ने आरोप लगाकर गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उन्हें अपराधी साबित नहीं कर पा रही हैं। इस संदर्भ में मैं एक और रिपोर्ट सदन के सामने रखना चाहता हूँ। यह रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में आधे से ज्यादा अंडर ट्रायल वे लोग हैं, जो वंचित समाज से आते हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं या मुस्लिम समुदाय से हैं।

महोदय, यहां एक बात और बताना चाहता हूँ कि इन पिछड़े, वंचित, शोषित समाज के लोगों को बिना सबूत जेलों में डाल दिया जाता है। इनमें भारी संख्या ऐसे लोगों की है जिनके खिलाफ अपराध साबित ही नहीं हो पाते हैं और उन्हें लम्बे समय तक जेलों में रहना पड़ता है। उन्हें इतने लम्बे समय तक जेलों में रखा जाता है कि शायद अपराधी साबित होने के बाद भी उन्हें इतनी जेल न काटनी पड़ती, जितना समय वे जेल में काट चुके हैं। कई लोग 10 साल से भी ज्यादा समय जेल काटने के बाद बेगुनाह साबित होकर रिहा हो जाते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद उनकी जिंदगी बरबाद हो जाती है।

उन पर लगे आरोप उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे सदन को बताएं कि ऐसे लोगों को गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित एजेंसियां बिना सबूत के जेलों में डाल देती हैं तो उनके बेगुनाह साबित होने पर सरकार उन्हें क्या हरजाना देगी? मैं सदन से पूछना चाहता हूँ कि उनकी बर्बादी का कौन जिम्मेदार है? क्या हम यहां बैठकर सिर्फ जनता पर दमन करने के लिए कानून बनाएंगे या ऐसे कानून बनाएंगे, जिनका जिम्मेदारी के साथ जनता और देश

की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल हो? अगर यह कानून देश और जनता की सुरक्षा के लिए है और कमजोर लोगों के उत्पीड़न के लिए नहीं है तो मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने कौन से प्रावधान किए हैं?

मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब वे अपना उत्तर दें तो वे सदन को बताएं कि इन कानूनों को दुरुपयोग से बचाने के लिए उन्होंने इसमें कौन से प्रावधान किए हैं? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पहले भी इस सदन में कानून बनाए गए, टाडा बनाया, पोटा बनाया गया। टाडा इधर के बैठने वालों ने बनाया और पोटा उधर के बैठने वालों ने बनाया और इसी सदन ने मिलकर टाडा और पोटा दोनों को रिपील किया। कितने ही बेगुनाह लोग ऐसे कानूनों में गिरफ्तार किए गए, जिन पर आरोप साबित नहीं हुए। इस सदन में मौजूद उस पक्ष की तरफ बैठे हुए हमारे साथी बृजभूषण शरण जी पर भी टाडा का दुरुपयोग करके उनको जेल में रखा गया। ऐसा नहीं है कि इस देश में ऐसे कानूनों का दुरुपयोग नहीं हुआ है। इस देश में ऐसे कानूनों का दुरुपयोग काफी हुआ है।

महोदय, मेरा आखिरी पॉइंट और है। अभी तीन दिन पहले मेरे चुनाव क्षेत्र अमरोहा के कुछ लड़के तिहाड़ जेल से रिहा हुए। जब लोक सभा चुनाव डिक्लेयर हो रहे थे तो उससे एक महीने पहले एन.आई.ए. ने उन पर आतंकवादी होने का आरोप लगाया था। उन पर आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एन.आई.ए. ने कहा था कि उनकी दुकान में कार का चक्कर और जैक मिला है, उससे वे रॉकेट लांचर बनाना चाहते हैं। महोदय, कार के जैक से रॉकेट लांचर? ऐसे बेतुके आरोपों से गरीब और बेसहारा लोगों को इन कानूनों के तहत गिरफ्तार किया जाता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। एक बार फिर मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से अपील करूंगा कि ये जो यू.ए.पी.ए. में अमेंडमेंट बिल लाए हैं, इसको वे वापस लें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Hon. Speaker, Sir, I stand here actually with mixed feelings because there were two Bills which the UPA had got during the UPA regime. They are the NCTC Bill and the NATGRID Bill. I remember that at that time the hon. Home Minister Shri Chidambaram *ji* had put these forward and there were several States which had objected to these two Bills.

I would like to quote a few statements about this. At that time, the Chief Minister of Gujarat had shown some objections to this and he had said: "If you accept the responsibility of State Governments, then it is your (Centre's) duty to consult them before forming the laws." He further said: "In the past few years, the Congress-led UPA Government in Delhi is damaging the federal structure of India and because of this the country may have to face dangerous situations. Their (Centre's) latest initiative is that without asking or discussing with any State Government, overnight, they have tried to snatch away the responsibility of law and order from the States." He also said, "In these backdoor activities in which these are being done, it is not only one act but there are several such actions which are an attack on the country's federal structure." This is what was said by the then hon. Chief Minister of Gujarat; he had shown these objections.

So, I would like to ask for a clarification because I come from the State of Maharashtra which has seen the most devastating bombings in 2008. I have seen that pain. Terrorism is not something which is UPA *versus* NDA.

13.00 hrs

I think this entire House stands completely for zero tolerance against any illegal activities against this country. So, I do not think we have any conflict with the Government. We did even object then and we are not even objecting now, as long as we know there will be no people arbitrarily being arrested in this country. We need it for all to be targeted.

Sir, look at the things that are happening. अरुणाचल प्रदेश में एमएलए की मौत हो गई, छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि इतना बड़ा नक्सल अटैक हुआ। कभी-कभी तो मुझे लगता है कि शायद इस देश में हम लोग इनके लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी कम कर रहे हैं, why does it happen? एक आदमी भी मरे तो भी यह गलत चीज है। National security is the moral responsibility of any Government whether it is this side or that side. I do not think in this House anybody will object to it. And the only reason I have some concerns is this महाराष्ट्र में डेढ़-दो साल पहले पुणे डिस्ट्रिक्ट में कई राइट्स हुए थे और कई लोगों ने भाषण दिए थे, जो शायद सरकार को अच्छे नहीं लगे हों, इंटेलीजेंस ब्यूरो को शायद अच्छे नहीं लगे हों। I am not going into the merits कि ठीक था या नहीं था, उसके कारण हुआ कि नहीं, because I am not an expert on it nor do I have the data to prove either way. But I would like to talk about Shri Anand Teltumbde Ji. He was arrested. जब आनंद तेलतुंबडे जी को अरेस्ट किया था, तो there was no direct evidence. उनकी लिखी हुई जो किताब थी, उन्होंने जो लॉग्स लिखे थे, वॉट्स ऐप मैसेजेज़ कुछ लोगों को भेजे थे, उनका एक व्यू था, वह एक एक्टिविस्ट थे। आज तक प्रूव नहीं हुआ है कि वह एक टेररिस्ट थे। उनको गिरफ्तार किया गया था। अगर आप ऐसे कायदे लाएंगे तो अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो आईपीसी में 24 घंटों के भीतर दिखाना पड़ता है कि हमने इनको इसलिए अरेस्ट किया है। What will be the time frame to complete the investigation when you call

somebody even under suspicion? What will be your clarification on this? If the hon. Minister could explain to us when someone is arrested or reprimanded, then what will be time limit for their release? It has happened in my State. After Bhima Koregaon issue, people have been arrested and right now, they are out because the court has given them relief. So, we have no clarity. We are going by the data which is available either through social activist or in the media. So, if some clarifications come from the hon. Minister, it will make us easier to have clarity of how you are going to implement this because the sense of the House on this side is that this should not be arbitrarily used. I actually would like to even talk about what Meenakashi Lekhi Ji said. She was absolutely right. She was talking about fear. People do live in fear in India, more so, after 2008. I come from a city which was exceptionally resilient. Mumbai was about survivors but after 2008, people are scared. But I would like to disagree with her little. She said fear of God and fear of love. Why should we fear of God? We should love God and we should not fear. I understand the context you said about it but rules and legislations are made for people and treat people safe. I do stand corrected about what you said in your speech that this is to scare terrorism. But is terrorism going to stop by just one intervention like this? No, it is not going to. So, let us not isolate this.

Sir, I would like to point out one thing about which she talked about Mumbai. You will agree that it was a very complex case. We took a longer time because a lot of people were involved in it. This may expedite the process. So, I am not against it at all. If this is the way to curb terrorism, it is a welcome

step. Please attach properties. But I would like to say that the hon. Prime Minister, who was the then Chief Minister has raised these objections about cooperative federalism. Could you try to clarify this? Was it just because we were in UPA that you objected at that time? Or have you changed your mind? Then Mr. Chidambaram's stance, the decision he took five years back, vindicated. Maybe, had you agreed at that time to this, a few of these naxalite attacks would not have happened. I think in the interest of nation, please reconsider it. Please clarify the nation. We are with you as long as we are very clear that there will be no misuse of this against any of these people - socialists, activists and terrorists. These three groups are totally different. If there are terrorists, yes there should be zero tolerance. If there are activists, the beauty of leadership is to listen. A good leader is a good listener. The leader has to be just. He has to be fair and he has to listen to what his people are saying. If an activist disagrees with the Government, what is wrong? You should encourage. That is the beauty of India's democracy. So, I think let us not jumble in it.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): All I am saying is that this guy disguised as activist, indulged in terrorist activities. ...(*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : I agree with what my personal and learned friend Meenakashi Lekhi was saying. I agree with her that if the activist is a terrorist, we will whole-heartedly support you in stopping it because it is all our children and our country which is getting affected.

Even you were talking about looking at foreign bodies and looking at foreign countries. With several treaties—I will give you a small old emotional example for all of us— जब कनिष्क का प्लेन कनाडा में गिराया गया था ।, at that time, could we punish those people? We could not. I do agree that yes, we have several treaties. Could the hon. Home Minister clarify this? With several treaties, we have still not been able to go to a foreign land and arrest people. So, I think we need to strengthen our relationship which you are trying. I appreciate that. But what would be the roadmap? No activist, like it has happened in Maharashtra, should be harassed. Anand Teltumbde is a very classic example, where, maybe, it is misused. I have no evidence. I would like to go by what Meenakashi Lekhi Ji had said. But let it be fair and just; and no misuse of power should be done in this country. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : डॉ. वी.एन. बोरलाकुंता । यह एक अच्छे वक्ता हैं ।

DR. VENKATESH NETHA BORLAKUNTA (PEDDAPALLE): Hon. Speaker, Sir, under the guided leadership of our Telangana Chief Minister, KCR Ji and TRS Party President, KTR Ji, I would like to say that we are very particular about our national security and integrity.

Here, I would like to talk on three points. One is, under the Act, the Central Government may designate any organisation as a terrorist organisation that commits, participates in acts of terrorism, prepares for terrorism, promotes terrorism and is otherwise involved in terrorism. The Bill additionally empowers the Government to designate individuals as terrorists on the same grounds.

So, here I would like to tell the hon. Minister that a little bit more clarifications are needed between these organisations and individuals.

Second is related to section 25. Under this Act, an investigating officer is required to obtain the prior approval of the DGP to seize properties that may be connected with terrorism. The Bill adds that if the investigation is conducted by an officer of the National Investigation Agency, then the approval of the Director-General of NIA would be required. Here my suggestion is, whether it is the Head of the Department, that is, the Police Department headed by an IPS officer, whether it is the CBI headed by an IPS officer or the NIA headed by an IPS officer -- they all come under All-India Services -- the coordination and cooperation between the NIA Director-General and the State DGP is needed. Otherwise, it is taking away the rights of the States. So, I request the hon. Minister to kindly consider this suggestion because that is against the spirit of federal system.

And, third is related to section 43. Under this Act, the investigating officer shall be Assistant Police Commissioner or Deputy Superintendent of Police and above. Why did we make it so? Or, why was the Inspector rank officer included to investigate the case? So, kindly withdraw this that the Assistant Commissioner of Police and Deputy Superintendent of Police and the above rank officers needed to investigate the cases of terrorism. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष : इसी तरीके से बिल पर पॉइंटेड बात रखें ताकि अन्य माननीय सदस्य भी बोल सकें।

श्री एस.टी. हसन।

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूँ कि टेररिज्म एक ग्लोबल प्रोब्लम है और टेररिस्ट के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। लेकिन इस कानून पर मुझे तीन ऑब्जेक्शन्स हैं। एक इंस्पेक्टर लेवल का आदमी जो सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी को जेल भेज सकता है, प्रोपर्टी अटैच करवा सकता है। इससे हमें यह महसूस होता है कि मान लीजिए किसी गाड़ी या बस में कोई दाढ़ी वाला या टोपी वाला आदमी कार के कुछ पुर्जे लेकर जा रहा है।

उस पर यह शक हो जाए कि उसके पास रॉकेट लांचर है, उसके बाद उसको जेल भेज दिया जाए, तो यह कहां का इंसाफ है?... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय हसन साहब, प्लीज बैठ जाइए। हमें इस देश में कभी-भी उन सब वर्गों के लिए इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। वे देश में इतने सालों से रह रहे हैं और आज़ादी के बाद से भी रह रहे हैं। सभी हमारे देशवासी हैं। यह सवाल कभी नहीं उठाना चाहिए।

...(व्यवधान)

डॉ. एस. टी. हसन : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि हमने देखा है कि हालात क्या हुए हैं, पोट्टा में क्या हुआ, टाडा में क्या हुआ, उसमें कहीं न कहीं पॉलिटिकल वेन्डेटा भी हो सकता है। मेरा यह ऑब्जेक्शन है कि पूरी इंकवायरी के बाद ही किसी को मुजरिम या मुलजिम ठहराया जाए। मेरा एक और ऑब्जेक्शन इस बात पर भी है कि साइबर क्राइम हो या साइबर टेररिज्म हो, हम जानते हैं कि आज की तारीख में अगर दुनिया का मोस्ट सफिस्टिकेटिड नेटवर्क सिस्टम पेन्टागन हैक हो सकता है, तो मेरा और आपका मोबाइल हैक होने में कितनी देर लगेगी। अगर उस मोबाइल से कहीं कोई मैसेजेस वायरल कर दिए जाएं, तो मोबाइल वाला मुसीबत

में आ जाएगा। उसको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसकी प्रापर्टी भी सीज हो जाएगी। इसके लिए कुछ न कुछ प्रोविजन जरूर करना चाहिए, ताकि बेकसूर लोगों को इस तरह से फंसाया न जा सके।

महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वे लोग जो 20 से 27 सालों तक जेलों में रहे हैं, अगर इस कानून के तहत भी वे जेलों में चले जाते हैं, फिर वे अदालत से बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो क्या उस अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, जिसने उन लोगों को जेल में भेजा था? क्या उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? उसके खिलाफ भी कोई न कोई कानून बनना चाहिए, ताकि वह इस कानून का मिसयूज न कर सके और बेकसूर लोगों को जेल न भेज सके।

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Sir, I stand here to oppose the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill. My party has always been very serious about terrorism and has taken stern steps to curb it from time to time.

13.12 hrs

(Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

The amendments in the Bill intend to give absolute powers to the Government – the powers, which have a different interpretation of *deshbhakti*, different interpretation of secularism and different interpretation of terrorism. That is why, it has become more dangerous.

The idea behind this Bill is not to have a zero-tolerance policy against terrorism but to give such powers to the Government-owned agencies that are inclined towards violating citizens' basic human rights. The power of designating an individual as a terrorist on the basis of suspicion alone is

dangerous because it not only takes away the liberty of an individual and his family but the chances of finding the real culprit or association are lost.

A lot of innocent people might suffer because of it and they have suffered in the past. People have spent years and years in jails because of wrong implications. I would rather be happy, had the Government taken steps to give compensation or to give the Government jobs to such people who have suffered at the hands of these agencies.

This amendment will enable the National Investigation Agency (NIA) to label an individual suspected to have terror links as a terrorist. Currently only organisations and associations are labelled as terrorist organisations. The claim that difficulties are being faced by NIA in dealing with cases of terrorism by individuals have not been brought to light before. Hence, there is no substantive proof of difficulties faced due to which the Bill needs to be passed.

The Unlawful Activities (Prevention) Act has already been used to detain individuals without bail for long stretches of time even though 67 per cent of the cases have resulted in acquittal recently. This is according to the figures which have come up. The Act does not contain provisions for anticipatory bail. Allowing the addition of individuals is also a significant risk of grave human right violations.

In the current political climate, an emphasis on human rights will be seen as anti-national. बोलने में भी कभी-कभी घबराहट होती है। मैं यहाँ इसलिए देखकर पढ़ रहा हूँ कि गलती से कुछ जुबान से स्लिप न हो जाए।

The provisions of UAPA make it possible to use them against not just criminals and terrorists, but even authors, academics, lawyers, human right activists and doctors, as my doctor friend sitting here is saying.

The UAPA can become a weapon a choice to use against dissidents which allow the State to keep people in custody for extended period of time without bail. The bail provision is problematic since it allows for nearly indefinite imprisonment even without conviction of the accused, without any concrete proof. Even if the person is eventually acquitted of the charges, the delay in conducting judicial proceedings means that the case may only get heard several years after his arrest. Failure to get bail means that the person has to spend his entire time in jail. Acquittal might happen, but a considerable amount of time passes away and the person's life and the lives of his family members are ruined.

The burden of proof under UAPA is on the person accused. It is now for the person accused to prove his innocence. यह बिल्कुल हमारे संविधान के खिलाफ है और यह किया जा रहा है, इसमें सबसे ज्यादा रिस्क में कौन है, इसमें सबसे ज्यादा रिस्क में, हमारे एक सहयोगी ने कहा कि उनको 72 हूरो का प्रोविजन मिलेगा।

I object to his statement. मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि ऐसी शब्दावली यहाँ पर यूज़ नहीं होनी चाहिए। ये टारगेट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि

यह जो गवर्नमेंट है, इसकी देशभक्ति का भी अलग नजरिया है, टेरेरिज्म का भी अलग नजरिया है। इनकी कीपिंग ऑफ लॉ बिल्कुल अलग है।...(व्यवधान) मैडम, दो मिनट में समाप्त कर रहा हूँ।

इसमें माइनोरिटी सबसे ज्यादा खतरे में है। इसमें दलित सबसे ज्यादा खतरे में हैं। वे पीसफुल एजिटेशन करने से भी घबराएँगे। वे ट्राइबल्स खतरे में हैं, जो जमीन और जंगल की हिफाजत करना चाहते हैं। उनको खतरा है। यहाँ माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि इसमें आप हड़बड़ी न करें। इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजें और वहाँ से सुझाव लेकर करें और सच्ची नीयत से करें। हिन्दुस्तान का कोई आदमी नहीं चाहता कि यहाँ पर किसी तरह का टेरेरिज्म हो। इसलिए इसमें हमारा सुझाव जरूर मानें। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): सभापति महोदया, आपने मुझे अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय गृह राज्य मंत्री जी और अपने देश के प्रधान मंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने यह संशोधन लाकर पुनः एक बार जनता को आश्चस्त करने का कार्य किया है कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है। देश की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी कदम है, वे हम उठाएँगे। हमारी सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की नीति में विश्वास करती है। उसी का परिणाम है- यह प्रस्तावित संशोधन बिल। यह पहली बार संशोधन नहीं आया है। आप इस बात से अवगत है कि वर्ष 2004 में भी आया था, वर्ष 2008 में भी आया था और वर्ष 2013 में भी आया था। वह संशोधन अब एक्ट का पार्ट बन गए हैं, इसलिए मैं उन पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं समझता हूँ। लेकिन जो प्रस्तावित संशोधन है, उस पर मैं निश्चित रूप से अपनी बात रखूँगा। उसके पहले मैं दो दिन से इस बिल पर डिबेट सुन रहा हूँ। मुझे कभी-कभी लगता है कि एक पुलिस पदाधिकारी को लॉ स्ट्रिजेंट नहीं रहने पर कितनी कठिनाई होती है। उसे किस प्रकार से अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी पड़ती है और जब न्यायालय में मुकदमा चलता है तो किस प्रकार से एविडेंस इकट्ठा करके उनको प्रोसीक्यूशन में सफलता हासिल करनी पड़ती है। कल 303 की बात की गई।

मैं समझता हूँ कि 303 को सरकास्टिक वे में लेकर बात रखने का कोई औचित्य नहीं है। यह जनादेश के खिलाफ है, उसका अपमान है। सौ वोट आये, एक वोट आये, सौ सीट्स आये, 50 सीट्स आये, 52 सीट्स आये या 303 सीट्स आये, हम समझते हैं कि हमको इसका सम्मान करना चाहिए। इसके लिए किसी के अगेंस्ट में सरकास्टिक वे में बात नहीं रखनी चाहिए।

महोदया, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इस विधेयक में जो भी संशोधन किए गए हैं या प्रस्तावित हैं, वे प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हैं। जो इनवेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वह उसको अख्तियार देने से संबंधित है। इसके अलावा इसमें कोई विद्वेष की भावना निहित नहीं है। हम किसी विद्वेष की भावना से किसी एक्ट में कोई संशोधन लेकर आते भी नहीं हैं। आप यदि पहले

संशोधन पर गौर करेंगे, तो इसमें क्या है? इसमें सीज़र का अख्तियार दिया गया है, अटैचमेंट का अख्तियार दिया गया है। डीजी एनआईए को जो अख्तियार पहले उपलब्ध नहीं था, उसके लिए संबंधित राज्य के डीजीपी को लिखना पड़ता था।

महोदया, यह इंटरनेट बैंकिंग का जमाना है। यहां दस, बीस सेकेंड में, मैक्सिमम दो मिनट में फंड ट्रांसफर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तथा दूसरे से तीसरे व्यक्ति तक किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में यदि यह प्रोविजन लेकर आया जाता है, तो मैं समझता हूं कि इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। मैं खुद भी डीजीपी रहा हूं। इसमें अपने स्टेट की पावर को कम करने की बात कहाँ हो रही है या उनमें विश्वास नहीं जताने की बात कहाँ हो रही है? महज एक प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए यह प्रावधान लाया गया है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो भी इनवेस्टिगेशन होता है, उसमें समय का बहुत महत्व होता है। Time is essence. यदि विलम्ब होता है, तो निश्चित रूप से उस कांड के अनुसंधान पर उसका असर पड़ता है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर फर्क पड़ता है और प्रॉपर्टी को सीज़ करने और अटैच करने पर फर्क पड़ता है। मात्र और मात्र इस उद्देश्य के साथ इस प्रोविजन को लाया गया है या इस संशोधन को लाया गया है कि जो अटैचमेंट और सीज़र की प्रक्रिया है, उसका सरलीकरण किया जाए।

दूसरी, जो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, वह है इंडिविजुअल को टेररिस्ट डेजिगनेट करने का। हमारे देश में आज के दिन में कोई ऐसा कानून नहीं है, जिसके माध्यम से हम इंडिविजुअल को टेररिस्ट डेजिगनेट कर सकें। आप सभी को पता ही है कि मसूद अजहर को हम टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं कर सके, क्योंकि हमारे यहां किसी लॉ में यह प्रावधान नहीं था। उसके लिए सिक्थोरिटी काउंसिल, यूएन की सिक्थोरिटी काउंसिल के फैसले का इंतजार करना पड़ा। हम यह बता सकते हैं या समझ सकते हैं कि उसके लिए देश को, देश के प्रधान मंत्री जी को और एमईए को कितना प्रयास करना पड़ा होगा। यह तो आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का अन्य देशों के साथ संबंध और एमईए के प्रयास के चलते यह मामला अंतिम चरण पर पहुंचा है। हमारे ही देश में

पहली बार ऐसा प्रोविजन आ रहा है, यह बात भी सही नहीं है। इस तरह का प्रोविजन यूएसए, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन के देशों में है। जो आज सिविल लिबर्टी की दुहाई देते हैं, मैं उनसे दो बातें कहना चाहूँगा। एक बात तो यह है कि जब वर्ष 2008 में संशोधन आया था, तो उस समय देश के गृह मंत्री जी ने इसी सदन में अपने भाषण में यह कहा था, चिदम्बरम साहब उस समय देश के गृह मंत्री थे। उन्होंने कहा कि “Civil liberties have to be balanced with the need to fight terrorism.” यह अपने आप में स्पष्ट है। इसके साथ-साथ हमारा प्रशासनिक सुधार आयोग क्या कहता है, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में यह कहा है:

“There is definitely a need to have stringent provisions to deal with terrorism. The Commission also recognizes that there could be a propensity to abuse such provisions. However, when faced with the need to protect national security and integrity, there is ample justification for having a strong anti-terrorism provision in the law.”

In fact, many western countries with strong tradition of democracy and civil liberties have enacted such legislation to deal with the threat of terrorism. यू.के. टेररिज्म एक्ट, 2000 इसका जीता-जागता उदाहरण है। एक बात मैं यह भी कहना चाहूँगा कि शफी अरमान, जो आई.एस. का रिक्रूटर है, जो हमारे कर्नाटक के भटकल से आता है, उसे और हिज्बुल मुजाहिदीन के चीफ मसूद अजहर को अगर टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर किया जाए तो इन्हें क्या किया जाए?

मैडम, इसके साथ-साथ हमारे एक्ट में यह भी प्रोविजन किया गया है कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी व्यक्ति को अगर टेररिस्ट की सूची में डाला जाता है तो उसके पास इसके लिए विकल्प उपलब्ध है, जिसकी चर्चा हो रही थी कि कोई विकल्प नहीं है। यह विकल्प इसके सेक्शन-36 में उपलब्ध है कि वह ऑर्गेनाइजेशन या वह व्यक्ति अपने को डी-नोटिफाई करने के लिए केन्द्र सरकार के पास एप्लीकेशन दे सकता है। इतना ही नहीं, उसके बाद एक रिव्यू कमेटी

का भी प्रोविजन है। रिव्यू कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? उसके चेयरमैन हाई कोर्ट के सीटिंग जज या हाई कोर्ट के जज होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम किसी विद्वेष की भावना से इस एक्ट में संशोधन लेकर आए हैं, बल्कि हम इसलिए संशोधन लेकर आए हैं कि हम अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के हैंड्स को मजबूत कर सकें।

मैडम, एक और संशोधन हुआ है। पहले डी.वाई.एस.पी. रैंक के पदाधिकारी इस एन.आई.ए. के अन्तर्गत दर्ज कांडों का अनुसंधान करते थे। अब उस अनुसंधान के कार्य को इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी को देने की बात कही गई है। वर्ष 2008 में एन.आई.ए. का गठन हुआ था। आज उसके दस साल बीत गए। दस साल बीतने के क्रम में आज जो इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी हैं, उन्होंने अनुसंधान में दक्षता हासिल की है, निपुणता हासिल की है। आप एक बात और जानिए कि डी.वाई.एस.पी. रैंक के जो पदाधिकारी होते हैं, उनका मुख्य काम सुपरविजन का होता है। सुपरविजन एक ऐसी चीज होती है, जिसके अन्तर्गत वे आई.ओ. को कभी भी किसी साक्ष्य को एकत्रित करने के लिए, उस इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्शन देने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं। इसलिए डी.वाई.एस.पी. के ज्यादा हैंड्स उपलब्ध रहें और ज्यादा बेहतर ढंग से अनुसंधान हो सके, इस उद्देश्य के साथ इस प्रोविजन को लाया गया है, न कि डी.वाई.एस.पी. के रैंक को belittle करने के उद्देश्य से लाया गया है। हमारे पास कितने इंस्पेक्टर्स, कितने डी.एस.पी. की आवश्यकता है, यह तो एजेंसी जानती है और नैचुरली एजेंसी ने इस पर बात करके ही इस प्रावधान को लाने की सिफारिश की होगी।

मैडम, मैं उस शिड्यूल की बात करना छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आतंकवाद दुनिया में अपने पैर पसार रहा है। आज दुनिया के बहुत सारे देश आतंकवाद से प्रभावित हैं, ग्रसित हैं। The Institute for Economics and Peace and Global Terrorism Index में एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि पूरी दुनिया में वर्ष 2013 के बाद ऐसी घटनाओं में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हम किस दिन का इन्तजार कर रहे हैं?

मैडम, ऐसी परिस्थिति में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेन्शन एक्ट, 1967 में प्रस्तावित प्रावधानों का समर्थन होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। यह देशहित में है, इसलिए मैं इसे अपना समर्थन देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Madam, I oppose this Bill on the pertinent reasons which I am going to state in brief. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Basheer, just one minute. There are still some Members who want to speak. So, we are giving three minutes to every Member.

So, I am just informing everyone that I will ring the first bell after three minutes.

AN HON. MEMBER : Madam, kindly make it five minutes.

HON. CHAIRPERSON: No, it is not possible.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER: Madam, if we examine the past experience of implementing the UAPA, then we will be fully convinced that this legislation was ruthlessly misused in this country. The speakers who spoke before me have also stated about this point.

A meticulous reading of this amendment Bill will also prove that this is more dangerous than TADA, POTA and AFSPA. If this Bill is passed, then it will place extra-arbitrary, dictatorial, fascist and draconian powers in the hands of the Government, which is more dangerous.

Now, I am coming to the Bill in brief. I would like to state that in addition to the powers vested in the Government to designate an organization as a

terrorist organization, this Bill additionally empowers the Government to designate individuals as terrorists on the same ground as specified in the parent Act.

This Bill also says that if the investigation is conducted by an officer of the NIA, then the approval of the Director-General of NIA would be required for seizure and attachment of property. As per the parent Act, prior approval of the DGP was needed for it. This would give an open general license for the NIA to go to any State and do things according to their wish and pleasure. This needs to be objected as it is against the structure of cooperative federalism. This Bill empowers the officers of NIA of the rank of Inspector or above to investigate a case in addition to officers of the rank of Deputy Superintendent or Assistant Commissioner of Police or above.

This Bill also widens the scope of terrorism. This Bill also empowers the Government to add or delete organization or individual from the list of terrorists. All these additional powers show that the Government's true desire is to place extra-judicial and extra-Constitutional powers in the hands of the Government. This issue has also been discussed in detail by my previous speakers. Therefore, I do not want to use much time on it considering the constraint of time at my disposal.

I would like to mention one more point. There are certain hidden dangers in this Bill. If we go through the various clauses of the parent Act and this amendment Bill also, then we will come to know that even an ideology or any organization of the Government's dislike can be banned on flimsy grounds

even if they are not involved in any kind of terrorist activities. Even keeping a literature of your dislike or policeman's dislike can be fabricated as an offence under this Bill. There is another danger in it, namely, democratic right for dissent, opposing, freedom of expression or even shouting a slogan can be fabricated as an offence as per the definition of the Bill. I would like to mention only one more point here. Even muzzling the freedom of Press can be done in this way, as a particular interpretation, according to the liking of the police officers.

Finally, this will end up as a 'lawless law'. This is going to happen with regard to this law. Hence, everybody, including the Home Minister, should learn lessons from the past experience. I am humbly urging the Government not only to withdraw this Bill, but also to come forward to repeal the original Act and totally repeal the UAPA. Thank you.

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Thank you, Madam, for giving me an opportunity to express my grave concerns on the UAPA Bill, 2019.

There is no doubt that terrorism is the greatest threat to humanity. Therefore, we need to have strong laws to protect our country from terrorism. We have strong laws against it, but I am sorry to say that all these laws were largely misused by the successive Governments. Unfortunately, the UAPA, 1967 is no different from the others.

I support all the views submitted by the Opposition. I am not repeating them. Madam Chairperson, in your speech, you have successfully justified the need for amendments but failed to explain the thousands of instances of misuse. I would like to go through the instances of misuse to some extent. There are clear cut evidences to show that the growth of terrorism is sponsored by the international weapon manufacturers and their agents. We often forget that it is the root cause of terrorism. The equation is simple. More terrorist activities mean more defence budgetary allocations.

The Bill seeks to allow an individual suspected to have terror links to be designated as a terrorist. What is the real picture of our anti-terrorist laws? Under the National Security Act, a suspect charged can be detained for up to two years, without a charge sheet. It is widely being misused in Uttar Pradesh against those allegedly involved in cow slaughtering. In January, 2019, in Bulandshahar district of Uttar Pradesh, three people were accused of slaughtering cows and were arrested. Today's *'The Hindu'* reported that the Madhya Pradesh Government invoked the NSA against milk adulterators. I

don't know whether the Food Adulteration Act will come under the ambit of the NSA. I would request the hon. Home Minister to please explain whether killing of cows are considered as crime that threaten the security of our country.

About the TADA and the POTA, it is shocking that in 1994 more than 70,000 people were arrested under the TADA. In 1990, 5,000 people were arrested under the TADA in Gujarat. Target of the TADA is terrorists. Instead of terrorists, people like trade unionists, activists, political rivals and journalists were brought under the purview of this Act. A meat seller in Gujarat carries just a knife. As you know, it is a professional tool. Even children were charged under the TADA. A 12-year old boy, Paresh Khalifa Pasha, was charged for inciting trouble against the State. There are many instances. Due to lack of time, I am not going into them.

It is true that both the Acts were repealed due to arbitrary powers and widespread misuse. Again, the UAPA law has been abused by recurring Governments to target defenders of human rights defenders who are working with the poor and marginalised communities, and those who criticise Government's inaction or excesses.

Sule *ji* spoke in her speech about the activist, Gautam Taldumande. On the other hand, the Government is adopting soft approach towards extremist Hindutva organisations. I have a news item published in '*Mathrubhumi*', which reveals about the forensic report of the investigation of the Karnataka Police as proof. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : You can't quote the news item.

ADV. A.M. ARIFF: M.M. Kalburgi, Gauri Lankesh, Govind Pansare, Narendra Dabholkar were killed by using..... ..(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Ram Mohan Naidu.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, Madam Chairperson, for giving me the opportunity to speak on the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill.

First and foremost, on behalf of my Party, and our beloved leader, Chandrababu Naidu *Garu*, I would like to state, through you, Madam, that any legislation to stop terrorism that comes before this House, we were supporting, we are supporting now, and we will support in the future also.

We also appreciate the statement made by the Home Minister, Amit *ji* also during his reply on another Bill where he said that terrorism is neither left nor right, and terrorism does not have any religion or colour or gender. We appreciate the statement that has been made. We also request him to implement it in true letter and spirit.

Coming to the Bill, one of the most important amendments that this Bill makes is that it empowers the Government to designate individuals as terrorists. Many people have spoken for and against this clause. But definitely we see that there is a unified spirit to fight terrorism that has come across the House and also across the country because it is the need of the hour today. India has been a victim of terrorism time and again. We have seen in the

recent attack in Pulwama where 40 security forces of this nation were killed. Definitely it needs a stronger stand from the Government side and from the side of the country also.

But what seems to be the problem here is, I would like to place some statistics, that in 2015, 65 out of 76 cases in which trials were completed under the UAPA ended in acquittal, and in 2016, 67 per cent of cases under the UAPA ended in acquittal. This is a matter of concern. More than 50 per cent of the cases which were registered under the UAPA have been acquitted.

Though we are making a law which is trying to make it difficult for the terrorists to escape and easier for us to capture the terrorists, this Bill, where we designate individuals as terrorists, makes it even harder for the innocent who gets suppressed under this Act to come out. We have seen such instances also. Earlier, there was TADA, POTA and similar legislations which were draconian laws. Even the hon. Supreme Court has said that these are much more powerful laws and there needs to be safeguarding provisions in place.

Taking forward the point of safeguarding provisions, I would like to request and suggest to the Government also. Whenever there have been such cases of innocent people being subjected to this kind of laws, they are proven not guilty, they are acquitted, but they lose their time and they become social outcast today. Therefore, in this kind of situations, it is the responsibility of the Government to provide proper rehabilitation and compensation so that they can get back to their normal lives.

Madam, the Government is making NIA more and more powerful. Even through the NIA Act, they are allowing the DG of the NIA itself to seize the property and everything without the permission of the DGP. So, as we are making NIA more powerful, somewhere we also need to keep a check on the accountability and how NIA is working. With this kind of system, there seems to be nothing in place. We can say that there is a human error when some suspect has been brought under the UAPA. But if the human error becomes a habit, it may be prejudiced or it may be based on what the statistics of the police or NIA show, then definitely, the Government should ensure a proper monitoring system to see how the NIA is being accountable.

Some of the other points that other hon. Members have raised are that the SCs, STs and minorities have been the major proportion of the people whether they are in the jails or those who are tried. I definitely request the Government to speak with the Commission for the Minorities and SCs/STs and see why this is happening and why exactly these groups of people are being in this kind of situations.

I am coming to my last and the foremost concern. It has been my personal observation also that when someone criticises the Government, it is being portrayed as criticising the country itself. Madam, you also know that these are two different things. In this kind of a situation, one can love the country and can still criticise the Government. It is not sedition but it is the right of the individual to criticise. Therefore, I request the Central Government not to mix these two things and appreciate criticism when it comes to the betterment

of this country and ensure that there are proper legislations in place and no misuse is being done.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Madam, I stand to oppose the Bill because by bringing such a Bill, the Government is disrespecting our freedom fighters. The freedom fighters wanted the country to be independent from the clutches of the British not only for independence but to ensure that we have due process and we follow rule of law. This is what the Government is attacking.

Madam, this Bill violates articles 14 and 21. The Government is taking over the judicial independence which is guaranteed under article 50. You are a lawyer, Madam Chairperson. Now, as the present law stands, if I am called a terrorist, I can only be called a terrorist after a court convicts me. It cannot be on the basis of the feeling of the Government or on the mere suspension. I have to be given a judgment by a court of law, then only I am called a terrorist.

Now, what this Government is doing? They do not have any bona fide. They suspect on your feelings, you call 'X' a terrorist, and there may not be many legal consequences but social ostracization is there – police knock at 2 a.m. in the morning, the people in the area tell the resident, "please vacate the flat or the house because you are called a terrorist". What is the procedure? Madam, in Section 35, the Government says, "We will call you a terrorist", in Section 36, I appeal, the Government rejects it. Then the Government forms a Review Committee, the review committee rejects it. Where is the independence?

HON. CHAIRPERSON: Then you have judicial review. Judicial review is also there.

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Madam, you are absolutely right. I agree with you.

Madam, you know very well the seminal case of V.G. Row. When it came to 'unlawful association', the Supreme Court said that designation without a judicial review was unconstitutional. Here there is no judicial scrutiny. You know the case of Maneka Gandhi. Not following judicial scrutiny is against the principles of natural justice. What will happen is you will be destroying an Indian's reputation, freedom and personality without following the procedure laid down by CrPC.

Secondly, clause 11 of the Bill seeks to insert 'as amended from time to time'. Where is the Parliament's sovereignty going? You are saying that any international law would be implemented! A law subscribing punishment has to be passed in our Parliament. You are outsourcing your nationalism to some international convention! Is this the nationalism of the Government? I strongly oppose this clause 11. It undermines the dualist nature of the Indian polity.

Thirdly, we talk about international law. Madam, you know for a fact that we have signed and ratified ICCPR and ICHCR. What do they say? They clearly say that a fair trial is required. Here under the UAPA Bill, presumption of guilt is on the accused. Even if I am silent, that is taken as my guilt. That is a clear violation of ICCPR Article 14. Please look into it. You do not talk about that!

You talk about Security Council Resolutions. Security Council Resolution 1373 clearly says that you cannot violate ICCPR. Security Council Resolution

1535 says that any law you make to counter terrorism must comply with international human rights. Again, you violate it.

This is my fourth point. You say you have zero tolerance for terrorism. May I ask the hon. Home Minister very respectfully, what about your zero tolerance towards miscarriage of justice? There is a recent example. Three days ago, four boys from Amroha were released by NIA after they spent seven months in custody. Now, will you suspend those officers? You cannot suspend them. ...*(Interruptions)* Madam, please allow me some more time.

HON. CHAIRPERSON: I have already given you an extra minute.

SHRI ASADUDDIN OWAISI: I request you, Madam, please give me two-three minutes.

There are 197 CrPC, 45(1) CrPC, which do not allow suspension of officers. What is the remedy for me? It is only Article 311. Will you suspend those NIA officers? No, you will not do that. And I blame the Congress party for this. They are the main culprits for bringing this law. When they are in power, they are bigger than BJP; when they lose power, they become the big brother of Muslims. That is my tragedy. They have made such laws that you come and take them to their logical conclusion.

My fifth point is on seizure of property. Please again see, where is the judicial scrutiny? Can a policeman apply a judicial mind? No. Then you are violating federalism. How can NIA take the State property? That is a violation of federalism.

As regards bail, I will not get bail because I have to satisfy the court that I am innocent. May I point out to you the Supreme Court judgment in Nikesh Tarachand case of 2018? The bail provision in this Act and the PML Act are completely *ad verbatim*. The Supreme Court said on PMLA that it was drastic, draconian, it reverses the presumption of innocence. Will you follow that Supreme Court judgment? We do not know.

Madam, Section 58 was there in POTA. Again, Congress party was responsible. I pleaded with ... * from here not to pass this law. But I was told that I did not know about national interest. Now Congress Party sits here and sermonises. They did not even send that 2008 Bill to the Standing Committee. Who are the victims? I wish and pray that a topmost Congress leader should go in under UAPA and spend at least ten months. Then they will realise. Then they will realise my pain. ...(*Interruptions*)

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Madam, I am on a point of order.

HON. CHAIRPERSON: In any case, Mr. Owaisi's time is up.

SHRI ASADUDDIN OWAIISI : Madam, I am concluding.

HON. CHAIRPERSON: Tell me the Rule.

SHRI GAURAV GOGOI: The same rule you read some time ago, Madam. I ask for the same privilege that hon. Member of Parliament Ahluwalia Ji got. It is under the same rule. Any defamatory statement should not be allowed.

HON. CHAIRPERSON: Let us go over the rule.

* Not recorded.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): माननीय सभापति जी, यदि इस तरह से ऑब्जेक्शन मानेंगे, ऐसे तो पूरा भाषण ही यूएपीए का खत्म हो जाएगा। यह तो पूरा भाषण ही सरकार के खिलाफ है। There is no rule ...(*Interruptions*)

SHRI ASADUDDIN OWASI: Madam, can I conclude?

HON. CHAIRPERSON: Just conclude. We will go over the record and take a call on that.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: We will take a call on that.

... (*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अभी ये सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, तब तो आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। जब ये कांग्रेस के खिलाफ बोलने लग गए तो आपने ऑब्जेक्शन किया, यह कैसे उठा?...(*व्यवधान*)

SHRI ASADUDDIN OWASI: Madam, can I conclude? ...(*Interruptions*) Let me conclude. You can examine it. ...(*Interruptions*)

SHRI GAURAV GOGOI: Madam, under Rule 353, it should be expunged. It is defamatory. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Gaurav Ji, I am taking your objection on record. We will go over the record and take a call on that.

... (*Interruptions*)

SUSHRI MAHUA MOITRA : Madam, you need to read the Rule yourself. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: He remembers the Rule. I need not read it.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please be seated. Let Mr. Owaisi speak. Mr. Owaisi please conclude in two lines.

SHRI ASADUDDIN OWAIISI: Madam, I am concluding in two minutes.

HON. CHAIRPERSON: No two minutes, two lines.

... (*Interruptions*)

SHRI ASADUDDIN OWAIISI : Please, I plead with you. If I do not put forward my pain over here, where should I go? Please tell me. I have been a victim of this Act, Madam, not these people, I have been a victim. My livelihood has been destroyed. Please give me two minutes. I plead with you. ...(*Interruptions*) Madam, I am concluding. I do not want any respect from Congress Party. I do not want it. I am good enough for that.

HON. CHAIRPERSON: Mr. Owaisi, just conclude. You please talk about UAPA, nothing else.

SHRI ASADUDDIN OWAIISI: Madam, in this law, we have created a world record. The police detention is for six months. Nowhere in the world it is like this. In U.K., it is 28 days; U.S.A., the oldest democracy headed by a ... *
...(*Interruptions*) *

Madam, the Home Minister wants tough laws. May I ask the hon. Home Minister, were you the Home Minister when Akshardham incident took place? Four boys lost eleven years in jail. No one knows who killed those people in

* Not recorded.

Akshardham Mandir. But there were four boys who lost eleven years in jail. That is why I say that IPC is good enough. A bad craftsman will blame its tools.

I conclude by saying that we endorse Universal Declaration of Human Rights. In Universal Declaration of Human Rights, it is said that man has a right to rebel against tyranny. These laws will force people to rebel against tyranny. You are following in the rightful steps of Congress Party. I welcome that. You have seen their state. It is up to you.

I conclude by dedicating this speech to those people who have lost their livelihood under the draconian Act. "History will absolve me", as Castro said. I hope that this Government will have a zero tolerance against miscarriage of justice because we have not got justice from either BJP in power or Congress in power. All such draconian laws have only been used against Muslims and *Dalits* which has been very unfortunate. I condemn both of these parties.

Thank you, Madam.

...(Interruptions) ...*

HON. CHAIRPERSON: It will not go on record. None of this will go on record.

* Not recorded.

SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): Madam, thank you for giving me this opportunity. I strongly oppose the Bill. While doing so, I have urged to refer to some MPs who spoke in favour of the Bill. They spoke so-spiritedly about patriotism. What is patriotism? It is love and devotion towards the nation. Nation is not just the land, trees, mountains and rivers within the geographic boundaries. Nation is the heart and soul of the 128-crore people, their beliefs, their faith, their aspirations, culture, ethnicity, etc. But this Bill that aims to alienate a section of the people of India, to provoke one section against the other and create terror and chaos has all that is antithesis to patriotism.

I oppose this Bill in the most certain terms for the following specific reasons:

Firstly, it is motivated and vindictive in its intent and content. It is draconian because its aim is to designate an individual as terrorist. This is excessive in relation to the measures required to curb terrorism. This is an affront to the Fundamental Rights of citizens and their right to a fair trial. Amending the Act to obtain permission from the Director General of National Investigation Agency instead of the DGP to seize the property and conduct investigation is again a serious infringement on the federal system. The law and order is a State subject.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI K. SUBBARAYAN: Secondly, this Bill seeks to give powers of investigation to an officer of National Investigation Agency in the rank of an inspector. This is empowering even the lower level officers of National

Investigation Agency in order to create a militarized atmosphere and turn India into a virtual police State.

The last but the most dangerous objective of this Bill is that it aims to target the Muslim minorities. It will facilitate selective and discriminatory usage to apply any offence not even remotely with terrorism to harass individuals from Muslim community within a second.

HON. CHAIRPERSON: You are reading it; I will allow you to lay it.

SHRI K. SUBBARAYAN : We are committed to end terrorism of any sort. But this Bill will only increase incidents of the right-wing terrorism in the name of curbing terrorism. This Bill will alienate the Muslim minorities and it will harass and threaten them.

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Hon. Chairperson, thank you for giving me the opportunity to speak on the Unlawful Activities Prevention (Amendment) Bill, 2019. I also welcome and support the statement by our hon. Home Minister Shri Amit Shah.

Before expressing my views on this Bill, I would like to quote from the speech of our hon. Prime Minister during his participation in BRICS leaders' meet and G-20 summit held in Osaka, Japan: "Terrorism is the biggest threat to humanity. It not only kills the innocent, but also severely affects the economic development and social stability." During that time, our country along with other BRICS nations committed to prevent financing of terrorist network and terrorist acts from their territories and to combat the terrorism and illicit financial flow.

I view this amendment as a result of the strong commitment of the Central Government to combat terrorism. Terrorism does not have any religion, race, region or any political parties, but it is the biggest threat to the society. Our country comes in 8th place in global terrorism in that ours is one of the most affected countries by terrorism during the last 10 years. Major efforts have been taken to combat this social evil that has been experienced by the nation.

Even though it is a welcome step by the Government, I express my concern that the innocent citizens should not be affected. The Government should ensure the protection of Fundamental Rights of every citizen of our country. I also suggest the Government to give necessary direction to the NIA

to undertake the background search of the individual before taking any action against him. I request the Government to initiate a plan of action to protect our youth from being lured by anti-social elements.

Finally, there is a responsibility on the Government to create awareness programme among young generation informing them about the impact of terrorism and its consequences in case of any involvement.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. I have got a few more new names.

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR: I support this Bill with the suggestion that the Government should ensure the protection of the innocent people and their Fundamental Rights while taking action as per law to place our nation under the shield of safety and security. Thank you.

14.00 hrs

* **SHRI THOL THIRUMAA VALAVAN (CHIDAMBARAM):** Madam Chairperson Vanakkam. I strongly oppose the Bill. This Bill should be completely withdrawn. In the name of checking terrorism, this Act is used by the Government to impose terror against the people, democratic forces, intelligentsia, media persons. This is an act to punish those who are against the Government. This Act is too dangerous as it can be used against individuals to take vengeance against them. Therefore the Government should withdraw this Act completely. I urge that this Act should be implemented . This Act was used against individual organizations so far. Now there is an effort to use this Act against

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

individuals. Because, intelligentsia, democratic forces, and media persons, if they were critical and go against the terrorizing face of Government, if they bring to the fore the Sanatan Dharma politics, if they display the real face of Government in the minds of people, to check them and to suppress them this amendment is being brought to this Act. So far this Act was used only against the Organizations. Now any individual can be brought under the purview of this Act. Intelligentsia who are not part of any Organization can also be targeted. This amendment is therefore too dangerous. It will lead to destruction of the real fabric of democracy. In any scenario, this Act should not be brought into force. I strongly oppose this Bill. This amendment Bill should be referred to the Standing Committee of Parliament. This should never be brought for implementation. Persons like Gowri Lankesh have been killed. There was no action against those who were responsible for killing of these persons. Intelligentsia, democratic forces and minority people like Gowri Lankesh, Narendra Dabolkar, Govind Bhansare are all affected very much. I therefore say that This Unlawful Activities Prevention Act is being misused by the Government. Thank you.

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली): सभापति महोदया, सबसे पहले, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Only Shri Delkar's statement will go on record.

...(Interruptions)... *

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर: सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया । हमारे देश में जो आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं, उनको बन्द कराने के लिए सरकार जो अमेंडमेंट बिल लेकर आई है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । ... (व्यवधान)

मैं भारत सरकार के गृह मंत्री अमित भाई शाह और गृह राज्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ । इस देश में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, जो आपराधिक गतिविधियां हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए, उनको बन्द कराने के लिए और इनवेस्टिगेशन सरल तरीके से हो, यह सोचकर आप यह बिल लाए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ ।

मैडम, मैं माननीय सदस्य महोदया मोइत्रा जी की बात सुन रहा था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इस देश में क्या हो जाएगा, उनका इतना भयभीत करने वाला स्टेटमेंट था । हम सभी को समझना चाहिए कि यह अमेंडमेंट बिल आतंकवादियों के खिलाफ है, जो लोग देश के खिलाफ गतिविधियां करते हैं, उनके खिलाफ है । यह बात हम सभी को समझनी चाहिए । इसलिए यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार का समर्थन करें । हम सरकार को मदद करें, यह हम सबकी जिम्मेदारी है । जिस ढांचे के साथ यह अमेंडमेंट बिल लाया गया है, यह बहुत जरूरी है । हम लोग समझते हैं कि हम अपने देश में सैनिकों को हथियार देते हैं, बन्दूक देते हैं, उसके पीछे हमारी मंशा क्या है? उसके पीछे हमारी मंशा यह होती है कि बन्दूक चलाना तो लास्ट ऑप्शन है, लेकिन

* Not recorded.

बन्दूक देखकर अपराधी में यह डर होना चाहिए कि मैं जो अपराध करूंगा, उसके पीछे मुझे क्या परिणाम मिलने वाला है।

इसका निर्णय क्या होने वाला है, यह डर अपराधी को होना चाहिए, इसलिए हम सैनिक को बन्दूक देते हैं। इस बिल को जिस स्वरूप में लाया गया है, उससे अपराधी और आतंकवादी को यह लगेगा कि इस बिल से मुझे क्या सजा मिलने वाली है, उनको पहले से ही डर हो जाना चाहिए ताकि वे अपराध करने से पहले रुक जाएं।

मैडम, मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो-जो निर्णय लिए गए, उनकी वजह से आज देश में आतंकवादी गतिविधियां कम हुई हैं। चाहे वह पुलवामा कैम्प, एयर स्ट्राइक या उरी का मामला हो, भारत सरकार की तरफ से सही स्टेप्स लिए गए हैं।

मैडम, मैं इंडिपेन्डेन्ट चुन कर आया हूं और इंडिपेन्डेन्टली मैंने यह सोचा, यह देखा और इस बिल को पढ़ा तो मुझे लगा कि सरकार ने सही बिल लाने का काम किया है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैडम, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल जी, आपके पास बोलने के लिए एक मिनट है।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): मैडम, आप मुझे बोलने के लिए दो मिनट का समय दे दीजिए।

सभापति महोदया, गैर-कानूनी गतिविधियां, रोकथाम संशोधन विधेयक सदन में लाया गया है। हमारा देश इस समय आतंकवाद के विरुद्ध बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और अगर विश्व में मजबूती से आतंकवाद पर कोई शिकंजा कसने का प्रयास कर रहा है तो वह हम हैं और हम अमेरिका के बराबर चले गए हैं। यहां हमारे विपक्ष के साथी बोल रहे थे, उन्होंने रट पकड़ ली है कि, ये गलत ले आए। यह भी नहीं होना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी, मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वह यहां विराजे हैं, इससे पहले एनआईए का जो बिल लाए, निश्चित रूप से एनआईए का बिल लाने के बाद, यह संदेश पूरे विश्व में गया कि हिन्दुस्तान की एनआईए एजेंसी मजबूत है। अगर यहां कोई गड़बड़ करके भागेगा और दूसरे देश में छिप जाएगा तो उसको भी पकड़ कर लाने के लिए एनआईए को मजबूत बनाया गया है। मैं अमित शाह जी को धन्यवाद दूंगा। इस बिल के संबंध में जो हो-हल्ला कर रहे हैं, इनका काम है कि हो-हल्ला करके अखबार में छप जाओ, यही इनका काम है। यह ऐसी बातें कर रहे हैं।

सभापति महोदया, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का ही यह परिणाम है कि वर्ष 1998 में जब अटल जी की सरकार थी तो हम ने परमाणु विस्फोट किया। तब अमेरिका ने परमाणु विस्फोट करने से मना किया था। उन्होंने कहा कि हम भारतीय हैं, डरते नहीं हैं। परमाणु विस्फोट करके पूरे विश्व को संदेश दिया कि हम ताकतवर हैं और वर्ष 2014 से 2019 और 2019 से 2024 के बीच आतंकवाद पर काबू पाने के लिए प्रयास हमारे गृह मंत्री जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब भारत आतंकवाद से मुक्त हो जाएगा। पाकिस्तान को भी आतंकवादी देश घोषित कराने के लिए, यह इनकी बड़ी लंबी सोच है। वर्ष 2022 तक पाकिस्तान आतंकवादी देश घोषित हो जाएगा।...(व्यवधान)

सभापति महोदया, इस देश में कांग्रेस के लोगों और विपक्ष के लोगों ने आतंकवादियों को पनपाया है।...(व्यवधान) हमेशा आतंकवादियों को पनपाते हो।...(व्यवधान) आपका यही काम रह गया है।...(व्यवधान) इतने-से कोने में आ गए।...(व्यवधान) अगली बार वहां होंगे।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : पाकिस्तान का कोई समर्थक नहीं है। हनुमान जी, आपका समय समाप्त हो चुका है। आप बैठ जाइए।

श्री कार्ती पी. चिदम्बरम

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Thank you, hon. Chairperson, Madam.

Madam, I would just like to understand the rule. Can I refer to your yesterday's speech?

HON. CHAIRPERSON: Yes, sure, you can.

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM: When the hon. Speaker invited you to speak, he only referred to you as a Lawyer. But he forgot to refer to you as a fiction writer as well. I mean an aspiring fiction writer.

HON. CHAIRPERSON: The book is yet to be released.

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM: That is why, I said 'aspiring'.

Madam, many erudite speakers have spoken before me and have raised the points as to why they have opposed the amendments to the Bill. Shri Pinaki Misra and I am sure, Shri N.K. Premachandran also have pointed out the nuances as to why the amendments need to be opposed, particularly, the centralisation of power in the hands of the Central Government and the federal structure and individual liberty being violated. This is the trend of every Government. Every Government wants to centralise the power. Every Government thinks that if it has a tougher law, it will be able to handle terrorism. But the fear is: what if there is not an enlightened Government?

I know the Government is here and the Ministers are here. They all assure us that this law would not be misused. I am sure that you have the mandate, you also have the wisdom and you also have the magnanimity not to misuse this law. But what if there is a less enlightened Government in the

future? Will they be able to misuse this law? Are you putting processes in place in which this misuse will not happen? That is the real crux. Had this law been there earlier, would you have been able to prevent Pathankot? Had this law been there earlier, would you have been able to prevent Pulwama? That is the question, you must ask.

Every Government always thinks that it needs more and more tougher laws, more and more centralised laws and more and more laws in which it can control people. But what have been the results of it? Have they been able to prevent terrorist attacks because they have tougher laws? We do not think about that. But we do have to measure individual liberty as well. We cannot give up individual liberty.

Many of the people in the Government today came up as activists. You cannot deny that. You came up as activists and you have fought Governments in the past. You have been activists. What if the tables are turned today? What if, as you said, activists are masquerading as terrorists or a terrorist masquerading as activist. They need to be dealt with. That is why, you need this law. Please think about it. Please think about the journey, the members of your Government have taken. Please keep that in mind. The boot can always be on the other foot. While we need to fight terrorism, let us also balance individual liberty. That is what is at peril here.

Thank you very much.

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): सभापति महोदया, मैं सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी का और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक के बाद एक आतंकवादियों के खिलाफ, आर्थिक अपराधियों के खिलाफ और मानवता के दुश्मनों के खिलाफ एक से एक कानून बनाकर उन्हें लागू करने का काम कर रहे हैं। मैं यूएपीए में अमेंडमेंट बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं बातों को रिपीट न करते हुए कुछ प्रैक्टिकल बातें कहना चाहता हूँ। टैरिस्ट जो हैं, वे कॉमन क्रिमिनल्स से डिफरेंट होते हैं। उनका इन्वेस्टिगेशन करना बहुत कठिन काम है। आज के समय में टेक्नोलॉजी का अलग तरह से यूज होता है और इसका इंटरनेशनल डायमेंशन है। टैरिज्म एक अलग तरह की दुनिया है, जिसे डील करने के लिए हमें अलग तरह के कानून चाहिए। कुछ लोगों ने कहा, कार्ती जी ने भी कहा और कल श्री मनीष तिवारी जी ने भी कहा कि कड़े कानून की जरूरत क्या है। राज्य सभा में चल रहा है कि पॉक्सो की क्या जरूरत है। अभी हमने मोटर यान संशोधन विधेयक पास किया है। जो आदमी दस लाख की गाड़ी खरीदता है और ट्रैफिक लाइट जम्प करता है, क्या उसके लिए 50 रुपये के फाइन की कोई वैल्यू है? जैसा अपराध है, उसी के हिसाब से कानून बनाने की जरूरत है। कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं कि एक किसान के खेत को एक तरफ हाथी खा रहा है और दूसरी तरफ खरगोश खा रहा है, तो दोनों को एक-एक डंडा लगा दो। एक डंडे से हाथी का कुछ होगा नहीं और बेचारा खरगोश मर जाएगा या उसकी टांग टूट जाएगी।

महोदया, जो संगठन यह कहते हैं कि *power comes out of the barrel of the gun*. जो अवैध हथियार लेकर घूमते हैं, क्या उनसे हाथ जोड़ कर बात करेंगे? अलकायदा सारी दुनिया के टैरिस्ट्स को कंट्रोल करता है, उसका मैनुअल मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वर्ष 1988 में ओसामा बिन लादेन ने यह संगठन बनाया। अलकायदा के लोग कहते हैं कि -

“We do not believe in advices or suggestions. The confrontation we are calling for knows the dialogue of bullets, the ideas of

assassination, bombing, destruction and the diplomacy of the cannon and machine guns.”

क्या हम उन लोगों के सामने हाथ जोड़ेंगे? क्या उनके लिए हम सिम्पल कानून बनाने की बात करेंगे? सिमी को बैन किया गया। यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोगों ने सिमी का समर्थन किया था। सिमी अभी बैन है, लेकिन जब उसकी शपथ लेते हैं तो कहते हैं कि -

“To mobilize support for Jihad and establish a Shariat-based Islamic rule through ‘Islami Inqulab’...We do not believe in a nation State or the Indian Constitution.”

जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, क्या उन लोगों के लिए हमें सख्त कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है।

सारी दुनिया के अंदर चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो जितने भी देश हैं, सभी जगह एण्टी टैररिस्ट रूल को समय के साथ स्ट्रिक्ट और मजबूत किया गया। केवल भारत ही ऐसा देश है जहां हम लोगों ने पोटा को खत्म किया और हम पोटा की जगह यू.ए.पी.ए. में अमेंडमेंट बिल लाए हैं। मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूँ। हम लोगों ने कानून को कमजोर किया है। वर्ष 2004 में इस देश के अंदर दो टैररिस्ट केस हुए, दो आतंकवादी घटनाएं घटीं। वर्ष 2005 में 3, वर्ष 2006 में 3 और 2007 आते ही आतंकवादियों को लगा इस देश में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश का कानून बहुत कमजोर है। वर्ष 2007 में 6 केस और वर्ष 2008 आते-आते 11 केस, इन्क्लूडिंग मुंबई का जो अटैक हुआ। भय और आतंक का ऐसा माहौल पूरे देश के अंदर खड़ा हो गया कि कोई नगर या कस्बा यह अनुभव नहीं कर सकता कि हम लोग सुरक्षित हैं। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई चर्च सुरक्षित नहीं। ...(व्यवधान) यह माहौल किसने पैदा किया?

माननीय सभापति: माननीय सदस्य श्री गौरव गोगोई की कुछ भी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। गौरव जी आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान) ... *

डॉ. सत्यपाल सिंह: यह माहौल वोट की राजनीति और तुष्टीकरण करने वालों ने पैदा किया है, केवल आतंकवादियों ने यह माहौल पैदा नहीं किया है। आप कहते हैं कि हमें सख्त कानून नहीं चाहिए, लेकिन सख्त कानून बनाने की जरूरत है। मैडम, अगर आप मुझ परमिशन दें तो मैं दो-तीन महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ।

प्रो. सौगत राय: सत्यपाल जी, क्या आप मानव अधिकार के खिलाफ हैं?

माननीय सभापति: मानव अधिकार के तहत ही कानून बना है। दादा आप बैठिए, मानव अधिकार का ध्यान रखते हुए कानून बना है।

डॉ. सत्यपाल सिंह: प्रत्येक सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी और हरेक संगठन मानव अधिकारों की रक्षा के लिए है। मानव अधिकारों के लिए पुलिस बनी है, मानव अधिकारों के लिए सरकार बनी है और यह संसद भी मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बनी है। ...(व्यवधान)

14.17 hrs

(Hon. Speaker in the Chair)

माननीय अध्यक्ष: आपके सदस्य बोल रहे हैं तो आप क्यों डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं?

डॉ. सत्यपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों ने इस बात का विरोध किया कि हम लोग एक संशोधन ला रहे हैं कि इण्डिविजुअल को उसके अंदर घोषित न करें तथा उसको शैड्यूल में नहीं डालना चाहिए। दुनिया के आतंकवाद का इतिहास कहता है कि आतंकवादी इतने खतरनाक नहीं, बल्कि जिनको रेडिकल प्रीचर बोलते हैं, जो आतंकवादी बनाते हैं, वे खतरनाक हैं। अगर हम लोग

* Not recorded.

ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हम उनको कानून के अंदर लाएंगे तो इस प्रकार के आतंकवादी संगठन तैयार नहीं होंगे। एक नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य कोई भी बोलता है तो आप उन्हें जवाब देने लग जाते हैं।

डॉ. सत्यपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि इण्डिविजुअल को भी करना जरूरी है। हम लोग कहते हैं कि to nip in the bud. लोगों ने देखा है कि वर्ष 2000 के दशक में जिस प्रकार से आतंकवादियों को मदद करने वालों, सपोर्ट करने वालों, फाइनेंस करने वालों, पहले हम लोग कहते थे कि सारे बाहर से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन होमग्रोन टैरिस्ट बने हैं, तो हमारे कानून के अंदर कमी रही है। महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। कुछ लोगों ने विरोध किया कि इंस्पेक्टर से इनवेस्टीगेशन क्यों कराई जाए, इनवेस्टीगेशन डी.एस.पी. से करानी चाहिए, ए.सी.पी. से करानी चाहिए। मैं लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या इस देश के अंदर, यह दुनिया के अंदर अकेला देश है? मैं मोदी जी और अपनी सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम लोगों ने अपने युवाओं के ऊपर विश्वास किया। हमने कहा कि आप अपने सर्टिफिकेट्स सैल्फ अटैस्ट कर सकते हो। हमारे देश के अंदर ऐविडेंस एक्ट के अंदर ऐसा कानून है, सेक्शन 25 है, पुलिस वाले पर भरोसा नहीं है। दुनिया के किसी भी देश की पुलिस में ऐसा नहीं है। एक इंस्पेक्टर बनने के लिए उसको 15 से 20 साल लगते हैं। जितने कानून हैं, उनके अंदर एक हवलदार और एक हैड कॉन्स्टेबल को इनवेस्टीगेशन करने का अधिकार है।

हम कहते हैं इंस्पेक्टर को अधिकार नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो केस है, वह केवल इंस्पेक्टर ही इनवेस्टिगेट करेगा। कई बार इस प्रकार के केस आते हैं। एनआईए के अंदर जो 15-16 का डीएसपी का स्टाफ है, वहां अगर इस प्रकार के सौ-डेढ़ सौ केस इनवेस्टिगेट के लिए रहते हैं, इंस्पेक्टर इन केसेज को और बेहतर तरीके से इनवेस्टिगेट कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो और बातें कहना चाहता हूँ। मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूँ। मैंने एक सुझाव सेक्शन-25 का दिया है। दूसरा जो टेरिज्म के जो केसेज हैं, जिस प्रकार से हमने पुलिस के लिए तय किया है कि 90 दिनों के अंदर इनवेस्टिगेशन कम्प्लीट होगा, 180 दिनों के

दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट होगा, क्या हम इस तरह का कानून ला सकते हैं कि कोर्ट के अंदर भी टाइम बाउन्ड ट्रायल होगा? इसे भी लाना चाहिए। दुनिया भर के अंदर यह होना चाहिए कि दो एडजर्नमेंट्स से ज्यादा केस नहीं चलेगा। मैं आपका अभिनन्दन करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: श्री हसनैन मसूदी जी।

डॉ. सत्यपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम बात और कहना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने विरोध किया कि राज्यों की पॉवर पर यह एक बड़ा ऑनस्लॉट है। आज टेररिज्म एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। यह पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। हम लोग इसे दुनिया की प्रॉब्लम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इसे नैशनल प्रॉब्लम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यह एक राष्ट्रीय समस्या भी है और राष्ट्रीय समस्या का समाधान राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। मैं ज्यादा न बोलते हुए आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Hon. Speaker Sir, let me make a threshold point. This House is under a constitutional obligation to enact a law that is in tune with the spirit and letter of the Constitution. That is the fundamental point and that is the baseline here. One of the provisions of article 21 of the Constitution protects life and personal liberty. They cannot be taken away except in accordance with the law, and law has been interpreted to be a just, reasonable and fair.

Sir, a law cannot be said to be just, reasonable and fair if it gives wide and unguided power to the investigating agencies to conduct an investigation because fairness, reasonableness and justice should be at every stage of investigation, trial and sentencing. An investigating officer cannot be given

unguided and unbridled powers to investigate the matter. What is intended to be done by this amendment?

In the first place, the property cannot be seized with the permission of the Director-General of the police of the State where the property is sought to be seized. We have to appreciate that the fundamental principle of criminal justice in the country which says that everybody is presumed to be innocent unless proved otherwise. Is it not a departure in the case of Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill? That is there. Once we start discussing or debating it, we have to have that in the back of our mind that everybody is presumed to be innocent unless proved otherwise. Here, this Act gives some pre-trial powers to the investigating officer which are in the nature of punishment before the trial.

Let us go to the seizure of property. Seizure of property can be done even before the trial commences or before the person is held guilty by the competent court. This Bill intends to give that power to the officer. Permission is required to be sought from the Director-General where investigation is conducted and not where property is situated. That is one of the provisions that I understand from this Bill.

Then, you give powers to the Central Government to include any person in the Fourth Schedule and designate him as a terrorist, if it believes that such a person satisfies the requirements of the law. The law does not provide any kind of guidelines on how it can be done. There is no inquiry and nothing of that kind. What does it mean for that person? Under the law, he is presumed

to be innocent but it has a number of legal adversary consequences for the person who is included in the Fourth Schedule. Again, investigating officer under our criminal justice system is taken to be the first judge of a case. He has to be as fair and reasonable as a judge.

It is because we say in the Criminal Justice system that the Investigating Officer is the first judge. He has to be dispassionate and impartial. That is why, the lawmakers, in their wisdom, gave this power of investigation to the Officer of the rank of Deputy Superintendent of Police so that he understands what the legal imperatives are, what he has to do, and how he has to follow. Why should this power, which lawmakers in their wisdom thought that this is so wide, be given to the Inspector? There is every chance of arbitrariness. It could be used arbitrarily. So, this should be given to a senior Officer. Once it is brought down to the level of Inspector, the chances of misuse of powers, and arbitrariness will increase. So, when we take a holistic view of the amendment proposed, this law is in direct conflict with the mandate and spirit of Article 21 of the Constitution. We do not say that there should be no law to deal with terrorism. But a law should be, as I said, fair and reasonable. But this law, as I said, does not satisfy those basic tests. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिल पर डिबेट के लिए जितना समय रखा गया था, उससे दो घंटे ज्यादा चर्चा हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों को जितना समय एलॉट था, मैंने उससे ज्यादा समय चर्चा के लिए उन्हें दिया है, क्योंकि बिल पर अच्छी डिबेट होनी चाहिए।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन ।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Speaker Sir, for giving me this opportunity.

I rise to oppose the UAPA Bill, 2019 as this legislation is having every chance to misuse and abuse, and the innocent and individual people will be harassed. I also reasonably apprehend that this legislation will be misused against the political opponents. Hence, I oppose it.

Sir, unfettered, unreasonable, and arbitrary powers are given in the hands of NIA, and thereby, the Government creates an atmosphere of fear and threat in the minds of the people who do not subscribe to the political philosophy of the Government. That will be uprooting the basic fundamentals of the democratic principles of our country.

Sir, we have a bitter experience of POTA and TADA. Why were the POTA and TADA not able to survive in Indian democracy? It is because of the widespread allegations of misuse and abuse of the powers by the Government which was there in office, maybe, our Government. That is why, the POTA is repealed, and from 1985 to 1995, TADA was there. TADA was allowed to lapse on its own. So, that means, in Indian democratic polity, these types of draconian legislation do not find a place. That is why, they were not able to survive in our country.

Sir, this UAPA Bill is intended to revive POTA in a different language that cannot be accepted in a refined and vibrant democracy. In this Bill, the individuals are being targeted and they are indirectly bringing back the preventive laws against the individuals. I am opposing it on two grounds.

Number one is technical, and it is this. This Union Government and the Parliament has no legislative competence to legislate on this matter. Why is it so? It is because this matter is coming under Entry 1 and Entry 2 of List II, that is the State List. The Union Government will have the authority to legislate on the issues only in the case of Entry 2A of List I, that is, the Union List. Sir, what is Entry 2A? When Armed Forces of the Union are deployed in the State in aid of the civil power, then the Government of India will have the right to legislate in case of 2A of Seventh Schedule. This is absolutely a State subject. How can Section 25 be amended by the Union Government? Sir, I will conclude by making two points. How is the Union Government able to amend Section 25? Section 25 is within the ambit of the State power, and it is a State subject. In the case of Section 2A, it deals with seizure and attachment of property....(*Interruptions*) I will conclude shortly, Sir. Law and order, and police are absolutely State subjects. So, the federal character of the Constitution is also being lost. ...(*Interruptions*)

Sir, this is my last point. In the core amendment, individuals are being targeted. If the Government believes that he or she is involved in terrorism, then he or she could be included in the category of terrorists. It is against the principles of natural justice. It is against the principles of the International Convention. Hence, I strongly oppose the Bill. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : बदरुद्दीन जी, आप एक मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में इतना ही कह सकता हूँ कि टेररिज्म को मिटाने में हम आपके साथ हैं, सरकार के साथ हैं और पूरा मुल्क आपके साथ है। इसमें किसी को कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है, तो वह खुद देशद्रोही है। लेकिन आजकल छोटे-छोटे मामलात में देशद्रोही बना दिया जाता है, पाकिस्तानी बना दिया जाता है। यह भी इंसोफ के खिलाफ है। आज मॉब लिंगिंग का जो मामला चल रहा है, यहां होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैं बड़े अदब के साथ इनसे गुजारिश करूंगा कि इसको कंट्रोल करें। आप लोगों को जो सजा दे रहे हैं, आज अमेरिका और लंदन में भी इतने दिनों की सजा नहीं है। जो सजा देते हैं, वे तो 20-25 सालों में पता नहीं कहां चले जाते हैं, लेकिन उससे लोगों के घर उजड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। वे फिर जेल से आने के बाद सोसायटी में अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हैं। जब वह पकड़े जाते हैं, तो अखबारों और बड़े-बड़े टेलीविजनों में कई-कई दिनों तक वह चलता रहता है कि आतंकवादी पकड़े गए हैं।...(व्यवधान) इसीलिए, मेरा कहना है कि इनके साथ भी इंसोफ होना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में बैठकर पूरे टाइम सबकी बात सुनी है। वह लंच करने भी नहीं गए हैं।

...(व्यवधान)

श्री बदरुद्दीन अजमल: अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से इंसोफ का इंतजार करूंगा।

गृह मंत्री (श्री अमित शाह) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने अपने मूल्यवान विचार रखे हैं, मैं उन सभी का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथी बिल पाइलट करके लाए हैं और मेरी जिम्मेदारी है कि सदन के सभी सम्मानित सदस्यों के मन में जो शंकाएँ हैं, जो सवाल हैं, मैं उन्हें निर्मूल करते हुए यह प्रयास करूँगा कि बिल सर्वानुमति से पारित हो। मुझे मालूम नहीं है कि मैं कितना कर पाऊँगा, परंतु मैं प्रयास जरूर करूँगा।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मनीष तिवारी जी ने कहा है कि कठोर कानून की क्या जरूरत है, संवाद कीजिए, वार्ता करिए, कानूनों से टेरेरिज्म नहीं रुकता है। मैं उनकी इस थ्योरी से सहमत नहीं हूँ। इस देश में कठोर से कठोर कानून की जरूरत है। आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने के लिए कानून के प्रावधानों की जरूरत है। चूंकि यह बात श्रीमान् मनीष तिवारी जी ने कही है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह कानून कौन लेकर आया है? मैं इस कानून के अंदर तो कुछ अमेंडमेन्ट्स लेकर आया हूँ, दो-तीन सुधार लेकर आया हूँ। यह कानून लेकर कौन आया है? इस कानून के अंदर टेरेरिज्म की व्याख्या किसने एड की है? इस कानून को कौन कठोर करता गया है? जब हम यहां पर बैठे हैं, तो आप कहते हैं कि कानून कठोर नहीं होना चाहिए। जब हम वहां पर भी बैठे थे, तब भी कहते थे कि टेरेरिज्म के खिलाफ कठोर कानून होने चाहिए। यहां पर बैठे हैं, तब भी कहते हैं कि टेरेरिज्म के खिलाफ कठोर कानून होने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इस कानून को लेकर कौन आया है? यह कानून 1967 में आया था। तब इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और श्रीमती इंदिरा जी प्रधान मंत्री थीं। सबसे पहला अमेंडमेन्ट कब आया? सबसे पहला अमेंडमेन्ट वर्ष 2004 के अंत में आया था। तब भी यूपीए की सरकार थी और डॉ. मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे। दूसरा अमेंडमेन्ट कब आया? वर्ष 2008 में आया। वर्ष 2008 में किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी और प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी थे। तीसरा अमेंडमेन्ट कब आया? वर्ष 2013 में आया, वर्ष 2013 में भी किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। जब आप सवाल उठाते हैं, तो उस वक्त यह नहीं देखते हैं कि कौन कानून लेकर आया है, कौन अमेंडमेन्ट्स लेकर आया है? कानून को किसने

कठिन किया? अभी प्रेमचन्द्रन जी पूरे मुद्दे उठा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी से कहना चाहता हूँ कि उसी वक्त लाए गए थे। चाहे वह फेडरल स्ट्रक्चर का मामला हो या कोई और मामला हो। मैं एक-एक करके सारे जवाब दूंगा। जब आप सत्ता में थे, वे तभी लाए गए थे। मैं मानता हूँ कि उस वक्त भी आपने सही किया था और मैं आज जो करने जा रहा हूँ वह भी सही है। चूंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कौन-सी सरकार लड़ती है, कौन-सी पार्टी सत्ता में है, उसके आधार पर इसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए।

आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है या नहीं लड़ना है, वह पूरे सदन की एक मानसिकता बननी चाहिए, पूरे सदन की एक आवाज बननी चाहिए, पूरे सदन का एक मत बनना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जो मुद्दे उठाए हैं, वे मुद्दे आप जरूर उठाइये। मगर इस प्रकार से नहीं उठाइये कि ये हम कर रहे हैं। आप कह सकते हो, उस वक्त लेकर आए थे, हमसे गलती हो गई थी। हमें कोई आपत्ति नहीं है और गलती सुधरनी चाहिए। मगर मैं मानता हूँ, आपने उस वक्त बराबर किया था, सही किया था और आज जो हम करने जा रहे हैं, वह भी सही है।

महोदय, सभी सदस्यों ने विशेषकर विपक्ष के सदस्यों ने एक सवाल उठाया कि व्यक्ति विशेष को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठाया गया, इसका पोलिटिकल उपयोग होगा, इसका मुद्दा उठाया गया, मिस-यूज होगा, उसका मुद्दा उठाया गया। सिर्फ प्रावधान को न देखें। प्रावधान को कैसे अमल में लाना है, उसे भी देखना चाहिए। मान्यवर, यूएपीए में व्यक्ति विशेष को कब आतंकवादी घोषित किया जाएगा, इसका प्रावधान है। आतंकवादी कार्य करता है या उसमें भाग लेता है, अब इसमें दो राय हो सकती हैं क्या? कोई व्यक्ति आतंकवादी कार्य करेगा या भाग लेगा तो उसको आतंकवादी घोषित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मान्यवर, उसके लिए आतंकवाद को पोषण देने के लिए तैयारी करने के लिए जो मदद करता है, अब उसे भी आतंकवादी घोषित करना चाहिए। आतंकवाद की अभिवृद्धि के लिए कोई धन मुहैया कराता है तो मैं मानता हूँ कि उसको भी आतंकवादी घोषित करना चाहिए। आतंकवाद के साहित्य को और आतंकवाद की थ्योरी को

युवाओं के जेहन में उतारने के लिए जो प्रयास करता है, मैं मानता हूँ कि आतंकवाद बंदूक से पैदा नहीं होता है, आतंकवाद को फैलाने के लिए जो दुष्प्रचार होता है, उन्माद फैलाया जाता है वह आतंकवाद का मूल है। मान्यवर, अगर इन सब को आतंकवादी घोषित करते हैं तो मैं मानता हूँ कि सदन के किसी भी सदस्य को इसके अंदर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

मान्यवर, ऐसा कहा कि आतंकवादी घोषित कर दोगे तो बाद में क्या होगा? उसके बाद में इसकी भी प्रक्रिया की है। इसके खिलाफ अपील करने के लिए सबसे पहले सरकार को आवेदन करते हुए, ओवैसी साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा कि सरकार रिजेक्ट कर देगी। ओवैसी साहब, सरकार ऐसे नहीं चलती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अफसर यह सरकार या वह सरकार के नहीं होते हैं। मैं सिर्फ आपको उदाहरण के लिए कहना चाहता हूँ कि एनआईए, जिस पर इतने सारे सवाल उठाए हैं, आज इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, इसका चीफ कौन है? यूपीए सरकार ने हमारे खिलाफ जाँच करने के लिए जिनको चयनित किया था, वह अफसर आज एनआईए को देख रहे हैं। उस वक्त आपको भरोसा था, आपने उनकी इंटिग्रिटी को देखते हुए जांच करने के लिए रख लिया। अब आज वे एनआईए के चीफ हैं, आप एनआईए पर डाउट कर रहे हैं। मुझे तो मालूम नहीं पड़ता। फिर भी चलो, मान लो कि सरकार के दबाव में अफसरों ने, सरकार ने निर्णय किया तो उसके ऊपर रिटायर्ड हाई कोर्ट जज नेतृत्व में एक रिव्यू कमेटी है, जो इस पर विचार करेगी। अगर वहाँ पर भी रिव्यू कमेटी, ओवैसी साहब ने कह दिया कि रिव्यू कमेटी रिजेक्ट कर देगी, अब अपील भी उन्होंने कर दी, जज भी वे बन गए, परिणाम भी उन्होंने घोषित कर दिया, भला क्यों रिजेक्ट करेगी? हाई कोर्ट के जज किसी के इशारे पर चलेंगे? हम हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज पर भी श्रद्धा नहीं रखेंगे? श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि रिव्यू कमेटी भी अगर इसको रिजेक्ट करती है तो इसके खिलाफ कोर्ट में जाने का अधिकार हर व्यक्ति को है और अब वह अधिक अधिकार है, जिसको इस कानून में नहीं लेंगे।

अब ये कहते हैं कि व्यक्ति को designate करने की जरूरत क्या है? मैं दो उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी यूएन ने मौलाना मसूद अजहर को टेररिस्ट घोषित किया और टेररिस्ट घोषित

करने के लिए जो प्रीएम्बल बनाया गया है, उसके प्रीएम्बल में बड़ी खूबसूरती से, बहुत डिटेल्स में इसका वर्णन किया है कि हम एक के बाद एक आतंकवादी संस्थाओं को आतंकवादी संस्था घोषित कर रहे हैं। मौलाना जो है, वह उस संस्था को बंद करके दूसरी संस्था निर्माण कर देते हैं। फिर से दो साल तक उस संस्था को आतंकवादी संस्था घोषित करने की प्रक्रिया करते हैं, जैसे ही घोषित होती है, वह बंद करके तीसरी संस्था खोल देते हैं।

आतंकवाद व्यक्ति की मंशा में होता है, आतंकवाद संस्थाओं में नहीं होता है। संस्था कैसे बनती है, व्यक्तियों का समूह ही तो संस्था बनती है। अगर व्यक्ति के मन में आतंकवाद है तो वह संस्था पर प्रतिबंध लगाने से नहीं रुक सकता, क्योंकि वह व्यक्ति दूसरी संस्था बनाकर इस काम को अंजाम देगा। आप इसे कैसे रोकेंगे? आप इसे रोकना चाहते हैं या नहीं रोकना चाहते हैं?

मान्यवर, मैं मानता हूँ कि यह सरकार का प्राथमिक फर्ज है कि आतंकवाद को समूल नष्ट किया जाए और इसलिए आतंकवादी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने के प्रावधान की बहुत जरूरत है। अभी यूएन ने इसे किया है। यूएन के अंदर तो एक प्रोसिजर है ही, मगर यह प्रावधान अमेरिका में भी है। ये तो उन्हें ह्यूमन राइट का चैंपियन मानते हैं, उनकी सब रिपोर्ट्स को कोट करते हैं। ऐसा प्रावधान पाकिस्तान में भी है। मैं आपके माध्यम से ओवैसी साहब और अन्य सभी को, जिन्हें डर लगता है, उनको कहता हूँ कि इसे पाकिस्तान जैसे देश ने कर दिया है। इसे चीन ने किया है, इस्राइल ने किया है, यूरोपियन यूनियन ने किया है। इन सबने इसे किया है।

मान्यवर, मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ। इंडियन मुजाहिदीन, आईएम का आतंकवादी यासीन भटकल था। इंडियन मुजाहिदीन को सरकार ने आतंकवादी संस्था घोषित कर दिया। यह यासीन भटकल कोलकाता की किसी जेल में पड़ा रहा, यह वांटेड था। संगठन का कोई अलग नाम कर दिया और अलग प्रकार से काम करते रहे। इसका पता क्यों नहीं चला? वह वहाँ कोर्ट में पेश भी हुआ और छूट भी गया। इसका पता इसलिए नहीं चला, क्योंकि यासीन भटकल को आतंकवादी घोषित नहीं किया गया। अगर उसे आतंकवादी घोषित करते तो हर पुलिस स्टेशन

में उसका डोजियर होता, उसकी फोटो, फिंगर प्रिंट्स होते और उसे धर लिया जाता। अगर उसे आतंकवादी घोषित किया होता तो 12 बम धमाके होने से बच जाते।

मान्यवर, यह आतंकवादी घोषित करने की जो प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारी सावधानियाँ रखी गई हैं ताकि इसका कोई दुरुपयोग न हो। इसका उपयोग हो, इसके लिए हम यह संशोधन लेकर आए हैं। मैं मानता हूँ कि वह जमाना आ गया है कि एक के बाद एक संस्था बदलने वाले व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करके दुनिया के सामने उनको खुला उजागर करने की जरूरत है और इसीलिए मैं यह प्रावधान लेकर इस सम्मानित सदन के सामने आया हूँ।

धारा 25 पर मनीष जी ने बहुत जोर-शोर से विरोध किया। मनीष जी, धारा 25 हम लेकर नहीं आए हैं। मैं धारा 25 में सिर्फ संशोधन लेकर आया हूँ। उसके लिए दो-तीन बेसिक इश्यू अलग-अलग माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए गए। एक इश्यू तो फेडरल स्ट्रक्चर का उठाया गया। एक इश्यू यह उठाया गया कि धारा 25 कैसे किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है। हसनैन साहब ने इस बारे में कहा। इसमें कुर्क करने की बात नहीं है, इसमें अटैच करने की बात है। हसनैन साहब, कुर्की का आदेश कोर्ट करेगी। पुलिस कुर्की नहीं कर सकती है। यह कानून का प्रावधान मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। पुलिस इसको अटैच करेगी, जब्त करेगी, बाद में पुलिस कोर्ट के सामने जाएगी। जब कोर्ट परमीशन देगा, तब इसकी कुर्की होगी। कुर्की के लिए हमने पुलिस को अधिकार नहीं दिया है, न ही किसी डीजी को दिया है।

अब फेडरल स्ट्रक्चर का सवाल आया। मान्यवर, इसमें हमने एनआईए के डीजी को उन्हीं केसेज में यह अधिकार दिया है, जिन केसेज की जाँच एनआईए कर रही है। अन्य किसी केस में यह अधिकार नहीं दिया है। जो स्टेट पुलिस यूएपीए लगाना चाहती है और जाँच करना चाहती है, इसका जब्ती का अधिकार तो स्टेट पुलिस के पास ही है। एनआईए के अंदर यह जो अधिकार है कि राज्यों की सहमति से अगर वह केस ले सकें और केस चला सकें, तो मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि यह बिल हम लेकर नहीं आए थे। इस बिल को यूपीए की सरकार लेकर आई थी। अगर फेडरल स्ट्रक्चर भंग हुआ है, तो यूपीए की सरकार के समय में हुआ है, मगर मैं मानता हूँ कि यह

ठीक है। मैं आज भी इस बात को कहता हूँ। यह यूपीए सरकार ने किया है, फिर भी मैं मानता हूँ कि यह ठीक है। मगर जो उस वक्त लेजिस्लेशन बनाने वाले थे, लेजिस्लेशन के पक्ष में जिन्होंने भाषण किया, आज उसे लेजिस्लेशन पर सवाल खड़ा करने का क्या अधिकार है, जिसे उनकी सरकार लेकर आई? आतंकवाद के मुद्दों पर पार्टी की विचारधाराओं से ऊपर उठना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। धारा 25(1) को, सीजर और अटैचमेंट के जो अधिकार हैं, वे किसी भी प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को नहीं तोड़ते हैं। सम्माननीय सदस्या महुआ जी ने भी यह इश्यू उठाया था। मैं इस विषय को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ।

मान्यवर, एक मुद्दा आया कि पी.आई. को अधिकार देने से जाँच डेटीरियोरेट होगी। मैं यहां सदन के सामने बहुत विनम्रता के साथ यह बात रखना चाहता हूँ कि एन.आई.ए. एक विशिष्ट कार्य दल है, आतंकवाद से लड़ने के लिए एक स्पेशियलाइज्ड ट्रेनिंग लिया हुआ कार्य बल है। यह पुलिस स्टेशन नहीं है। इसके अन्दर एक एडमिनिस्ट्रेटिव हाइरार्की तय की है, रिव्यू की व्यवस्था की है। जो जांच होती है, उसे एस.पी. लेवल पर रिव्यू किया जाता है, डी.आई.जी. लेवल पर रिव्यू किया जाता है, आई.जी. लेवल पर रिव्यू किया जाता है और अंततोगत्वा एन.आई.ए. के डायरेक्टर जनरल के लेवल पर भी इसका रिव्यू होता है, इसकी स्कूटनी होती है। इसलिए इसकी कतई संभावना नहीं है कि पी.आई. को दे देने से इसका मिसयूज होगा या जांच में गिरावट आएगी। यहां जो दिक्कत है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। हम सिर्फ इसे एन.आई.ए. के लिए कर रहे हैं। राज्य की पुलिस जब जांच करेगी तो उसमें जो डिप्टी एस.पी. का प्रावधान है, उसे हमने एज-इंट-इज रखा है।

मान्यवर, एन.आई.ए. का कार्य स्थल पूरा देश है। देश की कई अदालतों में आज, मुझे आँकड़ा ठीक से याद नहीं है, पर अंदाजन कह रहा हूँ कि लगभग 250 से ज्यादा केस बिखरे पड़े हैं और इनके पास एस.पी. 25 हैं। शायद 25 से भी कम हों। जब केस चलने को आता है तब जो आई.ओ. होता है, उसकी पेशी वहां कम्पलसरी होती है। इसलिए केस जल्दी चल नहीं पाते हैं। इसलिए यह निहायत जरूरी है कि पी.आई. को यह अधिकार दिया जाए। पी.आई. को ट्रेनिंग देने

का काम, एन.आई.ए. की स्थापना से लेकर, वर्ष 2008 से लेकर 2019 तक 11 सालों के अन्दर इसे ढंग से कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव हाइरार्की को अच्छी तरह से प्रस्थापित किया गया है और मॉनिटरिंग के सिस्टम को भी सुदृढ़ किया गया है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि जांच जल्दी हो और ट्रायल जल्दी चल जाए। अगर निर्दोष हो तो वह छूट जाए और दोषी हो तो उसे सजा हो जाए। अब भला इसमें किसी को क्या विरोध हो सकता है? यह कहा गया कि इसे डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। एक ओर कहते हैं कि इसे टाइट मत कीजिए और दूसरी ओर कहते हैं कि डाइल्यूट मत कीजिए। मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि क्या करें?

मान्यवर, एक सवाल उठाया गया कि बहुत दिनों तक पेशी नहीं होती है। ऐसा नहीं है। यू.ए.पी.ए. कानून में 24 घंटे के अन्दर ही कोर्ट के सामने पेश करने का प्रोविजन सी.आर.पी.सी. जैसा ही है। इसे हम बदलना नहीं चाहते हैं और हमने इसे बदला भी नहीं है। जिसको भी पुलिस पकड़ती है, उसे 24 घंटे में सक्षम कोर्ट के न्यायिक अधिकारी के सामने पेश करने का प्रोविजन है। इसमें सिर्फ इतना बदलाव है कि सी.आर.पी.सी. के अन्दर 14 दिनों की रिमांड होती है, यहां 30 दिनों की रिमांड होती है क्योंकि इसमें जिस तरह के कॉम्प्लेक्स, जटिल गुनाहों की जांच एन.आई.ए. को करनी होती है, उसमें बहुत सारे डायमैन्शंस जुड़े होते हैं। इसमें इंटरनेशनल लिंकिंग्स भी जुड़ी होती हैं, कम्प्यूटर से इसका एनालिसिस करना होता है। कई बार फेक करेन्सी के केसेज में उसे अन्य जगहों पर भी ले जाकर जांच करनी पड़ती है। इसलिए इसमें उसकी रिमांड की अवधि 14 दिनों की जगह 30 दिनों की है, बाकी उसे तो 24 घंटे में जज के सामने पेश करना ही है। यह 30 दिनों का प्रावधान भी मैं नहीं लाया हूँ, इसे चिदम्बरम साहब लाए थे, यह आपको याद रहे।

महोदय, श्रीमान् दानिश अली और ओवैसी साहब ने अमरोहा के केस का जिक्र किया। साहब, पुलिस को बदनाम करना बहुत सरल होता है। एक टाइटल बना दिया। उन्होंने यहां बोला कि निर्दोष चार लोग इतने समय तक जेल में रहे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? आप यू.ए.पी.ए. को अभी छोड़ दीजिए। अगर सी.आर.पी.सी. के अन्दर किसी को पकड़ते हैं और

वह अगर निर्दोष छूट जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो मुझसे यह सवाल पूछते हैं, उनसे मैं यह पूछना चाहता हूँ?

प्रो. सौगत राय: एन.आई.ए. जिम्मेदार है।...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: सौगत राय दादा, फिर हम क्या सी.आर.पी.सी. को एबॉलिश कर दें? क्या देश में लॉलेसनेस कर दें?

मान्यवर, यह संभावना हर कानून के अन्दर रहती है। न्याय तो उसी को कहते हैं। पुलिस लेकर गयी, उसे हम सजा नहीं कहते हैं। न्याय किसको कहते हैं? अदालत के सामने पुलिस अपना पक्ष रखती है और अपराधी अपना पक्ष रखता है। अगर अदालत को लगता है कि वह निर्दोष है तो वह छोड़ देता है। इसमें अगर आप जिम्मेदारी तय करेंगे तो कोई क्यों पकड़ेगा? बताइए, क्यों पकड़ेगा? क्या यू.ए.पी.ए. को एबॉलिश करना है? बशीर साहब ने इतनी तीव्रता से भाषण दिया कि इसे एबॉलिश कर दीजिए। फिर तो आप सी.आर.पी.सी. को भी एबॉलिश कर दीजिए। पुलिस की भी देश में क्या जरूरत है? सभी सद्भावना के साथ जीएं। क्या जरूरत है पुलिस की देश में? इस संसद के अन्दर इस प्रकार के विचार व्यक्त किए जा रहे हैं।

मान्यवर, मैं अमरोहा के केस के बारे में कहना चाहता हूँ कि उसमें 14 लोगों को पकड़ा गया और 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। वे लिप्त पाए गए और आज तक उनकी जमानत नहीं हुई। इन चार बच्चों की पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हुए, जब यह पाया कि वे लिप्त नहीं हैं, ऐसा नहीं है, उनको जेल में रखना पड़ा, ऐसा एविडेन्स नहीं है, इसलिए उनका बेल हुआ। एनआईए ने कोई भी विरोध नहीं किया, पहले इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि उनकी कस्टडी की जरूरत थी। हम इस सदन के माध्यम से बातों को ट्विस्ट करके जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे तो यह समझ में नहीं आता है। वह एक कमजोर एविडेन्स था, इसलिए चालान नहीं हुआ। हमें चालान करना है, यह एनआईए ने उचित नहीं समझा और हम चालान करते, तो शायद ऐसा नहीं होता। इससे यही पता चलता है कि एनआईए की प्रक्रिया कितनी न्यायिक है।...(व्यवधान) अभी मो. जावेद साहब की ओर से यह कहा गया कि अपराधी पर बर्डन ऑफ प्रूफ है। बर्डन ऑफ प्रूफ

अपराधी पर नहीं है, इसका रिकॉर्ड क्लीयर रहना चाहिए। बर्डेन ऑफ प्रूफ आज भी एनआईए के ऊपर है और इस बारे में हम इस बिल में संशोधन की कोई बात लेकर नहीं आए हैं। अपराधी को सिद्ध करने की जिम्मेदारी एनआईए की है।

मान्यवर, मनीष तिवारी जी ने आईटी एक्ट के सेक्शन 66 (एफ) को पढ़ा। अब उन्होंने 66 (एफ) क्लॉज-बी को बताया। वह बड़े विद्वान वकील हैं। मगर क्लॉज-ए बताना भूल गए। उन्होंने कहा कि मेरे कम्प्यूटर में कोई घुस सकता है, आपके कम्प्यूटर में भी कोई घुस सकता है। इन्होंने 66 (एफ) के क्लॉज-बी के बारे में बताया, लेकिन 66 (एफ) को क्लॉज-ए नहीं बताया, जो मैं बताता हूँ – 'कोई भी व्यक्ति कम्प्यूटर रिसोर्स के दुरुपयोग से भारत की एकता और अखंडता अथवा लोगों की सुरक्षा को आतंकवाद के द्वारा खतरा उत्पन्न करता है'। ऐसे शख्स के कम्प्यूटर को जब्त करके इसके अंदर के मैटेरियल की जांच की जाएगी। अभी सभी बोल पड़े कि मेरे कम्प्यूटर में कोई घुस जाएगा। यहां तक भी बोले कि इनके कम्प्यूटर में भी कोई घुस जाएगा। अगर कोई टेररिज्म का काम करेगा, तो उसके कम्प्यूटर में घुस ही जाएंगे। क्यों न घुसेंगे? जो टेररिज्म का काम करेगा, उसके कम्प्यूटर में पुलिस जरूर घुसेगी और पुलिस को घुसना भी चाहिए। यह उसकी ड्यूटी है।

मान्यवर, हम बातों को इस प्रकार से रखते हैं, ...(व्यवधान) पूरे देश के अंदर एक तरह की भ्रांति खड़ी हो जाए कि न जाने यहां क्या चल रहा है, किस प्रकार से लोगों को परेशान करने वाला कानून हम लेकर आए हैं। मगर मैं बताना चाहता हूँ, मैं इनको भी आश्चस्त करना चाहता हूँ कि यह कानून केवल और केवल टेररिज्म को खत्म करने लिए है। इसका दुरुपयोग कभी नहीं होगा, न करना चाहिए और न हम करेंगे। मैं कहता हूँ कि जो सत्ता में आए, सभी को मर्यादाएं रखनी चाहिए। मैं इसकी मीमांसा में नहीं जाना चाहता हूँ कि दुरुपयोग किसने किया और कितना किया, वरन् कहेंगे कि मंत्री जी ने पोलिटिकल जवाब दिया।

मान्यवर, सुप्रिया सुले जी ने एक बात कही कि सामाजिक कर्मों को टेररिस्ट या उग्रवादी नहीं माना जाए। मैं आपके माध्यम से सुप्रिया जी को विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि इस देश में बहुत सारे लोग समाजिक जीवन के अंदर सम्मान के साथ काम कर रहे हैं। इनकी संख्या

करोड़ों में है। उनको पकड़ने के लिए पुलिस को कोई शौक नहीं है। मगर अर्बन माओइज्म के लिए जो काम करते हैं, उनके प्रति हमारी जरा भी संवेदना नहीं है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सुप्रिया जी को बताना चाहता हूँ कि वामपंथी उग्रवाद को शुरुआत में एक वैचारिक आंदोलन माना जाता था, लेकिन इसने देश के हजारों लोगों की जान ली है। वैचारिक आंदोलन का चोला पहनकर वामपंथी उग्रवाद को फैलाने वाले लोगों के लिए हमारी सरकार के मन में जरा भी दया नहीं है। हम कठोरता के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो लोग वैचारिक आंदोलन का चोला पहनते हैं और वामपंथी उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं, उनको हमें रोकना पड़ेगा। अनपढ़ और गरीब लोगों को गुमराह करके उनके हाथ में बंदूकें पकड़ाते हैं और अपने उद्देश्य का उल्लू सीधा करते हैं।

मैं नहीं मानता कि यह वैचारिक आंदोलन है, मैं नहीं मानता कि यह सामाजिक काम है। मान्यवर, मैं मानता हूँ कि पुलिस ने जो किया, वह ठीक किया। कार्ती चिदम्बरम जी ने कहा कि कितने लोगों को सजा हुई? अगर इस कानून से सजा नहीं होती है, तो कानून हटा देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कार्ती चिदम्बरम जी से कहना चाहता हूँ कि सजा तो कई बार 302 में भी नहीं होती है। यह मानव वध का, मानव हत्या का गुनाह है, इसमें भी सजा कम ही होती है। हमारी न्यायिक प्रक्रिया के अंदर एक सिद्धांत है कि सौ दोषी भले ही छूट जाएं, पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इस सिद्धांत को हमने स्वीकारा है। कई बार कई लोग छूट जाते हैं, सजा की पर्सेंटेज कम होती है, तो क्या 302 भी एबॉलिश कर देंगे? चोरी नहीं रुकती है, क्योंकि चोरी कानून विफल हो गया, तो उसे भी निकाल दो। इस तरह से इसकी मीमांसा नहीं हो सकती है। जब गम्भीरता के साथ सरकार एक कानून लेकर आती है, जो टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए है, टेररिज्म को समाप्त करने के लिए है, उस पर बोलते वक्त हमें पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठकर बोलना चाहिए।

मान्यवर, मैं इतना ही विनम्रता के साथ आपके माध्यम से ...(व्यवधान) एक सेकेंड, मेरी बात समाप्त हो जाने दीजिए, इसके बाद आप बोलिए। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि

कानून का जो संशोधन लेकर मैं और मेरे साथी आपके समक्ष, सदन के सामने आए हैं, यह समय के अंतराल में आतंकवादी और आतंकवादी संगठन, जो हमारी एजेंसियों से चार कदम आगे गए हैं, यह कानून हमारी एजेंसी को उनसे चार कदम आगे रखने का प्रयास है। मैं मानता हूँ कि यह होना चाहिए। ... (व्यवधान) एक मिनट, क्यों इतने अधीर होते हैं? आपका नाम तो बराबर अधीर है। ... (व्यवधान)

मान्यवर, शासन का फर्ज है कि जो एजेंसियां देश की सुरक्षा के लिए, देश की जनता की सुरक्षा के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए काम करती हैं, उनको दंत विहीन कानून न दें, उनको मजबूत कानून दें, जिनके आधार पर वह आतंकवाद को खत्म कर सके।

अतः मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस बात पर सदन में सभी लोगों के एकमत होने से देश और दुनिया में और विशेषकर आतंकवादियों के ग्रुपों के अंदर बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। मैं अपील करता हूँ कि सभी इसका समर्थन करें और इस बिल को सर्वानुमति से पास करें। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय गृह मंत्री जी, आपने विस्तार से बोलने की कोशिश की, हम यह मानते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले पूरी बात सुनें ।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आपके कहने से यह पता चलता है कि इसका दूरगामी प्रभाव भी होगा । मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूँ कि जिस कानून का दूरगामी प्रभाव होगा, उसे सिर्फ सदन में नहीं, हमें स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए । ... (व्यवधान) 13वीं लोक सभा में आप ही की सरकार थी । उस समय 102 बिल स्टैंडिंग कमेटी होकर आए थे । हमारे जमाने में यूपीए वन में 147 बिल, यूपीए टू में 146 बिल... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह बात आप कई बार बता चुके हैं ।

श्री अधीर रंजन चौधरी: आपके समय में सिर्फ 47 बिल स्टैंडिंग कमेटी में जा रहे हैं । इसका मतलब यह है कि आप बोलते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन आप उसकी स्कूटनी नहीं करना चाहते हैं ।

14.58 hrs

At this stage, Prof. Saugata Ray and some other hon. Members left the House.

माननीय अध्यक्ष : अब माननीय गृह मंत्री जी की बात सुन लीजिए ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, कंधार से लेकर पार्लियामेंट पर हमला, मुंबई में हत्या और पुलवामा, यह सिलसिला जारी है । इसका मतलब यह नहीं कि हम इस विषय पर और गम्भीरता से स्कूटिनी नहीं करें । आप उस दिन पोटा की बात कह रहे थे । लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पोटा के मिसयूज के खिलाफ आवाज उठाई थी ।

“Sir, Modi also accused the Centre of creating another superstructure in the form of National Counter Terrorism Centre saying the multi-agency centre was doing a fine job to counter terror and claiming that the attempt was to create a federal police and misuse it against the Opposition ruled States.”

यह हम नहीं कह रहे हैं। हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का यह बयान है। हम चाहते हैं कि टेररिस्ट के खिलाफ जो सारे कानून आप लाते हैं, यह यहां से नहीं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो सदन का एक अंग होती है, सिलेक्ट कमेटी, ज्वॉइंट सिलेक्ट कमेटी में भेजकर इसकी थॉरो स्कूटिनी होनी चाहिए, एग्जामिन होना चाहिए। उसके बाद बिल को सदन के सामने लाइए। हम सब उसका समर्थन करेंगे। इस तरह से आप सिर्फ पारित करते जाएंगे, बुलडोज करते रहेंगे ... (व्यवधान) हम सदन से वॉक आउट करते हैं। ... (व्यवधान)

14.59 hrs

At this stage, Shrimati Sonia Gandhi, Shri T.R. Baalu and some other hon. Members left the House.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जवाब भी सुन कर जाएं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जवाब भी सुनिए।

... (व्यवधान)

15.00 hrs

श्री अमित शाह : आप जवाब तो सुनिए। ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के सदन के नेता श्री अधीर रंजन जी ने इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की बात की और एक लंबा इतिहास बताया। मैं भी इतिहास बता सकता हूं कि किसने कितने बिल स्टैंडिंग कमेटी में भेजे,

मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसमें भी हमारा रिकार्ड उनसे बहुत अच्छा है। परंतु लोक सभा अभी-अभी चुन कर आई है, उसकी प्रथम बैठक हो रही है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए जिस प्रकार के कानून की अर्जेसी की जरूरत है, हमने उसको ध्यान में रखकर बिल आए। आपने धैर्य से सब को सुना, किसी को टोका नहीं, किसी को रोका नहीं, सब बोलते रहे, कल का बिल चल रहा है। आज आपने दोपहर लंच भी नहीं कराया, अभी भी चल रहा है। इस बिल पर पर्याप्त चर्चा हुई है। मगर आतंकवाद के खिलाफ जो कानून बन रहा है उसके पक्ष में वोट देने से वोट बैंक न नाराज हो, इस भय से अगर उनको जाना है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं।

SHRI ASADUDDIN OWAISI: My first clarification is related to Clause 11(a). It says, “as amended from time to time”. Sir, I seek protection from you. The Government claims that any amendment to international convention can result in offence automatically being created in our country. What about Parliament? We pass a Bill. We decide what will be the sentence. How can the Government outsource the function of Parliament through Clause 11(a)? I want the Minister to answer this.

My second clarification is related to section 35 and 36. The Minister replied to it. My basic submission to him is that the Supreme Court in VJ Rhodes case said that without judicial review, you cannot call anyone unlawful. You are violating the Supreme Court’s judgement. इसलिए कह रहा हूं, रिव्यू कमेटी आप बनाएंगे न, सरकार बनाएगी, उसमें इंडिपेन्डेंस कहाँ है, एक्जिक्यूटिव बनाएगी। तीसरा सवाल है, इस मुल्क ने इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट को साइन किया है, रैटिफाई किया है। वह बेल के प्रोविजन के बारे में, फेयर ट्रायल के बारे में बताता है। आप बताइए क्या यह सिक्युरिटी काउन्सिल के रेजोलुशन 1373 और 1535 का वॉयलेशन नहीं है। अगर आप

स्टेट के ऑटोनॉमी में इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो उसको खत्म कीजिए। आपका कार्य फेडरलिज्म को बचाना है।

माननीय अध्यक्ष: कोई और माननीय सदस्य बचे हैं? विधेयक पर खुली डिबेट कर लो।

श्री अमित शाह : अध्यक्ष महोदय, ओवैसी साहब ने दो मुद्दे उठाए। एक ओर कहते हैं कि सदन के अधिकारों को आऊटसोर्स नहीं करना चाहिए और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का जिक्र करते हैं। बेल देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को क्वोट करते हैं, भला आप क्या करना चाहते हैं। आप मुझे सुनिए। ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। मैं जवाब देता हूँ तो क्या आप मुझे नहीं सुनेंगे।
...(व्यवधान) ऐसे चर्चा नहीं हो सकती।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: यह गलत है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपने जितने सप्लीमेंट्री मांगे, सब दिए।

श्री अमित शाह : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ओवैसी साहब को इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005 का जिक्र किया है, उसका रेफरेंस दिया है। उसको हमने ऑटोमेटिक कानून नहीं बनाया है। इसके आधार पर कानून बनाने के लिए हम इसे संसद के अंदर लेकर आए और सदन की सहमति से ही कानून बनेगा। कोई आऊटसोर्सिंग नहीं है। आऊटसोर्सिंग वह है जो आप कह रहे हैं, इसको स्वीकार कर लो और बेल दे दो। अगर सरकार को कन्वेंशन की सारी बातें ठीक मानने जैसी नहीं हैं तो हम नहीं मानेंगे। देश की संसद भी नहीं मानेगी, राज्य सभा भी नहीं मानेगी। Where is outsourcing here?

श्री असादुद्दीन ओवैसी: आपने रैटिफाई किया है, मोरारजी देसाई के जमाने में रैटिफाई हुआ है।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि संसद का कोई आउटसोर्सिंग नहीं हुआ है। मैं सरकार के निहित अधिकारों का उपयोग करके बिल को सदन के सामने लेकर आया हूँ और सदन की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति मिलने के बाद ही यह कानून में परिवर्तित होगा।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है-

“कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

श्री असासुद्दीन औवेसी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं डिबीजन चाहता हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रवेश-कक्ष खाली कर दिए जाएं -

अब प्रवेश-कक्ष खाली हो गए हैं।

माननीय अध्यक्ष: महासचिव जी ।

महासचिव: माननीय सदस्यगण, मुझे यह सूचित करना है कि मत विभाजन अब नियम 367 (एए) के अंतर्गत पर्चियों के वितरण द्वारा किया जाएगा। सदस्यों को अपना मत दर्ज करने के लिए उनके स्थान पर हां या नहीं मुद्रित पर्चियां दी जाएंगी। हां वाली पर्चियां हरे कागज पर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में एक ओर छापी गयी हैं और नहीं वाली पर्चियां पीछे गुलाबी कागज पर छापी गयीं हैं। सदस्य पर्चियों पर, निश्चित स्थान पर हस्ताक्षर और अपना नाम, पहचान-पत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र तथा तिथि साफ अक्षरों में लिखकर अपनी पसंद का मत दर्ज करें। जो सदस्य मतदान में भाग न लेने वाला मत दर्ज कराना चाहते हैं, वे मतदान में भाग न लेने वाली पीले कागज में छापी गई पर्ची मांग सकते हैं। अपना मत दर्ज करने के तत्काल बाद प्रत्येक सदस्य अपनी पर्ची मत विभाजन अधिकारी को देंगे, जो उनके स्थान पर उन पर्चियों को लेने आएंगे तथा उन्हें सभा पटल के अधिकारियों को सौंप देंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे मत विभाजन के लिए केवल एक पर्ची ही भरें। सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि मत विभाजन अधिकारियों द्वारा पर्ची एकत्र किए जाने के पश्चात ही अपना स्थान छोड़ें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

DIVISION**AYES****15.15 hrs**

Agrawal, Shri Rajendra

Ahluwalia, Shri S.S

Aigalley, Shri Guharam

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Angadi, Shri Suresh C.

Anuradha, Shrimati Chinta

Baghel, Prof. S.P. Singh

Baheria, Shri Subhash Chandra

Balyan, Dr. Sanjeev

Bapat, Shri Girish Bhalchandra

Barla, Shri John

Barne, Shri Shrirang Appa

Baruah, Shri Pradan

Basavaraj, Shri G. S.

Beniwal, Shri Hanuman

Bey, Shri Horen Sing

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharat, Shri Margani

Bhargava, Shri Ramakant

Bhatia, Shri Sanjay

Bhatt, Adv. Ajay

Bholanath 'B.P. Saroj', Shri

Bhoumik, Sushri Pratima

Bidhuri, Shri Ramesh

Bind, Shri Ramesh

Bisen, Dr Dhal Singh

Bista, Shri Raju

Bohra, Shri Ramcharan

Chahar, Shri Rajkumar

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandra Sekhar , Shri Bellana

Chatterjee, Shrimati Locket

Chaudhary, Shri P. P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Pradeep Kumar

Chauhan, Shri Devusinh

Chauhan, Shri Nandkumar Singh

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Shri Bhagirath
Choudhary, Shri Chandra Prakash
Choudhary, Shri Kailash
Chouhan, Shri Nihal Chand
Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai
Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji
Dadarao, Shri Danve Raosaheb
Damor, Shri Guman Singh
Das, Shri Pallab Lochan
Deb, Shri Nitesh Ganga
Delkar, Shri Mohanbhai Sanjibhai
Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna
Devendrappa, Shri Y.
Devi, Shrimati Annpurna
Devi, Shrimati Rama
Devi, Shrimati Veena
Dharmapuri, Shri Arvind
Dhotre, Shri Sanjay Shamrao
Diler, Shri Rajveer
Dubey, Dr. Nishikant
Dwivedi, Shri Harish

Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri P. C.

Galla, Shri Jayadev

Gambhir, Shri Gautam

Gandhi, Shri Feroze Varun

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gao, Shri Tapir

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Shri Rajendra Dhedya

Geetha Viswanath, Shrimati Vanga

Gogoi, Shri Topon Kumar

Goswami, Shri Dulal Chandra

Gupta, Shri Sangam Lal

Gupta, Shri Sudheer

Hans, Shri Hans Raj

Hegde, Shri Anantkumar

Hembram, Shri Kunar

Jadav, Dr. Umesh G

Jadhav, Shri Sanjay

Jadon, Dr. Chandra Sen

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jolle, Shri Annasaheb Shankar

Joshi, Prof. Rita Bahuguna

Joshi, Shri C. P.

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjana

Kachhadiya, Shri Naranbhai

Kamait, Shri Dileshwar

Kapoor, Shri Kishan

Karandlaje, Kumari Shobha

Kashyap, Shri Dharmendra

Kashyap, Shri Suresh

Kaswan, Shri Rahul

Katara, Shri Kanakmal

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ram Shankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil

Khan, Shri Saumitra
Kher, Shrimati Kirron
Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu
Kishan, Shri Ravi
Kishore, Shri Kaushal
Kol, Shri Pakauri Lal
Koli, Shrimati Ranjeeta
Kotak, Shri Manoj
Kumar, Dr Virendra
Kumar, Shri Bandi Sanjay
Kumar, Shri Kaushlendra
Kumar, Shri Narendra
Kumar, Shri P. Raveendranath
Kumari, Sushri Diya
Kundariya, Shri Mohanbhai
Kushwaha, Shri Ravindra
Lal, Shri Akshaibar
Lalwani, Shri Shankar
Lekhi, Shrimati Meenakashi
Maadam, Shrimati Poonamben
Mahajan, Shrimati Poonam

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Mahtab, Shri Bhartruhari

Mahto, Shri Baidyanath Prasad

Majumdar, Dr. Sukanta

Mallah, Shri Kripanath

Mandal, Shri Ramprit

Mandavi , Shri Mohan

Meena, Shri Arjunlal

Meena, Shrimati Jaskaur

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mendhe, Shri Sunil Baburao

Mishra, Shri Janardan

Misra, Shri Pinaki

Mohan, Shri P. C.

Munda, Shri Arjun

Muniswamy, Shri S.

Munjapara , Dr.(Prof.) Mahendra

Murmu, Shri Khagen

Nagar, Shri Rodmal

Naik, Shri Raja Amareshwara

Nath, Shri Balak

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nimbalkar, Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Praveen Kumar

Oja, Shrimati Queen

Oram, Shri Jual

Pachauri, Shri Satyadev

Pal, Shri Krishan

Panda, Shri Basanta Kumar

Pandey, Shri Santosh

Parkash, Shri Som

Paswan, Shri Kamlesh

Patel(Bakabhai), Shri Mitesh

Patel, Dr.K.C.

Patel, Shri Devaji

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh

Patel, Shri Hasmukhbhai Somabhai

Patel, Shri Lalubhai B.

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai

Patel, Shri Prahalad Singh

Patel, Shri R.K. Singh
Patel, Shrimati Anupriya
Patel, Shrimati Keshari Devi
Patel, Shrimati Sharda Anil
Pathak, Shri Subrat
Pathak, Shrimati Riti
Patil, Shri Kapil Moreshwar
Patil, Shri Sanjay Kaka
Pawar, Dr. Bharati Pravin
Pintu , Shri Sunil Kumar
Pramanik, Shri Nisith
Prasad , Shri Chandeshwar
Pujari, Shri Suresh
Raghavendra, Shri.B.Y.
Rai, Shri Nityanand
Rajenimbalkar, Shri Om Pavan
Rajoria, Dr. Manoj
Rajput, Shri Mukesh
Ram, Shri Vishnu Dayal
Rana, Shrimati Navneet Ravi
Rangaiah, Shri Talari

Ranjan, Dr R. K.

Rao, Shri Balli Durga Prasad

Rathod , Shri Dipsinh Shankarsinh

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathva, Shrimati Gitaben V.

Raut, Shri Vinayak Bhauroo

Rawat, Shri Ashok Kumar

Rawat, Shri Tirath Singh

Rawat, Shri Upendra Singh

Ray, Shrimati Sandhya

Reddeppa, Shri N.

Reddy, Shri G. Kishan

Rijju, Shri Kiren

Roy, Dr. Jayanta Kumar

Roy, Dr. Rajdeep

Rudy , Shri Rajiv Pratap

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu , Shri Chunni Lal

Sahu, Shri Chandra Sekhar

Sai, Shrimati Gomati

Saikia, Shri Dilip

Saini, Shri Nayab Singh

Sao, Shri Arun

Sarangi, Shri Pratap Chandra

Saraswati, Shri Sumedhanand

Sarkar, Shri Jagannath

Satyavathi, Dr.Beesetti Venkata

Seth, Shri Sanjay

Shah, Shri Amit

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Jugal Kishore

Sharma, Shri Ram Swaroop

Sharma, Shri Vishnu Datt

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shyal, Dr.Bharatiben D.

Siddeshwar , Shri G M

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Prathap

Singh ' Lalan', Shri Rajiv Ranjan

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari

Singh(Retd.) , Gen. Dr V. K .

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Arjun

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Brijendra

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Mahabali

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Rajbahadur

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Virendra

Singh, Shrimati Kavita

Sinha, Shri Jayant

Solanki, Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai

Solanky, Shri Mahendra Singh

Soni, Shri Sunil Kumar

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Soren, Shri Sunil

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya

Swamy, Shri A Narayana

Tadas, Shri Ramdas

Tamta, Shri Ajay

Teli, Shri Rameswar

'Teni', Shri Ajay Misra

Thakur , Shri Gopal Jee

Thakur, Sadhvi Pragya Singh

Thakur, Shri Anurag Singh

Thakur, Shri Shantanu

Tiwari, Shri Manoj

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Dr. Ramapati Ram

Tripura, Shri Rebati

Tudu, Er. Bishweswar

Udasi, Shri S. C.

Uikey, Shri Durga Das

Vasava , Shri Mansukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha Arun

Yadav, Shri Ashok Kumar

Yadav , Shri Krishna Pal Singh

Yadav, Shri Mulayam Singh

Yadav, Shri Ram Kripal

NOES

Ajmal, Shri M. Badruddin

Basheer, Shri E. T. Mohammed

Jaleel, Shri Syed Imtiaz

Kunhalikutty, Shri P.K.

Masoodi , Shri Hasnain

Navaskani , Shri K.

Owaisi, Shri Asaduddin

Rehman, Shri Haji Fazlur

माननीय अध्यक्ष: मत विभाजन का परिणाम यह है :

हाँ : 287

नहीं: 08

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी ।

Clause 2

Amendment of Section 2

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3

Amendment of Section 25

माननीय अध्यक्ष: संशोधन संख्या 15, प्रो. सौगत राय जी – उपस्थित नहीं।

श्री असादुद्दीन ओवैसी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ASADUDDIN OWASI (HYDERABAD): I beg to move:

Page 2, line 5,-

for “principal Act in sub-section (1)”

substitute “Principal Act,

(i)in sub-section (1)” (19)

Page 2, after line 9 insert,-

“(ii) after sub-section (1), the following shall be inserted –

Provided that no order under this section shall be enforceable unless endorsed by a Magistrate within 15 days of such order being made.

Provide further that no order under this section shall be enforceable unless prior approval of the State Government for its enforcement has been obtained.”. (20)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खण्ड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 19 और 20 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Sir, I want division.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अनावश्यक रूप से डिविजन मांग रहे हैं।

...(व्यवधान)

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Sir, please quote the proviso to Rule 367.

...(Interruptions)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: सर, यह मेरा राइट है।...(व्यवधान) It is my right, Sir.

...(Interruptions) The House belongs to me as well. ...(Interruptions) I want

Division. ...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : हां, आपका राइट है तो मैं आपको कानून भी पढ़ा देता हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वरिष्ठ अधिवक्ता जी, यह काम मेरा है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नियम 367 (3)(ग):-

“ परन्तु यदि अध्यक्ष की राय यह है कि विभाजन की मांग अनावश्यक रूप में की गई है, तो अध्यक्ष द्वारा क्रमशः ‘हां’ तथा ‘ना’ वाले सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा जा सकेगा और गणना हो जाने के बाद सभा का निश्चय

विधोषित किया जा सकेगा। ऐसी दशा में मत देने वालों के नाम अब अभिलिखित नहीं किए जाएंगे।”

लॉबीज़ क्लीयर हैं।

...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: सर, मैंने सरकार को खड़ा कर दिया।...(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): यह सरकार आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है। अगर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना पड़ जाए तो हम सभी लोग आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं।

माननीय अध्यक्ष : मैं इसे पुनः रखता हूँ :

प्रश्न यह है :

“पृष्ठ 2, पंक्ति 6, --

“2, या मूल अधिनियम की धारा 25 का उपधारा (1) में,” के स्थान पर

“2, या मूल अधिनियम,

(i) उपधारा (1) में” प्रतिस्थापित करें। (19)

पृष्ठ 2, पंक्ति 12 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें, --

“(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा --

परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश प्रवर्तनीय नहीं होगा जब तक कि ऐसे आदेश का उसके जारी किए जाने के 15 दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट द्वारा पृष्ठांकन न हो।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 Amendment of Section 35

HON. SPEAKER: Shri Premachandran– not present.

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.के. कुनहलिकुट्टी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY : Sir, I beg to move :

Page 2, line 16, -

for “individual”

substitute “individual terrorist”. (8)

Page 2, line 20, -

for “individual”

substitute “individual terrorist”. (9)

Page 2, line 24, -

for “individual”

substitute “individual terrorist”. (10)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री पी.के. कुनहलिकुट्टी द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 8, 9 और 10 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

HON. SPEAKER: Shri Parthiban – not present.

माननीय अध्यक्ष : श्री असादुद्दीन ओवैसी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Yes, Sir, I beg to move:

Page 2, after line 29 insert, -

“(iv) after sub-section (3), the following shall be inserted-

“Provided that no individual shall be deemed to be involved in terrorism unless such person has been convicted and sentenced by a court of law of a crime.”.

(21)

माननीय अध्यक्ष : मैं इसे पुनः रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

“पृष्ठ 3, पंक्ति 3 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें,-
(iv) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा-
परंतु कोई व्यक्ति आतंकवाद में अंतर्ग्रस्त नहीं समझा जाएगा जब तक ऐसा व्यक्ति किसी न्यायालय द्वारा अपराध के लिए दोषसिद्ध और दंडित न किया गया हो।”

SHRI ASADUDDIN OWAISI: I want Division.

माननीय अध्यक्ष : मैं इसे पुनः रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

“पृष्ठ 3, पंक्ति 3 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें,-
(iv) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा-
परंतु कोई व्यक्ति आतंकवाद में अंतर्ग्रस्त नहीं समझा जाएगा जब तक ऐसा व्यक्ति किसी न्यायालय द्वारा अपराध के लिए दोषसिद्ध और दंडित न किया गया हो।”

जो सदस्य इसके पक्ष में हैं, वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं –
वे 8/288 हैं।

जो सदस्य इसके विरुद्ध हैं, वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं –
वे 288/8 हैं।

मेरे विचार में विरोध में ज्यादा संख्या है। संशोधन अस्वीकृत हुआ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 6 Amendment of Section 86

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.के. कुनहलिकुट्टी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Sir, I beg to move :

Page 2, line 32, -

for "individual"

substitute "individual terrorist". (11)

Page 2, line 35, -

for "individual"

substitute "individual terrorist". (12)

Page 2, line 46, -

for "individual"

substitute "individual terrorist". (13)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री पी.के. कुनहलिकुट्टी द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11, 12 और 13 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

HON. SPEAKER: Shri Parthiban – Not present.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 8 Amendment of Section 43

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran – Not present.

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.के. कुनहलिकुट्टी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Sir, I beg to move :

Page 3, line 8, -

For “inspector”

Substitute “Deputy Commissioner of Police”. (14)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री पी.के. कुनहलिकुट्टी द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

HON. SPEAKER: Prof. Sougata Ray – Not present.

प्रश्न यह है :

“कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 और 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 11 Amendment of Second Schedule

माननीय अध्यक्ष : श्री असादुद्दीन ओवैसी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I beg to move:

Page 3, after line 21, -

Insert “(xi) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or punishment (1987).” (22)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

पृष्ठ 4, पंक्ति 9 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें –

“(xi) यातना और अन्य क्रूरता, अमानवीय या तिरस्कारपूर्ण व्यवहार या दंड के विरुद्ध अभिसमय (1987)”

SHRI ASADUDDIN OWASI: Sir, I want division.

माननीय अध्यक्ष: मैं इसे पुनः रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 4, पंक्ति 9 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें –

“(xi) यातना और अन्य क्रूरता, अमानवीय या तिरस्कारपूर्ण व्यवहार या दंड के विरुद्ध अभिसमय (1987)”

अब, जो सदस्य इसके पक्ष में हैं, वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं –
वे 7/288 हैं।

अब, जो सदस्य इसके विरुद्ध हैं, वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं –
वे 288/7 हैं। मेरे विचार में विरोध में ज़्यादा संख्या है। संशोधन अस्वीकृत हुआ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

“कि खंड 11 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

SHRI G. KISHAN REDDY: I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब लॉबीज़ खोल दी जाएं।

सभा की कार्यवाही चार बजकर पंद्रह मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

15.36 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen Minutes past Sixteen of the Clock.

16.17 hrs

*The Lok Sabha re-assembled at Seventeen Minutes past
Sixteen of the Clock.*

(Shri Bhartruhari Mahtab in the Chair)

**STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF BANNING OF
UNREGULATED DEPOSIT SCHEMES ORDINANCE, 2019
AND
BANNING OF UNREGULATED DEPOSIT SCHEMES BILL, 2019**

HON. CHAIRPERSON: Item Nos. 11 and 12 shall be taken up together. Shri Adhir Ranjan Chowdhury will move the Resolution and subsequently the Minister will move the Bill.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I beg to move:

“That this House disapproves of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance, 2019 (No. 7 of 2019) promulgated by the President on 21 February, 2019.”

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER
OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG**

SINGH THAKUR): Sir, on behalf of Shrimati Nirmala Sitharaman, I beg to move:

“That the Bill to provide for a comprehensive mechanism to ban the unregulated deposit schemes, other than deposits taken in the ordinary course of business, and to protect the interest of depositors and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

सभापति महोदय, धन्यवाद । जैसा आपके ध्यान में है कि 16वीं लोक सभा में इस महत्वपूर्ण विषय पर लम्बी चर्चा हुई और इस सदन ने इस बिल को पास भी किया था । इस बिल को लाने के पीछे क्या कारण हैं? लाखों लोग जो गरीब हैं और भोले-भाले भी हैं, उनको अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम्स के माध्यम से भ्रमित करके, उनकी गाढ़ी कमाई को हथियाने का एक प्रॉपेगैण्डा जो देश के अलग-अलग कोनों में चलता था, उसे रोकने के लिए इस बिल को लाया गया है ।

अगर इसके ज्यादा विस्तार में जाएं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वर्ष 2015 में स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, चिट फण्ड्स पर भी चर्चा की और अपनी रिपोर्ट में कहा, जो मैं आपके लिए पढ़कर बताना चाहता हूँ कि :

“The Standing Committee on Finance recommended that the Government may bring effective, administrative and enforcement measures as well as appropriate legislative provisions through enactment of a central legislation.”

सभापति महोदय, उनकी रिकमेंडेशन्स के बाद इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया गया । उनकी कमेटी ने मिलने के बाद जो अपनी रिकमेंडेशन्स दीं, उसमें कहा गया :

“To identify the gaps in the existing regulatory framework for deposit taking activities and to suggest administrative, legislative measures...”

Sir, the IMG's legislative recommendations included enactment of a new central legislation in order to tackle the menace of illicit deposit taking schemes. उसके बाद इसी सदन में वर्ष 2018 में 18 जुलाई, 2018 को बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटरी डिपॉजिट स्कीम्स बिल वर्ष 2018 को इंट्रोड्यूज किया गया । इसको स्टैंडिंग कमेटी के लिए रेफर किया गया और स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने भी इसको 10 अगस्त, 2018 को रेफर किया ।

HON. CHAIRPERSON: The Standing Committee on Finance discussed it and gave its recommendations.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस विषय को याद करवाया, क्योंकि उस कमेटी के दूसरे सदस्य श्री निशिकान्त जी भी पीछे से कह रहे हैं कि 10 अगस्त, 2018 को इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया और रिकॉर्ड समय के अंदर इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने अपनी रिकमेंडेशन्स देते हुए इसको वापस किया, जिसके लिए हम आपके और स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के आभारी हैं। जब बिल लोक सभा में आया तो बड़े विस्तार में इस पर चर्चा हुई। सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विषय को बड़ी गम्भीरता से रखा और अधिकतर सदस्यों ने माना कि जो गरीब लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है, उसे रोकना चाहिए। 16वीं लोक सभा में 13 फरवरी, 2019 को यह बिल पास किया गया।

माननीय सभापति जी, राज्य सभा में समय न होने के कारण इस बिल को न कन्सिडर कर पाए और न इसको पास कर पाए। समय का अभाव था और 16वीं लोक सभा खत्म होने को आ गई। उसके बाद कोई सत्र बचा भी नहीं था और राज्य सभा में भी इसको टेक अप नहीं कर पाए, इस कारण ऑर्डिनेन्स भारत सरकार को लाना पड़ा। माननीय राष्ट्रपति जी ने इसके आदेश जारी किए और ऑर्डिनेन्स 21 फरवरी, 2019 को लाया गया। अब मैं सदन के सामने इस विषय को लेकर एक बार फिर खड़ा हुआ हूँ। मुझे लगता था आज इस पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि एक बार विस्तार से इस पर चर्चा हो चुकी है, पर चूंकि 17वीं लोक सभा में नए माननीय सदस्य आकर जुड़े हैं, वे भी अपने विचार इसमें रखना चाहेंगे, वे भी जमीन से चुनकर यहां पर आए हैं, लाखों लोग उनको वोट करते हैं और वे भी इन समस्याओं को बहुत सारे राज्यों में देखते होंगे, क्योंकि देश भर में इसके प्रभाव पाए जाते हैं, लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। इसलिए मैं भी माननीय सदस्यों को सुनना चाहूंगा कि आखिरकार इस विषय में वे और कौन सी जानकारी इस सदन को देना चाहेंगे? लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरकार अपनेआप में एक कॉम्प्रिहेन्सिव बिल यहां लेकर आई है,

जिसमें सबसे पहला राइट किसी का होगा तो डिपॉजिटर का होगा। यह इसकी प्राथमिकता भी है। इस हेतु समय सीमा भी तय की गई है कि कितने दिनों के अंदर इस पर कार्रवाई करनी है, कौन-कौन सी अथॉरिटीज होंगी। राज्यों को रूल्स बनाने के अधिकार भी दिए गए हैं। इन सब विषयों पर हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सभी माननीय सदस्य इस पर चर्चा भी करें, अपने सुझाव भी दें और आम सहमति से इसको पास भी करवाएं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Motions moved:

“That this House disapproves of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance, 2019 (No. 7 of 2019) promulgated by the President on 21 February, 2019.”

“That the Bill to provide for a comprehensive mechanism to ban the unregulated deposit schemes, other than deposits taken in the ordinary course of business, and to protect the interest of depositors and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Hon. Chairperson, Sir, I do not have any cogent argument to oppose the legislative document under the nomenclature ‘The Banning of Unregulated Deposit Scheme Bill, 2019’. But I cannot subscribe to the view of this Government so as to promulgate the Ordinance. At periodical intervals, the Government has been promulgating Ordinance, which I must say, is deleterious to the ethos of democracy and to the fabric of democracy. So, without any reservation, I must oppose the promulgation of the Ordinance and the arguments which have been trotted out

in support of the promulgation are, in my view, bereft of any substantial content. Rather, the Bill has been demonstrating its intent. I am in support of its intent, but I am vehemently opposing the arguments of the contents of promulgation of the Ordinance. मंत्री जी बिलकुल सही कह रहे हैं कि हिन्दुस्तान में लाखों नहीं, अपितु करोड़ों लोग धोखाधड़ी के शिकार हो चुके हैं। अनियमित निक्षेप स्कीम के माध्यम से पूरे हिन्दुस्तान में गरीब लोगों की कमाई को लूटा जाता है। इसके चलते हिन्दुस्तान में हजारों लोगों को खुदकुशी करनी पड़ी, भुखमरी का शिकार होना पड़ा, उनकी जिंदगी की सारी कमाई को लूट लिया गया। यह सब मैंने स्वयं देखा है। हमारे पश्चिम बंगाल में हजारों-लाखों लोगों के साथ बेरहमी से धोखाधड़ी की गई है। इसके खिलाफ हम भी बंगाल में आवाज उठाते आ रहे हैं। आपने कहा कि 16वीं लोक सभा में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। विस्तृत चर्चा नहीं हुई, चर्चा जरूर हुई और बिल पारित भी हुआ।

सर, यह सही है कि हमारे हिन्दुस्तान में नॉन बैंकिंग सेक्टर में जो रेग्यूलेशन है, वह हाइड्रा हेडेड है। इसमें सीमलैस मकेनिज़म रेग्यूलेशन नहीं है। जैसे कि The non-banking financial companies are under the regulatory and supervisory jurisdiction of the Reserve Bank of India under the provisions of RBI Act 1934.

सर, हमारे बंगाल में चिट फंड को CHEAT FUND और यहां CHIT FUND, जो एक कानूनी फण्ड है, लेकिन बंगाल में जिस तरीके से धोखाधड़ी हुई है, इस फण्ड को वहां CHEAT FUND मतलब धोखाधड़ी का फण्ड कहा जाता है।

Chit funds and money circulation schemes are under the domain of State Government. Housing finance companies come under the purview of National Housing Bank; collective investment schemes come under the purview of the Securities and Exchange Board of India, and deposits taken actively by companies other than NBFC are regulated by the Ministry of

Corporate Affairs. Further, section 45(8) of the RBI Act prohibits acceptance of deposits by individuals and un-incorporated entities. Raising of money needs to be allowed in a responsible, accountable and transparent manner. But it must be ensured that violations are safely addressed.

हमारा मकसद भी यही है कि वॉयलेशन को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और आम लोगों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए इस व्यवस्था को सीमलैस करना चाहिए। अभी भी यह हाइड्रा हेडेड रेग्युलेटरी मकेनिज्म है। इसका और सरलीकरण करके एक सेन्ट्रल रेग्युलेशन की जरूरत है, यह मैं भी स्वीकार करता हूँ। बिल में यह भी आ गया है कि,

“Despite such diverse regulatory framework, schemes and arrangements leading to unauthorised collection of money and deposits fraudulently, by inducing public to invest in uncertain schemes promising high returns or other benefits, are still operating in the society.”

इसका मतलब सब कुछ होते हुए भी, सबकी व्यवस्था होने के बावजूद भी, हमारी सोसायटी और हमारे देश में अभी भी आम लोगों में फाइनेंशियल इलिटरेसी छाई हुई है। हमारे आम लोगों में जो फाइनेंशियल इलिटरेसी है, वह सबसे बड़ी कमी है। वे सोचते हैं कि यहां पर हम पैसे लगाएंगे, तो हमारा पैसा दोगुना-तिगुना हो जाएगा। हम इससे शादी-ब्याह का इंतजाम करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी, तो जमीन खरीदेंगे और घर बनाएंगे, जिसके चलते लुभाते हुए बहुत सारी कंपनियां आ जाती हैं और धोखा देकर निकल जाती हैं। न सूबे की सरकार और न ही केन्द्र की सरकार को कुछ पता चलता है। अगर पता भी चल जाता है, तो उस पर चुप्पी साध लेते हैं। पता नहीं क्यों सभी सूबों की सरकार और केन्द्र की सरकार चुप्पी साध लेते हैं? इसके चलते आम लोगों को इस अनरेगुलेटेड स्कीम की वजह से भुगतना पड़ता है।

“The Bill also provides that its provisions will not apply to deposits taken in the ordinary course of business in order to ensure that various entities are able to take deposits in their ordinary course of business without any difficulty. The Bill ensures that no hardship is caused to genuine businesses, or to individuals borrowing money from their relatives or friends for personal reasons or to tide over a crisis.”

इसका मतलब यह है कि स्टैंडिंग कमेटी में बड़ी मशक्कत के साथ आप सबने काम किया है, इसलिए आप लोग इतने अच्छे-अच्छे सुझाव लाए हैं। लेकिन आप यह देखिए कि इसका मैग्निट्यूड क्या है? What is the magnitude of the deception or the fraudulent activities across the country? In the past four years, 146 cases of this nature had been investigated by the CBI; 56 by the ED; 32 cases involving 223 companies, by the Ministry of Corporate Affairs and SIFO, and 978 cases were referred to various investigating enforcement agencies by the State Coordination Committees. SEBI alone has passed 64 orders against unauthorised collective investment schemes in the last three years. That is the kind of the menace which unregulated deposit taking companies or the entities pose. The worst victims of these schemes are the poor and the financially not so fully aware population of the country. Operation of such schemes in many cases is spread across the States. Most State Governments have their respective Protection of Interest of Depositors Act, PID, already and these Acts will continue to remain effective even after this Central legislation.

Further, as mentioned in the First Schedule to the Bill, the Regulated Deposit Schemes are regulated by respective regulators which include SEBI,

RBI, IRDI, NHB, PFRDA, EPFO, etc. So, different companies get registered and regulated under the provisions of different Acts and schemes regulated by different regulators. The Bill essentially seeks to ban those who are not registered anywhere and those who are not regulated anywhere. Those who are regulated entities continue to do the business but the unregulated ones do not. The unregulated scheme has been defined in the Bill.

The Standing Committee in its recommendation has expressed its concern and apprehension. It has been stated that while appreciating the larger object and the spirit of the proposed legislation, the Committee are apprehensive that this Bill may end up leaving unfettered discretion upon enforcement authorities at the ground level where a large number of gullible people depend on small short-term credit or deposits for their various needs. This includes trade advances, which are effectively deposits and the vast informal banking sector. There are also financial arrangements and channels of financing, involving entities in the informal sector including start-ups and small entrepreneurs, which may by default fall under the ambit of 'unregulated scheme' due to absence in the Bill of a coherent, clear-cut definition of 'unregulated'.

The Committee, thus, desired that such ambiguities should be cleared to prevent harassment and misuse. In this legislative document, 'unregulated deposit scheme' is defined as a scheme or an arrangement under which deposits are accepted or solicited by any deposit taker by way of business and

which is not a regulated deposit scheme, as specified under column (3) of the First Schedule.

We have gone through this column also. But still, I think, there is a slip between the cup and the lip. These loopholes, if any, should be addressed as expeditiously as possible. First of all, it is still dominated by hydra-headed regulator and it is still not a seamless architecture, which is desired. So many miles are to go before making it seamless and free from loopholes and deficiencies.

Sir, the Committee desired that as a way forward, effective regulation needs to be complemented by effective surveillance, empowerment of authorities and the process of punishment being rendered quick to act as a strong deterrent. यह जो पनीशमेंट की बात यहाँ कह रहे हैं, यह डेटेरेंट के जरिये कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि आज तक हिन्दुस्तान में लोगों को भ्रमित करके, धोखा देकर इतना सारा जो पैसा लूटा गया, हम इसमें कितनी फ्रॉड्यूलेंट कम्पनीज़ को सज़ा देने में कामयाब हुए हैं? लेकिन जब डेटेरेंट की बात आती है तब हम यह भी देखेंगे कि इसकी सक्षमता कितनी दूर पहुँच चुकी है।

Clause 30 of the Bill provides that the Competent Authority shall refer the matter to the CBI, and further that the reference made by the Competent Authority shall be deemed to be with the consent of the State Government under Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act. The Committee believed that since the matter may also involve offences under various economic laws, and also considering the huge workload already shouldered by the CBI, it would be more prudent and practical to avoid exclusive jurisdiction

to one particular investigating agency. Accordingly, the words “or any other agency like Serious Fraud Investigation Office, depending on the subject-matter” may be added after “the Central Bureau of Investigation”. अभी यह ओवर-बर्डन्ड है, सी.बी.आई. में सब जाते हैं। हमारे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा बंगाल में शारदा आदि पोंजी स्कीम में चलती हैं।... (व्यवधान) जो है, सो है। इसके खिलाफ हम अपनी पार्टी की तरफ से हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जाँच कराने के निर्देश दिए। लेकिन ये सीबीआई में रह गए, आज तक किसी को सजा नहीं मिली, जो हम कहते हैं कि यह डेटेरेंट इफेक्ट है। डेटेरेंट इफेक्ट का मतलब क्या है? हमारे यहाँ लाखों लोगों का पैसा लूटा गया है, वह भी हजारों-हजारों करोड़ रुपये। एक पैसा भी अभी निकाला नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से कितना पैसा इन्वॉल्व हो चुका है? आपके आकलन में कितना पैसा चिटफंड में इन्वॉल्व्ड है मतलब पोंजी स्कीम में। हिन्दुस्तान में कितने स्टेट्स और लोग हैं, जो पोंजी स्कीम के तहत अभी भुगत रहे हैं और कितनी फ्रॉड्यूलेंट मनी आप उजागर कर सके हैं।

How much money have you been able to unearth, which was defrauded by the fraudulent companies?

Sir, I am simply putting two or three suggestions to the hon. Minister who is akin to my brother also. To establish the fact that an inducement was made knowingly and with malicious intent by an individual, is a tedious, nearly impossible task. There is every possibility that these loopholes may be used to unfairly frame innocent citizens who may have had incomplete knowledge and who were as much victims of the scheme as the depositors were.

This loophole - in which the establishment of wilful concealment and distribution of deceptive information is nearly impossible - can be exploited with ease.

Section 31 of the Bill, which allows police officers to search without a warrant, has insufficient safeguards to prevent exploitation by the act of searching without a warrant. This is a loophole that is open to exploitation.

The authorization given to the Central Government to create a database of all deposit activities could raise questions about privacy and surveillance. This authorization is perhaps too premature and needs to be clarified. The Government of India now has been bulldozing all the Bills in such a way that the first and the worst victim is the privacy of our life. In this Bill also, there is something which is smacking of violation of privacy.

According to a report in the *Business Standard*, this Bill could adversely hit real estate developers and jewellers.

HON. CHAIRPERSON: If you are quoting a newspaper, then you have to sign it and give it at the Table of the House.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: All right. Sir, we are not so much conservative like you.

HON. CHAIRPERSON: There is nothing to be conservative. This is the rule.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: If I refer to any paper, you just delete it.

This Bill could adversely hit real estate developers and jewellers, who offer payments in instalments, with up to 50 per cent discounts promised in monthly contribution. Real estate developers who offer fixed returns till possession come under “unregulated deposits”.

HON. CHAIRPERSON: The Minister will reply to that but I think this has been allowed. This does not come under unregulated deposits. Anyway, please conclude now.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Certainly, it may be allowed or it may not be allowed, it is a different thing. But I have the privilege to ask for clarification. I am not as knowledgeable or as erudite as our respected Chairman is. But I have the right to seek clarification. That is why, I am seeking clarification from the Minister concerned.

मंत्री जी, बात यह है कि सारे हिन्दुस्तान में यह धोखाधड़ी आज भी जारी है। बंगाल में इन सारी घटनाओं के बाद अभी भी पोंजी स्कीम्स चालू हैं। लोगों को अपना चवन्नी पैसा भी वापस नहीं मिला है। इसका बहुत हल्ला हुआ है, सारे लोग जानते हैं कि चोरी हो चुकी है, धोखा दिया गया है, लेकिन धोखा देने के बावजूद किसी को भी चवन्नी पैसा वापस नहीं मिली है। इसलिए लोगों में भरोसा जताने के लिए आप सख्त से सख्त कदम उठाइए। आपको और जरूरत पड़े, तो आप इससे ज्यादा स्ट्रिन्जेंट लेजिस्लेशन लाइए। हम आपको इसमें मदद करेंगे, जिससे आम लोगों को सुविधा होगी, हम उसके साथ हर वक्त रहेंगे। यह हमारा मुद्दा है। नमस्कार।

HON. CHAIRPERSON: Thank you, Adhir Babu.

Before I call the next speaker, I just want to inform the House that this is the first Bill which the young Minister of State for Finance is piloting in this House.

SHRI S.C. UDASI (HAVERI): Sir, at the outset, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on this serious Bill, namely, The Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019.

I am happy to say that we were all, including you, the Chairman, Sir, part of the Standing Committee in the 16th Lok Sabha. Saugata Dada and Shri Nishikant Dubey, we were all part of the Standing Committee from 2015 to 2018. As has been said by the hon. Minister in his opening remark, this Committee gave recommendations in 2018 and they have been accepted and this Bill has been brought up in a time-bound manner.

This Bill was passed during the 16th Lok Sabha but due to paucity of time it could not be passed in the Rajya Sabha. So, it was once again promulgated as an Ordinance by the hon. President of India. Then to have the effect of law in order to protect the interest of the poor people who have lost and are, as Shri Adhir Ranjan was mentioning, losing millions of money because of these unregulated deposit schemes, the Government of India, under the leadership of Shri Narendra Modi ji, has brought this Bill. Therefore, I stand here to defend the provisions of this Bill and support the Bill.

Sir, before elaborating on the provisions of the Bill, I would like to draw your attention to the fact as to how the *Ponzi* schemes, or the chit funds or the unregulated deposit schemes are making the poor people lose their hard-earned valuable money. I would like to narrate some such incidents which happened in this country. Despite increasing awareness and tightening regulations, investors continue to fall for schemes promising eye-popping

returns. Even senior citizens and home makers who are otherwise wary of investing in well regulated equity funds find it difficult to resist from investing in such *ponzi* schemes. Basically, this is a socio-economic behavioural problem. In spite of having these types of regulations and Act, why are people lured to invest in these type of chit funds, or bogus or fake companies? This is because after having these types of Acts, if a person cannot control his urge to make a quick buck, then in that case behavioural aspect is key and not giving in to the greed is the surest way to insulate oneself against such frauds. That is the only mechanism.

Sir, in spite of having the Ordinance on this unregulated deposit scheme, what happened in the State of Karnataka? You might have heard about IMA company which lured so many poor people into depositing money, especially the people belonging to the Muslim community and they all got cheated. What was the *modus operandi*. The company took the route of LLP which is not part of this Bill. The company was taken as an LLP where all the investors were made a part of the company and because of this the provisions of the Ordinance could not take effect and no action could have been taken against them. In that way IMA being a *ponzi* scheme collected huge amounts of money and cheated a large number of people.

Sir, to give a few more examples, there are a number of such *ponzi* schemes, or unregulated deposit schemes like IMA, Freenet, Speak Asia online, Sharda, Rose Valley, Samruddhi Sahakari, Alchem, MSP, Sunflower. There are multiple such agencies which cheat the ordinary people of this

country. As has been mentioned by Shri Adhir Ranjan ji, in the State of West Bengal the Government went to court to seek redressal. Even in the State of Odisha, the Government appointed a Commission under a retired judge, in a case where small investors were cheated, and promising the people that they will get back their money. But what I heard the other day was, one of my senior colleague was telling me, that in the State of Odisha the Enquiry Commission which was constituted and headed by a retired judge, the amount paid to the retired judge was more than Rs. 3.5 crore but the small investors got no money from Government of Odisha. If this is the state of affairs, how can the poor people get back their money? So, I would like to urge upon the hon. Minister that when you intend to pay back the money to the investors, then it should be done in a time-bound manner.

HON. CHAIRPERSON: The rules are supposed to be made by respective State Governments. That is in the Bill. Now the onus lies with the State Government on how they have to frame the rule.

SHRI S.C. UDASI: Sir, I would like to draw your kind attention to the Memorandum regarding delegated legislation. It says:

“Clause 41 empowers the Central Government to add or omit schemes or arrangement to or from the list of Regulated Deposit Schemes specified in the First Schedule of the proposed legislation.”

So, even the Government of India can do that. I was talking about the LLP which has not been introduced in the Bill. It should be taken up when rules

or subordinate legislation are going to be formed. It has to be taken into consideration so that poor people will get benefited.

As Shri Chowdhury was saying, it is financial illiteracy which is making the people lose their wealth and their hard-earned money by the activities of these fraudulent people who are cheating the people of this country.

I would urge upon the Government to take it up as a serious thing. While formulating the subordinate legislation, this should be taken care of so that no such thing will happen in future. In spite of doing all these things, why is the ordinary citizen of this country being cheated?

The classic example is Sahara. अभी तक आपको सहारा के बारे में पता नहीं चल रहा है। We do not know whether it was an unregulated deposit scheme or a money laundering case. Even after the Supreme Court has said many things about Sahara, अभी तक किसी डिपॉजिटर को कोई पैसा नहीं मिला। जब इसके लिए कमीशन हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने इन्टरवीन किया, तब कहा जा रहा है कि पेपर में जो आदमी था, वह नहीं मिल रहा है। Is it a classic case of money laundering or a case of unregulated deposit scheme? Nobody is knowing about this. In spite of this, all the stars and the cricket players appeared in the advertisements of the Sahara Company which this Bill has addressed saying that it should not happen in future. By this way, poor people will not get cheated....(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Is the hon. Member saying that it gives credibility to those companies?

SHRI S.C. UDASI : Advertisement by those types of people, it will give credibility, also make them to invest in such type of companies and lose their money. This is what I am trying to tell this House.

In the IMA case, Mansoor, the owner of IMA, said that it was a 'halal trading firm' allegedly with the blessings of local religious leaders. It may be a few of them. I am not saying that all religious leaders of Muslim community have done it. It is also said that the Muslim community had fallen prey to what was called 'Mudarabah', commonly referred to as 'halal investment' by a section of ulema. They were apparently taken in by visible political patronage and the company's promise of high returns which it reportedly met for the last 13 years.

Sir, the words used as regards IMA are 'I Monetary Advisory Pvt. Ltd.'. Somebody may be thinking that it is sounding as RBI. It is done for cheating the people. When you hear a name like this, 'I Monetary Advisory Pvt. Ltd.', it will make not only the financially illiterate people but also the literate people fall prey to this company. They get cheated when they see the name of the company like this. To adhere to 'Mudarabah', I Monetary Advisory Pvt. Ltd. which was founded in 2006, it took investors as Limited Liability Partners in the firm and invested the money in a range of businesses. The IMA Group did not take 'deposits' or give out 'interest' because it was a halal trading firm. Instead, it sought investments from the public and issued Limited Liability Partnerships to investors, thereby making them partners. It paid investors or partners

'dividends' every month and marketed itself as 'halal', as said by the senior police officer.

As an aftermath of that, the police say that this has also provided a veneer of 'religious justification and endorsement' within the community. There is latent anger against a section of ulema for misleading the flock. Every time, there were allegations and IT raids, Mansoor used to hold a function that was attended by prominent leaders.

This is how they cheat the people. People invest in their companies in the name of dividend and lose huge sums of money. There is a conservative estimate of about 1,25,000 people who have lost to the tune of Rs. 5000 crore. So, in this regard, the LLP model allowed IMA to be excluded from the definition of deposit under the Karnataka Protection of Interest of Depositors in Financial Institutions Act (KPID), 2004 and also, as I said earlier, the Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance, 2019. Though the State Revenue Department and Economic Offences Wing of the Criminal Investigation Department initiated probes between November 2018 and March 2019, these did not end in punitive action because they have taken protection under LLP. So, this is my humble request to the hon. Minister that the LLP should be added in this so that people are not cheated.

In the Committee, as we were a part of it and you were also a part of that Committee, we had recommended:

“The Committee note that clause 30 of the Bill *inter-alia* provides that ‘the Competent Authority shall refer the matter to the Central Government for investigation by the Central Bureau of Investigation’, and further that ‘the reference made by the Competent Authority shall be deemed to be with the consent of the State Government under Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946; and on receipt of the reference, the Central Government may transfer the investigation of the offence to the CBI under Section 5 of the Delhi Special Police Establishment Act 1946.’ The Committee believe that since the matter may also involve offences under various economic laws, and also considering the huge workload already shouldered by CBI, it would be more prudent and practical to avoid exclusive jurisdiction to one particular investigation agency. Accordingly, the words ‘or any other agency like Serious Fraud Investigation Office (SFIO) etc., depending on the subject matter’ may be added after ‘the Central Bureau of Investigation’ wherever it appears in Clause 30 or elsewhere in the Bill. Further all offences under this Bill involving more than one State should be *suo moto* taken cognizance of by the Central Government and referred to the appropriate investigating agency.”

This should be clarified by the hon. Minister so that what the Committee recommended is given priority. Sir, I have one more point to make. The ninth recommendation which the Committee on that day gave was:

“The Committee note that the State Government is the designated authority for the implementation of the provisions of the Bill. However, clause 9 of the Bill provides that ‘the Central Government may designate an authority which shall create, maintain and operate an online database for information on deposit takers operating in India and the authority designated as such may require any Regulator or the Competent Authority to

share such information on deposit takers, as may be prescribed'. There is thus no provision for a central regulatory agency under this Bill, as presently different regulators like SEBI and RBI are mandated under their respective statutes for different categories of deposit takers or deposit/investment schemes. The Committee understand that the State-level Coordination Committees (SLCC) under the auspices of the RBI with representation from different agencies like SEBI and State Police are presently functioning at the State-level as an ad-hoc coordinating mechanism. The Committee desire that this mechanism should be institutionalised, involving the participation of all concerned agencies including the Revenue Department, under the auspices of the nodal department of the Central Government designated under the aforementioned clause 9 of the Bill for maintenance of central database and the same should be appropriately incorporated under this clause. This nodal department should be empowered to function as an effective coordinating authority at the Central level beyond the role of just maintaining data-base as envisaged in the Bill and it should also be entrusted with the sole responsibility to regulate and monitor the implementation of the provisions of the Bill."

This is why Chowdhuryji was saying कि इसे सरल होना चाहिए। इस देश में जब भी कोई कानून बनता है, तो उसे सरल होना चाहिए, सीमलेस होना चाहिए।

This is what the Committee had recommended to have a seamless functioning through this Bill and to give justice to the poor people of this country who have lost money and who will be losing it in the near future. As I said, when you are ready for getting cheated, there will be people who are going to cheat you. It is only the socio-economic behaviour of greed which will make the people to get lured to these types of things. In spite of this, this is a good Bill. ...(*Interruptions*) Please give me two more minutes.

17.00 hrs

This is a good Bill. But I will also use this opportunity to speak a few words about cryptocurrency, as my colleague Shri Nishikant Dubey reminded me about. So, I urge upon the Government to take note of cryptocurrency. As far as cryptocurrency is concerned, this is a business of around 120 billion US dollar all over the world. How does it operate? We all know about it.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI S.C. UDASI: Sir, please allow me two minutes. This is very important.

Sir, in cryptocurrency, there is Bitcoin, there is Ethereum, there is Ripple etc. There are 116 types of cryptocurrencies with a market capitalisation of 120 billion US dollars all over the world. They are not legal tenders. They will be operated under dark net. How does the dark net operate? We all operate through net. The regular net is only up to 6 per cent, but the remaining 94 per cent is dark net which cannot be hacked.

HON. CHAIRPERSON: The Government is, perhaps, seized of the matter and RBI is also looking into it. But you can just point out what you want relating to cryptocurrency.

SHRI S.C. UDASI: Sir, cryptocurrency is also another form of ponzy. Digitally you can be cheated and you can be lured. But the investor's investment should be protected. So, in my opinion, cryptocurrency should be banned. The Inter-Ministerial Group has already submitted its Report. Hence, I urge upon the Government, through you, to impose a blanket ban on cryptocurrencies or the Government should have regulated cryptocurrencies.

With these words, I fully support this Bill and I thank you for giving me this opportunity.

HON. CHAIRPERSON: Thank you Mr. Udasi for speaking for the first time in 17th Lok Sabha.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Mr. Chairman, Sir, at the outset, I would like to say that broadly I agree with the various clauses of this Bill, excepting one which I will just explain.

17.03 hrs (Shri N.K. Premachandran *in the Chair*)

Sir, chit funds are operating in our country right from 1982. There are regulatory agencies. But unauthorised chit funds are also being run in our country. My question is this. Why the regulatory agencies like Reserve Bank of India and SEBI did not act on them? No steps have been taken by RBI and SEBI. This is my first contention. Had they taken some action, we would not be facing this situation now. These are being run from 1982. So, why have they not taken action right from 1982? These chit funds were allowed to be run without having any licence. Why have they not been able to catch the persons who were running these unauthorised chit funds? Is chit fund a valid business? Ponzi schemes are invalid.

If chit fund is valid and ponzi scheme is invalid, how will the common people make a distinction between a chit fund and a ponzi scheme? What are the differences? The Standing Committee's Report has been referred here. Recently we have come to know that one of the members of the Standing Committee put a question to the Governor of the Reserve Bank of India. He

asked, why is it named as 'chit fund'? The Reserve Bank has answered, it is not 'cheat fund', but 'chit fund'. If that is so, how will a common man understand what is chit fund and what is ponzi scheme? That is the basic question. That has created all the confusion.

Sir, suppose a business man may run a newspaper or a film producer or a real estate businessman comes to any person, including a politician, and describes himself as a businessman, one has to take him on his face value. Whether he is running a chit fund or a ponzi scheme, who will know it? So, I would appeal to the hon. Minister of State for Finance to kindly communicate even to the hon. Prime Minister that from tomorrow you completely ban all chit funds. Our opinion is you should put a blanket ban on all chit funds.

HON. CHAIRPERSON : Mr. Kalyan Banerjee, the time is limited. So, please be brief.

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, I become a bit nervous the moment you come here because of restriction of my time. I was very happy that the representative of Jagannathji is sitting in the Chair. Anyway, please give me some more time.

Sir, I now come to Sharada issue which is being referred to here. I would like to refer to the judgement of the Supreme Court in the case of Subrata Chattoraj vs Union of India. I will just quote paragraph 25 of the judgement. It says:

"There is yet another aspect to which we must advert at this stage. This relates to the role of the regulatory authorities. The

investigation conducted so far puts a question mark on the role of regulatory authorities like SEBI, Registrar of Companies and officials of RBI within whose respective jurisdictions and areas of operation the scam not only took birth but flourished unhindered. The synopsis filed by Mr. Vaidyanathan names some of the officials belonging to these authorities and give reasons why their role needs to be investigated. The synopsis goes to the extent of suggesting that regular payments towards bribe were paid through middleman to some of those who were supposed to keep an eye on such Ponzi companies. The regulatory authorities, it is common ground, exercise their powers and jurisdiction under Central legislations. Possible connivance of those who were charged with the duty of preventing the scams of such nature in breach of the law, therefore, needs to be closely examined and effectively dealt with. Investigation into the larger conspiracy angle will, thus, inevitably bring such statutory regulators also under scrutiny.”

Now, ultimately the Supreme Court has also directed that an investigation should be made against them. But is there any investigation against RBI? Is there any investigation against SEBI? Has any official of RBI or SEBI been interrogated? Has any official of any regulatory agency been interrogated? Has any person been arrested? The Supreme Court has clearly said that they are taking bribes. This is the language of the Supreme Court, not my language.

You are giving the power to the RBI; you are giving the power to the SEBI through the agency; you are creating a competent authority. I do not

mind it. But the question is, whether they are working or not. They are not at all working.

There are Acts in place also like the one we have in West Bengal. That must be in Kerala also. Our State has the Act, namely, The West Bengal Protection of Depositors in Financial Establishments Act, 2013. The President's assent has been given to it in 2015. I have only one point to make in respect of the Bill. I am not going into any other part.

Sir, as you know, 'law and order' comes under the Seventh Schedule, List II, Entry I. Therefore, if any offence is committed, States have the power regarding that. Now, what is being done? Under section 30, sub-section 2 - fortunately you are here, I will get the chance to speak on the legal aspects - the reference made by the competent authority under sub-section 1, shall be deemed to be with the consent of the State Government. Sir, you know, the 'deemed' clause is a legal fiction and nothing more than that. It is a legal fiction. Can a legal fiction be made an explicit legal provision in one statute at all? It cannot be done. Therefore, you are interfering with the power of the State itself. Let us understand this. For example, if a crime has been committed in Kerala, then Kerala police officers have the jurisdiction over it. They can come to West Bengal also. This power is a matter of jurisdiction. You are really hitting the federal structure of the Constitution itself. The question is, whether a power which is listed under the Second List of the Seventh Schedule can be exercised in an indirect manner under List I of the

Seventh Schedule. This portion is really ultra-vires. There cannot be any 'deemed' provision.

I have another thing to say and I will finish it. Why are people running for chit funds, ponzi funds etc.? Why? The reason is simple. The ground reality is this that everyday you are deducting the interests. Everyday you are deducting the interests, either bank interest or small savings interest. A common man, a pensioner, a widow, a divorcee woman, a poor person – all depend upon their small savings. They just pass on their days on the basis of interest. This Government is rather forcing, pushing the common people, poor people to indulge in these schemes. Go and take money from them -- in an indirect manner you are doing it. It should not be done. If you want to stop it, if you want to stop these ponzi schemes, if you want to prohibit it, you prohibit chit funds. You give people high interests, so that people are benefited.

I am about to finish. I have heard so many things. I have heard so many comments. I have heard about Saradha and Rose Valley and so many things. The Supreme Court had directed the CBI to investigate the matter in 2014. CBI is making an investigation. In 2019, charge-sheet has been filed. My question is - today sitting on the floor of the Parliament, through you, why the trial has not begun. Why the trial has not commenced? Sir, speedy trial is also a Right under Article 21. An accused and similarly a victim both have this right under Article 21 of the Constitution.

Both are enjoying this right under Article 21. If both are enjoying this right under Article 21 of the Constitution of India, why should a Sword of Damocles hang over a person for years together? And, he has to hear all the bad words, which can be used against him in the country. Why should he be blamed decades after decades that 'you are an accused, you are an accused, you are an accused?' Why should the CBI not complete the trial early? This is my question. I need an answer. You do it. If you think, I have committed an offence, you put me in jail, I do not mind, I do not oppose it. If I have committed an offence, you send me to prison. But do it quickly. Do not put a Sword of Damocles over my head years after years.

HON. CHAIRPERSON: Thank you, Mr. Kalyan Banerjee. I think, you have made your point.

SHRI KALYAN BANERJEE: Yes, Sir.

Thank you Sir. I am grateful to you that you have given me this much of time.

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri B. Chandra Sekhar.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, no cross-talk please.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, you please address the Chair.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except the observations of the hon. Minister.

...(Interruptions) ... *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI BABUL SUPRIYO): I am an MP first, and then I am a Minister...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Kalyan Banerjee, please be seated.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Minister, you have every right to intervene.

SHRI BABUL SUPRIYO: Sir, I have every right to help my colleague. What is wrong in it?

HON. CHAIRPERSON: Mr. Minister, you have an absolute right to intervene in the debate at any time if you want to because it is the prerogative of the Minister to intervene in the debate. There is no doubt about it.

SHRI BABUL SUPRIYO: I have made my point. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: But what I would suggest is, when another Member is speaking, kindly have the patience to hear him.

... (Interruptions)

SHRI BABUL SUPRIYO: I did not say anything, Sir...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please do not do cross-talk.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Yes, Mr. B. Chandra Sekhar.

* Not recorded.

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM): Hon. Chairman, Sir, at the outset, I would like to thank you for giving me an opportunity to deliver my maiden speech on the Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019 in this august House.

I would like to thank my leader and Andhra Pradesh Chief Minister, Shri Jagan Mohan Reddy Garu for giving me an opportunity to contest the elections. I would also like to thank the people of my Constituency Vizianagaram for electing me a Member of this august House.

Sir, time and again, we have heard of corrupt people, who want to make a quick profit luring a large number of poor and middle class people in the name of attractive and never before heard of returns to put their money/ deposits in their schemes.

The people who are not aware, especially the real poor people who have taken loans and are used to pay huge amount of interest on it, get suddenly attracted by the financial incentives offered by these crooks and their devious schemes.

In the hope of better returns for themselves and their families, and doing a bit of financial planning on the basis of the returns that they will be getting, they part with their hard earned money and deposit it in these schemes, only to find out that later that the promoters have vanished or the money has been unfairly diverted.

So, for the sake of poor people in this country, this needs to change; and we support this Bill totally. This is the need of the hour.

Sir, I belong to the State of Andhra Pradesh. In my State, the 'call money' racket was quite infamous where poor persons, mostly women, especially domestic and agricultural labourers, were given small amount of loans at extremely high interest rates on a daily, weekly and monthly basis. In case, the women were unable to repay the amount, they were exploited sexually repeatedly apart from pressure to repay the loan. A case was also registered in Vijayawada city.

Sir, a similar type of case was that of 'Agrigold' scam. This was to the tune of Rs. 6,380 crore. The poor people and middle class people were lured to invest with the promise of very high returns.

However, on one fine day, the promoter of this company closed down the company and more than 19 lakh depositors across 8 States, especially, in Andhra, Telangana, Odisha, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Chhattisgarh and Andaman had wiped out of their hard-earned money. I would like to point out that our hon. Chief Minister, Shri Y. S. Jaganmohan Reddy *garu*, had given Rs. 1,150 crore to the really small and poor depositors, which benefitted more than 6 lakh depositors, who lost the money and, especially, those poor people who had deposited upto Rs. 20,000 in these schemes.

Apart from these two scams, Sir, in my Parliamentary Constituency, Vizianagaram, a company called Indie-trade also did a similar fraud. It had accepted deposits from poor people to the tune of Rs. 1 lakh per person on the promise of a return of Rs. 7000 to Rs. 10,000 per month. So, the amount

collected was more than Rs. 100 crore. On one fine day, that promoter had also closed the company and people died of heart attack due to shock of losing their money.

Having seen all this from closed quarters, I totally support this Bill very strongly for the following reasons. As we all know, non-banking entities are allowed to raise deposits from the public under the provisions of various statutes enacted by the Central Government and the State Governments. However, the regulatory framework for deposit taking activity in the country is not seamless and cluttered all over the place. The regulators operate in well-defined areas within the financial sector by regulating particular kinds of entities or activities. The host of regulators only add to this confusion. The non-banking financial companies in this country are under the regulatory and supervisory jurisdiction of the Reserve Bank of India.

Similarly, chit funds and money circulation schemes including multi-level marketing schemes and schemes offered by co-operative societies are under the domain of the respective State Governments. In the same manner, the collective investment schemes come under the purview of the Securities and Exchange Board of India. In spite of such diverse regulatory frameworks, schemes and arrangements leading to unauthorised collection of money and deposits by inducing public to invest in uncertain schemes and by promising high returns or other benefits are still operating in the society.

Sir, the main Central legislations such as the Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978, the Chit Funds Act, 1982 and the legislations enacted by various State Governments have not been able to completely address the issue of unregulated deposit schemes run by corrupt elements. Presently, there are considerable variations among State laws in protecting the interests of depositors. Many unregulated deposit taking schemes are operating across State boundaries.

Sir, in view of the above complexities, it becomes necessary to have an overall Central legislation to ensure a comprehensive ban on unregulated deposit taking activity. It is also necessary for its effective enforcement.

Since, it was extremely critical to tackle the menace of illicit deposit taking activities in the country, this Bill is absolutely the need of the hour.

Sir, I also hope that this proposed Bill has adequate mechanisms by which the depositors can be repaid without delay by attaching the assets of the defaulting establishments. This should be enforced at the ground level also.

I hope the hon. Finance Minister will ensure that properties of such fraudulent people, who have cheated and fooled people, are attached without much delay. I would also request the hon. Minister to ensure that the Bill will ensure that its provisions will not apply to deposits taken in the ordinary course of business in order to ensure that various entities are able to take deposits in their ordinary course of business without any difficulty.

Sir, the Bill should also ensure that no hardship is caused to genuine businesses or to individuals borrowing money from their relatives or friends for personal reasons or to tide over a crisis.

Before I conclude, I would like to congratulate the Government for bringing out this Bill. I strongly support this Bill as it is the need of the hour. At the same time, I hope that this law will be translated into effective action at the ground level and it will not just end up in becoming another law in the list of laws in India. Thank you, Sir.

श्री संजय हरिभाऊ जाधव (परभणी): सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि देश के हर राज्य में अलग-अलग कम्पनियों ने अलग-अलग स्कीम्स चलाईं और आम लोगों को लूटने का काम किया है। आपने भी कहा है कि आम लोगों को बहुत लूटा गया, लेकिन आम लोगों को ही नहीं बल्कि सुशिक्षित डॉक्टर्स, वकील आदि लालच के कारण लूटे गए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे देश में 'समृद्धि जीवन कंपनी', 'सहारा', 'गरिमा', 'राइजिंग लाइफ नांटेड', 'साउथ लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड', 'चिट फंड', 'केबीसी', 'मैत्रेय' ऐसी अनेक कम्पनियां हैं, जिन्होंने इस देश के लोगों को लूटने का काम किया है। 'केबीसी' के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में बहुत लोगों को गुमराह किया गया है। इनमें से कुछ लोग तो दुनिया छोड़कर चले गए हैं। इसमें मेन आरोपी भाऊ साहेब चौहान कम्पनी का मालिक है। वह विदेश में जाकर मौज कर रहा था। महाराष्ट्र पुलिस उसे लेकर आई है। अभी तक वह जेल में है, लेकिन अभी तक किसी को रुपया नहीं मिला है। उसका कहना है कि मुझे बाहर निकालो, मैं लोगों का पैसा वापिस करूंगा। पुलिस कहती है कि पहले तुम लोगों का पैसा वापस करो, फिर तुम्हें बाहर निकालेंगे। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इन दोनों की लड़ाई चल रही है। कानून क्या कहता है, यह अलग बात है, लेकिन लोगों को पैसा मिलना बहुत जरूरी है, इसमें बहुत लोग सफर हुए हैं। इसके साथ एक मैत्रेय नाम की कम्पनी है, जिसकी प्रोपराइटर वर्षा ताई सबकाकर है। इन्होंने भी बहुत सारी महिलाओं को गुमराह किया है। इन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया है, लेकिन अभी तक लोग कोर्ट-कचहरियों में जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस वाले बुलाते हैं और वही लोग पैसे लूट लेते हैं। पुलिस वाले आरोपी से पैसा निकालते हैं, लेकिन किसी को मुआवजा नहीं मिलता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत 17,200 रुपये से हुई थी कि पैसा दोगुना करके दिया जाएगा। लोगों ने सोचा कि 17,200 रुपये एक साल में डबल हो जाएंगे, तो हमें पैसा देने में कोई हर्ज नहीं है। उसने पहले 17,200 का फायदा दे दिया। उसके बाद 86,136 रुपये एक साल में डबल करने की बात आ गई। उसके बाद 1,36,000 रुपये की बात हुई। उसके बाद 2,36,000 रुपये और उसके

बाद 5,36,000 रुपये, फिर 7,36,000 और उसके बाद 10,32,000 की रकम एक साल में डबल करने की बात कही। इस तरह स्टेप बॉय स्टेप छोटी रकम लोगों को वापस की गई और बाद में लोगों को उलझाया गया। लोग लालच के कारण इस स्कीम में इन्वॉल्व होते गए। जैसे ही रकम बड़ी होने लगी, वैसे ही कम्पनी वाला भाग निकला। उसे पुलिस सिंगापुर से अरेस्ट करके लाई है। उसकी सिंगापुर में बहुत ज्यादा प्रापर्टी है। उसकी महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा प्रापर्टी है। उसके पास बहुत गोल्ड भी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी जानकारी ली जाए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि इन लोगों ने आम लोगों का जो पैसा लूटा है, वह पैसा उन लोगों को वापस मिले। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। इस बिल से स्थिति में सुधार आना चाहिए। यह साल-दो साल में फाइनल हो जाना चाहिए। जब देश में एक या दो कम्पनियाँ घोटाला करें तो सरकार को सर्तक हो जाना चाहिए था। एक-दो कंपनियों के बारे में ऐसी जानकारी मिलने के बाद किसी अन्य कम्पनी को परमिशन नहीं दी जानी चाहिए थी। मेरा कहना है कि जब ऐसे हादसे बार-बार होते हैं, तो ये कम्पनियां लोग कैसे चलाते हैं? इन कम्पनियों पर नियंत्रण कौन करता है? इन कम्पनियों पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है? मैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय वित्त मंत्री द्वारा लाए गए इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI DNV. SENTHILKUMAR. S. (DHARMAPURI): Sir, I, on behalf of our Dravida Munnetra Kazhagam Party, support the Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019. But I would like to bring a few things to the notice of the hon. Minister of State for Finance. Why are the people being pushed towards these schemes? Our friend from BJP had already said that it is due to the greed that people go to these Schemes. It is not due to greed. It is the daily wage earners and labourers who cannot deposit their small earning in big banks. It is that money which is being deposited in the chit funds and finally, they are being cheated of their money. It is good that the Government has

brought this Scheme. But I want the Minister to understand the psychology and the people's feelings so that the banking sector can be more regulated while bringing these unregulated deposit scheme. For example, I would tell you that the banking sector has been imposing more fines on the savings accounts and for all the small transactions. The big corporates are not being affected by these schemes. If the Government is directing the poor people to deposit their money in banks rather than in chit funds, they would definitely expect some leniency. But here the banks are becoming stricter and are imposing penalty on transaction and saving accounts.

Take the case of MGNREGA. I would like to bring to the awareness of the House that after the sixth transaction, even in your MNREGA account, the fee is being debited from your savings account. I would like to bring this thing to notice of the Minister to take corrective measures. I hope the Minister knows about this. Hon. Minister has asked the people of this country to open bank accounts and to deposit money.

I also would like to bring this matter to the notice of the Minister that SBI, during 2016-17, collected the fine of Rs. 2,677 crore for not maintaining the minimum balance in their accounts by the poor people. The money so collected by way of fine was more than the quarter of the profits earned during that year. RBI has no regulations on these accounts. RBI does not give a clear picture. Before 2014, there was no fine for not maintaining minimum balance. Corporates are let off by giving them big loan waivers and the small peasants and small people are being affected by the small savings which they keep in

their accounts and they do it at their whims and fancies. They do not have a regulated scheme. Each bank imposes different penalty rates depending on the target which they want to achieve. I would like that these penalties for all the banks be regulated and brought everything under control so that the people will not go towards these chit funds and other companies. The bank should have a regulation and it should be universal. The RBI should put clear guidelines for bringing these schemes.

I would like to take this opportunity to bring a very important issue which was raised yesterday. In the State Bank clerk exam in Tamil Nadu, the quota for Economically Weaker Section is 10 per cent. The Economically Weaker Section scored only 28.6 per cent whereas for other categories, it was 61.8 per cent. The Scheduled Castes score was 58 per cent. How can an Economically Weaker Section marks be lesser than that of SC and ST? Our leader Shri Stalin has brought this issue. I would like to bring this issue to the notice of the Minister of Finance that the Economically Weaker Section have 10 per cent quota. Even then also, their score is much less than SC/ST. They are getting selected by scoring less marks than what a SC or ST student's score. Please take note of this. We do not want this to continue in future.

श्री सुनील कुमार पिंटू (सीतामढ़ी): सभापति महोदय, अनरेग्युलेटेड डिपोजिट स्कीम बिल, 2019 की चर्चा में भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। यह बिल 13 फरवरी, 2019 को इसी सदन से पारित किया गया था। इससे पहले इस बिल पर 16वीं लोक सभा की संसदीय स्थायी समिति ने भी अपनी अनुशंसा दी थी कि इस बिल को लाना बहुत जरूरी है।

इस बिल को लाने के पीछे सरकार की जो इच्छाशक्ति है, मैं उसके प्रति सरकार को धन्यवाद देता हूँ। आज पूरे देश में गरीब, मज़दूर, छोटे-छोटे ठेले वाले, छोटे-छोटे दुकानदारों की खून-पसीने की कमाई को चिट फंड कंपनियां उनको ऊंचे इन्ट्रेस्ट का लोभ दिखाकर उनसे रुपये ले लेती हैं और अपनी नॉन-बैंकिंग कंपनियों में जमा करने का काम करती हैं। इन कंपनियों ने बाद में उस सारे पैसे को लेकर भागने का काम किया है। इससे उन गरीब, मज़दूर और , छोटे-छोटे दुकानदारों की जमा पूंजी छिन गई है। इससे वे अपने सारे जीवन भर की मेहनत कर के जमा की गई राशि से वंचित हो रहे हैं।

सभापति महोदय, बहुत सारे ऐसे किसान हैं, छोटे दुकानदार हैं, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या घर बनाने के लिए पैसा जमा किया। इन चिट फंड कंपनियों ने उनके पूरे के पूरे पैसे को हड़पने का काम किया। इस पर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। बंगाल के हमारे सीनियर मंबर अभी बोल रहे थे कि कल क्या, आज से उन चिट फंड कंपनियों पर रोक लगनी चाहिए। देश में चिट फंड कंपनियों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए।

बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पर 'सहारा इंडिया' नाम की एक कंपनी है, जैसे बंगाल में शारदा चिट फंड है। चाहे सहारा हो या शारदा हो, दोनों ने भाई-बहन बनकर पूरे देश के पैसे को लूटने का काम किया है। नाम सहारा, लेकिन कर दिया लोगों को बेसहारा। सारे के सारे लोगों के पैसे लेकर रख लिए और जिन गरीबों ने अपनी मेहनत की कमाई के पैसे रखे हुए थे, आज वे बेसहारा होकर रोड पर घूम रहे हैं। उन कंपनियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, इसके लिए और कड़े कानून होने चाहिए थे। जो कंपनियां इस प्रकार से लोगों की संपत्ति को

हड़प रही हैं, उनकी खून-पसीने की कमाई को हड़प रही हैं, उन पर जितनी भी कड़ी सज़ा हो, वह कम है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और बात माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। इस बिल में आप इस चीज़ का भी प्रावधान करें, यहां बैठे सभी माननीय पार्लियामेंट सदस्य मेरी इस बात को मानेंगे कि रूरल एरिया में किसानों को, छोटे-छोटे दुकानदारों और मज़दूरों को वहां के बड़े-बड़े साहूकार यह कहकर कम पैसे देते हैं कि तुम मुझे कम ब्याज पर ही रुपये लौटा देना, परंतु जब वे लोग पैसा नहीं लौटा पाते हैं तो धीरे-धीरे उस रुपये पर इन्ट्रेस्ट इतना ज़्यादा मल्टीप्लाय होता चला जाता है कि बाद में उस गरीब को अपनी दुकान, अपनी ज़मीन और अपनी संपत्ति उस साहूकार के नाम करनी पड़ती है। इस पर भी एक कानून आना चाहिए कि किसी भी गरीब, मज़दूर को बैंक से पैसा मिलने की माननीय प्रधान मंत्री जी की जो स्कीम है, उसके तहत उसे बैंक से पैसा मिले, जिससे वे इन साहूकारों के चंगुल में न आएं। इस बात का भी इस कानून में माननीय मंत्री जी को प्रोविजन रखना चाहिए था, ताकि उनके ऊपर भी कड़ाई की जा सके।

माननीय सभापति महोदय, इन कंपनियों के ऊपर पुलिस इनवेस्टिगेशन में जो देरी हो रही है उसके कारण सजा मिलने में देरी हो रही है। भारत के संविधान, भारतीय कानून का फायदा उठाकर ये लोग जेल में रहते हैं, लेकिन बेल ले लेते हैं। बेल पर बाहर आकर ये लोग विदेश निकल जाने की योजना में रहते हैं। इस पर भी सख्ती से कानून बनना चाहिए कि जो लोग जेल में हैं, उनकी बेल न हो और यदि बेल हो तो वे लोग तब तक हिन्दुस्तान छोड़कर बाहर न जा सकें, जब तक गरीबों का पैसा वापस न हो जाए। इनकी संपत्ति को तुरंत ज़ब्त कर के, ऑक्शन कर के इन गरीबों में तुरंत उसका पैसा बांटा जाए। न्यायिक प्रक्रिया में विलंब के कारण उन गरीबों को बिना मौत मरने का मौका न दें। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, this is a full-fledged Bill which was passed during the Sixteenth Lok Sabha. This Bill also amends three other Acts, namely, (1) the Reserve Bank of India Act, (2) the SEBI Act and (3) the Multi-State Cooperative Societies Act. These three Acts are also being amended, which form a part of this Bill.

Here, I would say that this non-banking finance sector is very large, diverse and complex and has been agitating the people of this country for long. Since 1968, whoever might be in Government, repeated attempts have been made to bring in legislation to curtail and discourage this type of deposit making which is illegal.

The crux of the problem is that at present there are several regulators. It is not that we do not have regulators. We have so many regulators and there are so many gaps in between that बुद्धिमान लोग और चतुर लोग उस गैप से निकल जाते हैं । The non-banking financial companies are under the regulatory and supervisory jurisdiction of Reserve Bank of India. Chit funds and money circulation schemes are under the domain of the State Governments. Housing finance companies are under the purview of SEBI and deposit-taking activities by companies other than NBFCs are regulated by the Ministry of Corporate Affairs.

Further, Section 45 (s) of the RBI Act prohibits acceptance of deposit by individuals and unincorporated entities. There is doubt that raising of money from public need to be allowed in a responsible, accountable and transparent manner and any violation must be strictly addressed.

The basic purpose of bringing in this Bill after our first recommendation relating to collective investment scheme was to bring in a comprehensive law at the Union level so that all other States will fall into that category. Effective regulation was the need of the hour. And, I remember, the then Finance Minister in his Budget Speech in 2016-17 had given this idea that he was going to bring in a comprehensive law. A draft of that Bill was in the public domain after 2018 and the Bill came in July 2018. When this Bill was introduced in the House – I hope, you remember it because you were also a Member of this House, at that time – we had asked the Government to refer it to the Standing Committee. The then Finance Minister, Shri Arun Jaitley had said, 'I want to implement it because that was your Committee's recommendation.' And, I said, 'Give us a little time, let us go through it and we will make some additions so that the Bill becomes more stronger.' Rightly so, under the chairmanship of Shri Veerappa Moily, the Committee set through three-four months and deliberated over it.

There are certain points which need to be clarified by the Ministry today because all the recommendations of the Committee were not accepted by the Government. I would like to refer to one or two such points. One thing is good that the Bill proposed 10-year jail term fine

This Bill recognises three different types of offences, namely, running of unregulated deposit schemes, fraudulent defaults in regulated deposit schemes and wrongful inducement in relation to unregulated deposit schemes. This Bill provides for severe punishment and heavy pecuniary fines which

would act as a deterrent. Clear timelines have been provided for attachment of property and restitution to depositors. The primary responsibility of implementing the provisions of the proposed legislation lies with the State Government.

The suggestion of the Standing Committee was, and here I would say, that a time-bound process for settlement of dues of depositors affected by unregulated deposit schemes should be there. The Standing Committee also expects the market regulators like SEBI to play a more pro-active role in regulating the collective investment schemes. This is wanting. Even after all our efforts and the efforts of the Government, these two things are still lacking, which needs empowerment. I do not know whether in the rule-making process, they will be able to do this.

Here, I would like to mention that the problem of unregulated deposits can be gauged from the submission by the Financial Services Secretary before the Committee and what he mentioned is part of the Standing Committee Report. He had said in 2018 that in the past four years, 146 cases of this nature have been investigated by CBI, 56 cases have been investigated by Enforcement Directorate, 32 cases involving 233 companies have been investigated by the Ministry of Corporate Affairs and SFIO, and 978 cases were referred to various investigating, enforcing agencies by State Coordination Committee. The State Coordination Committee was actually a creation, after the recommendation of the previous report, where the Chief Secretary will be chairing that Committee, respective enforcing agencies will

also be members, and they will be meeting every month so that the Collector can report to that committee that such type of activities are taking place in remote areas or the villages, but to my surprise and to the surprise of the Committee – I think that the Finance Ministry was also taken by surprise – it was found that out of 29 States, hardly in six States, the State Coordination Committee could sit. What was the purpose? The mandate was given to the Chief Secretary and the respective enforcing agencies to sit and monitor at least to find out if there is some allegation somewhere in some remote district so that they can take pre-emptive action, but this committee did not function. That actually compelled the Finance Committee to come out with the suggestion that let us have a comprehensive law at the Union level so that we can take action and also ask the State Government to enforce it.

I am not mentioning about the CBI. Most of the money, of course, is from the poor sections of the society, but large amount of money is also black money. It is not only the poor who have invested in this type of fund; rich people's unaccounted money is also very much there. As per the estimate of CBI in 2016, Rs. 68,000 were collected from more than six crore depositors by such illegal deposit taking entities, using a large network of commission and commission agents.

Sir, I will come to the conclusion here. Before I conclude, I would submit that in this Bill, one thing needs a little bit of clarification. This was also discussed in the Standing Committee. While the amount received by an individual by way of loan from his relative was excluded, which was being

referred to by Shri Adhir Ranjan Chowdhury, clause 2(4)(f) reads : “amounts received by an individual by way of loan from his relatives ...”

That word ‘relative’ has not been defined. What type of ‘relative’ is he? Does it mean somebody from the immediate family only or far off relations also? Does that not include friends? This needs to be clarified. When you have lawyers like Shri Kalyan Banerjee from this side and also lawyers like him from the other side, they can stretch it to any level. Therefore, it is necessary to clarify it. Otherwise, it becomes a lawyers’ paradise. Therefore, it is necessary to define it here.

Finally, I would again insist what I had insisted last time in 16th Lok Sabha. There should be a regulatory mechanism for the Central and the State Governments to work against illegal deposit taking activities. You are giving all the responsibility to the State Governments, and at the same time, you are empowering CBI and other Central agencies to go into these things because there is a possibility that some State Governments may not cooperate. That empowerment is there in the Bill. Therefore, I would insist that you need to have a monitoring mechanism to see as to what is happening in the country so that you can take pre-emptive action. Thank you.

कुंवर दानिश अली (अमरोहा) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद । मैं इस अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । जो लोग इसके सबसे ज्यादा शिकार हैं, वे गरीब लोग हैं ।...(व्यवधान) जो गांव-देहात में रहने वाले गरीब लोग हैं, इसके सबसे ज्यादा शिकार वे लोग होते हैं । पिछले कुछ सालों में ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आए हैं कि किस तरीके से गरीबों का पैसा कुछ चिट फंड कंपनीज़ लूटकर, उसे सही टर्मिनोलॉजी दी गई है, वह चिट फंड नहीं, चीट फंड्स हैं । वे लोग गरीबों के पैसों पर अपनी बढ़िया दौलत बनाकर मजे कर रहे थे । माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेज़ में इंटरवीन किया है । मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ । लेकिन सब जानते हैं कि किस तरीके से जो अपने आपको मैनेजिंग डायरेक्टर और कंपनी का चेयरमैन भी कहलाना पसंद नहीं करते थे, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ और पूरी पॉलिटिकल क्लास और पूरा बालीवुड उनका मेहमान हुआ करता था, वह अपने आपको कहते थे कि हम मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हैं, हम मैनेजिंग वर्कर्स हैं । जब यह सामने आया कि किस तरीके से हजारों गरीबों का पैसा लूटा गया और सुप्रीम कोर्ट ने उन तथाकथित मैनेजिंग वर्कर्स को बेल भी नहीं दी । कम से कम सरकार की और हम लोगों की नींद खुली और इस बिल को लाने की जरूरत समझी गई । मुझसे पहले कई माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ । लेकिन उसके बावजूद भी मैं देश के दो बड़े शहरों की बात करूंगा । आप गांव-देहात को तो छोड़ दीजिए । देश की राष्ट्रीय राजधानी के बराबर में नोएडा है । वहां की एक कंपनी सिर्फ पिछले तीन सालों में गरीबों का पैसा लूटकर, वह ऐसे-ऐसे आइडिया लाती हैं कि हम बोट बाइक किराये पर देंगे और उससे इतना मुनाफा होगा । उसका मुनाफा आपको मिलेगा ।

हजारों-करोड़ों रुपये इकट्ठा करके, यहाँ के लोगों को, किसानों को जो मुआवजे में पैसा मिला था, उनका पैसा इन्वेस्ट करके चले गए । अभी पिछले दिनों बेंगलुरु का एक केस आया कि कितने हजारों-करोड़ों रुपये गरीबों के लूट कर महाशय विदेश जा बैठे । अभी शायद कस्टडी में हैं । लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यह बिल अच्छा है, इसमें हमारा समर्थन है । लेकिन कानून बहुत बनते हैं, जैसा कि महताब साहब ने कहा कि कानून को इम्प्लिमेंट करने का काम सरकार का

होता है। हमारे सामने यह भी है कि बड़े जोर-शोर से इन चिट फंड्स के अंदर जो कुछ पोलिटिकल एंटरेंस थे, जब कुछ पोलिटिकल पार्टीज के लोगों को गिरफ्तार किया गया तो बड़ा शोर-शराबा हुआ। वह महाशय जब इधर थे तो वह दोषी थे, लेकिन जैसे ही वह इधर से उधर चले गए तो वह पाक-साफ हो गए। यह भी नहीं चलेगा, यह भी नहीं होना चाहिए कि जादू की छड़ी सरकार के पास रहे।... (व्यवधान) अगर कोई विपक्ष में है तो वह दोषी है, वह बहुत बड़े लुटेरा है। अगर वह सत्ता पक्ष जॉइन कर ले तो वह पाक-साफ हो जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही अपील करूँगा कि जो कानून लाया जा रहा है, इसको आप ईमानदारी से इम्प्लिमेंट करें और जो दोषी हैं, जिन्होंने गरीबों का, आम आदमी का पैसा लूटा है, उन पर कार्रवाई करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you Chairman, Sir, for giving me this opportunity.

अभी अनुराग ठाकुर जी ने इस बिल को पास करने के लिए इंट्रोड्यूस किया है। उन्होंने हम सब को यह बोला था, उस समय काफी इश्यूज क्लेरिफाई किए। उसके बाद अभी तक जितने हमारे साथियों ने बात की है, उससे कुछ चीजें बाहर आई हैं। उसके साथ-साथ कुछ कम्पनीज का भी नाम आया है। इसमें एक-एक स्टेट में एक-एक कम्पनी का चिट फंड में किस तरह से फ्रॉड हुआ है, कॉमन मैन किस तरह से इफेक्ट हुआ है और डिफरेंट स्टेट्स से डिफरेंट कम्पनीज का भी नाम आया था। अभी आंध्र प्रदेश के भाई एग्री गोल्ड की बात कर रहे थे। एग्री गोल्ड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कम से कम छः-सात स्टेट्स में चिट फंड फ्रॉड की वजह से काफी कॉमन लोग प्रभावित हुए हैं। उसी तरह से शारदा के बारे में, सहारा के बारे में और भी बहुत सी कम्पनीज के बारे में बात हुई है। सर, चिट फंड कम्पनी के बढ़ने का कारण है कि चिट फंड कम्पनीज जिस तरह से स्कीम्स कॉमन मैन को दे रही हैं, वे लोग सोचते हैं कि अपने बच्चे-बच्ची की शादी के लिए, बच्चे के पढ़ने के लिए, अभी जेडीयू के साथी जिस तरह से बात कर रहे थे, वे लोग सोचते हैं कि अगर हम डिपोजिट करें तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, जिससे उनकी जिन्दगी में कुछ आसरा आ जाए।

उस तरह से चिट फंड कम्पनीज़ कॉमन मैन से यह फ्रॉड कर रही हैं। इसको रोकने की बहुत जरूरत है। इस पर सबसे ज्यादा स्मॉल सेविंग वाले किसान, गरीब लोगों के पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा है, उसको डबल करने के लिए स्कीम की वजह से अट्रैक्ट होकर प्रभावित हो रहे हैं। अभी तक जो भी डिपोजिट्स आया है, उसको तुरंत कॉमन मैन को देना चाहिए। इस फ्रॉड स्कीम की वजह से भारत देश में कम से कम 6 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, we have a list of ten more speakers who will participate in this discussion. If the House agrees for the extension of time, we can extend the time of the House till the passing of the Bill.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: So, the House is agreed. Thank you. There is no Zero Hour today.

श्री नामा नागेश्वर राव: सर, उस तरीके से अभी तक जो प्रभावित हुए हैं, कम से कम छः करोड़ लोग इस स्कीम की वजह से प्रभावित हुए हैं।

18.00 hrs

अभी तक जो डिपॉजिट्स वापस आया है, कम से कम पहले उसे उनके एकाउन्ट्स में दे दें। इस बिल के पास होने के बाद एक्ट बनेगा, मगर इसमें सेन्ट्रल और स्टेट के समन्वय की बहुत जरूरत है। इस एक्ट के बनने के बाद राज्यों के साथ सेन्ट्रल का उचित समन्वय रहना चाहिए।

18.0½ hrs

(Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

एक्ट के अनुसार राज्यों के ऊपर इफेक्ट करके सीबीआई नहीं तो अन्य एजेंसियों को लेने के साथ-साथ, स्टेट और सेन्ट्रल की एक समन्वय समिति होनी चाहिए और इस एक्ट को बहुत प्रभावी तरीके से काम करना चाहिए। इस एक्ट के बनने के बाद पूरे समन्वय के साथ यह कार्य होना चाहिए।

महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you, Sir. I stand here today in support of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019.

It is really strange today to be in the Parliament and passing two Bills, which were both originally UPA Bills. In the morning, we passed a Bill against terrorism that was originated by us. Even Mr. Mahtab talked about this Bill and I stand corrected, but this was the Bill ...*(Interruptions)* Who is saying 'not at all'? ...*(Interruptions)*

This Bill was brought in for the first time in UPA-II in the last year by Shri Chidambaram. You can verify it, and after that it then went to the Standing Committee, which was headed by ...*(Interruptions)*

SHRI S.C. UDASI: No, it is not so.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : Okay, then check it. Dr. Moily was the Chairman of the Standing Committee, and hon. Dr. Manmohan Singh was a Member of that Committee. ...*(Interruptions)*

SHRI S.C. UDASI : Yes, this is right. ...*(Interruptions)*

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : So, the UPA gets some credit for it. ...*(Interruptions)*

SHRI S.C. UDASI : We were also there. ...*(Interruptions)*

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : I know that you all were part of it. ...*(Interruptions)* I am not taking it away from you all, but the Chairperson matters at the end of the day. So, it is really strange and it is a good *deja vu* that we are passing two Bills today, which were initiated by the UPA.

I stand here to ask a few questions. Mr. Mahtab has actually covered most of the queries on the recommendations made by the Standing Committee, which were left out by the Government. But there are a few questions that I would like to ask the hon. Finance Minister and the MoS, who has initiated and clarified most of the points that are required.

SEBI has normally collected money from people who have already got caught in the web, and that money now lies with SEBI be it in Punjab or Uttar Pradesh. There are several schemes pan-India, which are suffering and people are suffering. So, I appreciate the initiative that this Government has taken. When will the depositors get the money? It is not just important to punish the person. I think that we all have to walk that extra mile to make sure that the final destination is not just punishment, but the final destination is to make sure that the person who has lost money in good faith gets it back. I was just wondering that either you go for fast-track courts or you go for a waterfall mechanism in which the investor becomes the most critical person. Do you think that we can expedite it if we follow the waterfall mechanism? I would request you to kindly clarify this issue.

I will give you an example, which has happened in my own State. There is a company called '*Samruddha Jeevan*', which suffered Rs. 3,484 crore loss. I cannot say a gentleman, but a person who ran it called Mahesh Motiwal was arrested, I stand corrected, in 2017 and within a few months -- I do not know under what circumstances -- he was let out. Now, when there is a Rs. 3,000 crore scam; when this Government is so committed to making sure that these

ponzi schemes stop; and if they are committed to giving the waterfall mechanism, then what happened in this case? This gentleman is all over the place. He travels, and he does not have cases only in Maharashtra, but there were cases in Odisha, Madhya Pradesh and Karnataka also. So, I just want a clarification specifically in this case that if a gentleman is arrested in 2017, then how was he let aside within a few months? What is really happening behind doors? It all looks very suspicious. This is a pointed question that I would like to ask the Government.

Secondly, with regard to *benami* properties, a lot of people have talked about it. You got the law and we all passed it unanimously; but how are you going to reach and get these properties as there are so many people who take their money out of the country? So, when they leave the country and they buy hotels or they are in businesses abroad, then how will you repatriate that money back into India? I am asking this because our final destination is not just stopping them as it does not stop there, and it is just a piecemeal way of doing it. So, we need to make sure that it is repatriated and given to the person who deserves it.

I am sure that the intentions of the Government are very noble because the whole House is unanimously supporting this Bill.

I would like you to draw a roadmap to make sure that poor people for whom we are all fighting in one voice today get that deservedly.

I would like to seek clarification on the following. The list of registered deposit-takers must be publicly available. People reach out to the cooperative

banks. Somehow this Government is a bit hard on cooperative banks. I remember during demonetisation, we had to go to court. There were banks in Maharashtra who had cash, which is absolutely legal. The RBI not once but three times came to the cooperative banks. They had to fight a legal battle. Only then the money was exchanged. But these are banks and people who have riches beyond imagination. At least, the cooperative bank is a bank which is doing a good job. Ponzi schemes obviously have arms and roots which are so deep that they go where normal banks do not reach. So, what is the mechanism with which we are going to find out these Ponzi schemes? What is the mechanism to spread literacy amongst people and bring in more awareness?

I won't say that it is just greed. It is unfair to call it greed because one of the Members called it greed. One of the Members did say that people want to do it out of greed. I don't think so. Everybody tries to earn money, and earn a little more to ensure that their children get better quality of life. Is there a way to find out the reach they have?

I don't know what is the purpose of rushing with the Ordinance. Between the issuance of Ordinance and now, what have you achieved in the States? I don't see much is happening in my own State. So, the Ordinance route may not be the right route herea. How much have you sensitised the States? If the police officer has to intervene and investigate, he has no idea because he is not sensitised. So, I would request the Minister to sensitise, walk the extra mile so that the depositor gets the money. Sir, Rs.3,000 crore case of

Samruddi in Maharashtra, and Pan Club Card issue – which has nothing to do with the PAN Card – are cases with huge losses. The depositors, retired people or very poor people from the bottom of the pyramid are the most affected. So, I would request the hon. Minister to intervene and make sure that every depositor receives the money back. Thank you.

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Sir, on behalf of my Party, I would like to support this Bill. It is a good legislation. There is no doubt about that. Having a strict law at the Central level, let us hope that we would have some control over the parallel economy. It is a wide spread thing that is going on in our country. How much exploitation is happening in this area? We all know that. That is the reason why all the Committees recommended this law. Everybody supported and pointed out the need to have a Central level law to control this parallel economy. It is a cheating business. They are not working under any kind of law; they are not working under any kind of regulation. Regulation is good but simply having it on paper will not do any help.

During demonetisation we saw that. There may be differences of opinion on that. One thing is for sure that it was to control the black money. But all the money has come back to the banks. All the money went out of bank also. We saw all the money coming in and going out. Where is the black money or forfeited notes? We know nothing about that. There is no story about it. They have a method to do that. They have always been cheating people. People in unauthorised business have a method.

So, there should be a strict action and that is what I mean. There are corrupt officers always involved in corrupt practices, so, there should be a stringent action to control such practices. Having a law at the Central level is, of course, good as it will help to reduce the number of cases. They adopt different methods in illegal deposit making business. They promise the heaven

and give nothing. It affects the poor, the farmers, small traders and after losing money, they commit suicide. That is how it affects the poor.

So, I also support this Bill. It should not be another story of a failed law. I suggest that there should be a stringent action because making a law alone will not help. In the initial stage itself when the Government implements the law, a kind of move should also be there to control this kind of a parallel economy. In villages, there are different unauthorised companies involved in deposit making business. So, some sort of action should follow, then only it will help. Then only the purpose of the Bill would be fulfilled.

So, on behalf of my Party, I give full support to this Bill.

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): Sir, I rise to support the Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019. This is a very good Bill and it is a welcoming move by the Government to introduce such a Bill. I definitely thank the hon. Finance Minister and the Government for introducing such a good Bill. This Bill is actually needed for the poor people of this country.

We have heard a lot of our respected colleagues talking about chit fund scams, finance companies' scams, deposit scams and many other schemes related to finance and deposits. Actually, there are a lot of chit fund companies which have been closed after robbing the money of the poor people in my city. For last thirty years, we have seen many companies doing this. These poor people who actually deposit their money in these companies for the education of their children, for marriage of their daughters or for buying a house which is their dream. The poor people deposit all their money in chit funds and in

finance schemes. So, cheating the people is actually very bad for the country as well as for the economy of the country.

These people are robbing the money of the poor people, running away from the county, enjoying a luxurious life and not paying back the money to the people. It will be regulated by this Bill. Also, there are many other regulations in this Act which have to be strictly implemented to regulate the finance companies, chit fund companies and whatever finance schemes are there that are cheating the people.

Sir, I want to bring to your kind notice one such company which has cheated nearly 32 lakh depositors in the States of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Telangana, Karnataka and Odisha. Nearly thousands of crores of rupees were collected from small depositors. Small people like labourers, agricultural labourers, drivers etc. deposited their money like Rs. 5000, Rs. 2000 or Rs. 3000 in the AgriGold company and this company cheated nearly 32 lakh depositors and swindled away nearly thousands of crores of money from them. This happened from 2004 to 2014. After Telugu Desam Party came into power, we brought in some regulations in the State and addressed this problem but we were actually not able to give back the money of the people deposited in the AgriGold.

The promoters had been arrested and they are now out on bail. However, we were not able to make them pay to the depositors the actual money that should have been paid to them. The present Chief Minister of Andhra Pradesh had promised the AgriGold depositors that if he came to

power, he would pay them their money. I demand the Chief Minister of Andhra Pradesh to pay back, as he promised, Rs.1100 crore immediately to the 32 lakh depositors of the AgriGold scheme. This was his election promise. People believed in him and voted for him. So, now it is his responsibility to pay them their dues from the government exchequer.

Other than this deposit scheme, we have this call money scheme in the State of Andhra Pradesh. This might be seen elsewhere in the country also by some other name. These people actually finance small traders and retailers on a daily basis and earn interest in the range of 100 per cent to 150 per cent which is very high. This became a big mafia. With the help of the money earned illegally by charging such high interest rates, they are actually managing the whole system and harassing the small people.

Recently also reports of harassment by call money rackets have appeared in newspapers. When we were in power we received complaints about call money rackets. In some cases, these call money rackets involved sex rackets also. We had taken stringent measures to ban the call money racket in the State. But now, these call money rackets have come back and it has become a big mafia. Recently an ex-MLA was also harassed by the call money racket. So, I request the hon. Minister to use his good office to ban this call money schemes also. With this, I conclude. This is a very good Bill and I support it. Thank you.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, आपने इस बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यह बिल पहले भी 16वीं लोक सभा में पास हो गया था, लेकिन राज्य सभा में पास न होने के कारण यह वापस आया है। इस पर पहले भी विस्तार से काफी चर्चा हो चुकी है और अभी भी हो चुकी है। मैं कुछ स्पेशल पाइंट्स आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ।

कई जगह डिपॉजिट की बैनिंग है। छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी और छोटी पार्टनरशिप फर्म, जो अपने धंधे के लिए लोन लेती है, वह डिपॉजिट नहीं लेती है, किसी स्कीम के तहत नहीं लेती है, किसी अरेंजमेंट के तहत नहीं लेती है। उसको बिजनेस करना है, कोई छोटी-मोटी इंडस्ट्री डालनी है, इसके लिए वह किसी से लोन लेती है, तो इसके बारे में जरूर इसमें क्लेरिफाई करें। आपने इसमें क्लियर कर रखा है, वह केवल फ्रंट रिलेटिक्स के लिए कर रखा है। इसमें रिलेटिक्स की डेफिनिशन भी नहीं दी हुई है। वे लोन ले रहे हैं, किसी स्कीम के तहत काम नहीं कर रहे हैं। इसमें स्कीम को डिफाइन किया है, Unregulated deposit scheme means a scheme or an arrangement under which deposits are accepted or solicited by any deposit taker by way of business and which is not a regulatory deposit scheme. इसमें यह कहा गया है कि बिजनेस उसके छोटे धंधे के लिए है, किसी को ब्याज देने या ब्याज खाने के लिए नहीं है। अपनी इंडस्ट्री के लिए या अपनी दुकान के लिए या अपने व्यवसाय के लिए जो लोन ले रहा होगा, वह इससे बाहर होगा।

मेरा एक और निवेदन है। माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि इससे आगे आने वाले समय में तो यह रुक जाएगा, लेकिन जिनके पैसे अभी उलझे हुए हैं, उनका क्या होगा? इसमें लीगल प्रोसेस बहुत लंबा है। चार, पांच या सात सालों तक इनवेस्टर्स के पैसे नहीं मिल रहे हैं। जैसे पीएसीएल है, यह काफी बड़ी कंपनी है। पूरे भारत के अंदर न जाने कितने डिपॉजिटर्स का पैसा इसने जमा कर रखा है, लेकिन इनवेस्टर्स को पैसा नहीं मिल पा रहा है। पांच सालों से इसके लिए प्रयास चल रहा है। कभी कोई कमेटी बन गई, कभी कोई बोर्ड बन गया, कभी किसी जज के

अंडर में कमेटी बन गई, उसकी रिकमेंडेशन आ गई। अल्टीमेटली, गरीबों का जो पैसा वहां फंसा हुआ है, वह किसी को आज तक नहीं मिला। इस बारे में कोई इनवेस्टर सिक्योरिटी एक्ट जैसा कानून बने, ताकि किसी का पैसा, जो इनवेस्टमेंट करने वाले हैं या डिपॉजिट कराने वालों का पैसा कहीं अटक जाए, तो उस कानून के तहत उसे पैसा जल्दी से वापस मिल सके।

तीसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने आदर्श कोआपरेटिव सोसायटी का मुद्दा नियम 377 में भी उठाया था। यह सोसायटी पिछले बीस सालों से काम कर रही है, वह लोगों से बराबर डिपॉजिट ले रही थी और लोगों को पेमेंट भी कर रही थी। उनकी मैच्योरिटी और टर्म के हिसाब से पैसे दे रही थी लेकिन जैसे ही यह बिल कानून बनने के लिए आया, उसके बाद से उन्होंने पेमेंट करना बंद कर दिया। वह बार-बार यही कहते हैं कि गवर्नमेंट की जांच चल रही है, इनकम टैक्स की जांच चल रही है। इस सोसायटी में लगभग बीस लाख डिपॉजिटर्स हैं और उनके हजारों-करोड़ों रुपये उलझे हुए हैं। अक्टूबर, 2018 से पेमेंट बंद कर दी गई, इसके लिए जो नया कानून आ रहा है, उनके लिए कुछ अलग किया जाए ताकि डिपॉजिटर्स के जो पैसे पड़े हुए हैं, वे वापस मिले। उनको बहुत दिक्कत हो रही है। किसी ने इसमें अपना पेंशन का पैसा लगाया है, किसी ने ग्रेच्युटी का रुपया जमा कराया है। मैंने जैसे ही 377 में इसे मुद्दे को उठाया, मेरे पास राजस्थान से लगभग 500 फोन आए। आपने मुद्दा तो ठीक उठाया, लेकिन इसकी पेमेंट हमें कैसे मिलेगी। ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं, जिन्होंने अपने मकान के लिए और पेंशन और ग्रेच्युटी का पैसा लगाया है और किसी कानूनी अड़चन से पेमेंट नहीं आ रही है, सरकार को स्पीडी कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें दो पीएससीएल और आदर्श कॉपोरेटिव, ऐसे काफी उदाहरण हैं, जयपुर में हैं, राजस्थान में छोटी-छोटी सोसायटीज हैं, जिसमें पैसे अटके हुए हैं, इसके बारे में कानून बनाना चाहिए। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्रीमती नवनीत रवि राणा (अमरावती): सभापति महोदय, मैं इस बिल का हंड्रेड परसेंट समर्थन करती हूँ directly and indirectly is related to this subject. Everybody is talking about this subject. Since morning, I have been listening about this Bill. लोगों की समस्याएं, लोगों की डिपोजिट और विदड्राइंग, बैंकों द्वारा बोगस कंपनियों ने बैंकों में डिपोजिट किया और लोगों को चीट किया, यहां ऐसी प्रोब्लम आई है। मुंबई की सिटी कोआपोरेटिव बैंक लिमिटेड में 91,000 एकाउंट होल्डर्स हैं, जिनके साथ 900 करोड़ रुपये की चीटिंग और घोटाला उस बैंक के ... * और उनके ... * ने की है, जिसकी दस ब्रांच मुंबई में हैं। सिटी कॉपोरेटिव बैंक एक छोटा बैंक होता है, उसी जगह इर्द-गिर्द घूमती है। 91,000 एकाउंट होल्डर्स मतलब सभी गरीब लोग हैं, उसमें कोई पेन्शन वाला है, कोई मिल में काम करने वाला मजदूर है, कोई छोटी कंपनी है, कोई छोटा दुकानदार है, जो उस बैंक में एकाउंट होल्डर है। हमने इस कंपनी के खिलाफ कम्प्लेंट की। जब इस बैंक का दिवाला निकाला और अध्यक्ष ने बाहर आकर बताया कि हमारा बैंक डूब गया है और छह महीने तक कोई भी बैंक एकाउंट होल्डर्स एक हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। उन्होंने जब ऐसा दिवाला निकाला और बैंक के डूबने के बारे बताया, इसे सुनकर कई गरीब एकाउंट होल्डर्स ऐसे थे, जिनमें से पांच-छह लोगों की सदमे से मृत्यु हो गई। जो गरीब लोग हैं, जिन्होंने कभी अपनी पूंजी शादी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए डिपोजिट की थी, ऐसे लोगों के खिलाफ जब कम्प्लेंट हुई तो हमारे मुख्य मंत्री जी ने दो बार इस पर आदेश दिया कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी के ऑफिस के सेक्रेटरी ने भी आदेश दिया है कि इसके लिए सख्त जांच होनी चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर यहां बैठे हैं, मैं उनसे विनती करूंगी कि आरबीआई और कोऑपरेटिव कमिशनर ऑफ महाराष्ट्र ने जब इस पर इनक्वायरी बिठाई और इनक्वायरी के बाद They actually proved that the bank has defaulted. इसमें उनकी गलती है और यह बैंक डूबाने का काम अध्यक्ष ने किया है, जब यह प्रूव

* Not recorded.

हो गया तो महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने आर्डर दिया कि इस मामले की सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए, फिर भी आज तक, मैं यह बात फाइनेंस मिनस्टर के कान तक यह बात लाना चाहती हूँ कि इसमें 91 हजार खातेदार हैं, जो गरीब हैं। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने भी अनुरोध किया है कि इसकी जांच होनी चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी के ऑफिस से भी इस पर जांच का आदेश है। आरबीआई से भी प्रूव हुआ है कि इसमें चीटिंग हुई है।

इसमें 91,000 खातेदार हैं, मेरी आपके माध्यम से इतनी ही विनती है कि उनको न्याय दीजिए। इन्होंने चीटिंग किस बेस पर की है? गरीबों के पैसे डिपोजिट करवा लिए, गरीब एकाउंट होल्डर्स के पैसे डिपोजिट करवा लिए। बड़े बिल्डरों को 20-30 परसेंट पर पैसा दिया, 50 लाख जिसकी वैल्युएशन है उसे दस करोड़ बताकर 20 करोड़ रुपए लोन दिया। लोन लेने के बाद जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए तो 50 लाख रुपये की मॉर्टगेज की हुई प्रापर्टी के कारण बैंक को दिवाला निकालना ही था। यह बैंक सिर्फ 20-30 परसेंट की कमीशन के कारण डूबा है। 91,000 एकाउंट होल्डर्स, जो बहुत ही लोअर क्लास फैमिलीज़ से हैं, बहुत गरीब हैं, इनके पैसे बैंक में फंसे हुए हैं।

मेरी माननीय वित्त मंत्री जी से विनती है कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए, महाराष्ट्र के ज्यादातर गरीब लोगों की मदद कीजिए। ... *और उनके पीए ... * पर अर्जेंट कार्रवाई कीजिए और उनकी प्रापर्टी सीज़ करके इन एकाउंट होल्डर्स का साथ दीजिए। मेरी इतनी ही विनती है। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: The names should be deleted.

...(Interruptions)... *

* Not recorded.

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): माननीय सभापति जी, सिंगापुर बेस्ड कंपनी स्पीक एशिया, 11,000 रुपये डिपोजिट कीजिए और हर महीने 4,000 रुपये मुनाफा लेकर जाइए। दो साल में इस कंपनी ने 2,500 करोड़ रुपये जमा किए। 35 से 40 परसेंट मुनाफा कमाइए - हैदराबाद की हीरा गोल्ड कंपनी ने अपने एडवर्टाइजमेंट में फोटोशॉप करके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एक्स मंत्री, सुषमा स्वराज जी की फोटो लगाई। फोटोशॉप करके दुबई के शेख की फोटो लगाई। लोगों ने सोचा कि अगर इतने प्रतिष्ठित लोगों के साथ इनकी तस्वीर है तो पैसा लगा देना चाहिए। कंपनी ने कितने पैसा जमा किए? 50,000 करोड़ रुपये के करीब हीरा गोल्ड कंपनी ने जमा किए।

बंगलौर के आईएमए घोटाले में कितना पैसा जमा किए, करीब 40,000 करोड़ रुपये जमा किए। राजस्थान की एक बहुत ही छोटी सी कंपनी लोगों को आश्चसन देती है कि हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करो, 18 महीने के अंदर 27 परसेंट रिटर्न मिलेगा। दो साल में करीब दो लाख इन्वेस्टर्स ने 200 करोड़ रुपये लगाए। अगर हम यह लिस्ट पढ़ने लगे तो इसका अंत ही नहीं होगा।

माननीय सभापति जी, आज सरकार इस मामले पर बिल लेकर आ रही है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन लूटने वालों को लूटने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक कंपनी बनाओ, पॉजी स्कीम या चिट फंड की स्कीम चलाओ, शॉप एक्ट लाइसेंस ले लो, इधर-उधर महानगर पालिका के एक-दो लाइसेंस ले लो, एक-आध सेलिब्रिटी को ब्रैंड एम्बेसेडर बना लो। ... (व्यवधान) यह कई सालों से चल रहा है। बड़े अखबारों और टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देना शुरू करके लोगों को लूटने का धंधा शुरू कर दो।

महोदय, मैं संसद सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि देश भर में कई सालों से यह चल रहा है। यह क्यों चल रहा है? अगर हम सिर्फ कंपनियों को दोषी मानेंगे तो गलत है, अगर कोई दोषी है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी उतनी ही दोषी है, सेबी भी उतनी ही दोषी है, डीआरआई, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस भी उतना ही दोषी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी उतना ही

दोषी है। पुलिस का इकोनामिक ऑफेंसिस विंग भी उतना ही दोषी है, जो इतने मामले होने के बावजूद भी खामोश रहता है।

महोदय, हीरा गोल्ड कंपनी या आईएमए में लाखों इन्वेस्टर्स करोड़ों रुपये लगा चुके हैं। इसी सदन के सदस्य, मेरी पार्टी के अध्यक्ष श्री असासुद्दीन ओवैसी साहब ने वर्ष 2012 में लिखित में सरकार को बताया था कि इसमें कुछ बेईमानी की बू आ रही है। पैसा इकट्ठा किया जा रहा था, वर्ष 2012 से 2018 तक कुछ नहीं किया गया। वर्ष 2018 तक महिला नौहेरा शेख 50,000 करोड़ रुपये लोगों का जमा कर लेती है। प्राफिट तो दूर की बात है, अपना बेसिक अमाउंट हासिल करने के लिए इन्वेस्टर्स दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं।

इस मामले में ऑल इंडिया हीरा गोल्ड विक्टिम्स एसोसिएशन बनाई गई। जब यह मामला कोर्ट में गया तो पिछले ही हफ्ते तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पुलिस को कहा - Are you hand in glove in this loot?

तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तेलंगाना पुलिस से पूछते हैं कि 2012 से 2018 तक तुम खामोश थे, क्या तुम भी इस लूट के अंदर शामिल थे। वहां के शहबाज खान नाम के एक व्हिसल ब्लोअर, जिसने इस पूरे मामले को उठाया था, आज उसकी जान के ऊपर खतरा है। उसने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा प्रोवाइड की जाए तो तेलंगाना सरकार ने कहा कि 87 हजार रुपये प्रति महीने जमा करो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। यह 50 हजार करोड़ रुपये का मामला है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यह इस सरकार की जिम्मेदारी है, आप आज यहां यह बिल लेकर आए हैं, यह बिल पास हो जाएगा, लेकिन इसके बाद इन्वेस्टर्स को यह भरोसा होना चाहिए कि अगर ऐसी कंपनी दोबारा आती है और लोगों को लूटती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी, तब जाकर इन्वेस्टर्स भरोसा करेंगे। यहां फाइनेंस मिनिस्टर मैडम बैठी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दो कंपनीज - हीरा गोल्ड कंपनी और आई.एम.ए., इनके अंदर जितने इन्वेस्टर्स थे, वे ज्यादातर मुस्लिम लोग हैं। उन्हें यह भरोसा दिलाया गया था कि आप यह हलाल का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 50 हजार करोड़ रुपये एक जगह जमा हुए और 40 हजार करोड़

रुपये दूसरी जगह जमा हुए। ये वे लोग हैं जो बैंक में पैसा नहीं डालना चाहते हैं, हलाल का इनवेस्टमेंट किसी कंपनी के जरिए करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसी के जरिए, अगर सरकार इस्लामिक बैंकिंग का कांसेप्ट भी यहां लेकर आए, इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं, जो आज अपना पैसा बैंकों में नहीं डाल रहे हैं, लेकिन अगर हलाल इनवेस्टमेंट करने के लिए कोई कंपनी हो, जो दूसरे मुल्कों में है, यहां भी उसकी चर्चा हुई थी, उसके बारे में भी गौर किया जाए। मैं एक आखिर सेंटेंस यही कहना चाहूंगा कि इस बिल के जरिए सरकार को यह बताना है इनवेस्टर्स को कि तुम्हारी लालच कहां तक पहुंचेगी। Investors must understand that there are no shortcuts to earning money and there is nothing called easy money. Thank you.

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Thank you Chairman, Sir. I stand here to speak on the Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019. Primarily, we are very fine with the modalities of the Bill. This is a very urgently required Bill.

I come from Odisha. Chit fund is one of the burning issues in Odisha, and about 20 lakh people are involved in it. Whenever we talk about chit fund, people think of the Saradha or West Bengal. Odisha is never highlighted. In the Budget of 2016-17, it was declared that the Government is coming up with a legislation in this regard. It was very much welcomed by the people. There are a couple of things which I want to understand.

HON. CHAIRPERSON : He is giving compliment to you, Madam.

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA: The chit fund scam was investigated by the CBI but from the pace of the investigation, it appeared that it was controlled by the Central Government. Something happened, and suddenly the Government arrested important persons like legislators. Due to some other interruption by the State Government, the investigation was stalled completely.

Modi ji spoke about the chit fund scam multiple times in his election rallies. When the Government brought the Ordinance in February 2019, we thought that the investigation will move forward, some people will be arrested, and those who were duped by the investors, will get back their money. But nothing has happened. This is something the Minister needs to answer. What is the progress made?

The Bill was introduced a long time back. It has gone to the Standing Committee also. So, I will not touch on the Bill, but there are some key points which I would like to take forward.

The Bill proposes to provide police officers the power to enter, search, and seize without warrant in cases where application for warrant offers the opportunity to conceal evidence or facility for escape. Madam, I think you are giving a lot of power to the police. We are talking about the rural areas, and maybe, when the police inspectors have such discretionary power, it will be very easy for them to misuse it. They may have vendetta against some persons, which usually happens in political rivalry. This power can be misused by them and thus it needs to be reconsidered.

The Central Government has also authorised to create a database of all the deposit taking activities. We have already spoken about the Data Protection Bill, which is still not tabled. So, again, you are talking about having a central database which the Central Government will maintain. This will raise questions of privacy and surveillance. You have also mentioned that this will be shared with the CBI, Income Tax and also with the principal offices of the banking companies. So, again, this is something which you need to be careful about like how we are giving the data and to whom we are giving the data.

Now, I come to the offences under the Bill. It was also recommended by the Standing Committee in its report that make the offence 'cognizable and non-bailable', which is something that you might like to consider.

Regarding inter-State disputes, when you have a scam which spreads across two States, for example between Odisha and West Bengal, then the Central Government should take *suo motu* cognizance of the offence and recommend an investigation by the CBI. I believe, this is also mentioned in the said report of the Standing Committee.

A public website was recommended to allow a person to check the entities soliciting deposits. So, maybe because we are talking about Digital India, we can talk about an 'app' or a facility in 'SMS'. If anyone is soliciting deposits, people can really verify whether it is a genuine case or it is a case of unregulated thing.

There are a few other things like designated courts. The Bill provides for the constitution of one or more designated courts. We have a lot of backlogs in cases. We need to see as to how this can be done.

Finally, I would like to say a few points on the overall provision of the Bill. This Bill looks very good, but given so many victims and everything, we need to see that this Bill is not misused.

I need one clarification from the hon. Minister regarding the position of unregulated deposit schemes that happened before 21.02.2019. So, what will happen to all the chit fund schemes that happened before the Ordinance came into picture? Will you include those schemes in this Act also? There is also no provision for refund of the money to depositors for all the things that happened before the Ordinance came into picture. So, you might need to reconsider this so that the previous chit fund schemes are included.

There is a mention of Section 10 which says that every person carrying business or profession of receiving loans to report to authority. Is it for once or we need to do it every year? These are a few things which I wanted to ask.

Overall, this Bill is very necessary. I think, the rural people, especially in Odisha, will do your pooja when you will come there because they are getting such a nice Bill. But, let it be implemented in a proper way and let us see that we all work together to implement the same. Thank you.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, आपने मुझे अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2019 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से मुझ से पूर्व वक्ताओं ने भी चिंता जाहिर की है कि आम आदमी, गरीब आदमी, गांव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति, मजदूर, विद्यार्थी, पैसा चिट फंड कंपनियों द्वारा लिए जाते हैं। हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं कि इस देश में बड़े-बड़े घोटाले हुए, लेकिन कंपनियों में पैसा जाने के बाद वापस नहीं आया। अगर मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया तो कब उनकी गिरफ्तारी हुई, कब माल बरामद हुआ, ऐसी स्थिति नहीं बनी। उनके लिए कोई कानून नहीं था। मैं मोदी जी की सरकार और मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार काले धन को वापस लाने की बात इस देश में चली। पहले काले धन के बारे में जानकारी भी नहीं थी। उसमें समय लगेगा। काला धन एक दिन में वापस नहीं आ सकता है। हमारी गाड़ी ज्यों-ज्यों मजबूत होगी, हम अपने-आप काला धन भी ले आएं। आप देख लीजिए, पूरा विपक्ष खाली बैठा है, विपक्ष के अंदर लड़ने की क्षमता ही नहीं रही...(व्यवधान)

सभापति महोदय, आज जो बिल सदन में लाया गया है, इस बिल का मैं अपनी एवं अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन करता हूँ। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। सीबीआई का अनुमान है कि गैर-कानूनी जमा योजनाओं के जरिए देश में 6 करोड़ लोगों से 68 हजार करोड़ रुपये जुटाए गए।

ऐसे लोगों पर कार्यवाही करने के लिए बहुत से प्रावधान हैं, परन्तु कहीं न कहीं कानूनी खामियों के कारण वे बच जाते हैं या बेल ले लेते हैं। इस कानून में ठोस प्रावधान किए गए हैं, सजा भी बढ़ाई गई है और जुर्माना भी बढ़ाया गया है। इन योजनाओं में ज्यादातर गांव के गरीब आदमी तुरंत अमीर बनने के चक्कर में आ जाते हैं। हमारे जयपुर में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। हमारे माननीय सांसद जी ने मामले को उठाया भी था। वहां पेंशनर्स और छोटे व्यापारियों के करोड़ों रुपये ठग लिए गए। हमारे गंगानगर के माननीय सांसद निहाल जी के यहां भी बड़ा घोटाला हुआ। रोजगार करने वाले, युवा बेरोजगार, किसान, विद्यार्थी ऐसी स्कीम्स में फंस जाते हैं। कोई नौकरी

देने के नाम पर संस्था बना लेते हैं और ऐसा मोबाइल नम्बर लेते हैं, जिसका बाद में अता-पता नहीं रहता है। कोई हाउसिंग लोन के नाम पर घोटाला करते हैं, कोई अलग-अलग स्कीम्स लाकर घोटाला करते हैं। कम्पनियां ऐसे सपने दिखाती हैं, जिससे लोग उनके झांसे में आ जाते हैं, जिस तरह कांग्रेस के झांसे में देश पचास साल तक आया।

महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं। इस प्रावधान में गैर कानूनी जमा पूंजी स्कीम और काले धन पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा। विधेयक में कहा गया है कि कोई भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विज्ञापन के जरिए अनियमित जमा योजना नहीं चलाएगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर कम से कम तीन और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही कुल जुटाई रकम का दो गुना तक जुर्माना देना पड़ेगा। यदि कोई संस्था नियमित जमा योजना की मियाद पूरी होने पर धोखा करके पैसा वापस नहीं देती है, तो उसके लिए सात वर्ष की सजा के साथ ही पांच लाख से पच्चीस करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया है। यदि किसी कम्पनी पर जुर्म साबित होता है, तो जवाबदेह अधिकारी पर कार्रवाई होगी। सम्पत्ति जब्त करके प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने का काम तय समय सीमा के भीतर होगा। एक ऑनलाइन डेटा तैयार किया जाएगा, जिसमें गैर कानूनी, अनियमित जमा योजनाओं की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। मेरा मानना है कि सरकार निरंतर देश के आम जनों के हितों की रक्षा कर रही है। काले धन पर अंकुश लगाया जा रहा है। मैं प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और वित्त राज्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि ऐसा कड़ा कानून लेकर आए हैं कि चिट फंड कम्पनियों की नींद उड़ जाएगी और इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I rise to support the Bill and I also take this opportunity to congratulate and appreciate the Minister of State for Finance, Shri Anurag Singh Thakur, for piloting his maiden Bill in this Parliament in the 17th Lok Sabha.

I fully support the contents of the Bill and I think the House will unanimously pass this Bill. This Bill had gone to the Standing Committee and a Group of Ministers had been entrusted to look into the provisions of the Bill. So, it has got unanimous acceptance in the House and definitely we will support it. But as regards the promulgation of the Ordinance, I am still not able to have a convincing answer. On 21st February, 2019, this Ordinance was promulgated. Though I am vehemently opposing the Ordinance route of legislation even then I am supporting the Ordinance itself because it is beneficial for the poor and the marginal sections of the society. Since it is beneficial to them, I am supporting it.

As has been stated by many Members, most of the financial scams originate in the name of chit funds, circulation money schemes and the multi-level marketing schemes. So, it is the need of the hour to regulate these non-banking entities. They have to be controlled and regulated for which I think this regulation is, more or less, sufficient. That is why, I am supporting it.

The only clarification which I want to seek from the hon. Minister is regarding non-financial entities which come within the purview of the State Governments.

Most of the State Governments have enacted legislation so as to regulate the chit funds, money circulating schemes and multi-level marketing schemes. How will this provision coincide with the State Acts which have already been passed by the State Legislatures? In the event of a contradiction, what will be its fate?

It is because, through the provisions of the Bill, three authorities are being created. One is the designated court, two is the competent authority appointed by the State Government and three is the designated authority so as to have full data. These are the three authorities that are being created by enacting this legislation. So, I would like to seek a clarification from the hon. Minister. Already particular statutes are there in the States, how will this coincide with the provisions of this Bill and the decisions taken by these authorities?

Sir, I am not moving any amendments but I would like to seek certain clarifications from the hon. Minister. The first one is about the banks and the cooperative societies. In clause 2, in the definition of 'deposits' it has been mentioned – amounts received as loans from a scheduled bank or a cooperative bank or any other banking company as defined in section 5 of the Banking Regulation Act of 1949. What would be the fate of a loan or a deposit taken from a cooperative society? It is because cooperative society is one of the major financial sectors from where the farmers and the poor marginal people receive loan and other things. The definition states that the amounts received as loan from a scheduled bank and cooperative bank but cooperative

bank and cooperative society are entirely different because of a legislation enacted by the NDA Government during the 16th Lok Sabha. So, what would be the fate of the cooperative societies? That is the first clarification that I would like to seek from the hon. Minister.

My second clarification is with regard to clause 13 which talks about provisional attachment order passed by the competent authority shall have the precedence and priority to the extent of the claims of the depositors over any other attachment by any authority competent to attach the property for repayment of any debt. I fully agree with this. But here principles of natural justice should apply. A reasonable opportunity of being heard should be given. That is the proposal I would like to make in clause 13.

My last point is with regard to clause 17 regarding attachment of the property. A provision is being made in clause 17 which says that any deposit taker or a person referred to in clause 1 of section 15, at any time before the confirmation of the attachment can apply to the designated court for permission to deposit the fair value of the property in lieu of attachment. This is a very good provision. I fully agree to this. But at the same time, we know that in State Financial Enterprises, it is very difficult to get back the property documents. So, I would like to make a suggestion that there should be sufficient reason for release of the attachment order and appropriate orders should be passed on merit. These are the suggestions that I would like to make with regard to this Bill.

Sir, with these words, once again I support the Bill though I am opposing the Ordinance route of legislation. But since this Ordinance is benefiting the people at large, I am supporting that also.

Thank you.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : धन्यवाद, सभापति महोदय ।

महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, अपने परम मित्र अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा लाए गए इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। बशीर बद्र की एक शायरी है:

“लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में,
तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में।”

ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं - बंगाल का ले लीजिए, बिहार का ले लीजिए, झारखंड का ले लीजिए, ओडिशा का ले लीजिए, महाराष्ट्र का ले लीजिए, कर्नाटक का ले लीजिए। घर के घर बर्बाद हो गए। कोई आत्महत्या करने को मजबूर है, कोई मरने को तैयार है। सिचुएशन ऐसी है कि इस पार्लियामेंट में यह होता है कि यह-यह क्लॉज़ सही नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए।

जो अपोजीशन का रवैया है, श्री अधीर रंजन चौधरी साहब तो इस बिल के पक्ष में हैं, लेकिन उनकी पार्टी के कई लोग नहीं। यह बिल 16वीं लोक सभा में यहां से पास हो गया था और इस बिल पर काफी डिस्कशन हुआ था, लेकिन यह राज्य सभा में पास नहीं हो पाया। दोबारा इस पर हम बात करने के लिए आए हैं। उनको गांव, गरीब और किसान किसी से कोई लेना-देना नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' की कविता इन लोगों पर लागू होती है:

“पेट, पीठ दोनों मिलकर हैं एक,
चल रहे लकुटिया टेक,
मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को।”

भूख नहीं मिट रही है, लेकिन उनकी पूरी सम्पत्ति जल गई। किस कारण से जली? कई लोगों ने कहा कि ये चिटफंड कंपनी लालच में आ गई थी। वर्ष 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। इसी फ्लोर पर, इसी हाउस में उस वक्त की तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने एक भाषण दिया और उन्होंने कारण बताया कि हम क्यों बैंकों को नेशनलाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इण्डिया है, चाहे वह बिहार है, चाहे बंगाल है, चाहे ओडिशा है, चाहे नॉर्थ

ईस्ट है, चाहे मध्य प्रदेश है, उस वक्त छत्तीसगढ़ और झारखण्ड बना नहीं था या उत्तर प्रदेश है। इसका जो सी.डी. रेशियो है, क्रेडिट-डिपोजिट रेशियो, यानी हम जो पैसा लेते हैं और जो पैसा वहां के लोगों को देते हैं, वह केवल 30 परसेंट है। प्राइवेट बैंकों ने लूट मचा रखी है। इस कारण से हमें बैंक नेशनलाइज करने पड़ रहे हैं। क्या आजादी के इतने वर्ष बाद, 50 साल बाद कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी के नेता जवाब दे सकते हैं कि ईस्टर्न इण्डिया का सी.डी. रेशियो सचमुच सही हो गया है? यदि सही नहीं हुआ है, आप हमारा पैसा ले जाते हैं और हमको रोजगार, व्यापार करने के लिए पैसा नहीं देते हैं तो इस तरह की कंपनियां कुकुरमुत्ते की तरह उगेंगी। इस तरह की कंपनियों के उगने का यह सबसे बड़ा कारण है।

हमारे कई विद्वान मित्रों ने अपनी बात रखी और कल्याण बनर्जी साहब ने आर.बी.आई और सेबी के ऊपर कहा। यहां मिस्टर महताब बैठे हुए हैं। वर्ष 2009 से जिस दिन से हम फाइनेंस कमेटी के मैम्बर हैं, मेरे पहले से मिस्टर महताब हैं। उदासी साहब और हम साथ ही गए थे। वर्ष 2009 से आर.बी.आई., सेबी, इरडा, नौ रेगुलेटर में से तीन रेगुलेटर हैं, इन लोगों ने कहा कि इस तरह की पॉजी स्कीम को रोकने की कोई कैपेसिटी नहीं है। आर.बी.आई. कहती है कि हम एन.बी.एफ.सी. के अलावा किसी को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। हम बैंक के अलावा किसी को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। सेबी का कहना है कि हमने कलैक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम बना दी, यानी सी.आई.एस. स्कीम बना दी। सी.आई.एस. रेगुलेशन लागू होने के बाद पिछले 20 सालों में केवल एक कंपनी ने ही अपने आपको सी.आई.एस. स्कीम में एनरोल किया है, क्योंकि कोई एनरोल करना नहीं चाहती है। इरडा कहती है कि यह मेरे विषय से बाहर है। यह जो कहानी है, वह ऐसी है, जैसे रामायण की एक पंक्ति है, “जस जस सुरसा बदनु बड़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा।”

आप कोई कानून लाते हैं या कोई भी चीजें लाते हैं, उसके बदले उसका एस्केप रूट क्या है, वह यह निकाल देते हैं। मैं अब पॉइंट पर आ रहा हूं। मैं जहां से सांसद हूं, 2013 में मैंने अपने यहां चिटफंड कंपनी या इस तरह की पॉजी स्कीम पर एक बहुत बड़ा एक्शन लिया। मैंने और वहां के तत्कालीन एस.डी.ओ. ने मिलकर 7 कंपनियों के दफ्तर क्लोज करवा दिए। ये सारे लोग

हाईकोर्ट चले गए। यह बिल लाने के लिए झारखण्ड हाई कोर्ट का जजमेंट क्रक्स है। मैं 2014 का जजमेंट पढ़ रहा हूँ- The Jharkhand High Court has recently highlighted the matter.

“Ponzi Schemes are run by a highly influential person and, for investigation to be carried out, the agencies will need to move from one State to another. As the Schemes are backed by influential person and promoted by celebrities, popular figures as Brand Ambassadors have substantial goodwill during the initial stage of operations. Therefore, State authorities did not initiate action during the initial stage despite complaints from regulatory bodies.”

यही कारण है कि चेप्टर 2 क्लॉज़ 5 में हमने उन चीजों को किया है।

महोदय, हम हमेशा जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनको लगता है कि कांग्रेस और यूपीए के अलावा मेरे पास कोई विषय नहीं है। सेबी ने वर्ष 2009 में शारदा के ऊपर एक कम्प्लेंट दर्ज की। महताब और उदासि साहब मुझे राइट करेंगे। संयोग से अनुराग जी जो वित्त राज्य मंत्री हैं, मेरे साथ उस समय कमेटी के सदस्य थे। हमने उसी वक्त सेबी के चेयरमैन को स्टैंडिंग कमेटी में बुलाया। इस बिल को लाने में स्टैंडिंग कमेटी का बहुत बड़ा रोल है और माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसको सपोर्ट किया है। सेबी ने शारदा ग्रुप के बारे में वर्ष 2009 में कहा कि यह स्कैम है और इस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। उस समय किस की सरकार थी? केन्द्र में कांग्रेस और राज्य में सीपीएम की सरकार थी। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं किया। इसके बाद सेबी ने इनवेस्टिगेशन स्टार्ट किया और उसने वर्ष 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ कार्पोरेट अफेयर्स को एक रिपोर्ट दी कि यह बहुत बड़ा स्कैम है, इस पर एक्शन लें। लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वर्ष 2011 में सरकार बदल गयी और तृणमूल की सरकार आ गयी। सेबी ने उस वक्त की स्टेट गवर्नमेंट की तत्कालीन मुख्य मंत्री को चिट्ठी लिखी कि आप शारदा चिट फंड की एक्टिविटी के ऊपर एक्शन लीजिए। यह हम सब के लिए सोचने वाली बात है। हम एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि आम जनता, गांव के गरीब, किसान का पैसा है, यह किसके पास जाता है। इसके बाद वर्ष 2012 में उसने कहा कि दुबई

और साउथ अफ्रीका के जो उसके इनवेस्टमेंट्स हैं, वे बेनामी हैं। उस पर बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट का केस लगाइए। इस पर केन्द्र को भी कार्रवाई करनी चाहिए और राज्य को भी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ब्रांड एम्बेसडर कौन लोग बने थे? मेरा एक नियम है कि इस सदन के, पहले या बाद में, जो भी सदस्य रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ। लेकिन कल्याण दा, जब आप किसी के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं और किसी का फीता काटने जाते हैं, तो हम सांसद लोग एकदम कह देते हैं कि हम तो फीता काटने गए थे, हमें क्या पता? क्या हमें पता नहीं होना चाहिए कि यह कौन सी बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है? जिस ग्रुप ने लैण्ड एक्वायर करने के नाम पर छः लाख इनवेस्टर्स को ड्यूप किया, उसके ऊपर किसी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया?

महोदय, उस ग्रुप ने सीएसआर के तहत कोलकाता पुलिस को मोटरसाइकिल्स दी थीं। अब कौन उसकी जांच करेगा? उस वक्त की तत्कालीन मुख्य मंत्री को सीएसआर के तहत एम्बुलेंस और मोटरसाइकिल जंगलमहल एरिया के वेस्ट मिदिनापुर में दी थीं। यदि किसी ग्रुप के संबंध नेताओं से, ब्यूरोक्रेट्स से, मुख्य मंत्री और मंत्री से इस तरह के होंगे तो क्या आपको लगता है कि उसकी जांच हो पाएगी? सर, क्या सिचुएशन थी? उसने पूरा का पूरा मीडिया चैनल बना लिया था। उसने 1500 जर्नलिस्ट को वर्ष 2013 में रिक्रूट किया था। ब्यूरोक्रेट उसका, पॉलिटिशियन उसका, मीडिया उसका, आपको लगता है कि उसकी जांच हो पाएगी?

सर, उसी तरह से श्यामल सेन कमीशन बनाया गया। The High Court sought a Report from the Commission on the discriminatory standards being applied to the refunding of depositors. आज जो हंगामा चल रहा है कि कोलकाता का पुलिस कमिशनर आया या नहीं, उसकी जांच हो पाएगी या नहीं?

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने कमीशन बना दिया और डिपोज़िटर को पैसा दे रहे हैं। आप किस तरह से डिसक्रिमिनेटरी हैं, इसके बारे में भी आपको देश को बताना चाहिए।

महोदय, इसी तरह से रोज़ वेली स्कैम हुआ। वर्ष 2013 में रोज़ वेली स्कैम को सीबीआई ने रजिस्टर किया। मैं तीन-चार मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। यह स्कैम 60 हजार करोड़ रुपये का स्कैम है। वर्ष 2013 के बाद सीबीआई ने उसे वर्ष 2015 में पकड़ा।

19.00 hrs

दो साल तक उसका जो मालिक गौतम कुंडु है, वह चारों तरफ कहीं मैराथन में, कहीं मुंबई में, कहीं दिल्ली में, कहीं बंगलुरु में, सभी जगहों पर माला पहनता रहा और पहनाता रहा था। आखिर क्या कारण था कि जनवरी, 2013 से लेकर मई, 2014 तक कांग्रेस की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था? उसका क्या कारण था? मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि त्रिपुरा के मुख्य मंत्री, हमारे कई एक संसद सदस्य हैं, उनके ऊपर आरोप है, वह सही होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी सिचुएशन ऐसी है, जिसके कारण हमें इस बिल को लाने की आवश्यकता पड़ी है। उसी तरह से पीएसईएल है, जिसके बारे में यहां पर कई सदस्यों ने कहा है। आप पीएसईएल को लीजिए, पंजाब का सवाल हो, कहीं लैंड खरीद ली, कहीं अमेरिका में होटल है, कहीं लंदन में होटल है, कहीं किसी का मैराथन स्पान्सर कर रहा है, कहीं सीएसआर एक्टिविटी कर रही है। इस तरह के लोगों पर लगाम लगाने के लिए आपके पास क्या सिचुएशन है?... (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं बस दो मिनट में कनक्लूड कर रहा हूँ। इसीलिए, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. We have another star speaker!

डॉ. निशिकांत दुबे : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो पंच परमेश्वर की कहानी है कि उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुदा हमारे संकुचित विचारों का पथ प्रदर्शक होता है। इस पार्लियामेंट को अपने लेवल से ऊपर उठकर, पार्टिजन एंगल से ऊपर उठकर, इस तरह के जो स्कैमेस्टर्स हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और उन सभी को जेल भेजना चाहिए।

सभापति महोदय, मेरा अंत में एक पाइंट है कि एक लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी है, जो कि इसी तरह की पौंजी स्कीम में, वह बंगाल में अभी एक्टिव है, जैसा कि शिवकुमार उदासी जी ने कहा

है कि उसने एलएमपी के माध्यम से कई एक इन्वेस्टमेंट कर लिए हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि लीप्स एंड बाउंड्स की जानकारी इकट्ठा करिए और उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको जेल भेजिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : सभापति महोदय, मेरे लिए सबसे पहले यह एक बहुत बड़ा हर्ष का विषय है कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और श्री अनुराग ठाकुर जी यहां पर बैठे हैं। मुझे आपसे ज्ञान प्राप्त करने की ज्यादा गुंजाइश है, लेकिन फिर भी मैं दो-चार विषयों को रखना चाहूंगा। यह मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि मैं आपके सामने कुछ वक्तव्य रख रहा हूँ। मुझे याद है कि वर्ष 2014 में भी इसी प्रकार का एक डिस्कशन हाउस में आया था और उसमें मुझे भाग लेने का मौका मिला था। तब सेबी का मामला आया था। जब नरसिम्हा कमेटी ने वर्ष 1991 में अपना प्रतिवेदन सौंपा था, जिसके बारे में पहले निशिकांत दुबे जी ने भी चर्चा की है। That was related to the operational efficiency of Stock Markets and the Second Chapter was relating to Non-Banking Financial Institutions. उसके अंतर्गत वर्ष 1991-92 में जो सेबी एक्ट बना था, वह कंपनीज एक्ट 1956, सेक्युरिटी एक्ट 1956, कैपिटल एक्ट 1957 का मिलन करके बना था। सेबी एक्ट के साथ यह कठिनाई थी कि बहुत सारी संस्थाएं उस समय औसतन कॉर्पोरेटिव सोसायटीज, जो राज्य सरकार में और उसमें भी पैसे का डिपॉजिट होता है, वह नहीं था। एनबीएफसी, जैसा कि बताया गया कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में था। Insurance, of course, was under the control of IRDA, Pension was under PFRDA, and Deposit Schemes were under the Companies Act. Of course, Chit Fund is one such thing on which the Government is possibly planning to bring another Bill.

महोदय, जब इस पर चर्चा हुई थी, तो मुझे याद है कि अरुण जेटली साहब ने कहा था कि हम इस विषय पर एक व्यापक विधेयक लेकर आएंगे। उसी क्रम में यह दूसरा विधेयक है, जिस पर अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स के बारे में इन्होंने चर्चा की है। अब यह स्वाभाविक है कि पॉंजी स्कीम्स जिसके बारे में हम लोग बार-बार चर्चा करते हैं, अगर आप देखेंगे, तो लोगों का दिमाग भी अजीब-अजीब तरह से काम करता है। एमू एक चिड़िया है, जो उड़ान नहीं भरती है और यह ब्रीड आस्ट्रेलिया की है। भारत में लोगों ने यह तय किया कि यहां पर एमू के अंडे खूब बिकेंगे और

उसका मीट भी खूब बिकेगा, इसलिए इन लोगों ने केरल में इस योजना का स्कैम्प किया। उन्होंने एमू के नाम पर, चिड़ियों के नाम पर 150 करोड़ रुपये कमा लिए थे, वह एक चीज थी।

उसके पश्चात् यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने के लिए भी किया, कितने पेड़ लगाएंगे, तो कितने पेड़ का दाम मिलेगा, आपको पांच सालों में कितना पैसा मिलेगा, यह भी चला था। महाराष्ट्र में एक वीयर्ड इंडस्ट्रीज थी, उसने कहा था कि आप जितने पैसे दे देंगे, हम चार साल में उसको दोगुना करके दे देंगे। कोई भी कहेगा कि यदि दो लाख रुपये चार साल में दोगुने हो जाए, 400 फीसदी, 500 फीसदी इंटरैस्ट मिलेगा, ऐसा तो किसी में भी नहीं होता है। उस तरह से हुआ और उसने लगभग 5,000 डिपॉजिटर्स से 1,500 करोड़ रुपये ले लिए।

सबसे आश्चर्यजनक अंग्रेजी का एक शब्द बना दिया 'V' for victory- वी-केअर और कहा कि इजरायल का टिकट मंगाएँगे, इजरायल घूमने जाओगे। उस टिकट से मेरी जितनी आमदनी होगी, हम भारत में एम्बुलेंस चलाएँगे, हॉस्पिटल खोलेंगे। उस पर उन्होंने हजार करोड़ रुपये उठा लिए। इस क्षेत्र में मेरा तो बहुत ज्ञान नहीं है। अगर आलू का भी परचेज हो तो उस पर भी पौंजी स्कैम बना दिया था। हम लोग बहुत सुनते थे कि एक का तीन। गुजरात में भगवान बन कर आया, कहा कि हम एक को तीन करेंगे। हम भगवान की ताकत रखते हैं तुम एक दोगे, मैं तीन दूँगा और उसने 25 करोड़ रुपये उठा लिए। उसके बाद कंधमाल, ओडिशा में 7 करोड़ रुपये की शुरुआत हुई, वहाँ भी इसी प्रकार से हुआ। इसमें सबसे बड़ा, जिसको सिरमौर कहा जाए, वह इन सब चीजों से चलता-चलता पश्चिम बंगाल में पहुँच गया, जिसके बारे में हमारे मित्र ने विस्तार से चर्चा की। पश्चिम बंगाल में भी जब लगभग 2,000 करोड़ रुपये का उठान हुआ तो 477 करोड़ रुपये वापस लौटा दिए गए और 800 करोड़ रुपये, जो कमीशन एजेंट थे, जो पैसा जमा करते थे, उन एजेंट्स को कमीशन दिया गया। ये कमाल की चीजें चलती गईं।

महोदय, मैं दुनिया के इतिहास में भी जाकर देख रहा था, जो कलेक्टिव इनवेस्टमेंट स्कीम्स थीं, सेबी ने उस पर सुधार किया। उसमें फंड्स, पोजिशनिंग, उसके बाद 100 करोड़

रुपये से ज्यादा, फिर उसको कम्पनी की जगह पर्सन्स को भी इन्वॉल्व किया गया। रिकवरी का सिस्टम, सेबी एक्ट के तहत बहुत सारे सुधार किए, जिसके बहुत सारे अंश इसमें लिए गए हैं।

महोदय, पलर्स एग्रोटेक दिल्ली का था, उसने कहा कि पेड़ लगा कर हम देंगे। लगभग 45,000 हजार करोड़ रुपये उसने उठा लिए। यहाँ तक कि गाड़ियाँ लिमोजिन, आप तो गाड़ी के बड़े शौकीन हैं, उन्होंने कहा कि लिमोजिन गाड़ी खरीद कर भाड़े पर चलवाएँ और महीने में आपको बीस-पच्चीस हजार रुपये रेंटल मिलेगा। वह योजना भी विफल रही। ऐसा नहीं है कि यह सब भारत में हो रहा है। अमेरिका में बर्नार्ड मेडॉफ़ करके व्यक्ति है, उसने एक ऐसी ही स्कीम चलाई और उसने अमरीका में साढ़े पाँच लाख करोड़ रुपये का घोटाला किया। पता नहीं, यह प्रेरणा कहाँ-कहाँ से लोग लेकर आते हैं।... (व्यवधान) इटली से शुरू हुआ, पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं। उस व्यक्ति को अमेरिकन कोर्ट ने 150 वर्ष की सज़ा सुनाई। उसका नाम था- बर्नार्ड मेडॉफ़, साढ़े पाँच लाख करोड़ रुपये that is approximately USD 65 billion. उसको 150 वर्ष की सज़ा सुनाई गई।

महोदय, इस बिल में बहुत सारे विषय ऐसे दिए गए हैं, ऑफ कोर्स सेबी, आरबीआई, पेमेंट ऑफ सैटलमेंट्स सिस्टम, मुझे इस बात की हमेशा चिंता सताएगी, क्योंकि जो ऑलरेडी स्टेच्यूटेरी प्रोविजन्स हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं, जिनके तहत डिपोजिट्स जाते हैं, बैंक में पैसे जाते हैं, स्कीम्स होती हैं। भारत में बहुत सारे हैं, इंश्योरेंस कम्पनीज, चिट फंड कम्पनीज, प्राइस चिट फंड एक्ट, हाउसिंग बैंक एक्ट, इसमें गुंजारिश हमेशा बनी रहेगी कि किस प्रकार से इसमें किया जाए। महोदय, मैं जिस विषय पर आना चाहता हूँ, जैसा कि निशिकान्त जी ने बताया कि सेबी ने वर्ष 2014 में 60,000 करोड़ रुपये के रिफंड का दावा किया था और उसमें 117 कम्पनियाँ थीं। उसमें अकेले 52,000 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल की कम्पनियों को कहा गया था। हमारे मित्र माननीय विनायक जी को मैं दिखा रहा था, यह सूची देख रहा था, इतना सीरियस फ्रॉड इनवेस्टिगेशन, अधिकांशतः आप देखें कि वर्ष 2015-16 में पश्चिम बंगाल में 28 कम्पनियों पर जाँच, ओडिशा में वर्ष 2016-17 में 20 कम्पनियों पर जाँच, पता नहीं पश्चिम बंगाल में गरीबी का लाभ उठा कर ऐसा किया जा रहा

था या नहीं। हमारे बिहार में भी लोग चले आए थे। साहब यह बीमारी है, यह कहीं न कहीं जाकर गरीबों को पकड़ते हैं। चाहे वहाँ के गरीब हों और मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई जस्टिफिकेशन हो। अगर वर्ष 2009-10 में देखें, उस समय पोस्ट ऑफिस का पूरे भारत में डिपोजिट 9000 करोड़ रुपये था और एक वर्ष में वह डिपोजिट 1000 करोड़ रुपये कम हो गया। यह 1000 करोड़ रुपये गरीब लोगों ने उठाकर ऐसी पॉजी स्कीम्स में लगा दिए। वह दिख रहा था कि एक साल में ऐसा अभियान चला कि लोगों ने पोस्ट ऑफिस से भी पैसा निकाल कर जमा करने शुरू कर दिये।

महोदय, मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलूँगा। आखिरी यह होता क्यों है? लोग आकर्षित क्यों होते हैं कि आखिर ऐसी योजनाओं में पैसा लगाएं। हम लोगों ने बहुत योजनाओं के ऊपर विचार करके तय किया कि इस पर रोक लगाई जाए। आखिर आकर्षण कहाँ पैदा होता है और लोग क्यों वहाँ जाना चाहते हैं, एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी जिस विषय के लिए आज मैं खड़ा हुआ हूँ, यह विषय एक ऐसा विषय है, आपने इस बार बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये हमारे खजाने से निकाल कर दिये हैं।

हम यह जानते हैं और यह 70 हजार करोड़ रुपया कोई छोटा पैसा नहीं होता है। पिछली बार भी आपने पैसा दिया। हम लोग भी देंगे और हमारा हस्ताक्षर है। हमारी अनुमति है कि आप दीजिए और बैंकों को हम खराब नहीं होने देंगे, बैंकों को मरने नहीं देंगे। जिसके पास हमारा पैसा, पूँजी जमा है, उसको भला हम कैसे डूबने देंगे। आपने बैंक ऑफ इंडिया को 30 हजार करोड़ रुपये, पंजाब नेशनल बैंक को 24 हजार करोड़ रुपये, स्टेट बैंक को 22 हजार करोड़ रुपये, आईडीबीआई को 16 हजार करोड़ रुपये, यूको बैंक को 15 हजार करोड़ रुपये, इंडियन ओवरसीज बैंक को 15 हजार करोड़ रुपये, कारपोरेशन बैंक को 15 हजार करोड़ रुपये, इलाहाबाद बैंक को 14 हजार करोड़ रुपये, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 13 हजार करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा को 23 हजार करोड़ रुपये, अदर पीएसबीज को मिलाकर 70 हजार करोड़ रुपये सब बैंकों को दे रहे हैं।

महोदय, यही मेरा विषय है। हम इतनी बड़ी राशि इसी सदन में हस्ताक्षर करके, आपके हस्ताक्षर से, हमारे सदन की अनुमति से 70 हजार करोड़ रुपया देंगे। हमारे जैसा व्यक्ति, मैं छपरा

से हूँ, सारण मेरा संसदीय क्षेत्र है। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा कि 19 लाख करोड़ रुपये मुद्रा योजना, शिशु में दिये गये। बहुत अच्छी बात है। वित्त मंत्री जी ने 3 बार यहाँ कहा है। मेरे जिले में, मैं सारण का निवासी हूँ, वहाँ का सांसद हूँ, मैं खुद गाँव में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पिछले एक साल से प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के फॉर्म भरवाता हूँ। मैं शिशु, किशोर में फॉर्म भरवाता हूँ और मैं ज्यादातर शिशु में फॉर्म भरवाता हूँ, क्योंकि उसमें 50 हजार रुपये दिए जाते हैं। आज मेरे 20 हजार आवेदन, मैं फिर सदन के पटल पर कहना चाहूँगा कि मेरे अपने हाथ से भरवाये हुए और आप अगर मेरे फेसबुक अकाउंट और मीडिया पर जाएंगे, तो मैं हर बैंक में पिछले एक साल में अपने हाथ से ले जाकर मुद्रा का आवेदन जमा करके आया हूँ। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे पास है। मेरे पास इसकी वीडियो फुटिंग्स हैं। सभी बैंक्स के मैनेजर मुझे देखते ही अपने बैंक का शटर बंद करने लगते हैं। उनको पता चल जाता है कि मैं आ रहा हूँ। बैंक देहात में एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ 400-500 करोड़ रुपये का डिपॉजिट होता है और बैंक के रास्ते से अंदर प्रवेश कीजिए, तो वहाँ संकल, चेन लगाकर दरवाजा बंद रखते हैं। वहाँ लोग बैंक में अपना जमा किया हुआ पैसा निकालने के लिए 6-6 घंटे खड़े रहते हैं। यह 70 हजार करोड़ रुपया आप किसके लिए दे रहे हैं? यह पॉजी स्कीम पर बिल लाने की जरूरत क्या है? इतनी अच्छी बैंक्स, पता नहीं 13-14 लाख करोड़ रुपये किसे दे आये, हमारे गरीबों को आज हमारे बाजार में, मैं जानता हूँ कि सूदी, किस्ती का व्यापार बिहार में है, बाकी जगह भी है, इसका रेट ऑफ इंटरैस्ट क्या है, 10 रुपये सैंकड़ा और 10 रुपया कम्पाउंड रेट ऑफ इंटरैस्ट से, एक महीने में 10 रुपये सैंकड़ा, ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। 1,000 रुपया लो, 100 रुपया महीने का 1,000 रुपये का मूल और 1,000 रुपया सूद दो, ऐसा तो दुनिया में कहीं भी देखा नहीं गया है। इसी विषय को सोचकर देश के प्रधान मंत्री जी ने मुद्रा योजना की शुरुआत की। साहब इस मुद्रा योजना में हो क्या रहा है, मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दे सकता हूँ और अगर मुद्रा योजना में यह 19 लाख करोड़ रुपये सही ढंग से बंट गया होता, तो किसी के यहाँ कोई पॉजी स्कीम, कोई चिट फंड स्कीम नहीं होता और पैसे के लिए कोई किसी के पास नहीं जाता। आप बैंकों को मजबूत कर दीजिए। आप इन बैंकों से कहिए कि जो सरकार की

नीति है, उसमें हम इसका अनुपालन करेंगे। यह हमारे प्रधान मंत्री जी का संकल्प है और मैं इसे मिशन मोड में लेकर चलता हूँ। वित्त मंत्रालय का कोई ऐसा अधिकारी नहीं है, दिशा समिति की बैठक होती है, हम लोगों ने दिशा समिति की बैठक में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर को सोनपुर में दिशा समिति की बैठक में बुला लिया। सोनपुर हमारा छोटा सा सब-डिविजन है। यहाँ महताब साहब हैं, पीछे उदासि साहब, निशिकांत जी हैं, मैंने उन मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को वहाँ उस दिशा समिति की बैठक में बुला लिया। उन्होंने अंग्रेजी में इतना सुंदर भाषण दिया कि 'I commit to you, I will do this.' आज तक हजार लोगों का उसके बाद से मुद्रा का लोन नहीं हुआ। Banks commit to you. They speak beautiful English. They talk about other things and they talk about development, but when it comes to reality, they actually have no intention of giving that money to us.

My only submission to the House and to you, Madam Minister, is that this is the most ambitious thing.

मैडम, मैं आपको बता देता हूँ कि भारत सरकार की सभी योजनाओं, आयुष्मान योजना आदि में दम है, लेकिन जो मुद्रा योजना में दम है, वह दम किसी योजना में नहीं है। अगर गरीब के खाते में 50 हजार रुपया चला गया और इसमें सबसे कम एनपीए है। The least NPA, which is recorded is all in the range of one per cent to two per cent. अगर 2 परसेंट एनपीए है तो हम सब फिर इसी सदन में वोट देकर 2 परसेंट एनपीए को समाप्त कर देंगे। अगर हम इस देश के किसानों, गरीबों, चाय बेचने वालों, खोमचा लगाने वालों, कॉस्मेटिक वालों, छोटी दुकान, टैक्सी चलाने वालों को 50 हजार से एक लाख रुपया दे देंगे, तो इस देश में पोंजी स्कैम समाप्त हो जाएगा।

इसमें मेरा स्वार्थ है। सदन की सहमति से सारण जिले के बीस हजार आवेदकों को लोन दिला दीजिए। बीस हजार न करवाइए तो पन्द्रह हजार करवा दीजिए। अगर पन्द्रह हजार न हो सके तो दस हजार लोगों को लोन दिलवा दीजिए और अगर दस हजार भी न हो सके तो कम से कम पाँच हजार लोगों को यह दिलवा दीजिए। लेकिन, मेहरबानी से इन बैंकों से आग्रह करके यह

काम करवा दीजिए। अगर पॉन्जी स्कैम को रोकना है तो ऐसी योजना को, जिसे देश के प्रधान मंत्री ने दिया है, उसे कार्यान्वित किया जाए, मैं आपके माध्यम से सदन से यही आग्रह करूंगा। इससे देश में पॉन्जी स्कैम समाप्त हो जाएगा।

19.16 hrs

(Hon. Speaker in the Chair)

महोदय, उसके बाद मैं आपके क्षेत्र में भी आ जाऊंगा क्योंकि आज के बाद बैंक के लोग यह जान जाएंगे कि हम सबके क्षेत्र में आने वाले हैं। मंत्री जी का जो लोक सभा क्षेत्र है, हम वहां भी जाएंगे और बैंकों से आग्रह करेंगे कि इन गरीबों को पॉन्जी स्कैम से बचाने के लिए, चिट फण्ड के स्कैम से बचाने के लिए, इन गरीबों के लिए हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने जो पैसा तय किया है, उसे आप उनके खातों तक पहुंचाएं। वे ईमानदारी से आपके पैसे लौटाएं। इससे सदन के करोड़ों रुपये खर्च करने का मौका किसी को प्राप्त नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन से यही आग्रह किया है। मैं आपके भी संज्ञान में इसे ला दूँ। हम आपके भी संसदीय क्षेत्र में चलना चाहेंगे कि मुद्रा योजना के तहत 70 हजार करोड़ रुपये और इस प्रकार से हम बैंकों को जो पैसे देते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारे क्षेत्रों में ये पॉन्जी स्कैम नहीं होंगे, यदि हम लोगों ने सरकार की उन योजनाओं के तहत, जिसे देश के प्रधान मंत्री ने दिया है, उसे शिशु, किशोर और तरुण लोगों को दिलवा दें।

महोदय, इसमें मेरा स्वार्थ है। यदि सदन का इसमें निर्देश प्राप्त हो जाए, यदि आपकी कुर्सी से आदेश प्राप्त हो जाए तो फिर मैं अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का भी काम करा सकूंगा।

महोदय, मैं और सिग्रीवाल साहब यहां बैठे हैं। मेरे जिले में करीब 50 लाख लोग हैं। इस देश में 9 राज्य ऐसे हैं, जिनकी आबादी हमारे जिले से कम है या थोड़ी-बहुत आगे-पीछे होगी। अगर हम 50 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमारा डिपॉजिट भी उस बैंक के खाते में, बाकी राज्यों की तुलना में, जितना मेरे एक जिले में होता है, उतना एक राज्य में पैसा जमा होता है, जो हम और आप अकेले जमा करते हैं। इसलिए उस पैसे पर मेरा भी अधिकार है।

महोदय, देश के प्रधान मंत्री ने मुझे एक देश में भेजा था। मैं जब सरकार में था तो मुझे एक देश में जाने का मौका मिला। मैं जिस हवाई अड्डे पर उतरा, उस समय रात का समय था। मैंने देखा कि मेरी बायीं तरफ तीन बड़े-बड़े विमान खड़े हैं। एक, '777' है और दूसरा '380' है। मैंने सोचा कि मैं इतनी बड़ी धरती पर उतरा हूँ, जहाँ इतने बड़े-बड़े विमान हैं तो यह देश तो बहुत बड़ा है। अंधकार में नीचे एम्बैसेडर साहब ने रिसीव किया। हमने कहा कि एम्बैसेडर साहब, आप बताइए कि इस देश का नाक-नक्शा क्या है? उन्होंने कहा कि सर, यहाँ पर राष्ट्रपति हैं, यहाँ प्रधान मंत्री हैं, यहाँ एयर चीफ है, यहाँ नेवी चीफ है, यहाँ डी.जी. है और सब कुछ है। यहाँ मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं। हमने कहा कि यह देश तो बहुत बड़ा है। दक्षिण अफ्रीकी देशों में उस देश का सकल घरेलू उत्पाद सबसे ज्यादा है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके देश की आबादी क्या है तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस देश की आबादी मात्र 82,000 थी और उस देश का नाम है - सेशेल्स। हम कहां हैं? अगर हम योजनाएं बनाकर इस सदन में इस विमर्श को करते हैं तो यह भी तो देखिए कि हमारे लिए चुनौतियां कितनी बड़ी हैं और सरकार की नीयत और प्रधान मंत्री की नीयत इतनी स्पष्ट है कि जो नीतियां सरकार लेकर आई है, उसमें न तो इनकी बदनामी होगी, न उनकी बदनामी होगी और न ही कोई ऐसा कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी।

महोदय, आपका सान्निध्य और जब तक आपका समर्थन मिलेगा, हम सरकार से यह विनती करेंगे कि सरकार की योजनाएं, जो गरीबों और किसानों के लिए हैं, उन्हें पूरा कराने में हमारी मदद करें।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अगर आप दो मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे तो मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। यदि आप इसके लिए मना कर रहे हैं तो अब उन्हें अनुमति देनी होगी।

श्री एच. वसंतकुमार।

SHRI H. VASANTHA KUMAR (KANNIYAKUMARI): * Hon. Speaker Sir, Vanakkam. I want to say to Hon. Union Minister Smt. Nirmala Sitharaman, belonging to Tamil Nadu that instead of preventing crimes through legislation, it is better to directly prevent crimes. More companies take away the deposits and simply vanish, with a result that poor persons are put to heavy losses and deprived of their hard earned. We are now punishing the criminals by way of enforcing laws. There are lakhs of Bank branches throughout the country. In the beginning stage, banks used to collect a paltry amount of Rs. 500 or Rs.1000, etc. and with that amount they created industrialists. All those industrialists are well settled even today.*

Sir, we are now planning to stop the illegal things. What we were doing in the last so many years was that bank people were collecting Rs. 500 or Rs. 1000 from poor people and they were giving loans to the people. Now, digitisation is done. The people who deposit money in banks want some credit. Now, CRISIL is there. Through feeding their mobile number, the credit position of the consumers is automatically known. So, we have to tell the bank workers to go and collect it. Otherwise, there are advertisements widely given by the banks that they are accepting money from people and they are willing to give loan to the people to meet their requirements for marrying off their children or constructing a house. So, the Minister should start that one; there

* * English translation of this part of the Speech originally delivered in Tamil.

is no problem. We will get money. Banks borrow money from the Reserve Bank. The people will help banks. The people will also be very happy.

Thank you very much for your kindness.

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Thank you, Sir. The purpose of nationalisation of the banks was to help the poor and the downtrodden. After nationalisation, many poor people have used the banking service. Providing service was the main motive of the banks.

The Bill may give hardships to the poor. How can the farmers and the poor give the source of their income? Sometimes the farmers may find it difficult to repay their loan amount due to natural calamities. Considering these things, I would request the hon. Minister to amend the Bill to help the poor people.

The provision to punish the cheaters has a lot of loopholes. The big guns may use their political power and money power to escape from punishment. It should be stringent. So, I would request you to make the amendments in such a way that the farmers and the poor are not affected by this law.

The intention of the Bill is very suspicious and confusing. The Bill will hit hard the SMEs who are dependent on cash transactions. The students who take financial support from charitable institutions and those people who seek medical assistance will be put to hardship.

In case of loans taken by individuals, Section 2(4)(f) only exempts loans from relatives or amount received by a firm from the relatives of partners. There is no explicit exemption for loans from non-relatives including friends.

The Bill makes it difficult to borrow from an acquaintance to meet personal needs.

So, I oppose the Bill. Thank you, Sir.

श्री हेमन्त पाटिल (हिंगोली): अध्यक्ष महोदय, बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 में जो संशोधन किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। हमारे महाराष्ट्र के हर गांव में साहूकार तथा क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं, क्योंकि हर गांव में नेशनलाइज्ड तथा कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं हैं। हमारे यहां किसान, मजदूर तथा छोटे लोगों का जो कारोबार चलता है, वह इन्हीं क्रेडिट सोसाइटीयों द्वारा चलता है। इसमें संशोधन किया गया है। हमारे जो वोटर्स हैं, पहले हम नॉमिनल वोटर्स के लिए काम करते थे। वहां छोटे-छोटे किसान दो-चार हजार रुपये रख कर अपना काम चलाते थे। जब उनको कोई इमरजेंसी होती या कभी दवाखाने में जाना होता है, तो इसके लिए नॉमिनल वोटर्स होते थे। उनकी जगह इन्होंने संशोधन किया है कि कायम स्वरूपी जो वोटर्स हैं, वही लोग उसमें पैसे रख सकेंगे और उनको ब्याज दिया जाएगा। मेरी विनती है कि जो हमारे नॉमिनल वोटर्स हैं, उनको कायम रखा जाए। जिस तरह से आपने बैंक को वसूलने के लिए सरफेसी एक्ट दिया है, उसी तरह ये जो छोटी-छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उन पर भी यह नियम लागू किया जाए। इनकी तरफ से जो लोन दिया जाता है, उसके लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी सरफेसी एक्ट दिया जाए। आप देख रहे हैं कि जिस तरह गांवों में बैंक्स नहीं हैं, हमारे यहां एसबीआई और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद है। अब ये दोनों बैंक्स मर्ज हो गई हैं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की जो ब्रांचेज थीं, वे सारी बंद कर दी गई हैं। अभी वहां एसबीआई की जो ब्रांचेज हैं, वहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है। आज लोगों को लोन नहीं मिल रहा है। उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। इसी वजह से साहूकार लोग उनकी तरफ जाते हैं। साहूकार लोग 10-20 परसेंट ब्याज पर किसानों को पैसा देते हैं।

महाराष्ट्र में इसलिए बड़े पैमाने पर आत्महत्यायें हो रही हैं। आपसे विनती है कि बैंक सरफेसी एक्ट, जिस तरह से नेशनलाइज्ड बैंक्स को दिया है, उसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य बोलने के लिए तो नहीं बचा।

माननीय मंत्री जी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): स्पीकर महोदय, धन्यवाद। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिल दी बैनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स बिल, 2019 पर सदन में चर्चा हुई।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर के रूप में बिल की रिप्लाई दे रहे हैं, उनको सभी सदस्य धन्यवाद दीजिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: धन्यवाद, स्पीकर महोदय। आज इस बिल पर चर्चा करते हुए 24 सांसदों ने सवा तीन घंटे की चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण विषय हम सबके सामने रखे। यह प्रसन्नता की बात है कि गरीब से जुड़े हुए इस बिल को लेकर सभी राजनीतिक दलों के सभी माननीय सांसदों ने एक स्वर से बिल पर अपनी सहमति जताई है, जिसके लिए मैं इनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इससे पता चलता है कि हम किसी भी विचारधारा के हों, देश के किसी भी कोने से आते हों, लेकिन जब देश के गरीब की, भोले-भाले व्यक्ति की गाड़ी कमाई को कोई खाने का प्रयास करे, तो उसको बचाने के लिए पूरा सदन एकजुट, एक साथ होकर आया है, इसके लिए मैं सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जो इच्छाशक्ति सब ने जताई है और जो समर्थन दिया है, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ।

वर्ष 2016-17 और 2017-18 के बजट में उस समय के माननीय वित्त मंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी ने कहा था कि कांप्रिहेंसिव बिल की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इस पर आम सहमति भी इसलिए बन पाई कि बहुत सारी स्टेजेज से गुजर कर यह बिल यहां पर वापस आया है। अगर आप देखें, तो वर्ष 2015 में फाइनेंस कमेटी ने उस समय सीआईसी को देखते हुए, चिटफंड एक्ट को देखते हुए अपनी भी राय दी थी कि कांप्रिहेंसिव बिल आना चाहिए। उसके बाद वर्ष 2016-17 में और वर्ष 2017-18 में माननीय मंत्री जी ने कहा और 2018 में बिल लाए तो उसको स्टैंडिंग कमेटी में वापस भेजा गया और स्टैंडिंग कमेटी के जितने सदस्य, माननीय भर्तृहरि महताब जी, निशिकांत दुबे जी, उदासी जी और बाकी सदस्यों ने मात्र चंद महीनों के अंदर अपने बहुमूल्य सुझाव देकर वापस सरकार के पास अपनी राय को भेजा। इन सब सुझावों को इस बिल

के अंतर्गत शामिल करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज़ हैं, उसने सभी राज्यों और यूनियन टेरिटोरीज को लिखा। यह तीन बार 22 मार्च, 2016 को, 17 नवम्बर, 2016 को और 16 दिसम्बर, 2016 को लिखा गया, ताकि उनकी इनपुट्स और सजेशनस भी ली जाएं। इसके अलावा ड्राफ्ट लेजिस्लेशन को हमने दो बार पब्लिक डोमेन में रखा। मार्च, 2016 और नवम्बर, 2016 में लगभग दो वर्षों तक रखा गया और सभी वर्गों से, सभी स्टैकहोल्डर्स से इस पर सुझाव मगवाए गए। यह सब होने के बाद, यह स्टैंडिंग कमेटी में आया था और उन्होंने अपने सुझाव दिए थे, उसके बाद बिल के रूप में हम लोग वापस सदन में आए थे। इसी साल के फरवरी महीने में 13 फरवरी, 2019 को लोक सभा में इस पर चर्चा हुई। माननीय सांसदों ने इस पर अपने सुझाव दिए और यह बिल लोक सभा में आम सहमति से पास हुआ। दुर्भाग्य यह रहा कि राज्य सभा में इसको कंसीड्रेशन और पासिंग के लिए नहीं ले जा पाए। समय का अभाव था। 16वीं लोक सभा का समय समाप्त हो गया। उसके बाद कोई अवसर नहीं बच पाया कि इसको राज्य सभा में ले जा पाते। यह लैप्स कर जाता, इसलिए राष्ट्रपति जी के माध्यम से आर्डिनेंस लाना पड़ा। माननीय प्रेमचन्द्रन जी, अधीर रंजन चौधरी जी और सौगत राय जी, इन सब ने बताया कि आर्डिनेंस का रूट क्यों लिया गया, हम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन देश के जिन करोड़ों ऐसे गरीबों के लिए जिनकी आवाज बनकर आज आप सब ने आवाज उठाई, तो क्या आपके लोक सभा में बिल पास करने के बाद हम उनको फिर पॉजी स्कीम्स के लिए छोड़ देते?

फिर उनको और लूटा जाता, खराब किया जाता, उन्हीं का पक्ष लेने के लिए आपने बिल को पास किया था। उसी फार्म में हम आर्डिनेंस को लाये, इसमें कोई बदलाव नहीं किया। आज फिर आपके बीच वैसे ही लाए हैं। मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आपने एक स्वर से इस बिल के पक्ष में अपनी राय रखी। मैं एक-एक करके उसके ऊपर आऊंगा, लेकिन आप सभी ने समर्थन किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सभी ने कहा कि लालच दिया जाता है, लोभ में आकर गरीब भटक जाता है, बड़े-बड़े फिल्म स्टार्स की फोटो के साथ समाचार पत्रों में पब्लिकेशन होते हैं,

एडवरटाइजमेंट होते हैं, कभी किसी नेता का नाम भी जुड़ जाता है। लोग कहीं न कहीं ऐसे स्कीमों की ओर आकर्षित हो जाते हैं।

अगर आप इसमें देखें तो हम सभी ने प्रयास किया है कि ऐसा न हो, कई लोगों ने कहा कि बैंक अकाउंट्स नहीं थे तब भी वह गया, आखिरकार 70 वर्षों में बैंक अकाउंट्स क्यों नहीं खुल पाए। मैं प्रधान मंत्री मोदी जी का धन्यवादी हूँ, जिन्होंने वर्ष 2014 में जन-धन योजना लाकर लगभग 36 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुलवाए।

मुझे आज भी याद है जब 2014 में लालकिले की प्रचारी से माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि गरीब को देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेंगे तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया। गरीब और अर्थव्यवस्था के साथ इसका क्या मेल है? लेकिन आज आप देखिए 36 करोड़ बैंक खातों में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा पैसे जमा हैं। देश की गरीब जनता को अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम किया गया।

वहीं दूसरी ओर इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि सेल्फ हैल्प ग्रुप्स में महिलाओं को ओवर ड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी, सेल्फ हैल्प ग्रुप्स की एक महिला को एक लाख रुपये तक के कर्ज का प्रावधान किया जाएगा, क्या हम इससे महिला सशक्तीकरण की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे। जब हम फाइनेन्शियल इन्क्लूजन की बात करते हैं तो उसका प्रावधान भी किया गया ताकि लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा जागरूकता हो।

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आईएमएस स्कैंडल की बात यहां पर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कही। मैं सदन के सभी सदस्यों के सामने कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार की इच्छाशक्ति ही थी जो लोग देश के हजारों करोड़ों रुपये लूट कर दूसरे देश की धरती पर चले गए थे, उनको पकड़ कर अगर देश में वापस लाई है तो हमारी सरकार ही लेकर आई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप इस बिल को पास करेंगे और आने वाले समय में एक्ट बन जाएगा तो इससे राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को भी ताकत मिलेगी। आखिरकार इसके लिए रुल बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। हमने राज्यों से सलाह-मश्विरा और सजेशन

लेकर एक कम्प्रेहेन्सिव बिल पेश किया है। इसके अलावा भी पहले जो इन्सोल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड था या फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल था, उससे भी सरकार और अलग-अलग विभागों को ताकत आपने ही दी है। आज बैंकों के लाखों-करोड़ों रुपये वापस आ पाए तो कहीं न कहीं सोलहवीं लोक सभा का महत्वपूर्ण बिल इन्सोल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है, उसके कारण ताकत मिल पाई और बैंकों को पैसा वापस मिल पा रहा है। जो पैसा लूट कर विदेश चले गए थे उनके खिलाफ भी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल के माध्यम से कार्रवाई की गई। माननीय सुप्रिया सुले जी ने कहा कि क्या करेंगे? उस बिल में ताकत दी हुई है कि आप किसी की प्रोपर्टी को देश और विदेश में भी अटैच कर सकते हैं, कहीं न कहीं ईडी और बाकी एजेंसी को भी अधिकार है कि जब कोई देश के लोगों का पैसा लूटता है तो उसके खिलाफ बाकी एजेंसी कार्रवाई करती है। उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। माननीय सदस्यों ने कहा कि नार्मल कोर्स में फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से डिपोजिट लिए जाते हैं। So, what will be the effect on common man? Will the provisions of this Bill affect the people from taking deposits from friends and relatives to tide over their emergent and immediate needs? I would like to clarify here that the Bill is about banning of unregulated deposit schemes. The deposits taken in the ordinary course of business are not banned under this Bill. This is to ensure that common people, who are in need of loans and want to take it from friends and relatives for their immediate needs, do not face any hardship. So, this has been taken care in this Bill.

इसके अलावा भी कहा गया कि किसी दोस्त के पास जाना पड़े, एकदम से आवश्यकता पड़ जाए, कोई कैजुएलिटी हो जाए या कुछ और हो जाए, सैक्शन 2 के क्लॉज़ (4) और सब-क्लॉज़ (एफ) में इसका प्रावधान किया गया है कि इसे भी एग्जैम्पशन्स रिलेटिव और उन सबको दिया गया है। माननीय सदस्य ने रिलेटिव की परिभाषा के बारे में कहा तो कंपनी एक्ट में बहुत क्लियर है, इसमें भी रिलेटिव की वही परिभाषा लागू होती है।

Sir, the hon. Member, Shri Syed Imtiaz has asked about the fate of brand ambassadors of unauthorised deposit schemes. I would like to mention that Section 5 of the Bill which is about wrongful inducement in relation to Unregulated Deposit Schemes says:

“No person by whatever name called shall knowingly make any statement, promise or forecast which is false, deceptive or misleading in material facts or deliberately conceal any material facts, to induce another person to invest in, or become a member or participant of any Unregulated Deposit Scheme.”

क्लेम कैसे मिले, कब मिले और किसको मिले, इसमें बहुत क्लियर किया गया है ।

Section 5 explains the priority of depositors' claim. It says:

“Save as otherwise provided in the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 or the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, any amount due to depositors from a deposit taker shall be paid in priority over all other debts and all revenues, taxes, cesses and other rates payable to the appropriate Government or the local authority.”

इसलिए प्राथमिकता डिपोजिटर को ही दी गई है । पैसा जब वापिस आएगा तो सबसे पहले डिपोजिटर को ही दिया जाएगा । इस बिल के अंतर्गत गरीब के हित की रक्षा की गई है ।

यह भी कहा गया कि बहुत लंबा समय लगता है, आप कैसे पैसे का प्रावधान करेंगे, वापिस करेंगे? Clause 14 (1) of the Bill is about application of confirmation and sale of property. It mentions:

“The Competent Authority shall, within a period of thirty days, which may extend up to sixty days, for reasons to be recorded in writing, from the date of the order of provisional attachment, file an application with such particulars as may be prescribed, before the Designated Court for making the provisional attachment absolute, and for permission to sell the property so attached by public auction or, if necessary, by private sale.”

इसके आगे डेजिग्नेटिड कोर्ट में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है:

“The Designated Court shall endeavour to complete the proceedings under this section within a period of one hundred and eighty days from the date of receipt of the application referred to in sub-section (1)”

इसमें समय सीमा तय की गई है। इसमें बहुत ही साफ तौर पर उसके अधिकार, डिपोजिट और डिपोजिट टेकर की प्रापर्टी को अटैच करने का प्रावधान भी मेंशन किया गया है।

एनबीएफसीज़ की बात आदरणीय अधीर रंजन जी ने कही है। हाल ही में बजट पेश हुआ है, रैगुलेटर के रूप में भी आरबीआई को पावर्स दी गई हैं। जहां तक चिट फंड कंपनियों की कल्याण बनर्जी जी ने बात कही थी, यह स्टेट एक्ट द्वारा गवर्न है। रैगुलेटिड स्कीम्स हैं। पॉजी स्कीम्स अनरैगुलेटिड में आएंगी। आप शैड्यूल 1 में देखें, नौ रैगुलेटर बड़े साफ तौर पर तय किए गए हैं। नौ रैगुलेटर्स में स्कीम्स, जो रैगुलेटर्स हैं, वही मान्यताप्राप्त हैं। उसके बाहर जो भी है, वह अनरैगुलेटिड है, यह बहुत क्लियरली मेंशन है।

प्रेमचन्द्रन जी ने जो सोसाइटीज की बात कही, वह भी इसी के अंतर्गत आती है। इसमें बड़ा क्लियरली मेंशन्ड हैं कि जो सोसाइटीज स्टेट्स के द्वारा गवर्नर्ड हैं, उसमें उनके अधिकार पहले ही दिए हुए हैं। इसके बाद नियमों का क्या होगा, यह भी कहा गया कि राज्यों के नियम पहले से ही हैं

तो इससे क्या होगा, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें भी नियम बनाने का अधिकार राज्य को ही दिया गया है। बात केवल इतनी थी कि एक क्रांप्रिहेंसिव बिल लाया जाए and to bring that comprehensive Bill, I had to cover all the aspects to plug those loopholes. We have brought this comprehensive Bill. Now, the rule-making powers will be left to the States. They can make all those rules.

इसके बाद उदासी जी ने एलएलपी की बात कही। कल्याण बनर्जी जी ने कहा कि हमारे राज्य में पहले से ही प्रोटेक्शन ऑफ इनवेस्टर्स एंड डिपॉजिटर्स एक्ट है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, कल्याण जी, अगर है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसा पिछले वित्त मंत्री जी ने इसी सदन में कहा था कि पूरे देश भर में जो अनथराइज्ड स्कीम्स के कुल मिलाकर 978 केसेज चल रहे हैं, उनमें से 326 स्कीम्स केवल पश्चिम बंगाल में हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि जब यह बिल पास होकर एक्ट बन जाए, किसी भी एजेंसी के पास पावर आए, कोई भी राज्य हो, चाहे राज्य ए हो, राज्य बी हो या सी हो, कोई भी राज्य हो, उन पॉजी स्कीम्स को बचाने वालों के साथ न खड़ा हो और उन अधिकारियों के साथ न खड़ा हो जो पॉजी स्कीम्स को बचाने वाले हों। यह हर सरकार की जिम्मेदारी है।

अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कि आप बहुत चिन्तित हैं और आपने इसके लिए लड़ाई लड़ी है। मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, इसलिए इन सारी सीट्स में से केवल आप जीतकर आए हैं। आज जीतकर आए तो आज देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के नेता बनकर भी आप सदन में बैठे हैं। इसलिए मैं बाकी लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि जो गरीब की लड़ाई लड़ेगा, उसे कहीं न कहीं सम्मानित किया जाएगा। जो गरीब की लड़ाई नहीं लड़ेगा, उसके साथ क्या होता है, वह आपने हाल ही में देखा है और आगे क्या होगा, वह आगे दिख जाएगा। ... (व्यवधान)

सुनील कुमार जी ने कहा कि इकोनोमिक ऑफेंडर्स पैसा लेकर भाग जाते हैं, उसका जवाब मैंने पहले ही दिया है। सुप्रिया जी और सुनील जी का सेम इश्यू था। भर्तृहरि महताब जी ने एक फिगर

गरीब की गाढ़ी कमाई का पैसा लेकर नहीं जाए। केन्द्र और दी। यह उनकी दी हुई फिगर है कि लगभग 6 करोड़ डिपॉजिटर्स के 68 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा पैसे आज तक लूटे गए। यह बहुत बड़ी रकम है। इसीलिए मुझे लगता है कि सभी माननीय सदस्यों ने यह बात कही है।

Supriyaji said that a waterfall mechanism should be present. The Bill ensures it and provides priority to the depositors. इसके बारे में मैंने पहले भी मंशन किया है कि अगर सबसे पहला क्लेम किसी का होगा तो वह डिपॉजिटर्स का ही होगा।
...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, कई माननीय सदस्यों ने डेटा प्रोटेक्शन की बात की है, हम किसका डेटा देने जा रहे हैं? डिपॉजिटर्स नहीं, जो डिपॉजिट टेकर्स हैं, का डेटा देने की बात है। अगर आप इस बिल को पढ़ें, तो देखेंगे कि सेंट्रल डेटाबेस किसके लिए है। Clause 9(1) in Chapter IV clearly says:

“The Central Government may designate an authority, whether existing or to be constituted, which shall create, maintain and operate an online database for information on deposit takers operating in India.”

आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी डिपॉजिटर का कोई डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करने वाले हैं। जो पैसा लेते हैं, उनका सेन्ट्रलाइज्ड डेटाबेस बने, इसके लिए सरकार ने पूरी तरह से प्रावधान किया है।

इसमें कहा गया है कि under section 10, it is said that the deposit-takers who commence business of deposit taking are required to give intimation only once.

Under this section, the deposit-takers who commence business of taking deposit have to give intimation only at the time of commencement of the business. ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब क्लैरिफिकेशन होगा तब आप थोड़ा और जवाब दे देंगे ।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : अध्यक्ष जी, अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्यों ने एक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टिज इस पर कहा है । मुझे इस बात की ज्यादा खुशी हुई है कि मेरे मित्र कल्याण बनर्जी जी ने कहा कि जो लोगों का पैसा निचोड़ कर, लूट कर भागे हैं, उनको जेल में डालना चाहिए । मैं धन्यवादी हूं कि आपने इस बात को कहा है । मैं सचमुच बहुत धन्यवादी हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे हम आईएमए स्कैंडल के आरोपियों को पकड़ कर लाए, चाहे कोई भी घोटाला हो, हमारे पूरे प्रयास रहेंगे कि गरीबों का पैसा मिले और बाकियों को जेल में डालने का काम किया जाए । इसमें राज्यों की भूमिका भी उतनी ही बराबरी की है और उनकी भूमिका सकारात्मक रहनी चाहिए, जितनी केन्द्र सरकार की है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी माननीय सांसदों ने एकजुट हो कर कहा कि हम गरीब के हित के लिए यह बिल ला रहे हैं ताकि कोई व्यक्ति किसी राज्य की सरकारें इस कानून को बनने के बाद गरीब के हितों की रक्षा कर पाएं, ऐसा हम सब करेंगे । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी जी ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैं निशिकांत दुबे जी को बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने इंदिरा जी को स्मरण किया है। बैंक नेशनलाइजेशन के 50 साल हो चुके हैं तो इसके कारण आज वह हिन्दुस्तान में आम लोगों की संपत्ति बन गई है। जो फाइनेंशियल इंकलूजन की बात हो रही है, यह फाइनेंशियल इंकलूजन उसी दिन से शुरू हुआ है। अनुराग जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। अनुराग जी आप कहते थे कि जिन्होंने लोगों का पैसा लूटा है, आप उन सभी को विदेश से वापस ला रहे हैं। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या एवं अन्य सभी लोग बाहर हैं। डिमॉनिटाइजेशन हुआ है, लेकिन आपने बजट पेश करते हुए भी डिमॉनिटाइजेशन के कारण कितना लाभ हुआ है, उसका कोई विवरण नहीं दिया है।

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, आप इस बिल पर क्लैरिफिकेशन मांगिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, अनुराग जी यह बयान दिया है कि हिन्दुस्तान में लगभग 928 पाँजी स्कीम्स के ठिकाने मिले हैं, जिनमें 326, मतलब वन-थर्ड हमारे बंगाल से हैं, यह हमारे लिए बड़े शर्मिंदा की बात है। बंगाल में सबसे ज्यादा पाँजी स्कीम्स की थ्राइविंग हुई थी और हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा बंगाल के लोगों को लूटा गया। वहां लाखों की तादाद में लोगों को लूटा गया। बहुत सारे कमीशन एजेंट्स और बहुत सारे डिपॉजिटर्स ने आत्महत्या भी की है। वहां की सरकार ने कुछ पैसा वापस किया है, लेकिन वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। जो लुटेरे हैं, उनसे पैसे वापस नहीं लिए गए। मैं हिन्दुस्तान की सरकार को देख रहा हूं कि एनपीए के कारण 5 लाख, 55 हजार करोड़ रुपये राइट ऑफ करते हैं तो पाँजी स्कीम्स और चिट फंड के द्वारा हिन्दुस्तान के लोगों का पैसा लूटा गया है, क्या हम यह नहीं कह सकते हैं, यह नहीं सोच सकते हैं कि उन लोगों को वन टाइम पैसा दिया जाए, क्या सरकार के लिए यह सोचने का समय नहीं आया है? हिन्दुस्तान में करोड़ों लोग लालच और धोखे के कारण लूटे गए हैं। उनका पैसा वापस करने के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा सकते हैं?

महोदय, मैं मेरे भाई अनुराग ठाकुर को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में फाइनेंशियल लिट्रेसी होनी चाहिए। आम लोगों में फाइनेंशियल लिट्रेसी की कमी होने के कारण पौंजी स्कीम्स, चिट फंड स्कीम्स का दबदबा बढ़ रहा है।

महोदय, मैंने आर्डिनंस के खिलाफ जो स्टैच्युटी रेजोलुशन दिया था, उसे मैं विदड़ा करता हूँ।

वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): महोदय, मैं एक क्लैरीफिकेशन देना चाहती हूँ। हम सभी को मालूम है कि श्री अधीर रंजन चौधरी ने चिट फंड के मामले में झगड़ा किया था और वह प्रो-पूअर के लिए हुआ था, इसीलिए आज वह हमारे सामने बैठे हैं। अधीर जी की इस फाइटिंग स्पिरिट के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ, मगर आज इन्होंने एक जो बयान दिया है, वह गलत है, उसको मैं करैक्ट करना चाहती हूँ। जब बैंक्स में एनपीएज़ होते हैं तो उनके लिए बैंक्स में प्रोविज़न रखा जाता है, क्योंकि उनकी अकाउंटिंग बुक को बैलेंस करना पड़ता है। इसका यह मतलब नहीं है कि जो एनपीए हो गए हैं, वह पैसा वापस नहीं लेंगे। उनके पीछे पड़े रहेंगे। मगर balancing of the books के लिए जो प्रोविज़निंग करते हैं, उसका यह मतलब नहीं है कि राइट ऑफ हो गया है। कोई भी राइट ऑफ नहीं हुआ है। बैंक्स हर एक के पीछे पड़े हुए हैं और पैसा वापस ले आएंगे।

SHRI S.C. UDASI : Thank you Mr. Speaker, Sir.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, केवल एक-एक क्लैरीफिकेशन ही पूछें।

SHRI S.C. UDASI: Sir, I want only one clarification. In my speech also, I mentioned it. The definition of 'deposit' in this Bill explicitly excludes the amounts contributed as capital by partners and as a limited liability partnership, exactly how the IMA got their investment. In March, 2019, the Revenue Department also recommended that the case against the firm may be closed.

As IMA is registered as a commercial firm under the Registrar of Companies, action then shifted to the agency. If each investor is taken as a limited liable partner, they have to be cleared with the RoC.

IMA Group has declared thousands of them as limited liable partners. But the numbers do not match that of the investors and they are now lodging complaints with the police. There are some compliance issues with the company. The office of Regional Director, Hyderabad has launched a probe.

So, I need a clarity in this regard from the hon. Minister. Even in my speech, I mentioned about this.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Sir, the hon. Minister said that there is already a waterfall mechanism which is wonderful. But it is not implemented. The money of the company of Uttar Pradesh as well as of Punjab is lying with SEBI. I ask him a pointed question: when will it be given back to the investors? You may kindly clarify that.

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, first of all, I will give my heartiest thanks to the hon. Minister of State in the Ministry of Finance, who is one of my good friends, for the answer that he has given. I am really very happy to hear his answer. Irrespective of the party, whenever we find that any of my friends is making good performance, it makes us very happy. We feel very proud of that.

I just want to say for your information that West Bengal Protection of Interest of Depositors in Financial Establishments Bill was legislated by West Bengal Assembly in April, 2013. But as you know, this subject comes under

Concurrent List. Assent of the President is required in this regard. This assent was given after two years.

It means that it was in the middle of the year 2015. Is it right?

...(Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Who is responsible for it? ...(Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE : I am not saying as to who is responsible for it because up to the year 2014, the UPA Government was responsible, and after the year 2014, the NDA is responsible for it. I am not on that issue, and he is saying it and not me.

Therefore, for two years, it was pending before the Central Government. You have referred to the point that 326 cases are in West Bengal. When were these 326 cases initiated? When you are telling something, then you must give the complete picture. Justice Shyamal Sen's Committee has distributed the money to the depositors before the matter was taken up by the CBI.

My question is very short. Who is responsible for it -- whether 'I' am responsible or 'X' is responsible -- is another question? It is a criminal activity, but the main question here is this. When will the depositors get back their money? In the Saradha matter, the CBI is doing investigation and they have filed the charge sheet, but it has not yet been completed. What is its use unless the trial is completed, the assets are forfeited, and distribution is made to the small depositors? Ultimately, we are talking about the poor depositors. When will they get the money? I am seeking this clarification. Thank you.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, उदासी जी ने कहा कि जो कंपनी वहां फ्रॉड कर के गई, जो एलएलपी नेचर की थी, उसका क्या होगा। यह फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस है, इसीलिए एसएफआईओ और ईडी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर के वापस लाई है। यह हमारी सरकार ने किया है और आगे भी इस तरह की घटना न हो, इसके लिए प्रावधान किए गए हैं।

सुप्रिया सुले जी ने कहा कि पैसा वापस कब मिलेगा। जब यह कार्यवाही पूरी हो जाएगी, जो जस्टिस लोढ़ा की कमेटी बैठी है, जब तक यह प्रोसेस पूरा नहीं होता, अलग-अलग स्कीम्ज़ में अलग-अलग लोग हैं, जैसे पीएसीएल के विषय में लोढ़ा कमेटी बैठी है। ऐसे अलग-अलग जो स्कैम्ज़ हुए, उनकी जब तक प्रोब पूरी नहीं हो जाती, तब तक पैसा वापस देना कैसे शुरू किया जा सकता है? जब यह पूरा हो जाएगा, तब डिपॉज़िटर्स को उनका पैसा वापस मिलना शुरू हो जाएगा।
...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, एक मिनट का समय और दीजिए। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा था कि क्या रियल स्टेट सैक्टर इससे एफैक्टेड होगा। वह एफैक्टेड नहीं होगा। बिल में उसकी एग्जम्पशन है, उसे बड़ा क्लियरली मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा रूडी जी ने भी कहा था।
...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: अध्यक्ष जी, मैं फिगर करेक्ट करना चाहता हूं। मैंने गलत फिगर दे दी थी।
...(व्यवधान) Sir, I will just take a second.

अध्यक्ष जी, मैंने 75 हजार करोड़ रुपये कहा था। यह फिगर सिर्फ एक साल की है। पिछले चार सालों में बैंक्स को 2.5 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। मेरा सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन है।
When are you going to create more credit through instruments like MUDRA to reduce attraction of ponzi schemes across the country?

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आपको कुछ कहना है?

...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : नहीं, अध्यक्ष जी।
...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Adhir ji, you have to say that 'I withdraw'.

...(Interruptions)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मैं सांविधिक संकल्प को सभा की अनुमति से वापस लेना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या सभा की यह इच्छा है कि श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को वापस लिया जाए?

सांविधिक संकल्प को सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि सामान्य कारबार में लिए गए निक्षेपों के सिवाय, अविनियमित निक्षेप स्कीमों पर पाबंदी के लिए एक व्यापक तंत्र का उपबंध करने के लिए और निक्षेपकर्ताओं के हितों की संरक्षा के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

(खंड 2 से 44)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 2 से 44 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 44 विधेयक में जोड़ दिए गए।

20.00 hrs

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि पहली और दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पहली और दूसरी अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अनिधियमन सूत्र और पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सर, इससे पहले कि मैं विधेयक पारित करने के लिए कहूँ, सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना सहयोग और समर्थन दिया। यह मेरा पहला बिल था। सभी ने उस पर न केवल अपने सुझाव दिए, बल्कि आशीर्वाद भी दिया। मैं एक बार फिर सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: सभी माननीय सदस्यों ने आपके पहले विधेयक पर, आपके द्वारा दिए हुए बिल और वक्तव्यों के बारे में सर्वसम्मति जताई है।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: We appreciate the hon. Cabinet Ministers entrusting the Ministers of State in piloting the Bills. It is a very good practice, which they have started. ...*(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष: किसी भी माननीय सदस्य ने इसमें संशोधन नहीं दिया। जिन्होंने संकल्प लिया, उन्होंने भी संकल्प वापस ले लिया।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): Mr. Adhir is very hasty. उनके नाम में रंजन भी लगा हुआ। ये सबका मन भी रंजन करते हैं।

माननीय अध्यक्ष: यह बात आपने सही कही। वे अधीर भी हैं और रंजन भी हैं।

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अगर आपकी सहमति हो तो आइटम नं. 13 ले लिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी नहीं।

माननीय अध्यक्ष: सभा की सहमति नहीं है, इसलिए सभा की कार्यवाही कल दिनांक 25 जुलाई, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

20.03 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on
Thursday, July 25, 2019/Shravana 3, 1941*
